हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2011-2012

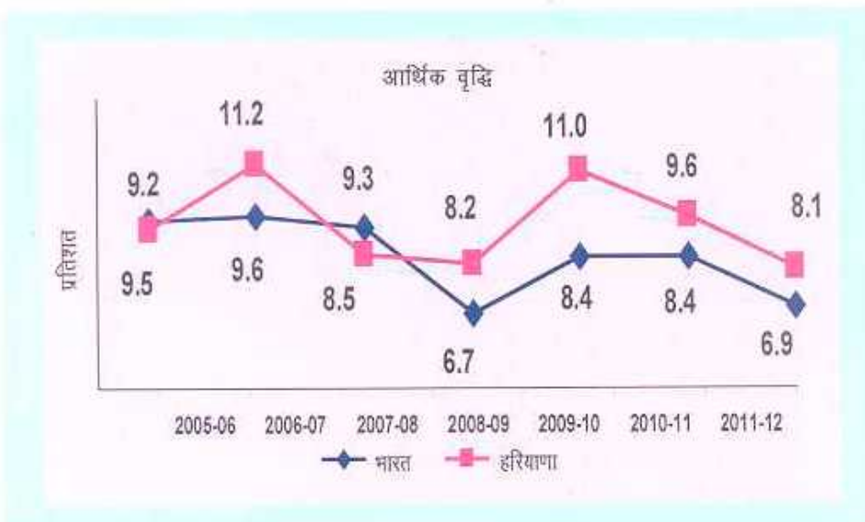

जारीकर्ता

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

2012

प्रकाशन संख्या –1001

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2011–12

जारीकर्ता:
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकुला
2012

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा एक दृष्टि में	(i-vi)
1.	हरियाणा की अर्थ व्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1—4
2.	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण	5—15
3.	कीमतें एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	16—18
4.	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	19—31
5.	उद्योग क्षेत्र	32—38
6.	सेवा क्षेत्र	39—41
7.	ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, परिवहन एवं भण्डारण	42—52
8.	सामाजिक क्षेत्र	53—83
9.	योजना नीति एवं समीक्षा	84—102
अनुलग्नक		103—120

***

हरियाणा एक दृष्टि में

क.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
1	**भौगोलिक क्षेत्र**	जनगणना 2011(अ)	वर्ग कि.मी.	44,212
2	**प्रशासनिक ढांचा**		संख्या	
	(क) मण्डल			4
	(ख) जिले			21
	(ग) उप–मण्डल			57
	(घ) तहसीलें			74
	(ड़) उप–तहसीलें			44
	(च) खण्ड			119
	(छ) कस्बे	जनगणना 2011(अ)		154
	(ज) गांव (गैर आबादी सहित)	जनगणना 2011(अ)		6,841
3	**जनसंख्या**	जनगणना 2011(अ)	संख्या	
	(क) कुल			2,53,53,081
	(ख) पुरूष			1,35,05,130
	(ग) स्त्रियाँ			1,18,47,951
	(घ) ग्रामीण			1,65,31,493
	(ड़) शहरी			88,21,588
	(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573
	(छ) साक्षरता दर		प्रतिशत	76.64
	(ज) लिंग अनुपात		1,000 पुरूषों पर स्त्रियां	877
	(झ) ग्रामीण जनसंख्या		प्रतिशत	65.21
4	**स्वास्थ्य आंकड़े**	2009	प्रति हजार	
	(क) जन्म दर			
	(i) इक्टठी			22.7
	(ii) ग्रामीण			23.8
	(iii) शहरी			20.1
	(ख) मृत्यु दर			
	(i) इक्टठी			6.6
	(ii) ग्रामीण			7.1
	(iii) शहरी			5.7

क.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
	(ग) बाल मृत्यु दर	2009	प्रति हजार	
	(i) इक्टठे			51
	(ii) ग्रामीण			54
	(iii) शहरी			41
	(घ) मातृ मृत्यु दर	2007–09	1 लाख जिन्दा जन्म के ऊपर मृत्यु	153
5	**राज्य आय (चालू कीमतों पर)**			
	(क) राज्य सकल घरेलू उत्पाद	2011–12(अग्र)	रूपये करोड़	3,09,326.10
	(ख) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद			63,940.95
	(ग) उद्योग क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			87,306.67
	(घ) सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद			1,58,078.48
	(ड़) प्रति व्यक्ति राज्य आय		रूपये	1,09,227.00
6	**भूमि उपयोग**	2009–10	हजार हैक्टेयर	
	(क) निवल बोया गया क्षेत्र			3,550
	(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			2,801
	(ग) कुल बोया गया क्षेत्र			6,351
	(घ) निवल बोए गए क्षेत्र की कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशतता		प्रतिशत	8.03
	(ड) एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र की निवल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता		प्रतिशत	78.90
7	**मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र**	2009–10	हजार हैक्टेयर	
	(क) चावल			1,206
	(ख) गेंहू			2,488
	(ग) जवार			78
	(घ) बाजरा			584
	(ड़) सभी अनाज			4,410
	(च) सभी दालें			132
	(छ) सभी खाद्यान्न			4,542
	(ज) गन्ना			79
	(झ) कपास			505
	(ञ) मूंगफली इत्यादि			2

क.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
8	**मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र**	2009–10	हजार टन	
	(क) चावल			3,628
	(ख) गेंहू			10,488
	(ग) जवार			39
	(घ) बाजरा			930
	(ड़) सभी अनाज			15,248
	(च) सभी दालें			97
	(छ) सभी खाद्यान्न			15,345
	(ज) गन्ना			571
	(झ) कपास		170 कि.ग्रा. की '000' गांठें	1,918
	(ञ) मूंगफली इत्यादि		हजार टन	2
9	**मुख्य फसलों की औसत उपज**	2009–10	किलो / हैक्टे.	
	(क) चावल			3,008
	(ख) गेंहू			4,215
	(ग) जवार			500
	(घ) बाजरा			1,592
	(ड़) गन्ना			7,224
	(च) कपास		170 कि.ग्रा. की '000' गांठें	646
	(छ) मूंगफली इत्यादि		किलो / हैक्टे.	927
10	**चालू जोतें**	2000–01		
	(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या	15,27,774
	(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,550
	(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.32
11	**सहकारिता**	2010–11		
	(क) कुल सहकारी समितियों की संख्या		संख्या	36,592
	(ख) सहकारी समितियों की कुल सदस्य संख्या		संख्या	57,52,904
	(ग) सहकारी समितियों की कुल कार्य पूंजी		रूपये करोड़	24,26,093
12	**पशुधन**	2007	संख्या	
	(क) पशु			15,52,361
	(ख) भैंसे			59,53,228
	(ग) बकरियां			5,38,320
	(घ) कुक्कुट पालन			2,87,85,497

क.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
13	**पशु चिकित्सा**	2010–11	संख्या	
	(क) अस्पताल			942
	(ख) डिस्पैंसरियां			1,809
14	**दूध एवं अण्डे**	2010–11		
	(क) अनुमानित उत्पादन		लाख टन	62.67
	(ख) प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता		ग्राम	680
	(ग) अण्डा उत्पादन		संख्या लाखों में	39,644
15	**वन**	2010–11		
	(क) वनों के अधीन क्षेत्र		प्रतिशत	3.81
	(ख) मुख्य वन उत्पादों की कीमत		रूपये हजार	4,53,020
16	**विद्युत**	2010–11		
	(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	5,997.83
	(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	2,96,623
	(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	2,40,125
17	**उद्योग**	दिसम्बर, 2010	संख्या	
	(क) रजिस्टर्ड फैक्टरियां			10,513
	(ख) फैक्टरियों में लगाए गए कार्यकर्ता			7,82,463
18	**परिवहन**	2010–11	संख्या	
	(क) वाहन			
	(i) कुल पंजीकृत वाहन			5,55,894
	(ii) सड़क पर कुल वाहन			53,77,003
	(ख) सड़कें	2010–11	किलोमीटर	
	(i) सड़कों की कुल लम्बाई			25,653
	(ii) कच्ची			227
	(iii) राष्ट्रीय उच्च मार्ग			1,462
	(iv) राज्य उच्च मार्ग			2,523
19	**पर्यटन**	2010–11	संख्या	
	(क) पर्यटन स्थल			43
	(ख) विदेशी सैलानी			1,30,423
	(ग) भारतीय सैलानी			68,25,459

क.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
20	**रोजगार**		संख्या	
	(क) रोजगार केन्द्रों की कुल संख्या	दिसम्बर, 2010		56
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार	2010–11		3,89,337
	(ग) निजी क्षेत्र में रोजगार			3,24,001
	(घ) कुल रोजगार			7,13,338
	(ड) हरियाणा राज्य का अमला	मार्च, 2010		3,26,021
21	**स्वास्थ्य**	2010–11	संख्या	
	(क) सरकारी हस्पताल			69
	(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			429
	(ग) डिस्पैंसरियां			193
	(घ) बिस्तरों की संख्या			10,006
22	**शिक्षा**			
	(क) संस्थान	2010–11	संख्या	
	(i) प्राथमिक / पूर्व प्राथमिक विधालय			13,094
	(ii) माध्यमिक विधालय			3,439
	(iii) उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			6,771
	(ख) दाखिला	2009–10	संख्या	
	(i) प्राथमिक / पूर्व प्राथमिक विधालय			16,94,900
	(ii) माध्यमिक विधालय			8,77,767
	(iii) उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			24,05,479
23	**तकनीकी शिक्षा**	2010–11	संख्या	
	(क) तकनीकी संस्थानों में सीटें			1,41,396
	(ख) छात्र			1,06,047
	(ग) छात्राएं			35,349
24	**बैंक**	2010–11		
	(क) अनुसूचित बैंक		संख्या	2,623
	(ख) जमा		रूपये करोड़	1,29,721
	(ग) साख		रूपये करोड़	92,773
25	**वृद्धा–अवस्था पैंशन**	2010–11		
	(क) लाभार्थी		संख्या	13,86,207
	(ख) राशि वितरित		रूपये करोड़	899.15

क.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
26	**राज्य सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्यय**	2011–12(ब.अ.)	रूपये करोड़	
	(क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ			32,018.19
	(अ) केन्द्रीय करों से हिस्सेदारी			2,765.11
	(आ) राज्य कर			24,293.97
	(इ) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान व अंशदान			4,959.11
	(ख) कुल राजस्व व्यय			34,678.87
	(अ) सामान्य सेवाएं			10,684.07
	(आ) समाजिक सेवाएं			13,968.52
	(इ) आर्थिक सेवाएं			9,923.52
	(ई) अन्य			102.76
27	**राज्य योजनाएं**		रूपये करोड़	
	(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय	2007–12		35,000
	(ख) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2007–08		5,500
	(ग) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2008–09		7,130
	(घ) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2009–10		10,400
	(ड) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2010–11		18,260
	(च) वार्षिक योजना परिव्यय (सं)	2011–12		*20,330
	(छ) 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–17		*1,76,760
	(ज) वार्षिक योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–13		*26,485

अः अनन्तिम
अग्रः अग्रिम अनुमान
बःअः बजट अनुमान
सं: संशोधित
* पी एस यू एवं स्थानीय निकायों का परिव्यय शामिल है

***

1

हरियाणा की अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

आर्थिक परिदृश्य

हरियाणा ने अपने गठन के समय से ही अदभुत आर्थिक विकास किया है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 1966–67 से 2004–05 तक 6.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। पिछले 7 वर्षों में (2005–06 से 2011–12) राज्य की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक 9.4 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि अर्जित की है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.3 प्रतिशत का छोटा सा राज्य है परन्तु 2011–12 के अग्रिम अनुमानों (अग्र.अ.) के अनुसार राज्य के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों (2004–05) पर 3.4 प्रतिशत का योगदान दर्ज किया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर हरियाणा 94,680 रूपये प्रति व्यक्ति आय के साथ गोवा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा साधन लागत पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों कीमतों पर तैयार करता है। वर्ष 2010–11 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्रुत अनुमान (द्रु.अ.) के आधार पर 9.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था की 8.4 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक है। हांलाकि, वर्ष 2011–12 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुछ कम 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, लेकिन फिर भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय स्थिर (2004–05) कीमतों पर 2010–11 में 59,221 रूपये थी जोकि 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2011–12 में 63,045 रूपये होने का अनुमान है।

1.3 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों 2007–08 तथा 2008–09 में राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2007–08 के दौरान 0.3 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि तथा विनिर्माण क्षेत्र में 2008–09 में बहुत कम 2.6 प्रतिशत की वृद्वि के बावजूद क्रमशः 8.5 तथा 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। सेवाएं क्षेत्र में वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में क्रमशः 13.6 तथा 11.6 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर के कारण राज्य अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर कायम की है। वर्ष 2009–10 के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि 1.6 प्रतिशत नकारात्मक होने के बावजूद सेवा क्षेत्र में (16.1 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र में (10.4 प्रतिशत) बढ़िया वृद्धि के कारण राज्य अर्थव्यवस्था ने शानदार 11 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। इन तीन वर्षो के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था में औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि भारतीय अर्थ व्यवस्था द्वारा दर्ज 8.1 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक थी।

1.4 वर्ष 2010–11 में राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि अच्छी रही। चालू कीमतों पर वर्ष 2010–11 में द्रुत अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2,22,030.58 करोड़ रूपये की अपेक्षा 19 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,64,148.70 करोड़ रूपये रही है। वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों अनुसार 1,51,562.96 करोड़ रूपये का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2010–11 में 9.6 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 1,66,095.38 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वर्ष 2010–11 के दौरान अचल सम्पत्ति एवम् आवासों के स्वामित्व (6.5 प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन (7.2 प्रतिशत), अपंजीकृत निर्माण (7 प्रतिशत), निर्माण (8.3 प्रतिशत) और कृषि (6.3 प्रतिशत) में कम वृद्धि के बावजूद व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट (15.1 प्रतिशत), पंजीकृत विनिर्माण (9.2 प्रतिशत), बिजली, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र

(10.1 प्रतिशत), अन्य तरीकों से परिवहन (9.7 प्रतिशत), बैंकिंग और बीमा (11.7 प्रतिशत) तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में (11.8 प्रतिशत) की प्रोत्साहित वृद्धि के कारण 9.6 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की गई है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.स.) द्वारा 2010–11 के जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत दर्ज की गई, जो कि राज्य की तुलना में 1.2 अंक कम है। लगातार दो वर्षों के दौरान उत्कृष्ट आर्थिक वृद्धि दर के बाद चालू वर्ष में राज्य अर्थव्यवस्था की उत्कृष्ट मजबूती कम हुई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 के दौरान चालू कीमतों पर राज्य में सकल घरेलू उत्पाद 3,09,326.10 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है जोकि 17.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,79,588.89 करोड़ रूपये पंहुचने की उम्मीद है। हालांकि यह वृद्धि दर अखिल भारतीय वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत से अधिक है। राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.1 प्रतिशत की कम वृद्धि का मुख्य कारण, विनिर्माण क्षेत्र (4.8 प्रतिशत), व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट क्षेत्र (8.3 प्रतिशत) तथा अन्य तरीकों से परिवहन (8.8 प्रतिशत) की धीमी वृद्धि रहा है (तालिका 1.1)।

तालिका 1.1–11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

(प्रतिशत)

उद्योग	2007–08	2008–09	2009–10अ	2010–11द्रु.अ.	2011–12अग्र.अ.
कृषि तथा कृषि सहबद्ध गतिविधियां	0.0	7.3	-1.3	6.1	5.1
खनन एवं उत्खनन	3.8	-7.7	-49.9	-54.6	-4.7
विनिर्माण	8.4	2.6	10.5	8.6	4.8
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	8.7	9.7	16.0	10.1	10.6
निर्माण	2.5	4.8	10.7	8.3	8.3
परिवहन, संचार एवं व्यापार	15.5	10.5	17.7	13.3	8.9
वित्त एवं भू–सम्पदा	13.3	8.8	13.0	8.1	11.6
समुदाय एवं निजी सेवाएं	7.7	20.9	16.1	10.4	12.6
कुल सकल घरेलू उत्पाद	8.5	8.2	11.0	9.6	8.1

अ.: अस्थाई, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान, अग्र.अ.: अग्रिम अनुमान

1.5 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के प्रथम वर्ष यानि 2007–08 के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (8.5 प्रतिशत) भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 9.3 प्रतिशत से कुछ कम रही। लेकिन 11वीं योजना के शेष 4 वर्षों यानि 2008–09 से 2011–12 के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 8.2, 11, 9.6 एवं 8.1 प्रतिशत रही जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7, 8.4, 8.4 एवं 6.9 प्रतिशत से अधिक रही। अतः 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की वृद्धि दर मजबूती के साथ शानदार रही। 11वीं योजना अवधि के दौरान राज्य और भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को **आकृति 1.1** में दिखाया गया है।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.6 पिछले 45 वर्षों में राज्य अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। हरियाणा राज्य के गठन के समय से ही राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों (कृषि, वन एवं मत्सय पालन) का स्थिर मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा (60.7 प्रतिशत) का योगदान रहा है। इसके बाद सेवाएं (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा। उस समय कृषि की प्रधानता जिसके उत्पादन में उच्च उतार चढ़ाव होने के कारण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार था। इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ तथा वह बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा ।

1.7 चौथी और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 32 वर्षों (1969–70 से 2001–02) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर की तुलना में अत्यधिक वृद्धि दर

आकृति 1.1– हरियाणा एवं समस्त भारत के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर (2004–05) कीमतों पर वृद्धि दर

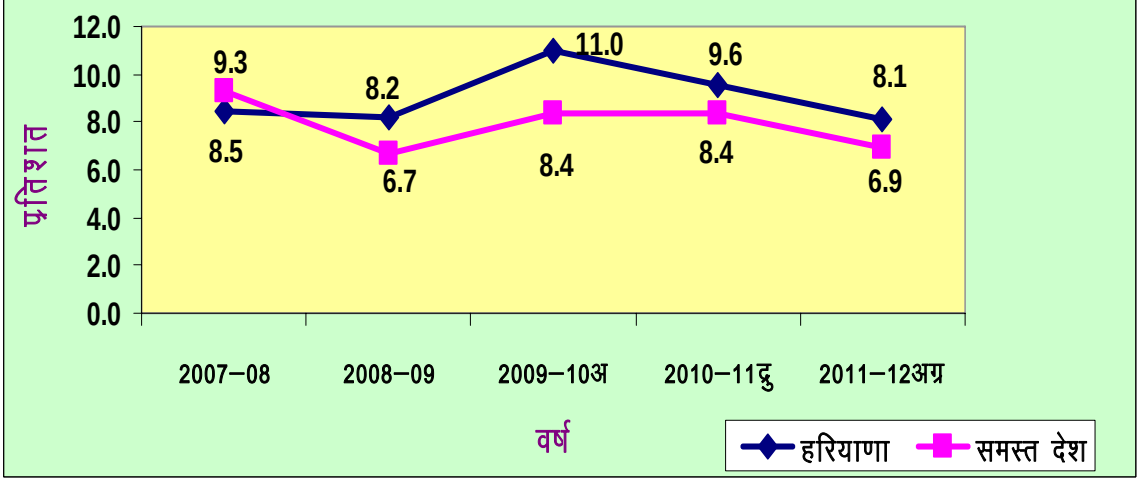

आकृति 1.2– राज्य सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रानुसार स्थिर (2004–05) कीमतों पर वृद्धि दर

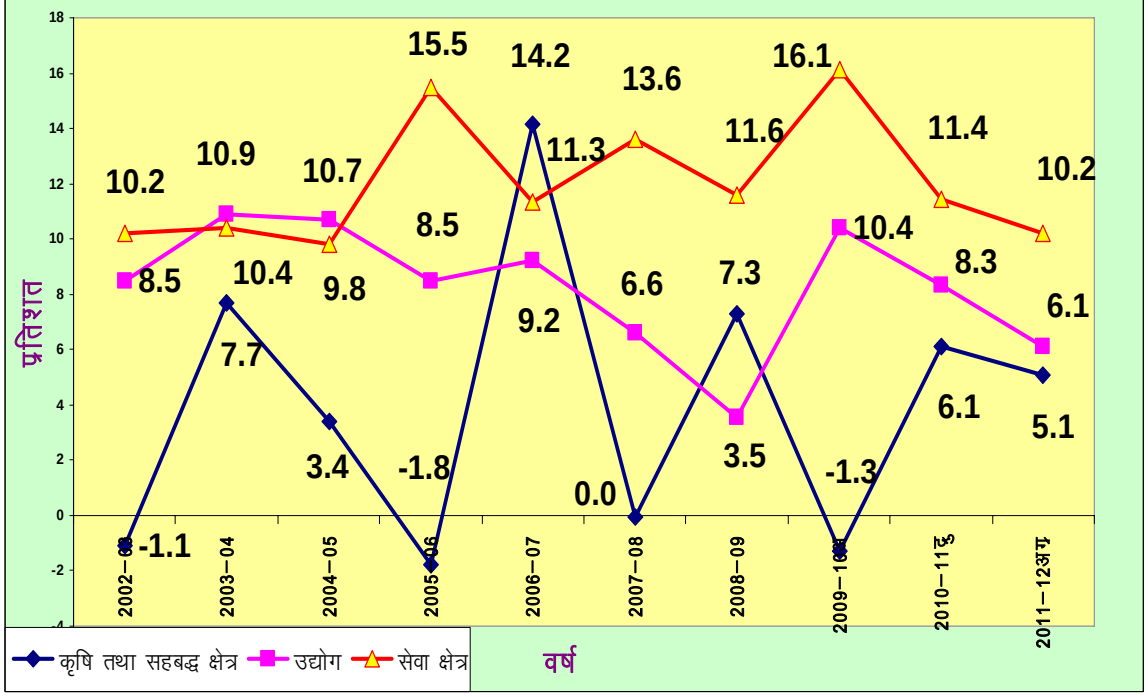

आकृति 1.3– राज्य सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रानुसार अंश में परिवर्तन

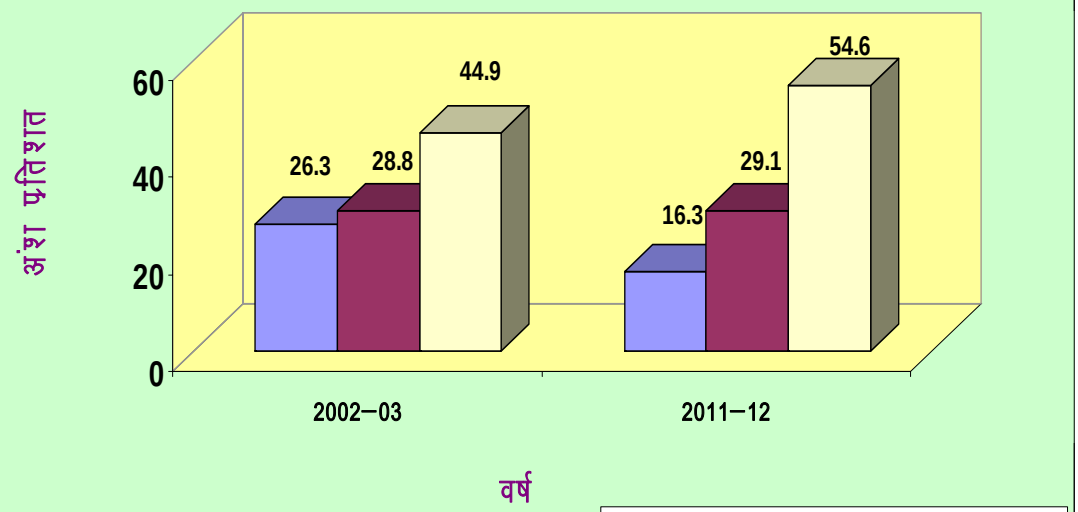

आकृति 1.4– हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय

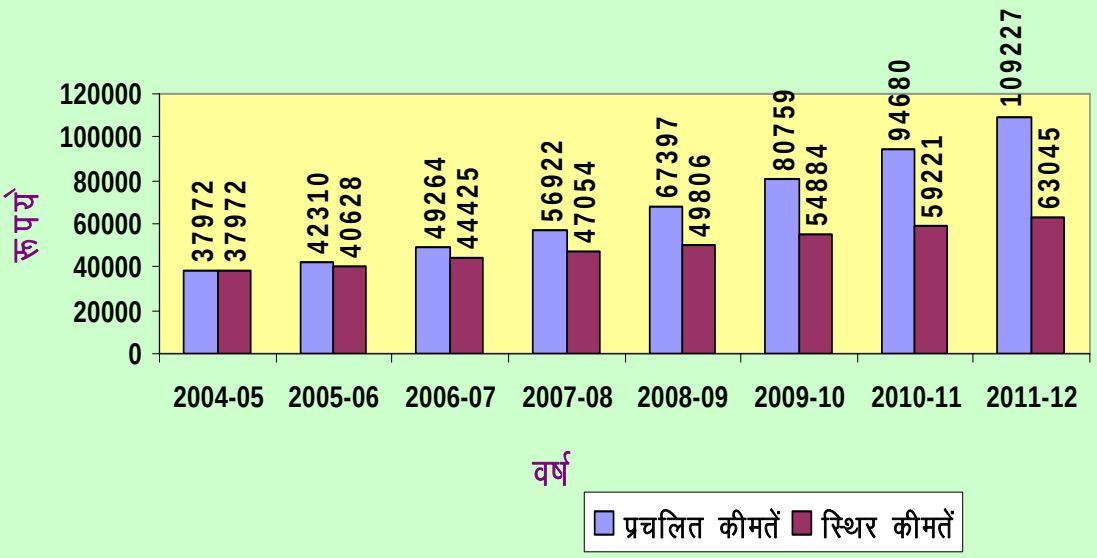

आकृति 1.5– हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

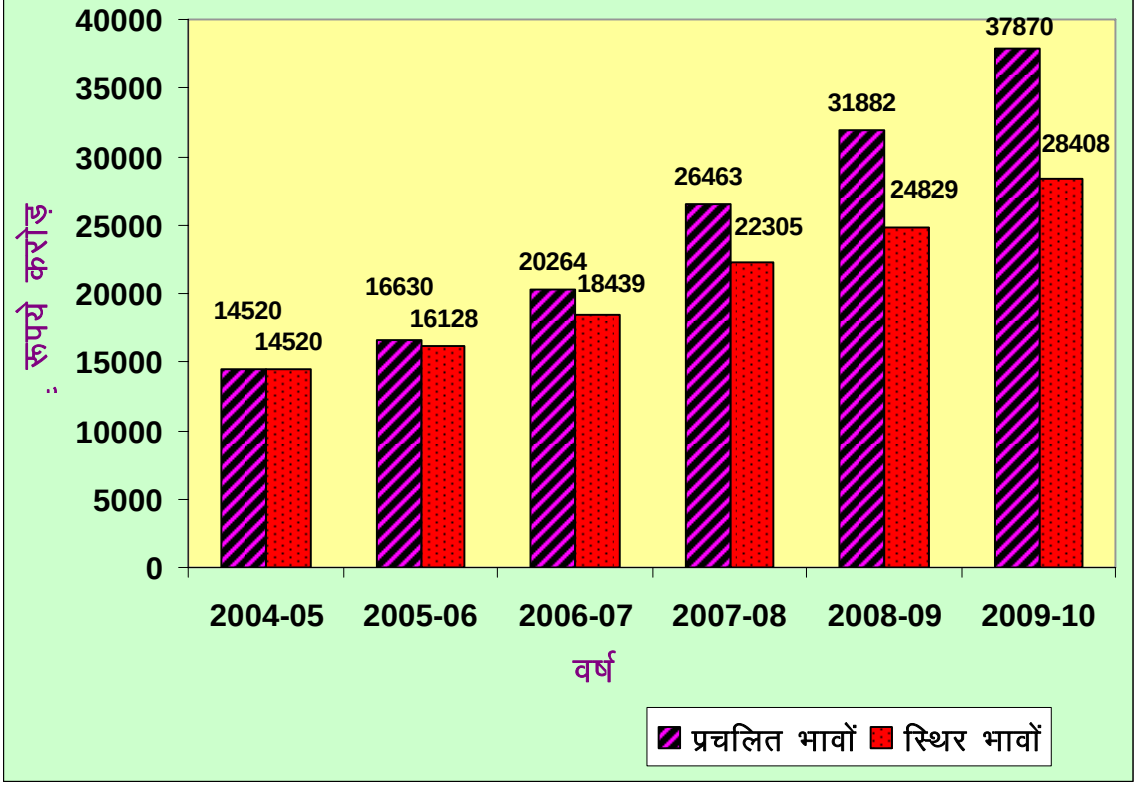

हासिल की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवाएं क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई है तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ है। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से कम होकर 2001–02 में 28.1 प्रतिशत हो गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2001–02 में 28.6 प्रतिशत हो गया। सेवाएं क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 43.3 प्रतिशत हो गया। पिछले 10 वर्षों (2002–03 से 2011–12) के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की त्वरित गति ने राज्य को एक उच्च विकास दर के पथ पर ला दिया है। इस अवधि के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन (11.9 प्रतिशत) बहुत उत्कृष्ट रहा है तथा इसके बाद उद्योग क्षेत्र का प्रदर्शन (8.3 प्रतिशत) रहा। कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों में केवल 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2002–03 से 2011–12 की अवधि में क्षेत्रानुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि को **आकृति 1.2** द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

1.8 सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011–12 में इसका अंश 54.6 प्रतिशत हो गया तथा कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश 16.3 प्रतिशत हो गया है **(आकृति 1.3)**। इस प्रकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश लगातार घट रहा है तथा सेवा क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ रहा है।

1.9 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी इसी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन की प्रवृति को अंकित किया गया है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 2004–05 में 19 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 13.9 प्रतिशत रह गया है जबकि सेवाएं क्षेत्र का अंश वर्ष 2004–05 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 59 प्रतिशत तक पहुँच गया है। यह राज्य अर्थव्यवस्था व भारतीय अर्थव्यवस्था में समानान्तर संरचनात्मक बदलाव की स्थिति को प्रकट करता है कि जिसमें कि उद्योग और सेवाएं क्षेत्र का प्रदर्शन अधिक तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के महत्व को कम रेखांकित करता है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की गति को सुचारू रखने के लिए उन क्षेत्रों मे निवेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो मजबूती से अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों से एकीकृत हैं। क्योंकि इस निवेश का अर्थव्यवस्था के विकास पर गुणात्मक प्रभाव होगा।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.10 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) राज्य तथा देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर केवल 608 रूपये थी। तब से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है। प्रचलित और स्थिर (2004–05) कीमतों पर 2004–05 से 2011–12 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **आकृति 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

1.11 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों (2004–05) पर 2010–11 में 59,221 रूपये से बढ़कर 2011–12 में 63,045 रूपये पहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2011–12 में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। अग्रिम अनुमानों अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2010–11 में 94,680 रूपये से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 1,09,227 होने की संभावना है जो कि 2011–12 में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यहां पर यह भी बताना उचित होगा कि अतीत में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से हमेशा बहुत अधिक रही है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011–12 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चालू तथा स्थिर (2004–05) कीमतों पर क्रमशः 60,972 रूपये तथा 38,005 रूपये अनुमानित की गई है।

राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.12 अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती हैं यानि अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता। अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसे कि उद्योगों के उपयोग संस्थानों के प्रकार आधार एवं परिसम्पतियों के प्रकार के आधार तैयार करता है जिसे **आकृति 1.5** द्वारा दिखाया गया है। प्रचलित कीमतों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2009–10 के अनुसार 37,870 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया, जबकि वर्ष 2008–09 का यह आंकलन 31,882 करोड़

रूपये था। इस प्रकार इसमें 18.8 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इसी तरह स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2008–09 के 24,829 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2009–10 में 28,408 करोड़ रूपये आकलन किया गया तथा इसमें 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

***

2

राज्य वित्त, बैंकिंग तथा ऋण

हरियाणा राज्य देश का उन्नतिशील राज्य है एवं राजकोषीय सुधारों के लिए पथ प्रदर्शक रहा है। प्रतिव्यक्ति आय में हम गोवा के बाद पहले स्थान पर है, एवं हमारी गिनती देश के राजकोषीय सुधार करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर की जाती है। योजना आयोग ने भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। राज्य में वर्ष 2004–05 तक राजस्व घाटा रहता था। यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार राजस्व घाटा 1998–99 में 3.53 प्रतिशत से घटकर 2004–05 में 0.27 प्रतिशत रह गया। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2005–06 में 1,213 करोड़ रूपये, 2006–07 में 1,590 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2007–08 में 2,224 करोड़ रूपये हो गया परन्तु अर्थ–व्यवस्था में धीमापन आने तथा कर्मचारियों के वेतन/पैंशन में संशोधन के कारण राज्य में 2008–09 में राजस्व घाटा 2,082 करोड़ रूपये तथा 2009–10 में 4,265 करोड़ रूपये हो गया जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.14 प्रतिशत तथा 1.92 प्रतिशत था। राज्य की प्राप्तियाँ मुख्यतः वैट मुद्रांक तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क तथा शहरी सम्पदा से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों मे कमी से प्रभावित हुई। वर्ष 1998–99 में वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 5.13 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2007–08 में 0.83 प्रतिशत रह गया। परन्तु वर्ष 2009–10 में यह बढकर 4.54 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2010–11 में यह घटकर 2.75 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1999–2000 में राज्य कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 6.85 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2007–08 में 7.66 प्रतिशत हो गया। हालांकि आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2010–11 कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 6.36 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य वित्त

2.2 लोक वित्त का सम्बन्ध करों के संग्रह से है, सरकार इन करों का उपयोग सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के लिये करती है। इसके अतिरिक्त इन करों का उपयोग उत्पादन व वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिये भी किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य वित्त को राजकोषीय घाटे से अधिशेष का अनुभव रहा है, इसके बाद फिर घाटा और दोबारा से अधिशेष के पथ पर अग्रसर है। राजकोषीय घाटे के नीचे की तरफ रूझान के मुख्य कारण वैश्विक मन्दी, मुद्रा स्फीति और वेतन वृद्धि थे। राज्य सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से राज्य कोष की स्थिति मजबूत हुई है।

2.3 राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। राज्य सरकार के बजट 2011–12 के अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 32,018.19 करोड़ रूपये एवं व्यय 34,678.87 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। इसके फलस्वरूप 2,660.68 करोड़ रूपये घाटा रहने का अनुमान है। हरियाणा राज्य की अनुमानित वित्तीय प्राप्तियों का विवरण अनुलग्नक 2.1 में दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 (ब.अ.) तक की अवधि की राजस्व प्राप्तियों व व्यय का विवरण **आकृति 2.1** द्वारा दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 19,750.73 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 17,526.87 करोड़ रूपये था। फलस्वरूप इस अवधि में सरकार को 2,223.87 करोड़ रूपये का लाभांश हुआ। यद्यपि वर्ष 2008–09 में राजस्व प्राप्तियाँ घट कर 18,452.31 करोड़ रूपये रह गई तथा इसके विपरीत राजस्व व्यय बढ़ कर 20,534.74 करोड़ रूपये हो गया। राजस्व प्राप्तियाँ घटने के मुख्य कारण स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क में कमी, केन्द्रीय करों के संग्रह में कमी व रियल अस्टेट कलोनाईज़र्स की लाईसैंस शुल्क वापसी रहे, इसके विपरीत राजस्व व्यय में बढ़ोतरी का मुख्य कारण वैश्विक मन्दी, उच्च मुद्रा स्फीति व वेतन वृद्धि रहा। वित्तीय वर्ष 2008–09 के बाद राजस्व प्राप्तियों में सुधार हुआ है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 (ब.अ.) में क्रमशः 20,992.66, 25,563.68 व 32,018.19 करोड़ रूपये रही

जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय क्रमशः 25,257.38, 28,310.19 व 34,678.87 करोड़ रूपये रहा। फलस्वरूप इस अवधि में क्रमशः 4,264.72, 2,746.51 व 2,660.68 करोड़ रूपये का घाटा रहा (अनुलग्नक 2.2)।

राज्य के स्वंय कर राजस्व व गैर–कर राजस्व के रूझान

2.4 राजस्व प्राप्तियों के दो मुख्य घटक, राज्य के अपने संसाधन व केन्द्र सरकार से हस्तान्तरण है। राज्य के अपने संसाधनों के मुख्य दो घटक हैं, (1) राज्य की स्वंय कर आय व (2) राज्य की स्वंय गैर कर आय। **आकृति 2.2** द्वारा वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 (ब.अ.) की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की स्थिति को दर्शाया गया है।

2.5 राज्य के स्वंय संसाधनों से राजस्व वर्ष 2007–08 में 16,714.90 करोड़ रूपये से बढ़कर 2011–12 (ब.अ.) में 24,293.97 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। स्वंय कर राजस्व वर्ष 2007–08 में 11617.82 करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में रूपये 20,006.89 करोड़ रूपये हो गया। जबकि, गैर कर आय 5,097.08 करोड़ रूपये से घट कर यह 4,287.08 करोड़ रूपये रह गया। गैर कर आय में कमी का मुख्य कारण अचल सम्पति बाजार (रियल अस्टेट मार्किट) में भारी मन्दी, कलोनाईजर्स की लाईसैंस फीस वापसी, ई.एस.आई. के अन्तिम हिस्से (फाईनल शेयर) के न मिलने व इन्दिरा गांधी पेय जल योजना के तहत नये जल कनैक्शन की सुरक्षा राशि माफ करना इत्यादि रहा।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजनाओं में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान व अन्य गैर योजना अनुदान के रूप में होती है। वर्ष 2008–09 व 2009–10 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की गति धीमी रही, जिसका मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मन्दी था। केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 में 29.71 प्रतिशत बढ़ा जबकि वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में यह बढ़ोतरी 20.13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यद्यपि यह बढ़ोतरी वर्ष 2007–08 व 2008–09 में पिछले वर्षो की तुलना में मात्र क्रमशः 5.52 प्रतिशत व 2.89 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियाँ 2,765.11 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। **आकृति 2.3** द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार से राज्य को कर के हस्तान्तरण की स्थिति को दर्शाया गया है।

केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

2.7 केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 4,959.11 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2010–11 में यह राशि 3,050.62 करोड़ रूपये व वर्ष 2009–10 में 3,257.29 करोड़ रूपये थी। इससे पता चलता है कि वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि 62.56 प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है। सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **आकृति 2.4** में दिया गया है।

कर राजस्व

2.8 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि में बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में यह 14,100 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2010–11 में यह 11,082.01 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 9,032.37 करोड़ रूपये था। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में बिक्री कर में 27.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह बढ़ोतरी 22.69 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में राज्य आबकारी से कर राजस्व में 2,400 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2010–11 में 2,365.81 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 2,059.02 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी, जो कि वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 1.45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। कर राजस्व में स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में

आकृति 2.1 – राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय के रूझान

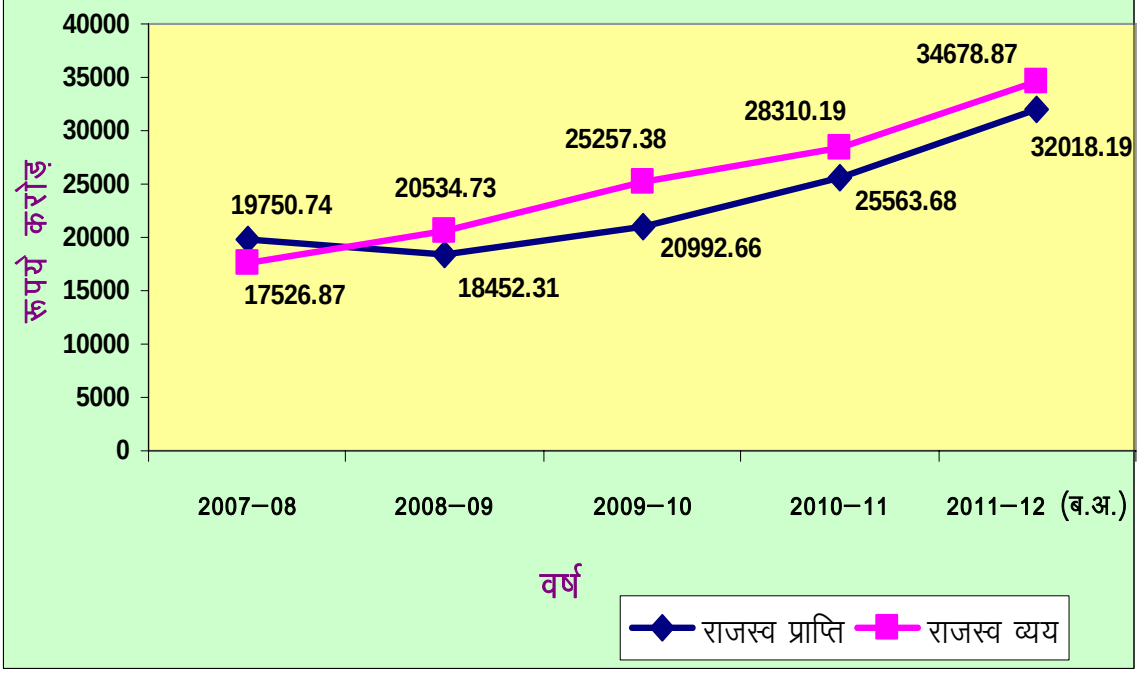

आकृति 2.2– राज्य के स्वयं कर राजस्व एवं गैर–कर राजस्व के रूझान

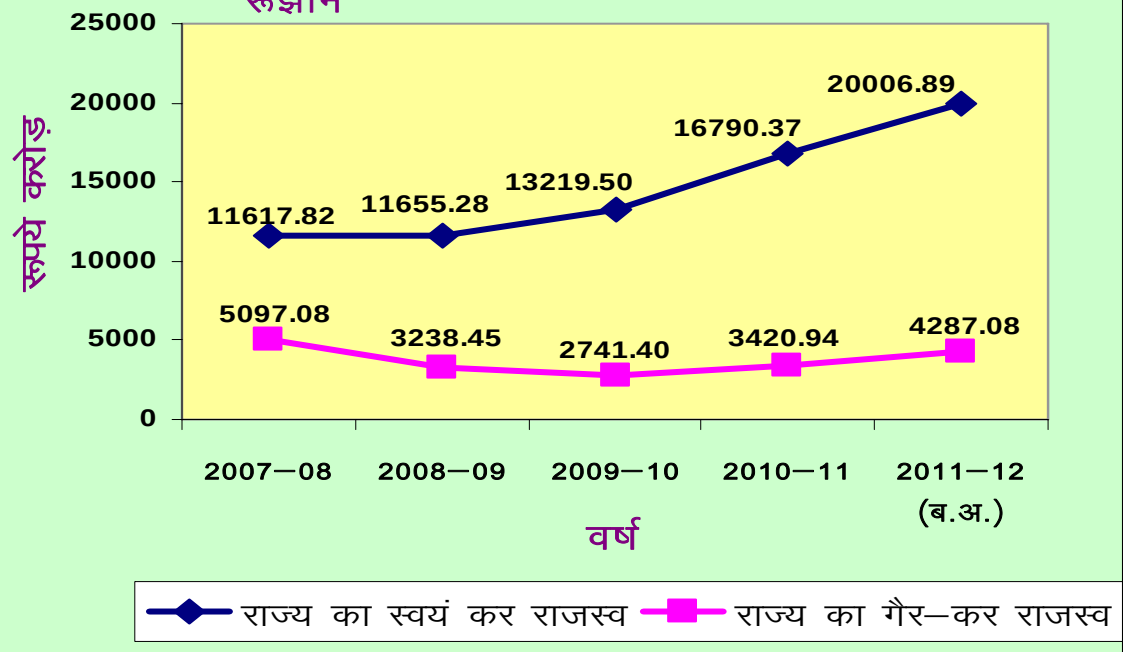

आकृति 2.3 – केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

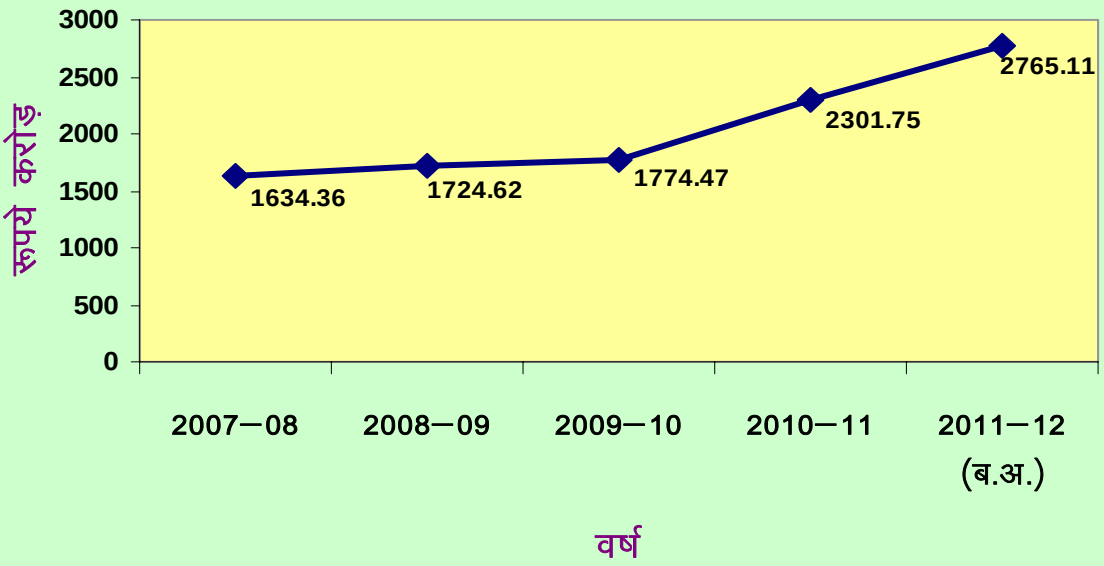

आकृति 2.4 – केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

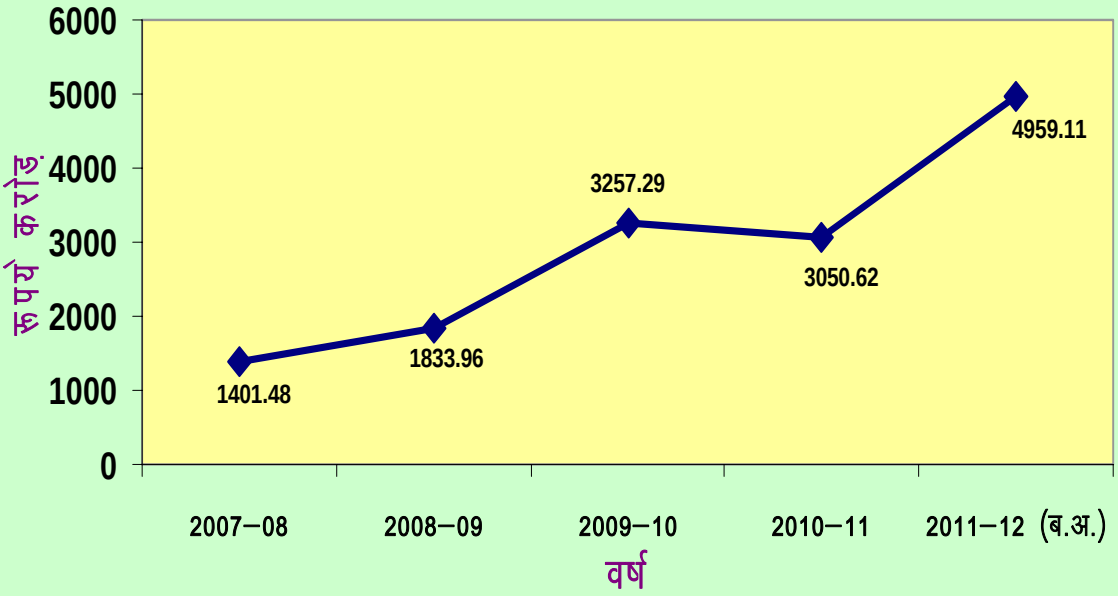

2,350 करोड़ रूपये प्राप्ति का अनुमान है, जबकि 2010–11 में इस मद से 2,319.28 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 1,293.56 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी (अनुलग्नक-2.1)।

पूंजी प्राप्तियाँ एवं पूंजी व्यय

पूंजी प्राप्तियाँः

2.9 पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बाटा जाता है। (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) लोक ऋण (शुद्ध)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। वर्ष 2007–08 में लोकऋण में कमी के कारण सरकार की पूंजी प्राप्तियाँ केवल 226.53 करोड़ रूपये रही, यद्यपि पिछले तीन वर्षो में लोकऋण में वृद्धि होने के कारण सरकार की पूंजी प्राप्तियों में वृद्वि हुई है, लोक ऋण वर्ष 2007–08 में 2.58 करोड़ रूपये से बढकर वर्ष 2008–09 में 2,596.23 करोड, वर्ष 2009–10 में 5,709.40 करोड़ व वर्ष 2010–11 में 5,871.64 करोड़ रूपये हो गया। परिणामस्वरूप पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2007–08 में 226.53 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 2,954.83, करोड़ 2009–10 में 5,931.63 करोड़ व 2010–11 में 6,112.69 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 7,152.26 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जैसा कि **आकृति 2.5** में दिखाया गया है।

पूंजीगत व्ययः

2.10 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होती है। पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध राज्य सरकार की सम्पति निर्माण से है। **आकृति 2.5** द्वारा दिखाया गया है कि राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2007–08 में 3,711.67 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 4,833.98 करोड़ रूपये हो गया। पूंजीगत व्यय वर्ष 2008–09 में 4,833.98 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 6,048.17 करोड़ रूपये हो गया जबकि पूंजीगत व्यय 2010–11 में 6,048.17 करोड़ रूपये से घटकर 4,752.97 करोड़ रूपये रह गया। वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में फिर से पूंजी व्यय बढकर 5,597.41 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है ।

2.11 विकासात्मक कुल व्यय में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास पर खर्च सम्मिलित होता है जिन पर वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 29,147.52 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह 23,355.51 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 23,178.02 करोड़ रूपये था। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 24.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2010–11 में यह वृद्धि मात्र 0.77 प्रतिशत थी। कुल गैर विकासात्मक व्यय में प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंगों, वित्तीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है। वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में इस मद में व्यय का अनुमान 11,026 करोड़ रूपये है, जबकि वर्ष 2010–11 में 9,626.41 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में पिछले वर्षो की तुलना में 8,057.62 करोड़ रूपये था। कुल गैर विकासात्मक व्यय में वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 14.54 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है (अनुलग्नक 2.2)।

राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक शेष की स्थिति

2.12 राज्यों को यह लक्ष्य तय करना होगा कि राजस्व घाटा समाप्त किया जाए व राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक लाया जाए। वर्ष 2009–10 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.54 प्रतिशत रहा जिसने राज्यों द्वारा निर्धारित सीमा व भारत सरकार द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 4 प्रतिशत सीमा को भी पार कर दिया। **आकृति 2.6** द्वारा पिछले पांच वर्षों 2007–08 से 2011–12 (ब.अ.) में राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा/लाभ की प्रतिशतता दिखाई गई है।

2.13 वर्ष 2009–10 में, अचानक राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई जिसका मुख्य कारण वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पैंशन को संशोधित कर इनके वेतन एवं पैंशन में

असामान्य रूप से वृद्धि करना रहा। वर्ष 2007–08 में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के (–)1.44 प्रतिशत था जो कि 2011–12 (ब.अ.) में 0.87 प्रतिशत रहने का अनुमान है। **आकृति 2.6** द्वारा वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाई गई है।

राजस्व प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान

2.14 राजस्व प्राप्ति का ब्याज भुगतान से अनुपात वर्ष 2009–10 में बढकर 13.04 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि, यह वर्ष 2011–12 (ब.अ.) मे 13.68 प्रतिशत बढने के अनुमान से पहले वर्ष 2010–11 में 12.98 प्रतिशत रहा। राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 प्रतिशत बेंचमार्क से नीचे रहा। राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात की स्थिति **आकृति 2.7** में दर्शाई गई है।

वित्तीय स्थिति

2.15 वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में होने वाला निवल लेन–देन 176.85 करोड़ रूपये का अधिशेष दर्शाता है जबकि यह वर्ष 2010–11 में 644.19 करोड़ रूपये का घाटा दिखाता है। राजस्व खाते में वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 2,660.68 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है जबकि यह घाटा वर्ष 2010–11 में 2,746.51 करोड़ रूपये का था। वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा 1,183.36 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2010–11 में 747.80 करोड़ रूपये था (अनुलग्नक 2.3) ।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

2.16 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेय हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणी जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी है जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीति को लागू करती है जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.17 बजट के आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार कुल व्यय 2011–12 (ब.अ.) में 40,922.08 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2010–11 (स.अ.) में 37,748.93 करोड रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 30,405.96 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में वर्ष 2010–11 (स.अ.) से 8.41 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है जबकि यह वृद्धि 2010–11 (स.अ.) में वर्ष 2009–10 से 24.15 प्रतिशत थीं (अनुलग्नक 2.4)।

2.18 सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 14,590.26 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2010–11 (स.अ.) में 14,567.53 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 11,703.60 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2011–12 (ब.अ.) में वर्ष 2010–11 (स.अ.) से 0.16 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सडकें तथा अन्य निर्माण, वाहन तथा मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर निवेश प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में 4,254.41 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2010–11 (स.अ.) में 3,742.45 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2009–10 में 3,571.25 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2011–12 (ब.अ.) में वर्ष 2010–11 (स.अ.) से 13.68 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है जबकि यह वर्ष 2010–11 (स.अ.) में 4.79 प्रतिशत की वृद्धि थी। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती हैं (अनुलग्नक 2.4)।

आकृति 2.5— पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय के रूझान

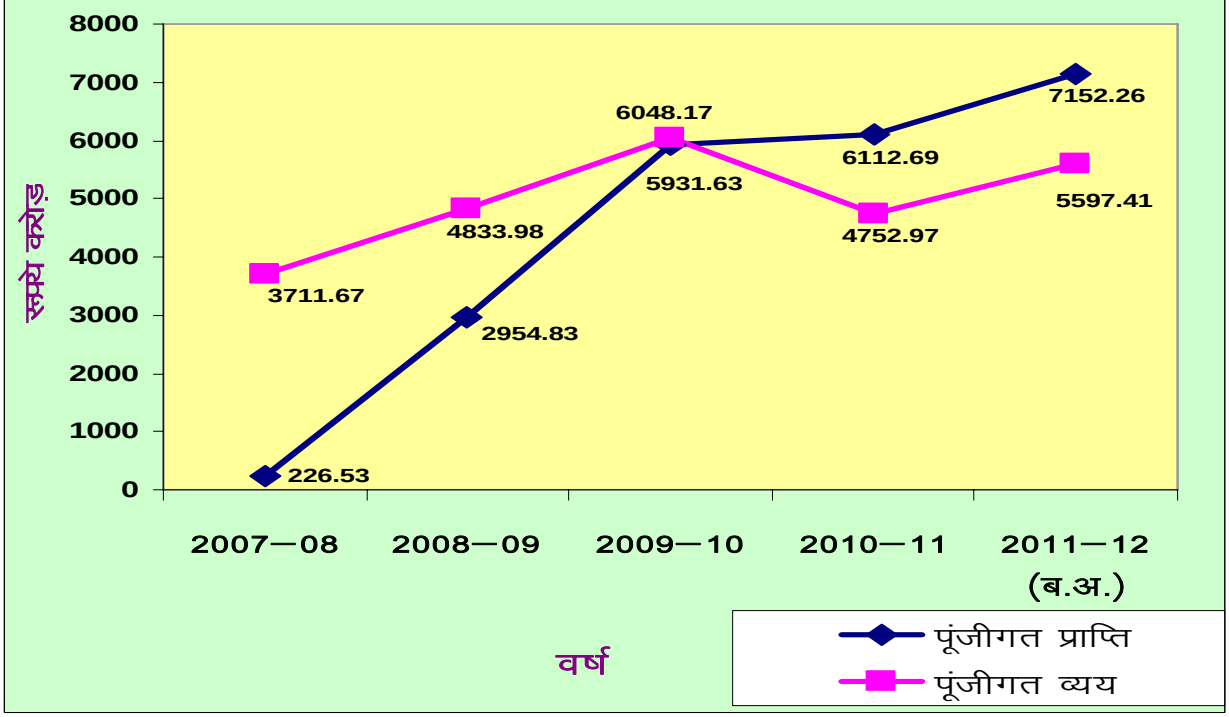

आकृति 2.6— राजस्व, राजकोषिय एवं प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशतं

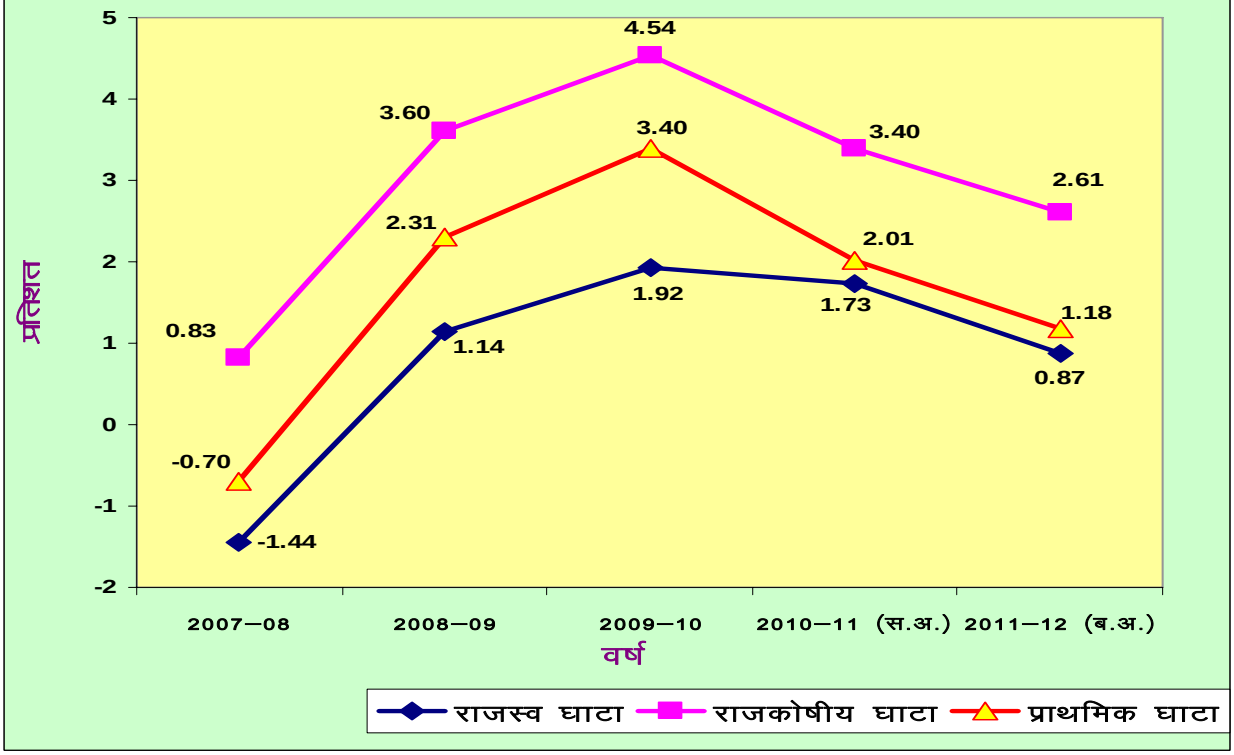

आकृति 2.7– राजस्व प्राप्ति का ब्याज भुगतान से अनुपात

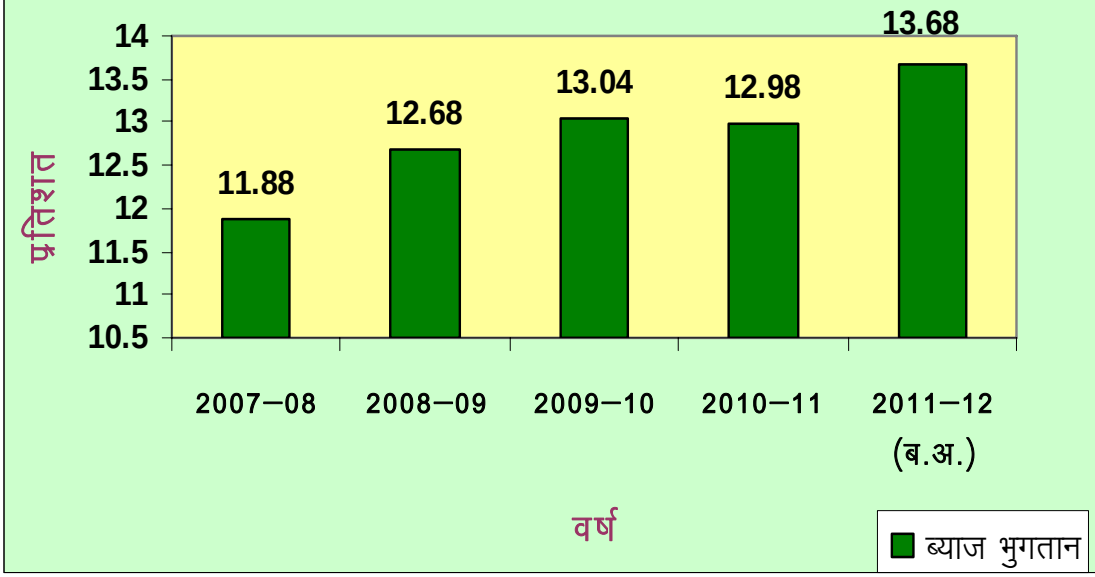

बैकिग एवं ऋण

संस्थागत वित्त

2.19 संस्थागत वित्त विकास–कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध होने से राज्य के बजटीय संसाधनों पर दबाब घट जाता है। राज्य में सितम्बर, 2011 को कार्यरत वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 2,653 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2011 तक बढकर 1,26,891 करोड़ हो गई जब की यह राशि सितम्बर, 2010 में 1,05,704 करोड़ थी। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2011 तक बढ़कर 92,320 करोड़ रूपये हो गई जबकि यह राशि सितम्बर, 2010 में 78,328 करोड़ रूपये थी। ऋण जमा अनुपात राज्य में आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। सितम्बर, 2011 में ऋण–जमा अनुपात मामूली घट़कर 73 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष 2010 में यह अनुपात 74 प्रतिशत था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.20 हरियाणा राज्य की चालू वार्षिक ऋण योजना 2011–12 के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 43,678 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 में यह लक्ष्य 34 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2011–12 के अन्तर्गत त्रैमास समाप्ति सितम्बर, 2011 तक कुल उपलब्धि 19,469 करोड़ रूपये रही जो कि 22,293 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 87 प्रतिशत था (तालिका 2.1)।

तालिका 2.1–हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2011–12 (सितम्बर, 2011 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि	15823	13450	85
कुटीर एवं लघु उद्योग	3364	3595	107
तृतीयक क्षेत्र	3106	2424	78
कुल	22293	19469	87

2.21 कृषि क्षेत्र को ऋण उधार के अन्तर्गत बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक रही। त्रैमास समाप्ति सितम्बर, 2011 तक इस क्षेत्र को 13,450 करोड़ रूपये के ऋण उधार वितरित किये गये जो कि 15,823 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 85 प्रतिशत थी। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि, संतोषजनक रही। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र को 3,595 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये जब कि लक्ष्य 3,364 करोड़ रूपये का था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 107 प्रतिशत है। तृतीयक क्षेत्र के बैंकों ने 2,424 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 3,106 करोड़ रूपये था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 78 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि

2.22 वार्षिक ऋण योजना 2011–12 के अन्तर्गत वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2011 तक 15,905 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 17,405 करोड़ रूपये था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 91 प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीणी बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 10,318 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 3,276 और तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत 2,311 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशतता (104 प्रतिशत) रही इसके बाद कृषि क्षेत्र में प्रतिशतता (91 प्रतिशत) रही, तृतीयक क्षेत्र में प्रतिशतता (81 प्रतिशत) रही (तालिका 2.2)।

तालिका 2.2—वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आग्रीम 2011—12 (सितम्बर, 2011 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि	11394	10318	91
लघु एवं कुटीर उद्योग	3145	3276	104
तृतीयक क्षेत्र	2866	2311	81
कुल	17405	15905	91

2.23 सहकारी बैकों ने सितम्बर, 2011 तक 3,176 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जबकि लक्ष्य 4,451 करोड़ रूपये था जो कि वार्षिक लक्ष्य का 71 प्रतिशत रहा (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3—सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम 2011—12 (सितम्बर, 2011 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
कृषि	4133	3012	73
लघु एवं कुटीर उद्योग	122	65	53
तृतीयक क्षेत्र	196	99	51
कुल	4451	3176	71

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 364 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 149 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो कि लक्ष्य का 41 प्रतिशत था (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4—हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2011—12 (सितम्बर, 2011 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि	298	121	40
लघु एवं कुटीर उद्योग	23	14	61
तृतीयक क्षेत्र	43	14	32
कुल	364	149	41

2.25 हरियाणा वित्त निगम ने सितम्बर, 2011 तक कुल 1 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये जबकि वार्षिक लक्ष्य 13 करोड़ रूपये था, जो कि लक्ष्य का 8 प्रतिशत रहा (तालिका 2.5)।

तालिका 2.5—हरियाणा वित्त निगम द्वारा अग्रिम 2011—12 (सितम्बर, 2011 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि	—	—	—
कुटीर एवं लघु उद्योग	13	1	8
तृतीयक क्षेत्र	—	—	—
कुल	13	1	8

2.26 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सितम्बर, 2011 तक कुल 238 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये जबकि वार्षिक लक्ष्य 60 करोड़ रूपये था। जो कि लक्ष्य का 396 प्रतिशत रहा (तालिका 2.6)।

तालिका 2.6–भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अग्रिम 2011–12 (सितम्बर, 2011 तक)

(रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशत
कृषि	–	–	–
लघु एवं कुटीर उद्योग	60	238	396
तृतीयक क्षेत्र	–	–	–
कुल	60	238	396

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। अब इनकी संख्या बढकर 87 हो गई है। इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में समायोजित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 1.4.2011 से 31.12.2011 तक 30,371.90 लाख रूपये के ऋण दिये जबकि वार्षिक लक्ष्य 52,500 लाख रूपये था, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 57.85 प्रतिशत रहा (अनुलग्नक 2.5) बैंक द्वारा वर्ष 2012–13 में 577.50 करोड रूपये के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है (अनुलग्नक 2.6)।

ह.रा.स.कृ.एवंग्रा.वि. बैंक की नई योजनाएं

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा निम्नलिखित नई योजनाएं आरम्भ की गई हैः–

- ग्रामीण आवास योजना
- कृषि भूमि की खरीद योजना
- खादी व ग्रामीण उघोग निगम के अर्न्तगत ऋण योजना
- कम्मबाईन हारवैस्टर
- स्ट्रा–रीपर
- स्ट्राबैरी की खेती
- स्वयं रोजगार हेतु वाणिज्यिक डेयरी
- कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू स्कीम किसानों को दो पहिया वाहन हेतु ऋण देना
- पशुगृह स्कीम
- औषधीय एवं सुगन्धित पौधो के लिए ऋण
- सामुदायिक भवननिर्माण हेतू ऋण
- ग्रामीण भण्डारण योजना
- ग्रामीण शिक्षा सुविधाओं हेतू ऋण
- विवाह समारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना एवमं प्रौधोगिकी सम्बन्धित क्रियाओं व अन्य सेवाओं हेतू ऋण
- बैंक ने बेकार बन्द नलकूप की जगह नए स्बमर्सीबल नलकूप लगवाने हेतू नई स्कीम चालू की गई है।
- जैविक खाद तैयार करने हेतू ऋण

2.29 इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा किसानों के व्यापक हित के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :–

- कृषि हेतू जमीन खरीदने के लिए ऋण की राशि 1 लाख रूपये से बढाकर 10 लाख रूपये कर दी गई है।
- धरोवर राशि के लिए खेती की जमीन का मूल्यांकन नवीनतम विक्रय आंकडे के आधार पर लागू किया गया है।
- छोटे किसानो की सहायता के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए 6 एकड जमीन की सीमा को घटाकर 5 एकड कर दिया गया है।
- दो लाख रूपये तक के ऋण के लिए तृतीय पार्टी भुगतान खत्म कर दिया गया है।
- गैर कृषि क्षेत्र ऋण हेतु तृतीय पार्टी की कृषि भूमि व वाणिज्यिक सम्पति को रहन रखने हेतू स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

2.30 राज्य सरकार ने 15 अक्तूबर, 2003 से कृषि सम्बन्धित कार्यो के लिए सहकारी ऋणों पर भूमि रहन के लिए स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है।

2.31 भारत सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कर्जा माफी एवं कर्जा राहत योजना के अर्न्तगत छोटे एंव सीमान्त किसानों जिनके पास 5 एकड तक कृषि भूमि है के सभी बकाया अतिदेय ऋण व बड़े किसानों को 25 प्रतिशत ऋण माफी के लाभ की योजना लागू की गई। इस स्कीम के अर्न्तगत 58,078 लाभार्थियों के 213.23 करोड रूपये के ऋण माफ करके लाभ प्रदान किया। हरियाणा सरकार ने उपरोक्त ब्याज राहत स्कीम के साथ साथ उन किसानों की रहन की गई फालतू जमीन छोडने की योजना लागू की है जिसकी कीमत बैंक के ऋण से क्लैकटर रेट के आधार पर अधिक है, बशर्ते सम्बन्धित किसान अपनी बैंक की अतिदेय राशि अदा कर देता है। इस स्कीम के अन्तर्गत बैंक ने 30.11.2011 तक 24,318 ऋणियों की 13,946 एकड़ 6 कनाल एवं 5 मरला कृषि भूमि ऋण मुक्त कर दी है।

2.32 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि अधिनियम, 1984 के अर्न्तगत धारा 104 को समाप्त कर दिया गया है, अब एक भी किसान की गिरफतारी सम्भंव नही है। अब बैंक की वसूली किसानों को डरा धमकाकर नहीं बल्कि समझा–बुझाकर की जाती है ।

2.33 सरकार ने किसानों की भलाई के लिए ब्याज राहत योजना शुरु की थी जिसके अर्न्तगत उन किसानों को ब्याज राशि पर 3 प्रतिशत राहत दी जा रही है जो अपनी ऋण किस्तें बैकों में समय पर अदा करते आ रहे हैं। इस स्कीम के अर्न्तगत दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2011 तक यह ब्याज राशि पर राहत 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत तक कर दी है। बैंक ने अब तक इस स्कीम के अर्न्तगत 48,440 लाभार्थियों को 1.1.2010 से 10.12.2011 की अवधि तक 30.27 करोड़ रूपये की राशि के अलावा ब्याज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि राहत के रूप मे प्रदान की है ।

ब्याज दर

2.34 बैंक ने दिनांक 5.11.2011 से अलटीमेट ऋणियो से लिए जाने वाले ब्याज की दर का पुनः निर्धारण किया है। इस प्रकार ऋणों पर ब्याज दर 17 प्रतिशत (1999 में) से कम करके 14 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। ब्याज पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत उन किसानों को दी गई है, जो अपनी ऋण किस्तें बैकों में समय पर अदा करते आ रहे हैं। दिनांक 5.11.2011 से बैंक ने गैर कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आवास योजना व भूमि खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 14 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। दिनांक 5.11.2011 से शेष सभी उदेश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक लागू रहेगी। 5 प्रतिशत की राहत समय पर ऋण अदा करने वाले सभी प्रकार के ऋणों के लिए मंजूर किया गया है। जिला सहकारी कृषि एवं विकास बैंक ने 2 प्रतिशत मार्जन की अनुमति दी है जबकि एच.ओ. केवल 1 प्रतिशत मार्जन लेता है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लि.

2.35 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य के किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 45 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि के लिए सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार शाखाएं है तथा जिला स्तर पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है जिनकी 594

शाखाएं हैं, 643 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ जोकि अधिकतर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 29.85 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं।

2.36 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर,1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में उभरा है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। इस बैंक की चालू पूंजी 5,621.87 करोड़ रूपये है तथा चालू वित वर्ष में 31.12.2011 तक बैंक ने 4,469.52 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किए (अनुलग्नक 2.7)।

2.37 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ऋणों की तुलनात्मक स्थिति को अनुलग्नक 2.8 में दिखाया गया है। दिनांक 1.4.2006 से फसली ऋण पर ब्याज दर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। किसानों के हितों के लिए दिसम्बर, 2011 तक 13.01 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 6 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना हेतू पुनरूद्धार पैकेज का कार्यान्वयन

2.38 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतू सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये केन्द्र सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20.02.2007 को एक आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस लेखा परीक्षा के आधार पर पैक्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज़ 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार 29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक 499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। इस पैकेज़ के अंतर्गत राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की विशेष लेखा परीक्षा की गई और इस लेखा परीक्षा के आधार पर दो केन्द्रीय सहकारी बैंक भिवानी व रोहतक के लिए 22.61 करोड़ रूपये (1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा 21.34 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्सा) की वित्तीय सहायता आंकी गई तथा 1.27 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा इन बैंको को जारी कर दिया गया है। जींद व पंचकूला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 3.74 करोड़ रूपये की हिस्सा पूंजी को ग्रांट इन एड में परिवर्तित कर दिया गया है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू वसूली सम्बंधी प्रोत्साहन (एकमुश्त अदायगी) योजना 2007

2.39 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एकमुश्त अदायगी स्कीम राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2,67,646 किसानों को 175.56 करोड़ रूपये की राशि राहत के रूप में दी गई।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू समय पर भुगतान प्रोत्साहन योजना 2007–08

2.40 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा समय पर अदायगी प्रोत्साहन योजना चलाई गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के उन सदस्यों को 2 प्रतिशत ब्याज की राहत प्रदान की गई है, जो पिछले 1 वर्ष से ऋण का नियमित भुगतान कर रहे थे। इस स्कीम के अंतर्गत 6,11,300 किसानों को 21.84 करोड़ रूपये की राहत प्रदान गई।

कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना–2008

2.41 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी तथा राहत योजना 2008 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2,61,393 सीमांत व लघु किसानों का 831.22 करोड़ रूपये का बकाया माफ किया जा चुका है व 91,582 अन्य किसानों को 161.80 करोड़ रूपये की राहत प्रदान की जा चुकी है, जिन्होंने एकमुश्त अदायगी योजना के अंतर्गत कुल राशि का 75 प्रतिशत अदा कर दिया है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू समय पर अदायगी करने के लिए राज्य ब्याज राहत योजना–2009

2.42 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा समय पर अदायगी के लिए सहकारी बैंकों ने राज्य ब्याज राहत योजना 2009 दिनांक 1.3.2009 से लागू गई, जिसके अंतर्गत 1.3.2009 से 28.2.2010 के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से फसली व गैर फसली ऋण लेने वाले सदस्यों जो इन ऋणों की समय पर अदायगी करते हैं, को क्रमशः 2 प्रतिशत व 3 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा ब्याज राहत प्रदान की गई। यह स्कीम 15.06.2010 तक जारी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009–10 के दौरान किसानों द्वारा लिये गये फसली ऋणों की समय पर अदायगी करने पर 1 प्रतिशत वार्षिक दर से केन्द्र सरकार द्वारा भी ब्याज राहत प्रदान की गई। इस प्रकार वर्ष 2009–10 में समय पर फसली ऋणों की अदायगी करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत थी। इस योजना के अंतर्गत 6,11,884 ऋणी सदस्यों को 26.03 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतू समय पर अदायगी करने के लिए राज्य ब्याज राहत योजना–2010

2.43 सरकार द्वारा 1.3.2010 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए समय पर अदायगी करने हेतू राज्य ब्याज राहत योजना लागू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत प्राथकि कृषि सहकारी समितियों के उन सदस्यों को स्कीम का लाभ दिया गया जिन्होंने अपना फसली ऋण जो 1.3.2010 से 2011 तक लिया था, को निर्धारित तिथि से पहले या निर्धारित तिथि तक अदा किया तथा ब्याज भुगतान पर 1 प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। इस योजना का सारा वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 3,53,605 ऋणी सदस्यों को 8.58 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई। दिनांक 01.09.2010 से 28.02.2011 तक की अवधि के जारी किये गये ऋण के क्लेम जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से आने शेष है ।

2.44 भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट वर्ष 2011–12 में घोषणा की है कि इस वर्ष समय पर फसली ऋण अदा किये जाने पर 3 प्रतिशत की ऋण राहत प्रदान की जाएगी। हालांकि दिनांक 1.4.2009 से फसली ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रभावी रहेगी।

किसानों द्वारा सहकारी ऋण के अंतर्गत रहन की गई अतिरिक्त भूमि को मुक्त करना

2.45 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार जिन किसानों की उनके ऋण के एवज में एक या डेढ़ गुणा से अधिक भूमि जो डी0सी0 रेट मूल्यांकन पर रहन की गई है, उसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मुक्त कर दिया जाएगा। जिससे 28,386 किसानों की 39,095 एकड़ अतिरिक्त भूमि मुक्त किये जाने का अनुमान है। अक्तूबर, 2011 तक 2,054 किसानों की 6,373 एकड भूमि मुक्त की गई है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदारों की ऋण सीमा में बढ़ौतरी

2.46 राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिनमें ग्रामीण दस्तकार व छोटे दुकानदार सम्मिलित है कि अधिकतम ऋण सीमा 25,000 रूपये से बढ़ाकर 35,000 रूपये कर दी गई है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों के सदस्यों हेतू राज्य ऋण राहत योजना

2.47 राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों जिसमें ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों हेतू ऋण माफी योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत वे ऋणी सदस्य जिनका 30.6.2009 तक 10 हजार रूपये का ऋण बकाया है ब्याज सहित माफ किया

जायेगा। इस योजना के अंतर्गत 3,94,835 ऋणी सदस्यों को 470 करोड़ रूपये की राहत देने का अनुमान है। वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार ने 83.65 करोड़ रूपये प्रदान किये तथा वर्ष 2011–12 में 85 करोड़ रूपये का अनुमोदन किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.48 वर्ष 2009–10 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई, इस स्कीम के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड धारक का मात्र 6.25 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 2.25 रूपये का अंशदान देना होगा। इस बीमा योजना के अतंर्गत अब तक 8,44,943 सदस्यों को कवर किया गया है व 158 लाभार्थियों के 79 लाख रूपये के बीमा क्लेम प्राप्त हो चुके हैं।

ऋण पर ब्याज की दर

2.49 बैंक द्वारा अग्रिम ऋणों पर ब्याज की दर का ब्यौरा अनुलग्नक 2.9 में दिया गया है। हरको बैंक की मुख्य ऋण एवं अग्रिम ऋण योजनाएं इस प्रकार है।

- फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड)
- सहायक कार्यों के लिए ऋण
- रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम
- ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण
- उपभोक्ता ऋण
- मध्यावधि ऋण योजना
- फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण
- हरको बैंक द्वारा विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं को जो वित्तीय सहायता हेतू योजना
- उद्यमी ऋण योजना
- छोटी सड़क व पानी पहुँचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.) योजना
- कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
- सीमांत राशि के हल्के ऋण सहायता योजना
- समाज के अन्य वर्गों के लिए ऋण

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर वर्ष 2011–12 के लिए आगामी लक्ष्य

2.50 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वर्ष 2011–12 के लिए आगामी लक्ष्य को अनुलग्नक 2.10 में दिखाया गया है।

कम्पयूटरीकरण

2.51 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने इन्हें कम्पयूटरीकृत करने का निर्णय लिया है। हरको बैंक ने नाबार्ड की सहायता से अपनी सभी शाखाओं को भी चरणबद्ध तरीके से कम्पयूटरीकृत करने का निर्णय लिया है। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कम्पयूटरीकरण होने के बाद बैंक की सभी शाखाओं में ए.टी.म. सुविधा दी जाएगी और सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा ताकि पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं को अच्छी व गुणकारी सेवाएं प्रदान की जा सके। लघु अवधि की सहकारिता ऋण ढांचे (एस.टी. सी.सी.एस.) के पुर्नउत्थान पैकेज के अर्न्तगत बैंक ने राज्य के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। पुनरूद्धार पैकेज के अंतर्गत पहले चरण में 9 जिलो की 325 पैक्सों में कम्पयूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा शेष 10 जिला में 277 पैक्स के कम्पयूटरीकरण का कार्य दूसरे चरण में होगा ।

***

3

कीमतें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कीमत स्तर में स्थिरता का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि,जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू.पी.आई.) के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों पर आधारित होते हैं जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता स्थानीय बाजार में खुदरा भावों पर वस्तुओं को खरीदता है। खाद्य वस्तुओं में निरंतर वृद्धि, विशेषतया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जबकि मुद्रास्फीति में तीन से चार अंक तक की वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेतक है क्योंकि यह उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और उपभोग को हतोतत्साहित नहीं करती। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) तैयार करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

3.2 राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को **आकृति 3.1** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2006–07 में 607.9 से बढकर वर्ष 2010–11 में 979.7 हो गया एवं वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 तक की अवधि में 61.16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2008–09 और वर्ष 2009–10 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 15.78 प्रतिशत और 16.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

3.3 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की मास–वार गति का अध्ययन करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2010 से दिसम्बर 2011 तक को **आकृति 3.2** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की प्रवृति रही है, जबकि फरवरी व मार्च, 2011 में 1004 अंक पर स्थिर रहा। यह दिसम्बर, 2010 में 991.6 से बढ़कर दिसम्बर, 2011 में 1062.3 अंक हो गया जोकि 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, दालों, तेल के बीजों, कपास, गुड़ एवं अन्य फसलों के भाव में क्रमशः 3.6, 41.6, 0.5, 16.8, 1.8 तथा 1.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हरियाणा में ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उददेश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं।

आकृति 3.1– वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1980–81=100)

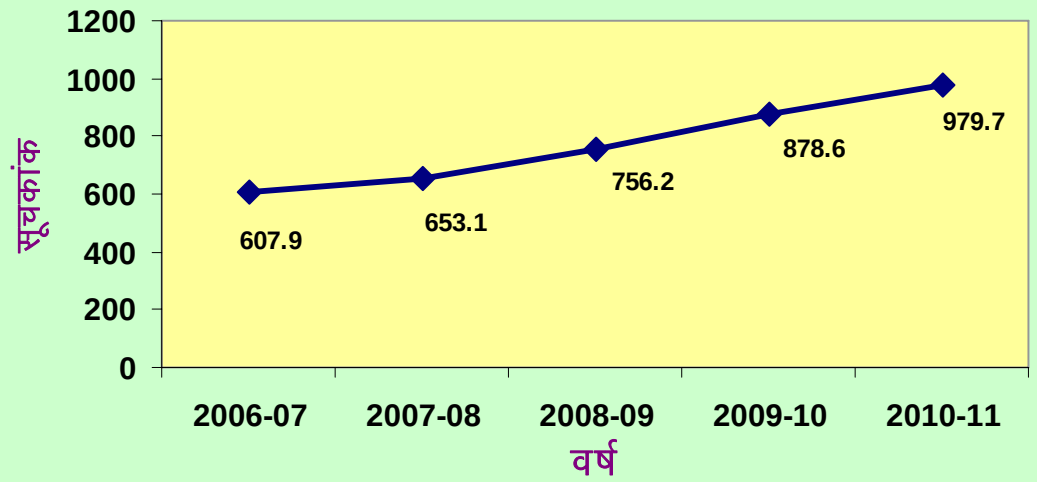

आकृति 3.2– कृषि वस्तुओं के लिए माहवार थोक मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1980–81=100)

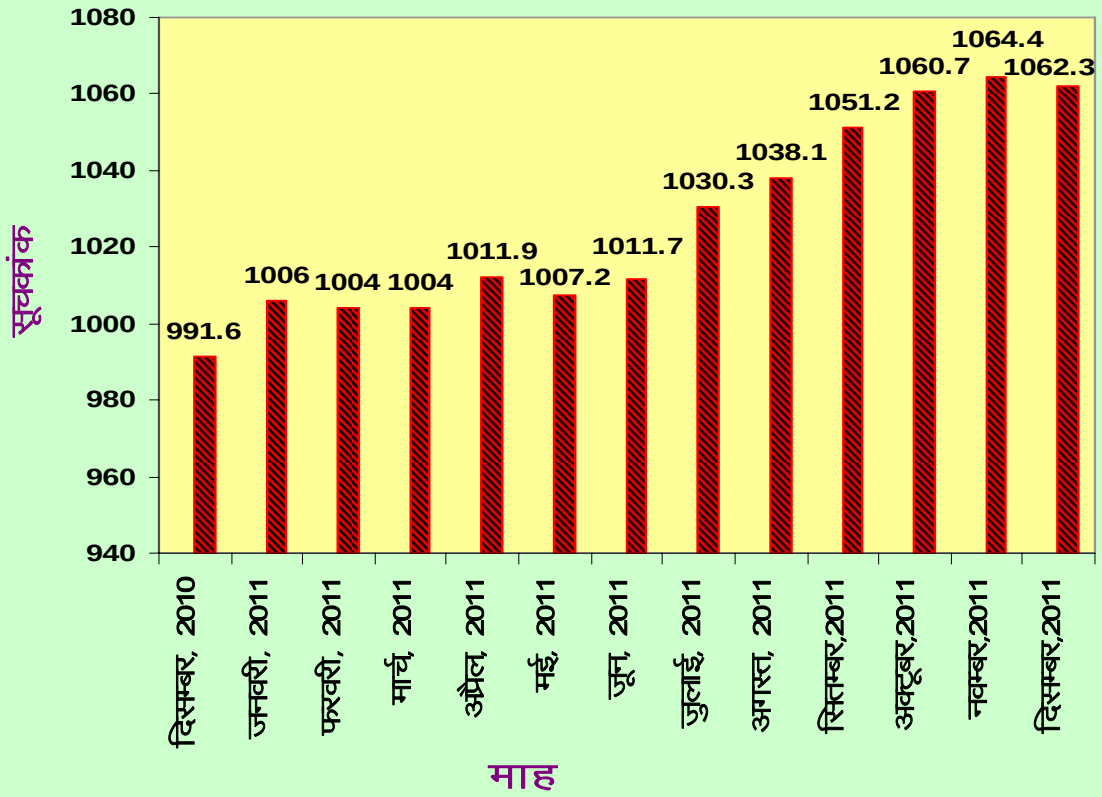

आकृति 3.3 – वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
(आधार वर्ष 1988–89=100)

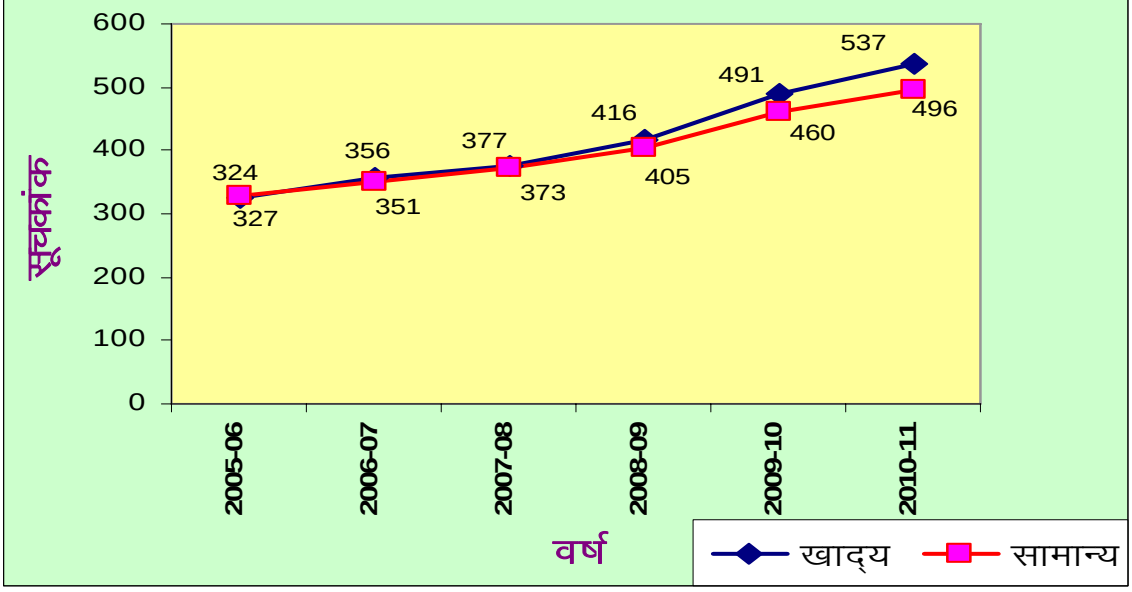

आकृति 3.4– माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)
(आधार वर्ष 1988–89=100)

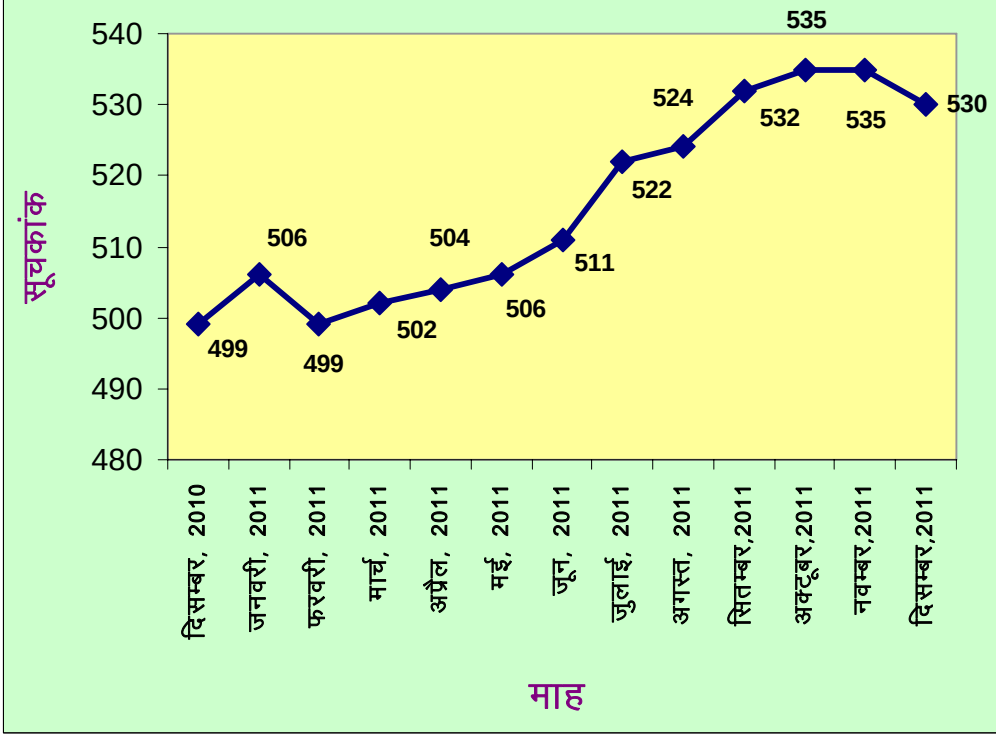

आकृति 3.5 – श्रमिक वर्ग के लिये वर्षवार और केन्द्रवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1982=100)

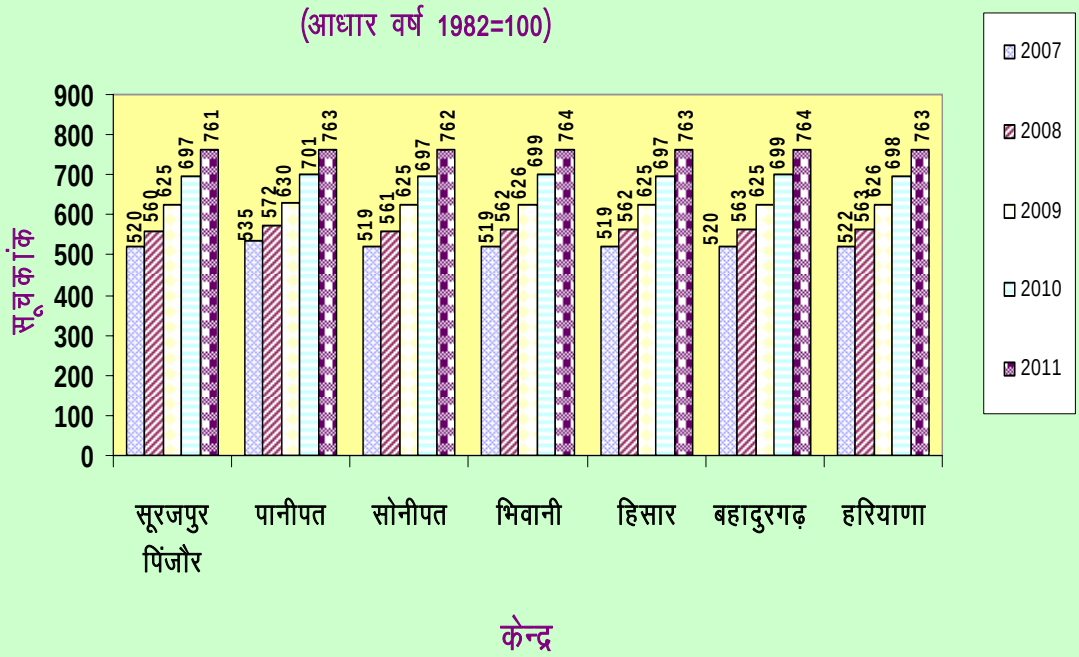

आकृति 3.6 – श्रमिक वर्ग के लिए माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1982=100)

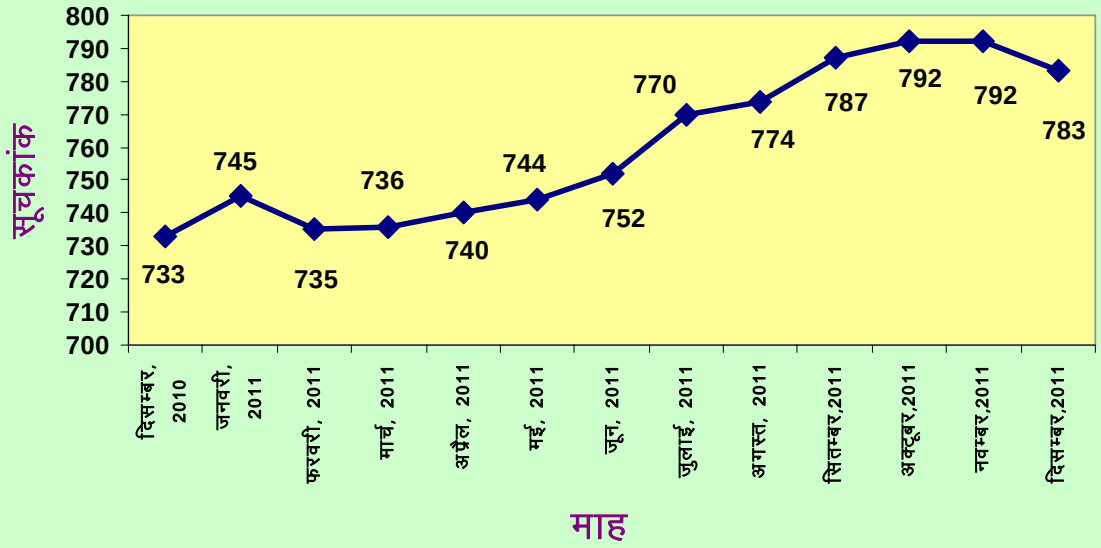

आकृति 3.7 – खरीफ और रबी खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (बोनस सहित)

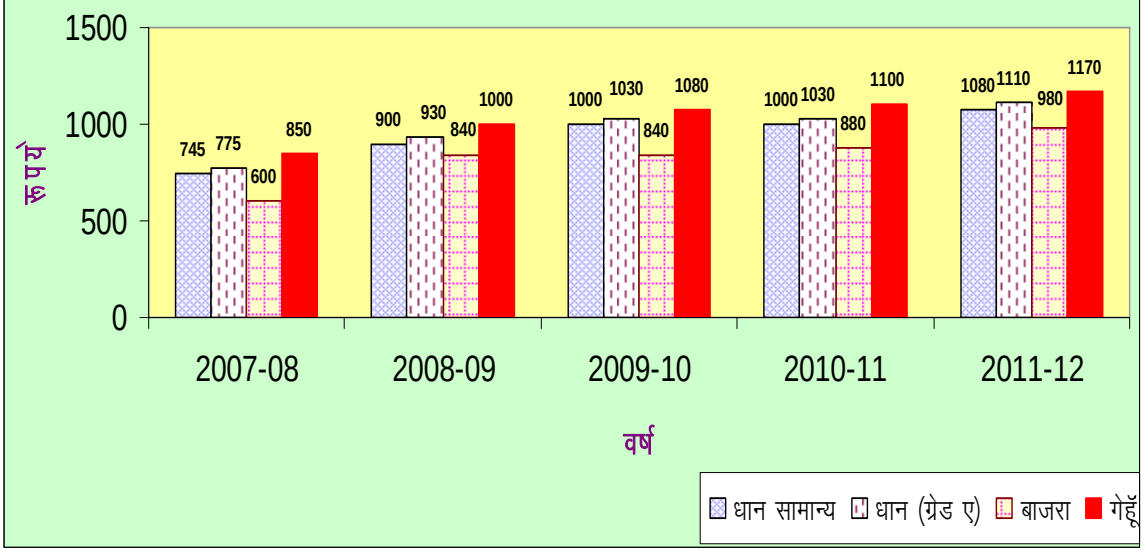

आकृति 3.8 – खरीफ और रबी खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद

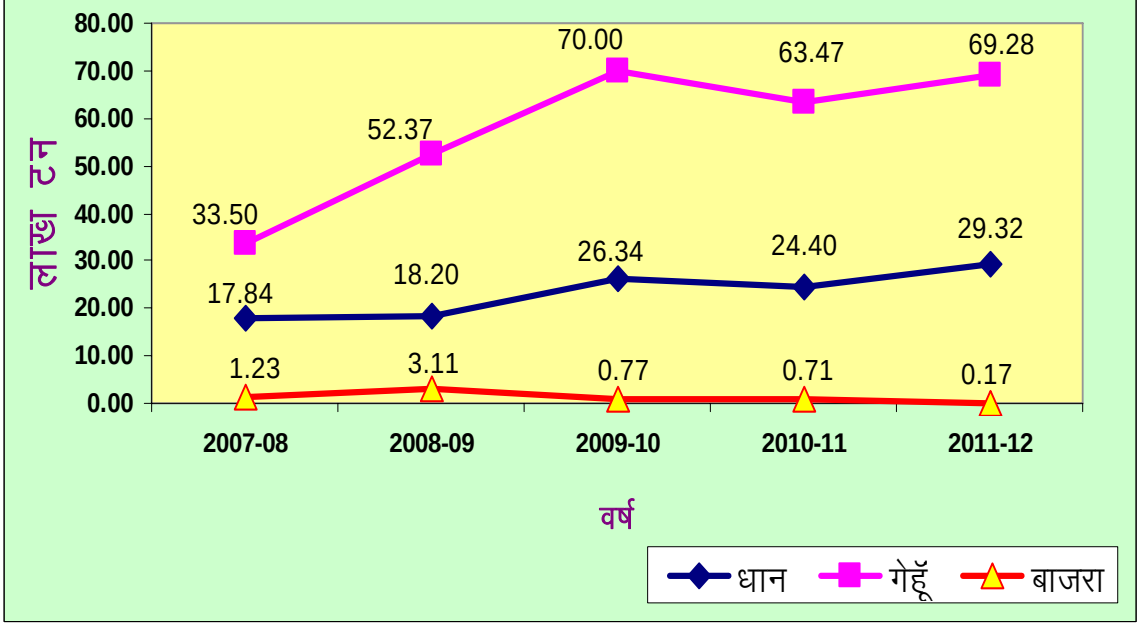

राज्य के विभिन्न 24 गांवों से, जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत हैं, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

3.5 खाद्य ग्रुप और सामान्य ग्रुप से सम्बन्धित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 तक एक ही गति से वृद्धि हुई, परन्तु खाद्य ग्रुप में वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 तक तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2010–11 तक सामान्य ग्रुप के सूचकांक में 51.68 प्रतिशत की वृद्वि हुई जबकि खाद्य ग्रुप में 65.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2005–06 से वर्ष 2010-11 तक को **आकृति 3.3** में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) की गति का मासवार दिसम्बर, 2010 से दिसम्बर, 2011 तक को **आकृति 3.4** में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2010 में 499 अंक था जो कि दिसम्बर, 2011 में बढ़कर 530 अंक हो गया, जो कि 6.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जबकि अक्तूबर व नवम्बर, 2011 में यह 535 अंक पर स्थिर रहा।

श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.6 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक को **आकृति 3.5** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2010 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2011 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2011 में केन्द्रवार हिसार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पानीपत में सबसे कम (8.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति दिसम्बर, 2010 से दिसम्बर, 2011 तक को **आकृति 3.6** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2010 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 733 अंक था जो कि दिसम्बर, 2011 में बढ़कर 783 अंक हो गया, जिसमें 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि यह मास अक्तूबर व नवम्बर, 2011 में 792 अंक पर स्थिर रहा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

3.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) विशेषकर निर्धन परिवारो को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने तथा भावो मे स्थिरता लाने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने हेतू एक प्रमुख साधन है। हरियाणा राज्य की स्थापना के समय राज्य की सावर्जनिक वितरण प्रणाली बहुत छोटे स्तर की थी जिसके अर्न्तगत लगभग 15 लाख राशन कार्ड धारको की आवश्यकता को पूरा करने के लिये केवल 1,518 उचित मूल्य की दुकाने (988 ग्रमीण क्षैत्र मे तथा 530 शहरी क्षेत्र मे) उपलब्ध थी। इस प्रणाली का समय–समय पर जन आवश्कता अनुसार पुनः गठन किया गया तथा इसे सुचारू बनाया गया । वर्तमान मे दिनांक 31–12–2011 को 9,364 उचित दरो की दुकानो (6,665 ग्रमीण क्षेत्र मे तथा 2,699 शहरी क्षेत्र मे) का एक बडा नेटवर्क है जिनके माध्यम से लगभग 56.08 लाख राशन कार्ड धारको को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ की पूर्ति की जा रही है। इस समय लक्षित सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 4,89,265 परिवारो तथा राज्य बी.पी.एल 4,85,862 परिवारो को 35 किलोग्राम गेहूँ 4.88 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमास उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य बी.पी.एल परिवारो को भारत सरकार से ए.पी.एल परिवारो के लिये प्राप्त हो रही गेहूँ 4.88 रूपये प्रति किलोग्रम की दर से वितरित की जा रही है और ए.पी.एल के दर तथा बी.पी.एल. के दर के अन्तर की राशि (6.93–4.88) 2.05 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। हरियाणा राज्य मे लक्षित वितरण प्रणाली अच्छी तरह से संगठित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्नों की खरीद

3.8 खाद्यान्न पदार्थो की बाजार कीमतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार प्रतिस्पर्धा संतुलन स्तर से अधिक खाद्यान्नो का न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है। भारत सरकार द्वारा गेहूँ, चावल और बाजरा की वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक निर्धारित न्यूनतन समर्थन मूल्य को **आकृति 3.7** में दर्शाया गया है। वर्ष 2007–08 मे गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 (750+100बानेस) रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 मे 1170 (1120+50बोनस) रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जोकि 37.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हांलाकि, अब यह मूल्य 1285 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान (कामन) की न्यूनतम समर्थन कीमत वर्ष 2007–08 मे 745 (645+100 बोनस) रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 मे 1080 रूपये व धान (ग्रेड ए) की न्यूनतम समर्थन कीमत वर्ष 2007–08 में 775 (675+100 बोनस) से बढकर वर्ष 2011–12 मे 1110 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

3.9 खाद्यान्नों को खरीद एजैंसियों द्वारा न्यून्तम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सरकार द्वारा राज्य में व्यापक प्रबन्ध किये गये। गेंहूँ की खरीद जो वर्ष 2007–08 मे 33.50 लाख टन थी, ने बढ़कर वर्ष 2009–10 मे 70.00 लाख टन के स्तर को छुआ, जो कि 108.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। गेंहूँ, धान और बाजरा की खरीद वर्ष 2010–11 मे कम हुई परन्तु वर्ष 2011–12 मे गेहूँ और धान की खरीद पुनः बढ़कर क्रमशः 69.28 तथा 29.32 लाख टन हो गई। गेहूँ और धान की खरीद वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 मे बढकर क्रमशः 106.80 प्रतिशत तथा 64.35 प्रतिशत हो गई। गेंहूँ, धान और बाजरा की न्यूनतम समर्थन कीमत पर क्रमशः वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक खरीद को **आकृति 3.8** में दर्शाया गया है।

***

4

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य गठन के समय से ही लोगो के लिए कृषि मुख्य प्रवास और प्रमुख व्यवसाय बनी हुई है। कृषि क्षेत्र हमेशा राज्य अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य घटक रहा है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ी है क्योंकि सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा राज्य में हरित क्रान्ति आई जिसने पिछले कुछ वर्षो में कृषि क्षेत्र के विकास को विशेष बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कम कृषि वृद्धि दर उत्पादन में कमी के कारण रही है। राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2011–12 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध गतिविधियां क्षेत्र का अंश स्थिर (2004–05) मूल्यों पर कम होकर मात्र 16.3 प्रतिशत चला गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो मे उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के वृद्धि दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के अनुभवों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि राज्य में तीव्र मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है जो विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का विकास राज्य अर्थव्यवस्था के संपादन में निरन्तर एक महत्वपूर्ण कारक रखा गया है ।

4.2 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र कृषि, वानिकि एवं प्रवेश और मतस्य पालन उप क्षेत्रों से बना है। कृषि जिसमे पशुपालन और डेयरी खेती भी शामिल है, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 95 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत है जिससे इन दो उप क्षेत्रों का प्रभाव कृषि और सहबद्ध क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर बहुत कम पड़ता है।

कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का विकास

4.3 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान (आधार वर्ष 2004–05 पर) चालू एवं स्थिर कीमतों पर साधन लागत पर वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2007–08 में कृषि क्षेत्र में 3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ बुरा प्रदर्शन रहा। रबी, तिलहन, गन्ना, चना और सब्जियों और गेहूँ तथा दूध में कम वृद्धि के कारण उत्पादन में तेज गिरावट वर्ष 2007–08 में कृषि क्षेत्र में नकारात्मक विकास दर का मुख्य कारण था। वर्ष 2008–09 के दौरान कृषि क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर दर्ज की गई। यह उत्साहवर्धक वृद्धि गेहूँ के उत्पादन, तिलहन, चना, फल, सब्जियां तथा दूध मांस में उत्कृष्ट वृद्धि का परिणाम थी। 2008–09 में उत्साहजनक वृद्धि प्राप्त करने के बाद गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, चना और रबी तिलहन आदि काफी उत्पादकता वाली फसलों के उत्पादन में तेज गिरावट वर्ष 2009–10 में दर्ज की गई जिसके परिणाम स्वरूप चालू पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष 2009–10 में नकारात्मक 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। वानिकी और लोगिग में क्रमशः 3.3, 2.7 तथा 2.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि मत्स्य क्षेत्र में वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 में क्रमशः 11.9, 13.3 तथा 15.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2007–08 में बिना किसी कम ज्यादा के 2006–07 के समान ही रहा परन्तु 2008–09 के दौरान कृषि और सहबद्ध क्षेत्र ने समग्र 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की परन्तु वर्ष 2009–10 में इस क्षेत्र में नकारात्मक विकास दर 1.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी ।

4.4 वर्ष 2010–11 के त्वरित अनुमान बताता है कि साधन लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 में 26,262.90 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 27,873.40 करोड़ हुआ जिस से वर्ष 2010–11 में 6.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2010–11 में स्थिर (2004–05) कीमतों पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद व्यक्तिगत कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 26,392.16 करोड़, 1,227.57 करोड़ तथा 253.67 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान कृषि, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र की व्यक्तिगत विकास दर क्रमशः 6.3, 2.9 तथा 6.6 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्साहजनक 6.3 प्रतिशत विकास दर गेहूँ के उत्पादन में 10.9 प्रतिशत, तिलहन 11.2 प्रतिशत, गन्ना 5.9 प्रतिशत, चना 77.4 तथा दूध 4.3 प्रतिशत तथा उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण ही संभव हो सका है।

4.5 वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमान के अनुसार स्थिर (2004–05) कीमतो पर कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29,288.96 करोड़ रूपये वर्ष के दौरान 5.1 प्रतिशत की विकास दर दर्शाता है। स्थिर कीमतों 2004–05 पर वर्ष 2011–12 के दौरान कृषि, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र का व्यक्तिगत सकल घरेलू उत्पाद क्रमशः 27,739.34, 1,265.17 तथा 283.85 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः 3.1 प्रतिशत तथा 11.9 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज होने की सम्भावना है। कपास में 32.6 प्रतिशत, गन्ना 24.6 प्रतिशत, रबी तिलहन 21 प्रतिशत, चना 30 प्रतिशत तथा जौ 47.3 प्रतिशत के उत्पादन में अति वृद्धि होने के कारण कृषि क्षेत्र में मुख्यतः 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर होने की सम्भावना है।

4.6 यह भी बताया गया है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की राज्य औसत वार्षिक विकास दर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त की गई औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत से थोडा अधिक थी। वर्तमान पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र में राज्य तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था द्वारा दर्ज की गई विकास दर को **आकृति 4.1** में दिखाया गया है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना (2007–12) के विभिन्न वर्षो में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों में राज्य तथा भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दर्ज की गई विकास में वृद्धि दर की तुलना तालिका 4.1 में भी की गई है।

तालिका 4.1– 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि

क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	कुल
राज्य						
कृषि	–0.3	7.5	–1.6	6.3	5.1	3.4
वानिकी	3.3	2.7	2.4	2.9	3.1	2.9
मत्स्य	11.9	13.3	15.5	6.6	11.9	11.8
कृषि एवं सहबद्ध	0.0	7.3	–1.3	6.1	5.1	3.4
भारत						
कृषि एवं सहबद्ध	5.8	0.1	1.0	7.0	2.5	3.3

कृषि में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

4.7 कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण भी दीर्धकालिक स्तर पर इस क्षेत्र में विकास का महत्वपूर्ण सूंचक है। अर्थ एंव सांख्यकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में स्थाई पूंजी निर्माण की वृद्धि को आंकलन करने के लिए कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के लिए सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। राज्य में कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर 2004–05 में 9.3 प्रतिशत के कम होकर 2005–06 में 8.4 प्रतिशत रह गया है। उसके उपरान्त 2007–08 में इसमें 9.6 प्रतिशत की पूर्ति हुई है परन्तु उसके बाद पुनः कम होकर 2009–10 में 8.7 प्रतिशत के स्तर पर रह गया जैसाकि **आकृति 4.2** में दर्शाया गया है।

कृषि सूचकांक

4.8 फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक जोकि वर्ष 2004–05 में 120.57 था वह बढ़कर वर्ष 2010–11 में 123.57 हो गया है। कृषि उत्पादन सूचकांक व उपज सूचकांक इस अवधि के दौरान क्रमशः 243.01 से बढ़कर 278.87 व 201.55 से बढ़कर 225.68 हो गया है। यह कृषि उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिये किये गए नए अनुसंधानों के कारण सम्भव हुआ है। फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2009–10 में 120.30 था जो कि 2010–11 में बढ़कर 123.57 हो गया है। कृषि उत्पादन का सूचकांक जो कि 2009–10 में 261.48 था वह 2010–11 में बढ़कर 278.87 हो गया और इस अवधि मे कृषि उपज का सूचकांक 217.36 से बढ़कर 225.68 हो गया है। वर्ष 2010–11 में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उपज

आकृति 4.1– 11वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाणा तथा समस्त भारत के कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

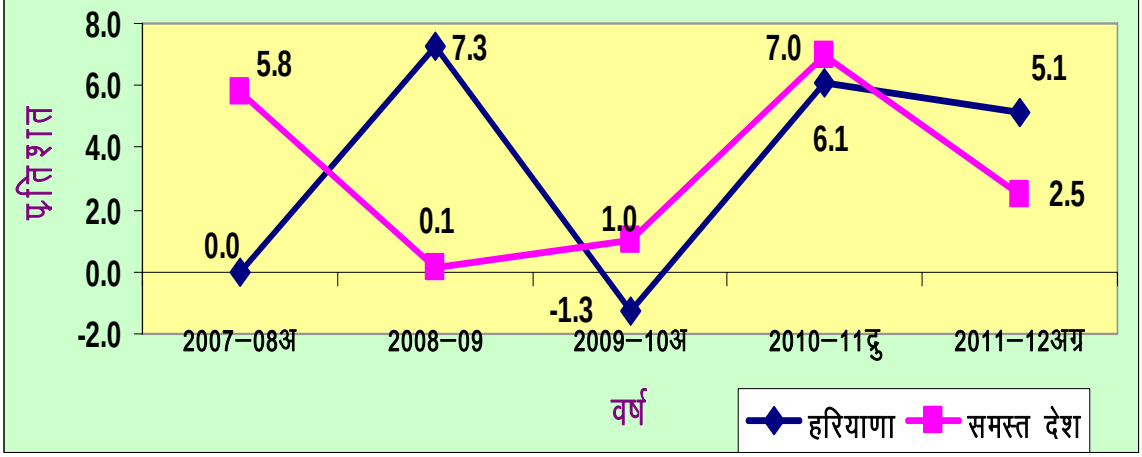

आकृति 4.2– हरियाणा में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

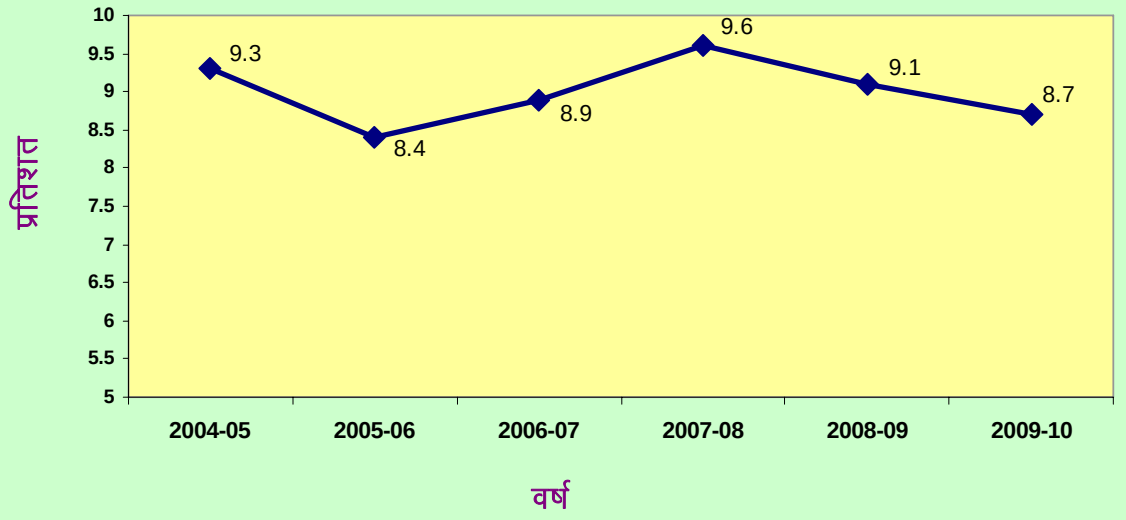

उत्पादन, व कृषि उपज सूचकांक सबसे ज्यादा रहा। फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन व कृषि उपज सूचकांक **आकृति 4.3** व अनुलंग्नक 4.1 में वर्ष 2001–02 से 2010–11 तक दर्शाये गये है (आधार त्रैवर्षीय अन्तिम 1981-82=100)

4.9 राज्य में खाद्यान्नों से सम्बन्धित फसलों का क्षेत्र 73.72 प्रतिशत तथा अखाद्यान्नों से सम्बन्धित फसलों का क्षेत्र 26.28 प्रतिशत है मुख्य रूप से अनाज खाद्यान्नों का हिस्सा 85.54 प्रतिशत तथा अनाज दालों का हिस्सा 14.46 प्रतिशत है। अखाद्यान्नों में तेल के बीज, रेशेदार फसलों एवं विविध फसले सम्मिलित है जिनका हिस्सा क्रमशः 17.22, 41.12 व 41.66 प्रतिशत है। सभी फसलों के उत्पादन का कृषि सूचकांक 2001–02 में 220.71 से सामान्य रूप से बढ़कर 2005–06 में 229.42 हो गया है इसके बाद 2006–07 में यह और बढ़कर 259.45 हो गया है तथा 2008–09 में 271.76 हो गया है अब 2010–11 में यह बढ़कर 278.87 तक पहुंच गया है। **आकृति 4.4** तथा अनुलंग्नक 4.2 खाद्यान्नों व अखाद्यान्नों सम्बन्धित कृषि उत्पादन सूचकांक को दर्शाता है।

4.10 अनाज खाद्यान्नों से सम्बन्धित कृषि उत्पादन सूचकांक 2004–05 में 244.25 से बढ़कर 2008–09 में 303.62 हो गया था। यह वृद्धि 24.31 प्रतिशत है और 2009–10 में यह गिरकर 289.98 हो गया और 2010–11 में यह पुनः बढ़कर 317.12 हो गया है। **आकृति 4.5** अनाज खाद्यान्न व अनाज दालों के कृषि उत्पादन सूचकांक वर्ष 2001–02 से 2010–11 तक दर्शाता है।

4.11 तेल के बीज का सूचकांक 2003–04 में 706.51 था वह 2007–08 में घटकर 438.77 हो गया तथा 2008–09 में बढ़कर 657.77 हो गया और 2010–11 में यह बढ़कर 691.43 के स्तर पर हो गया जबकि रेशेदार फसलों का सूचकांक 2004–05 में 370.92 था वह 2009–10 में घटकर 323.08 हो गया। यह गिरावट 12.90 प्रतिशत है और 2010–11 में पुनः घटकर 292.85 हो गया यह गिरावट 9.36 प्रतिशत है। **आकृति 4.6** तेल के बीज व रेशेदार फसलों का कृषि उत्पादन सूचकांक वर्ष 2001–02 से 2010–11 तक दर्शाता है।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र, पैदावार एवं उत्पादकता

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

4.12 राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था जोकि वर्ष 2010–11 में बढकर 63.57 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य में गेहूँ तथा चावल फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 59.15 प्रतिशत होने की सम्भावना है। वर्ष 2010–11 में गेंहू की फसल के अधीन क्षेत्र 25.15 लाख हैक्टेयर था जिसकी वर्ष 2011–12 में 25.05 लाख हेक्टेयर होने की सम्भावना है। वर्ष 2010 में चावल के अधीन क्षेत्र 12.45 लाख हैक्टेयर से घटकर वर्ष 2011 के दौरान 12.35 लाख हैक्टेयर हो गया। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रति वर्ष उतार चढाव रहा है। वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 की तुलना में गन्ने की अधीन क्षेत्र में 11.8 प्रतिशत की बढौतरी तथा कपास में 22.6 प्रतिशत की बढौतरी हुई तथा तिलहन के उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। वर्ष 2011–12 के दौरान सकल बोया गया क्षेत्र 65 लाख हैक्टेयर होने की सम्भावना है (अनुलग्नक 4.3)।

4.13 राज्य में फसलों की गहनता वर्ष 2010–11 में 184 प्रतिशत हो गई है। कृषि में चावल, गेहूँ चक्र का प्रभाव रहा है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी तथा भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। यद्यपि गेंहू तथा चावल की फसल की प्रभुता को बदलने के प्रयास किये गये हैं परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

अधिक उपजाऊ किस्मों के अधीन क्षेत्र

4.14 वर्ष 2010–11 राज्य में गेहूँ, चावल, मक्की तथा बाजरे की अधिक उपजाऊ बीजों वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र क्रमशः 97.4, 64.6, 80.0 और 96.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान इन फसलों के अधीन अनुमानित क्षेत्र क्रमशः 99.4, 65.6, 63.6 व 99.4 प्रतिशत रहेगा।

मुख्य फसलों का उत्पादन

4.15 राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान मात्र 25.92 लाख टन था जो वर्ष 2010–11 में बढकर 166.29 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जो कि लगभग छः गुणा वृद्वि

दर्शाता है। गेंहुँ और चावल जोकि राज्य की मुख्य फसलें हैं, उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। वर्ष 2010–11 के दौरान गेंहु का उत्पादन 116.30 लाख टन था तथा वर्ष 2010–11 के दौरान चावल की पैदावार 37.59 लाख टन हुई जबकि वर्ष 1966–67 में गेंहुँ तथा चावल का उत्पादन क्रमशः 10.59 लाख टन व 2.23 लाख टन था जो कि गेंहु के उत्पादन में 11 गुणा व चावल के उत्पादन में 17 गुणा बढोतरी रही। गेहुँ की बढती उपलब्धियो के मध्यनजर हरियाणा को कृषि करमन आवार्ड से नवाजा गया जिसमें एक करोड़ रूपये नकद इनाम व प्रशंसात्मक ट्राफी प्रदान की गई। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डारण में योगदान करने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। 60 प्रतिशत से अधिक बासमती चावल अकेले हरियाणा राज्य से भेजा जाता है। इसी प्रकार हरियाणा में वर्ष 2010–11 के दौरान सरसों की उत्पादकता 1,869 कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर हुई थी जो देश की उच्चतम थी।

4.16 राज्य के अस्तित्व में आने के समय से हरियाणा में खाद्यानों के उत्पादन में अपूर्व वृद्वि दृष्टिगोचर होती है। राज्य में वर्ष 2011–12 में कुल खाद्यानों के उत्पादन 172.05 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। कृषि उत्पादन को बढाने में गेहूँ तथा चावल की फसल की मुख्य भूमिका रही है। चावल का उत्पादन वर्ष 2011 में 37.59 लाख टन होने की सम्भावना हैं। इसी प्रकार गेहूँ का उत्पादन वर्ष 2011–12 में 118.61 लाख टन होने का अनुमान है (अनुलग्नक 4.4)।

4.17 खरीफ 2011 के दौरान 50.22 लाख टन खाद्यान्न की पैदावार हुई है जोकि गत वर्ष से लगभग 5.6 प्रतिशत अधिक है। खरीफ 2011 में कपास (रुई) की औसत पैदावार 739 किग्रा प्रति हैक्टेयर हुई है। वर्ष 2011–12 के लिये खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 173.04 लाख टन निर्धारित किया गया है जिसमें (51.27 लाख टन खरीफ व 121.77 लाख टन रबी मौसम के लिये) जोकि गतवर्ष की उपलब्धता से 4 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ–साथ गन्ने, कपास व तिलहन का लक्ष्य क्रमशः 70 लाख टन, 25.44 लाख गांठें व 11.72 लाख टन निर्धारित किया गया है ।

4.18 तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन वर्ष 2010–11 में क्रमशः 9.65 लाख टन तथा 60.42 लाख टन की तुलना में वर्ष 2011–12 में क्रमशः 10.29 लाख टन तथा 67.45 लाख टन होने का अनुमान है। राज्य में कपास की फसल का उत्पादन वर्ष 2010–11 में 17.44 लाख गांठो से बढकर वर्ष 2011–12 में 26.21 लाख गांठें होने का अनुमान है।

मुख्य फसलों की पैदावार

4.19 वर्ष 2009–10 के दौरान भारत में गेहूँ तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 2,830 कि0 ग्रा0 व 2130 कि0ग्राम प्रति हैक्टेयर था जबकि हरियाणा में क्रमशः 4,215 व 3,008 कि0 ग्रा0 प्रति हैक्टेयर था। राज्य में वर्ष 2011–12 में गेहूँ तथा चावल का औसत उत्पादन क्रमशः 4,735 तथा 3,044 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है (अनुलग्नक 4.5)।

पौधा संरक्षण कार्य के अधीन क्षेत्र

4.20 वर्ष 2010–11 के दौरान पौधा सरंक्षण के अधीन 71.10 लाख हैक्टयर क्षेत्र था जोकि और 2011–12 में 71.10 लाख हैक्टयर होने की सम्भावना है। वर्ष 2009–10 के दौरान कीटनाशक 4,070 टन था जो 2010–11 के दौरान घटकर 4,060 टन रह गया।

फसल बीमा

4.21 कृषि में बेहतर जोखिम प्रबन्धन प्रदान करने के उद्वेश्य से सरकार ने खरीफ, 2004 से राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया है। वर्तमान में अधिक जोखिम वाली फसलें जैसेकि कपास, बाजरा, मक्की तथा अरहर को इस योजना के अर्न्तगत खरीफ में शामिल किया गया है तथा रबी फसल के दौरान चना, जौ तथा सरसों को इसके अधीन लिया गया है। यह योजना ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य एंव गैर ऋणी किसानों के लिये ऐच्छिक है। इस योजना के अर्न्तगत लघु और सीमान्त किसानो के लिये 10 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा इसमें केन्द्र व राज्य सरकार का 50:50 हिस्सा है।

आकृति 4.3–राज्य के क्षेत्र, औसत उपज और पैदावार का कृषि सूचकांक
(आधार वर्षः त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82 =100)

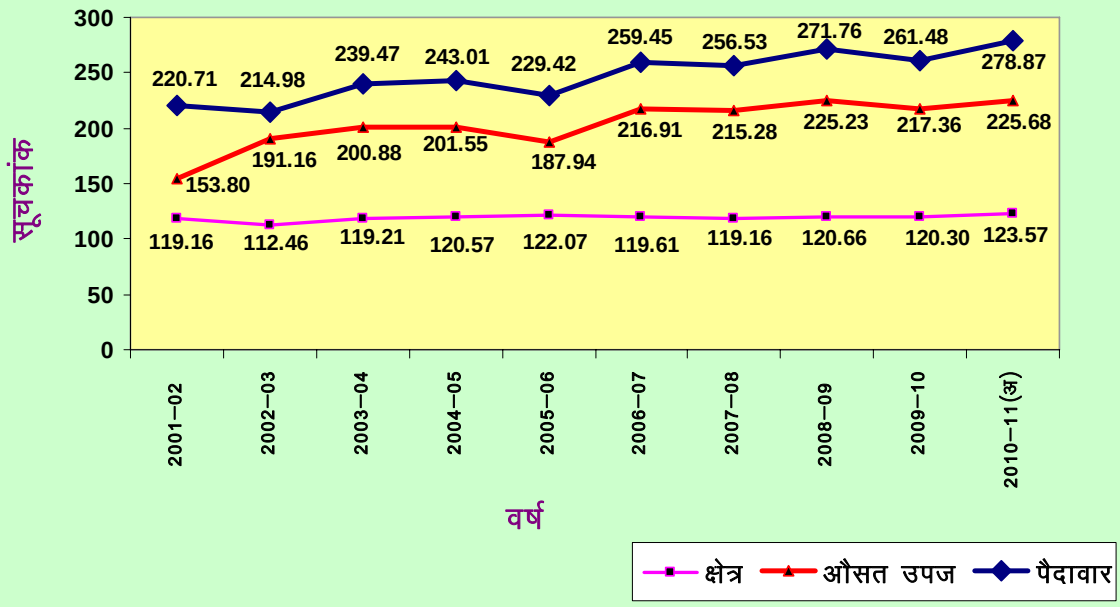

आकृति 4.4– राज्य के कृषि उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्षः त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

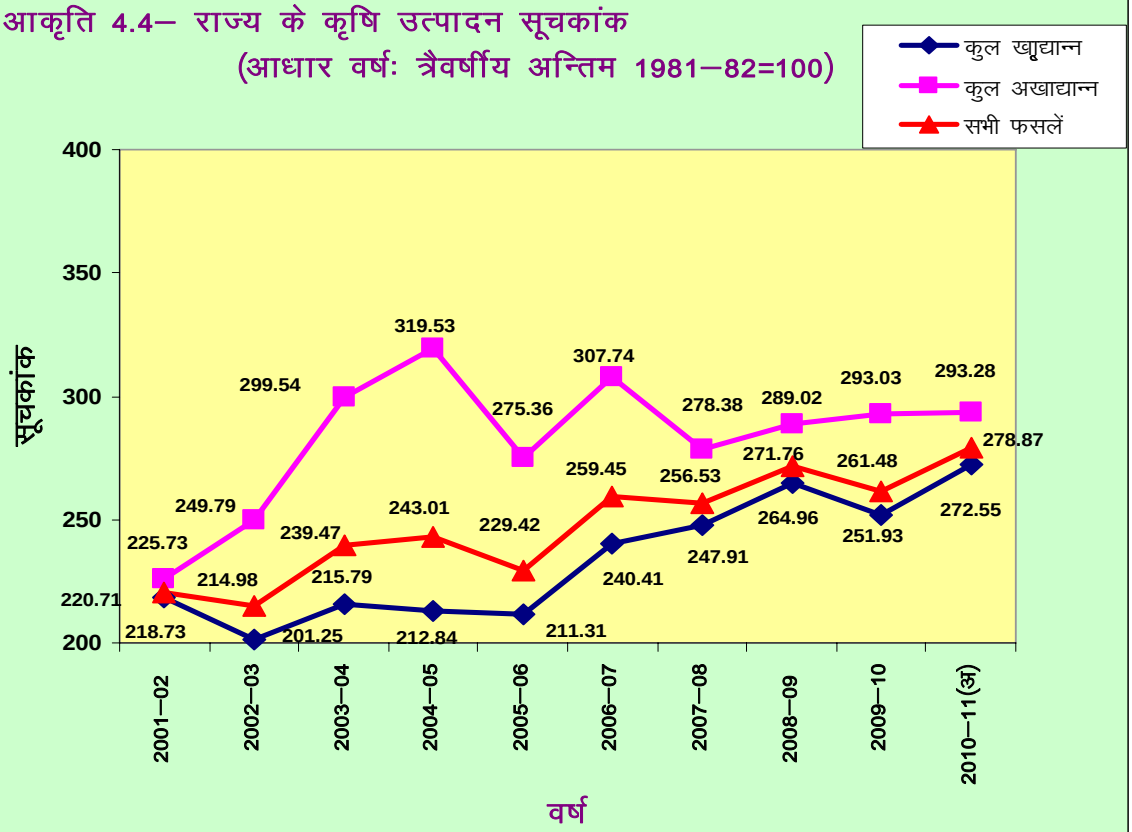

आकृति 4.5– राज्य के खाद्यान्नों का कृषि उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्षः त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

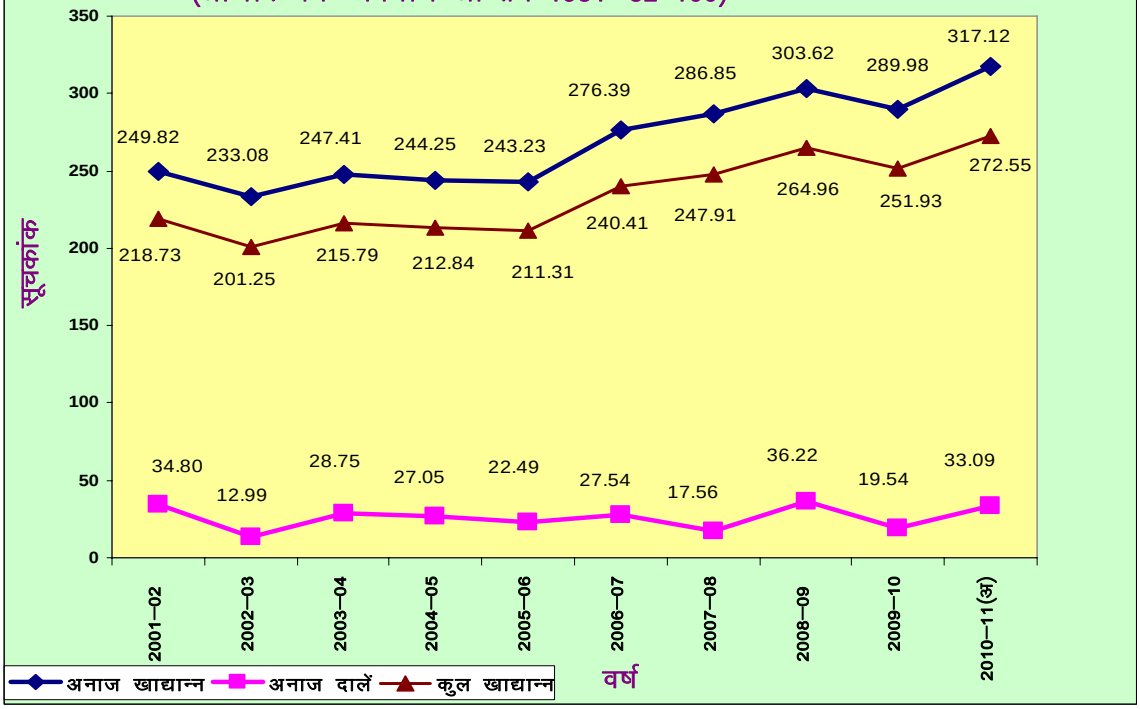

आकृति 4.6– राज्य का अखाद्यान्नों का कृषि उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्षः त्रैवर्षीय अन्तिम 1981–82=100)

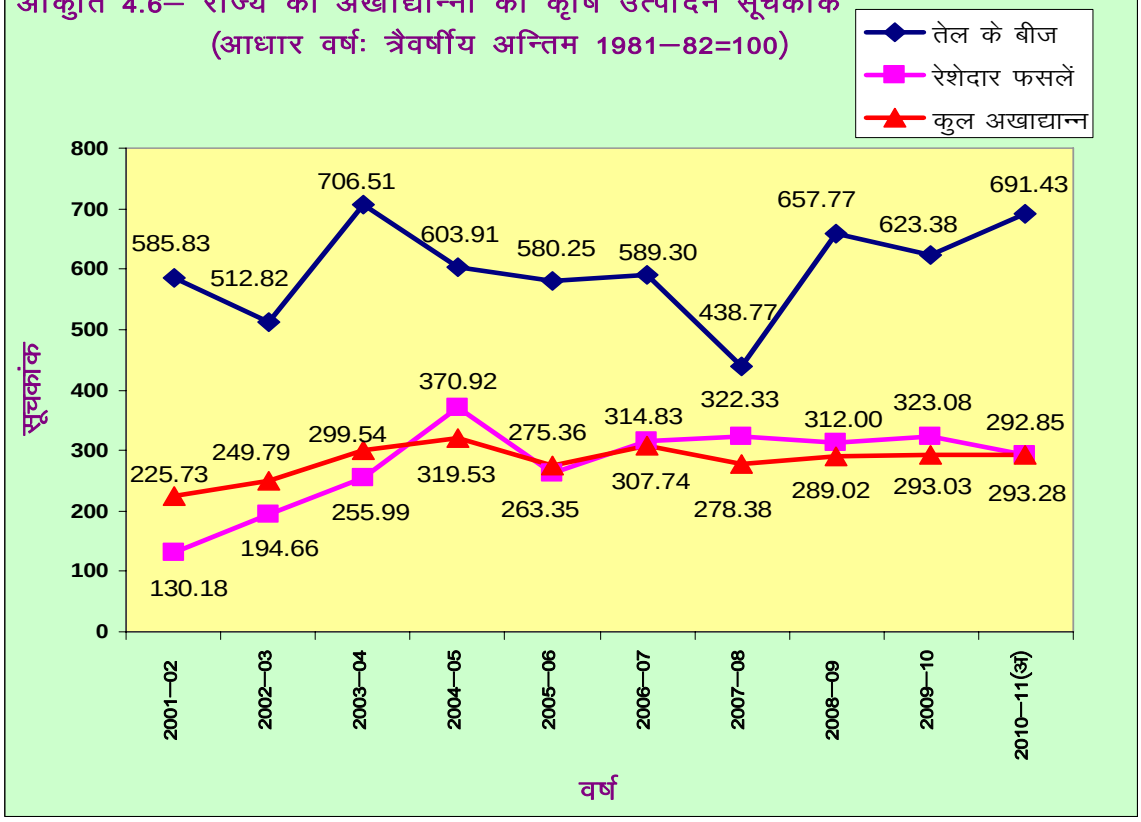

कृषि उत्पादन हेतू की गई पहल

4.22 भारत सरकार द्वारा दो नई केन्द्रीय संचालित योजनाएं नामतः–राष्ट्रीय खाद्यय सिक्योरिटी मिशन (एन.एफ.एस.एम.) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) रबी, 2007–08 से लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सिक्योरिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य राज्य में पहचान किये गये जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन वृद्वि से गेहूँ और दलहन क्षेत्र व पैदावार में बढोतरी करना है। राष्ट्रीय खाद्यय सिक्योरिटी मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अधीन वर्ष 2011–12 में 34.80 करोड रूपये अलाट किये गये है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्वेश्य कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता 4 प्रतिशत प्राप्त करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्वेश्य राज्यों को कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में अधिक धन लगाने में पहल करना तथा इनकी योजना, चयन एवं अनुमोदन में राज्य को लचीलापन प्रदान करना है। सिंचाई के लिये सीमित साधनों के उचित उपयोग हेतू भूमिगत पाईप लाईन सिस्टम को बढावा दिया जा रहा है तथा इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 40 करोड रूपये की राशि व्यय की जा रही है।

4.23 देश में फुव्वारा सिचांई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में अनुमानित 16,000 नये फुव्वारा सयन्त्रों की स्थापना से राज्य में फुव्वारा सयन्त्रों की संख्या बढ़कर 1,35,283 हो गई है। यह सयन्त्र अधिकतर राज्य के शुष्क एंव अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कार्य कर रहे है।

4.24 किसानों द्वारा पानी की बचत करने हेतू भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली को काफी बढ़ावा दिया है। वर्ष 2010–11 के दौरान 36,748 हैक्टेयर क्षेत्र में पाईप बिछाये गये जिसपर कृषक को 50 प्रतिशत की दर से अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 60,000 रूपये है, प्रदान करने हेतू 41.72 करोड रूपये व्यय किए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिये 40 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की है।

उर्वरक

4.25 राज्य में हरित क्रान्ति लाने तथा कृषि उत्पाद बढाने में उर्वरक जोकि नई तकनीक का एक भाग है, का महत्वपूर्ण स्थान है। जबसे अधिक उपजाऊ बीजों की किस्में आई हैं तभी से रसायनिक खादों की खपत धीरे–2 बढ. रही है। राज्य में वर्ष 2010–11 के दौरान एन.पी.के. (न्यूट्रीएंट) की खपत 1,438 हजार टन रहने की सम्भावना है (तालिका 4.2)।

तालिका 4.2– राज्य में उर्वरको की खपत

(किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	उर्वरको की खपत
1990–91	99
2000–01	152
2005–06	173
2006–07	173
2007–08	187
2008–09	199
2009–10	209
2010–11	209
2011–12 अनुमानित	210

सिंचाई

4.26 राज्य सरकार पानी के उपलब्ध सीमित साधनों के सदुपयोग के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चला रहा है। राज्य में पानी की कमी है तथा 36 एम.ए.एफ. के स्थान पर पानी की उपलब्धता 14 एम.ए.एफ. है। हरियाणा सिंचाई विभाग का पानी का संरक्षण मुख्य उद्वेश्य है। पानी के बहाव में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए नहरी कार्य प्रणाली के पुर्नवास का कार्य चरणबद्व ढंग से आरम्भ किया हुआ है। नहरी कार्य प्रणाली के पुर्नवास की परियोजना 67.28 करोड़ रूपये की लागत से ए.आई.बी.पी.–I के अर्न्तगत ली गई है जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एक परियोजना जिसकी लागत 115.94 करोड रूपये है, ए.आई.बी.पी.–II के अर्न्तगत

की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त नहरी प्रणाली के पुर्नवास, नवीकरण एवं आधुनिकरण की 53 करोड रूपये की लागत की एक अन्य परियोजना अनुमोदित हो चुकी है और यह कार्य 13वें वित्त आयोग की राशि के अर्न्तगत लिया गया है। इसके अतिरिक्त 32.50 करोड राशि के कार्य चालू वर्ष में राज्य योजना के अर्न्तगत लिए गए है। कार्य की अधिकता के कारण नहरी कार्य प्रणाली के पुर्नवास का कार्य सभी नहरों को रि–कन्डीशन हेतू वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी चालू रहेगा। इसके अतिरिक्त 127.50 करोड़ रूपये की लागत से पश्चिमी यमुना नहर मेन लाईन लोअर तथा पश्चिमी यमुनानहर मेन ब्रांच की दादूपुर से करनाल तक लाईनिंग को पक्का करने का प्रस्ताव है जिसके लिए वैपकोस द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की ली गई है तथा उसका अध्ययन किया जा रहा है। जल मार्गों के आधुनिकीकरण एवं पुर्नवास का कार्य भी चरणबद्व तरीके से आरम्भ किया हुआ है। पहचान किये गये 7,633 जलमार्गों में से अब तक 2,051 जलमार्गों पर पुर्नवास का कार्य पूरा किया जा चुका है और 249 जलमार्गो पर पुर्नवास का कार्य प्रगति पर है। शेष सभी जलमार्गों पर पुर्नवास का कार्य समय अनुसार चरणबद्व तरीके से किया जाएगा।

4.27 गुडगांव तथा अन्य बढ रही औद्योगिक शहरों जैसे कि मानेसर, बहादुरगढ, सांपला एवं बादली इत्यादि की पीने के पानी की मांग को आवर्धन करने हेतू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जल आपूर्ति चैनल (एन.सी.आर. वाटर सप्लाई चैनल) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसका सफलतापूर्वक टेस्ट रन कर लिया गया है। दिल्ली को पीने के पानी की आपूर्ति हेतू कैरियर लाईन चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। पंचकुला जिले में घग्गर नदी पर 217 करोड रूपये की लागत से कौशल्या बांध का निर्माण किया गया है। पंचकुला को पीने का पानी प्रदान करने के अतिरिक्त भीषण बाढ से राहत प्रदान करेगा। बांध में हरियाणा शहरी विकास अथोरिटी को उपलब्ध कराने हेतू पानी भर दिया गया है, इसके लिए पाईप लाईन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है।

4.28 भूमिगत जल रिचार्ज हेतू हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित हैं तथा ये विभिन्न स्तरों पर पूर्ण निर्माणाधीन हैं। भूजल संरक्षण हेतू मानसून के दौरान यमुना नदी के फालतू पानी का उपयोग करने के लिए दूसरे चरण की 167.30 करोड रूपये की लागत से दादूपुर–शाहबाद–नलवी सिंचाई योजना का कार्य शुरू किया गया है तथा इसके पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है जबकि द्वितीय चरण का कार्य दिसम्बर, 2012 तक पूरा हो जाएगा।

4.29 ओटू झील की गाद निकालने का चरण–I तथा II का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा III में इसे और गहरा करने का प्रस्ताव है। विभाग ने जिला कुरूक्षेत्र में मानसून ऋतु के दौरान भू जल संभरण तथा सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतू 117 करोड रूपये की लागत से बीबीपुर झील की मरम्मत, क्षमता बहाली एवं जीर्णोद्वारा करने की प्रस्तावना की है। इसके लिए एक प्रस्ताव जल स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार को बाढ प्रबन्धन परियोजना के अर्न्तगत 75 प्रतिशत राशि प्राप्त करने हेतू भेजा गया है। यह भी प्रस्तावना की गई है कि मेवात जिले में कोटला झील के आकार में 116 करोड़ रूपये की लागत से एक जल संरचना का निर्माण किया जाये।

4.30 राज्य यमुना नदी के ऊपरी भागों पर रेनूका, किसाऊ एवं लखवार वियासी नामक भण्डारण बांधों के निर्माण के मामले की पैरवी कर रही है। इन भण्डारणों के निर्माण के अभाव में राज्य में यमुना नदी से पानी की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया है जिसने पहले ही इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित कर दिया हैं, जिसमें परियोजना की 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएंगी तथा शेष 10 प्रतिशत लागत हिस्सेदार राज्यों द्वारा वहन की जाएंगी।

4.31 हरियाणा ने रेणुका बांध के निर्माण हेतु अपने हिस्से के 25 करोड़ रूपये हिमाचल प्रदेश पावर निगम लिमिटिड (एच.पी.पी.सी.एल.) के पास भूमि अधिग्रहण हेतू जमा करवा दिये हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण सम्बन्धी क्लीयरंस प्राप्त करने के बाद रेणुका परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने का कार्य प्रगति पर है।

4.32 मेवात के पिछडे क्षेत्रों को सिंचाई एवं पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए मेवात फीडर नहर नामक एक नहर के निर्माण का प्रस्ताव है। कैपकोस द्वारा परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन उपरान्त पुनः पूर्वानुमान तैयार किया गया है जो कि वर्तमान दरों पर 666.60 करोड रूपये का है। मेवात फीडर नहर की परियोजना हेतू धन राशि प्रदान करने हेतू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को प्रस्तुत करने की प्रस्तावना की गई है।

4.33 राज्य को बाढ नियंत्रण की जरूरतों का अहसास है। हरियाणा राज्य बाढ नियंत्रण बोर्ड प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में बाढ नियंत्रण हेतू योजनाएं अनुमोदित करता है। इस द्वारा बाढ नियंत्रण एंव ड्रेनेज कार्यों हेतू 664.40 करोड रूपये की लागत की 252 नई योजनाओं को स्वीकृत किया गया है तथा 157 करोड रूपये की लागत की 103 चालू योजनाओं को अपनी 27.1.2011 को हुई मीटिंग में अनुमोदित किया जिनमें से 95 नई तथा 28 चालू योजनाएं 280 करोड रूपये व्यय से अब तक पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष जनवरी, 2011 से अब तक बाढ नियंत्रण कार्यों पर 230 करोड रूपये से अधिक राशि व्यय हो चुकी है। इसके अतिरिक्त गंगा बाढ नियंत्रण कमीशन द्वारा यमुना नदी के साथ लगते स्थानों पर बाढ मैनेजमैंट कार्यों के लिए 173.75 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा यह कार्य प्रगति पर है।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

4.34 हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2010–11 में खरीफ के प्रमाणित बीजों का 11,714 क्विंटल तथा रबी के प्रमाणित बीजों का 2,16,560 क्विंटल उत्पादन किया। वर्ष 2010–11 के दौरान निगम ने विभिन्न फसलों के 4,17,309 क्विंटल प्रमाणित बीजों की बिक्री की है।

4.35 किसानों को समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 74 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम अपने बीज बिक्री केन्द्रों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थागत संस्थाओं जैसे इफको, कृभको, मिनी बैंकों, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने प्रमाणित बीजों को राज्य के बाहर के अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभाग और निगम के अधिकृत विक्रेताओं एवं अन्य खरीददारों को भी भेजता है।

बीज प्रमाणीकता

4.36 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान 88.14 हजार हैक्टेयर बीज फसलों का निरीक्षण किया गया तथा 2,185.63 हजार क्विंटल बीजों को प्रमाणित किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान 88.50 हजार हैक्टेयर बीज फसलों का निरीक्षण तथा 2,200 हजार क्विंटल बीजों को प्रमाणित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 153 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे है जिन पर प्रमाणीकरण हेतु बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है।

बागवानी

बागवानी के अधीन क्षेत्र एवं उत्पादन

4.37 हरियाणा राज्य बागवानी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य में 4.15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जोकि कुल फसल क्षेत्र का 6.40 प्रतिशत है। राज्य में वर्ष 2010–11 में बागवानी फसलों की कुल पैदावार 51.49 लाख टन थी।

फल एवं सब्जी की खेती

4.38 जलवायु एवं मृदा के अनुसार उद्यान विभाग फल उत्पादन के विकास के लिए सामूहिक पहुँच को प्रोत्साहित कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2010–11 में फलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन बढ़कर क्रमशः 46,250 हैक्टेयर क्षेत्र और 3,56,620 टन फल उत्पादन हो गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान 4,00,000 लाख टन उत्पादन के साथ 5,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से माह दिसम्बर, 2011 तक फलों के अन्तर्गत 1870 हैक्टेयर क्षेत्र व 2,87,800 टन उत्पादन हो चुका है।

4.39 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण ताजा सब्जियों की मांग कई गुणा बढ़ गई है। वर्ष 2010–11 में सब्जियों के अधीन 3,46,400 हैक्टेयर क्षेत्र व 46,49,280 टन सब्जियों का उत्पादन था। चालू वर्ष 2011–12 के लिए 3,45,000 हैक्टेयर क्षेत्र व 48,00,000 टन सब्जी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर, 2011 तक सब्जियों के अन्तर्गत 2,77,080 हैक्टेयर क्षेत्र व 30,01,475 टन सब्जियों का उत्पादन हो चुका है।

मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधे

4.40 मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र वर्ष 2010–11 में बढ़कर 15,960 हैक्टेयर हो चुका है। चालू वर्ष 2011–12 के लिए 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2011 तक मसालों के अधीन 15,385 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

4.41 वर्ष 2010–11 के दौरान औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अधीन 1,020 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। वर्ष 2011–12 के लिए 665 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है तथा माह दिसम्बर, 2011 तक 1,460 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

मशरूम

4.42 हरियाणा मौसमी बटन मशरूम उत्पादन में देशभर में प्रथम स्थान पर है। बटन खुम्ब उत्पादन वर्ष 2010–11 में बढ़कर 8,020 टन हो चुका है। वर्ष 2011–12 के लिए 8,000 टन खुम्ब उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है व इसमें से माह दिसम्बर, 2011 तक 2,260 टन उत्पादन हो चुका है।

फूलों की खेती

4.43 वर्ष 2010–11 में फूलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़कर 6,300 हैक्टेयर हो चुका है। चालू वर्ष 2011–12 के लिए 7,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है व माह दिसम्बर, 2011 तक फूलों के अधीन 4,255 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

हरित गृह

4.44 गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन और रोग मुक्त पौध तैयार करने के लिए हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2010–11 के दौरान केवल 17,500 वर्गमीटर पोली हाउस निर्माण किए गए। चालू वर्ष 2011–12 के लिए 3,04,400 वर्गमीटर पोली हाउसेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा माह दिसम्बर, 2011 तक 59,172 वर्गमीटर क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

बागवानी के लिए पहल

4.45 बागवानी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन नामक योजना प्रारम्भ की गई है। इस मिशन को वर्ष 2010–11 के दौरान हरियाणा में जिला फरीदाबाद, रिवाडी तथा कैथल, को छोडकर सभी जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2011–12 के लिए 95 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 14.25 करोड़ रूपये है। माह दिसम्बर, 2011 तक 42.32 करोड रूपये खर्च हो चुके हैं।

4.46 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा राज्य में दो इण्डो–इजराईल प्रोजैक्टों, नामतः सब्जियों के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलैंस, घरौन्डा (करनाल) व फलों के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलैंस, मांगियाना (सिरसा) हेतू कुल वित्तीय आउटले 1,570 लाख रूपये के स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजैक्ट्स सघन पौधारोपण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, नई किस्म उत्पादन करने, ग्रीन हाउस में सब्जियों की काश्त करने व अत्याधुनिक ग्रीन हाउस में बढ़िया पौध तैयार करने के लिए नवीनतम तकनीक के प्रयोग से लगाए गए हैं।

4.47 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक कुल बजट 1,462.50 लाख रूपये में से 435.77 लाख रूपये किसानों को विभिन्न प्रोजैक्ट के लिए 50 प्रतिशत अनुदान के तौर पर प्रदान करने पर व्यय किए गए हैं।

4.48 जल प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान 393 सामुदायिक/जल फार्म तालाबों के निर्माण हेतू 20.86 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर, 2011 तक 228 जल फार्म तालाबों का निर्माण किया जा चुका है।

4.49 सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2010–11 की समाप्ति तक 9,340 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया गया है। चालू वर्ष 2011–12 के लिए 6,118 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है तथा माह दिसम्बर, 2011 तक 3,691 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है।

कृषि अध्यापन, शोध एवं विस्तार

4.50 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तीन मुख्य गतिविधियां हैंः अध्यापन, शोध एवं विस्तार। किसानों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इन

गतिविधियों को नव प्रवर्तन तथा विकसित नवीनतम तकनीक के साथ सच्चे मन एवं श्रृदा के साथ किया जाता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आई.सी.ए.आर एवं अन्य एजेन्सियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के नॉन–प्लान एवं प्लान साधनों से अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

वर्ष 2010–11 की मुख्य उपलब्धियां

- विश्वविद्यालय ने ग्वार की एच.जी. 870, लोबिया की एच.सी.पी–46, लहसुन की एच.जी–17 और लम्बे बैंगन की एच.एल.बी–25 प्रजातियाँ विमोचन के लिए प्रस्तुत करने के साथ–साथ निम्नलिखित किस्में भी प्रमाणित एवं विमोचित की गईः–
  - देसी कपास एच डी 432
  - अमेरिकन कपास एच 1,236 और संशोधित एच 1,098
  - बाजरा संकर एच.एच.बी 216 (एम.एच 1,421) और एच.एच. बी 223 (एम.एच 1,468)
  - चावल एच.के.आर 127
  - मक्की एच.एम 11 (एच.के.एच 1,236), एच.एस.सी. 1 और एच.क्यू.पी.एम 4
  - ग्वार एच.जी 884 और एच.जी. 2–20
  - मूंग बीन–बसन्ती
  - गेंहूँ डब्ल्यू.एच 1,025
  - जौ बी.एच 902
  - राया आर.एच 0119
  - ओट ओ.एस 346

  मैरी गोल्ड– हिसार ब्यूटी एवं हिसार जाफरी–2
- विभिन्न सब्जी वाली फसलों के 913.4 क्विंटल के बीज के उत्पादन के अतिरिक्त वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने न्यूक्लियस, ब्रीडर, आधार, प्रमाणित एवं ट्रुथफुली लेब्लड का 21,058 क्विंटल बीज उत्पादन किया ।
- तरल जीवाणु खाद के 1,29,772 टीके (प्रत्येक 50एम.एल.) जिसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एवं फास्फेट सम्मिलित हैं, बनाए गए एवं किसानों व अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों को बेचे गए।
- प्रयोगशाला लैवल की तीन विकसित तकनीक को पेटेंट करवाने के लिए एन आर डी सी, देहली के पास भेजी गई जो कि सामान्य तथा सड़े गले गेहूँ/धान एवं गुड़ का शीरा से एलेकोहल बनाने सम्बन्धित है।
- बाजरा–गेहूँ (14 वर्ष) तथा ज्वार–गेहूँ (11 वर्ष) फसल चक्र में लम्बी अवधि वाली जीरो टीलेज टिकाऊ/कामयाबी पाई गई।
- रोहतक एवं फतेहाबाद में मृदा का सूक्ष्म एवं दूसरे तत्वों का सर्वेक्षण किया गया एवं महेन्द्रगढ़ के कई क्षेत्रों में भू–जल की गुणवत्ता की जांच की गई।
- जिस भूमि में सोडिक नामक लवणता है या पानी में सोडिक की शिकायत है उसमें पर्यावरण मित्र जिप्सम के इस्तेमाल हेतु सोफ्टवेयर विकसित किया गया है।
- किसानों का गेहूँ और राया की किस्मों के बीज उत्पादन में हिस्सेदारी के तहत हिसार, सोनीपत, भिवानी और जींद जिलों के क्रमशः 4,2,1,1 गांवों में कार्यक्रम किया गया।

- कैम्पस के "डिज़ीज़ फ्री स्मॉल एनीमल हाऊस" ने 8,764 लैबोरेटरी एनीमल (माइस, रैट्स, गुनिया पिग्स, रैबिट्स) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवम् बाहर की शोध एवम् अध्यापन संस्थाओं को भेजे एवम् इससे 12.68 लाख रुपए की आमदनी हुई।

- एनीमल बायोटैक्नोलॉजी विभाग ने पर्वों, रोटा एवम् फाउल अडेनो वायरस द्वारा फैलाए रोग जैसे ब्लू टंग, मैसटाइटिस एवम् संक्रमण की जांच के लिए मॉलीक्यूलर टूल्स बनाया। इस टूल द्वारा पशुओं के माँस की विभिन्नता की जांच/फोरैन्सिक जांच एवम् पशुओं के जैनेटिक्स एवम् उत्पादन की जांच में सहायता मिली।

- रोग अन्वेषक लैब ने 70 पशुओं में विभिन्न रोगों की जांच की एवम् 3,879 पक्षियों में जो विभिन्न संक्रमणों का शिकार थे उनका इलाज किया। 3,844 दूध, 1,965 गोबर, 106 पेशाब और 78 रक्त नमूनों की डाइग्नोज करने हेतू जांच की गई। दूध के 323 नमूनों में यूरिया की जांच की गई, मुर्गियों

के भोजन के 186 नमूनों में एफलाटोक्सीन/साल्ट की जांच की गई और 29 नमूनों में टोक्सीन की जांच की गई।

- पशुधन उत्पादन तकनीक विभाग ने पौष्टिक मुर्गी मांस और दूध के पौष्टिक उत्पाद बनाए जिनमें से दो पेटेन्ट कराने के लिए भेजे गए हैं।

- विश्वविद्यालय में विस्तार शिक्षा निदेशालय में किसानों को आधुनिकतम जानकारी देने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। इससे किसान समुदाय को कृषि, पशु पालन, गृह विज्ञान, कृषि मण्डीकरण, पशु चिकित्सा, कृषि अभियांत्रिकी, मौसम विज्ञान में समय–2 पर हो रहे विकास आदि की जानकारी मिलती रहती है और इसके अतिरिक्त किसानों की सफलता की कहानियां तथा हरियाणवी संस्कृति से सम्बन्धित कार्यक्रम भी सुनने को मिलते हैं।

- वर्ष 2009–10 के दौरान विश्वविद्यालय ने 2 विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ और इतने ही देश में भी शोध संगठनों के साथ सहमति पत्र तैयार किया। इसके साथ लिक्वीड बायो फर्टिलाइजर तकनीक तथा दूध में यूरिया डिटेक्सन कीट हेतू निजी कम्पनियों के साथ नान एक्सकलूजीव लाइसैंस एग्रीमैंट किया गया।

वर्ष 2011 के दौरान की मुख्य उपलब्धियां/उन्नति

- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर विभिन्न फसलों की 16 किस्में विमोचित/प्रमाणित की गईं।
- 17,498 क्विंटल विभिन्न फसलों का विभिन्न किस्मों का बीज न्यूक्लियस, ब्रीडर, आधार प्रमाणित एवं टी.एफ.एल उत्पादित किया गया।
- गेंहूँ के बीज उत्पादन की 3 कतारों में 90 सैं.मी. की दूरी की पुरानी पद्धति की अपेक्षा 3 कतारों में 70 सैं.मी. की दूरी पर अच्छा बीज उत्पादन हुआ।
- गेंहूँ की फसल में 17.5,20 और 22.5 सैं.मी. के फासले की अपेक्षा कम फासला(15सैं.मी) में अधिक फसल ली गई (59.4 क्विंटल/है)
- जी.पी.एस और जी.आई.एस तकनीक का उपयोग करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हरियाणा राज्य के सभी जिलों की मृदा उर्वरकता का नक्शा तैयार करके डाला गया है।
- किसान मेला के अवसर पर राज्य के किसानों के लिए मौसम की जानकारी अपने मोबाइल पर लेने के लिए एस.एम.एस/वाइस मैसेज सेवा चालू की गई।
- कपास में पैरासीटाइड के साथ उपचार करने पर मिली बग के प्रकोप पैरासीटाइजेसन के साथ (5.76 प्रतिशत) पर नियंत्रण पाया गया।
- किसानों के खेतों पर (करनाल, कैथल एवं कुरूक्षेत्र में) हैप्पी सीडर द्वारा बिजाई करने पर पुरानी पद्धति की अपेक्षा 2.2 क्विंटल प्रति हैक्टेयर अधिक फसल पैदा हुई।
- 19,006 (50 मि.ली प्रति) राइजोबियम, 20,931 (50 मि.ली प्रति) एजोटोबैक्टर क्रोकैकम और 43,899 पी एस बी जीवाणु खाद तैयार की गई।
- 5 प्रतिशत धान का भूसा गोबर के साथ मिलाकर बायोगैस प्लांट में डालने से बायोगैस का उत्पादन 2.76 से बढ़कर 16.32 प्रतिशत तक हुआ।
- हरियाणा एवं साथ लगते राज्यों के 45,000 से भी अधिक किसानों ने इस मेले में भाग लिया। मेले में 27,74,408 रुपये के बीज एवं 21.5 लाख रूपये के फलों के पौधे किसानों को बेचे गए।
- कृषि तकनीकी सूचना केन्द्र, जो कि किसान सेवा केन्द्र के नाम से जाना जाता है ने विभिन्न फसलों के संशोधित बीज, जीवाणु खाद, खाद्य उत्पाद जैसे शहद एवं फार्म साहित्य रुपये 34,72,812 का बेचा। इस समय के दौरान 9,067 किसान लाभान्वित हुए, जैसा कि व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा, 4,874 मुफ्त सेवा द्वारा 4,022 और 171 पत्र व्यवहार द्वारा। नेपाल से आए विशेष अतिथि–गणों को सब्जियों के मण्डीकरण एवं बीज उत्पादन की तकनीक के बारे में अवगत कराया गया।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित कुल 246 विभिन्न प्रशिक्षणों जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फल एवं सब्जी परिरक्षण, पशु पालन, कटाई एवं सिलाई द्वारा 9,046 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

- कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों तक तकनीकियों को पहुँचाने व कैसे जानें के लिए 647 तरीकों का प्रदर्शन, 910 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और 247 शोध ट्रायल आयोजित किए गए। कुल 18,811 किसानों/किसान महिलाओं ने कृषि विज्ञान केन्द्रों में जाकर जानकारी प्राप्त की ।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड

4.51 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड (एचएलआरडीसी) की स्थापना वर्ष 1974 में हुई। निगम का मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है। भूमि सुधार स्कीम के तहत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार तिलहन, दालें, तेल व मक्की की समेकित योजना (आईसोपोम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम के तहत जिप्सम किसानों को 62.5 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान (दिसम्बर, 2011 तक) निगम ने 62,918 टन जिप्सम किसानों को उपलब्ध करवाई। हरियाणा राज्य के कुल 4,05,499 हेक्टेयर कल्लर भूमि में से निगम ने 3,33,128 हैक्टेयर कल्लर भूमि का सुधार माह दिसम्बर, 2011 तक कर दिया है तथा शेष 72,371 कल्लर भूमि का सुधार आगामी 8–10 वर्षों में कर दिया जायेगा। निगम ने वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 12,327 टन यूरिया, 1,816 टन जिंक सल्फेट, 20,321 लीटर/किलोग्राम/यूनिटस खरपतवार/कीटनाशक/फफूंदी नाशक एवं 9,273 क्विंटल प्रमाणित बीज हरियाणा के किसानों को उपलब्ध कराया हैं।

वन

4.52 हरियाणा राज्य में सघन कृषिकरण है और प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य का कुल वन क्षेत्र लगभग 0.1594 मिलीयन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। परंतु कम वन क्षेत्र की भरपाई के लिये राज्य में सामुदायिक भूमि पर आरोपित वनों एवं कृषि भूमि पर कृषि–वानिकी का विकास किया गया है। वर्ष 2006 में एक राज्य वन नीति बनाई गई है। इस नीति में राज्य का वनों एवं वृक्षों के अधीन क्षेत्र वर्तमान 6.80 प्रतिशत (भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2009) से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत तक करना है। वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने एवं मुफ्त बांटने के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य में 4.64 करोड़ पौधे लगाए गए या राज्य की आम जनता, छोटे एंव सीमान्त किसानों, संस्थानों एवं पंचायतों इत्यादि में मुफ्त बांटे गए हैं।

4.53 विभिन्न गांवों के लगभग 140 जोहड़ों का पुर्नउद्धार 5.50 करोड़ रूपये की लागत से किया जा चुका है। जोहड़ों की सुन्दरता बढ़ाने के लिये उनके चारों और पौधे भी लगाये गये है तथा यह कार्य अन्य नये गांवों में इस वर्ष भी जारी है। राज्य के वृक्षाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 से एक नई स्कीम क्लोनल एवं अक्लोनल कृषि–वानिकी का विकास के नाम से आरम्भ की गयी है जिसमें राज्य में वृक्षों को बढाने हेतू कृषि क्षेत्रों में कृषि–वानिकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस स्कीम में वाणिज्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यूकेलिप्टस एवं पॉपलर पौधों को उगाने एवं उन्हें लघु तथा सीमांत किसानों के खेतों में लगाने पर विशेष बल दिया गया है। यह स्कीम राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर लकड़ी के आपूर्ति बढाने के लिये अति सहायक सिद्ध होगी।

4.54 राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक औषधीय उद्यान स्थापित करने का निर्णय लिया जिससे परम्परागत् भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में जागरूकता हो और किसानों में औषधीय पौधों के कृषिकरण को बढ़ावा देकर कृषि का विस्तारीकरण किया जा सके।

4.55 लोगों को प्रकृति के करीब लाने के उद्देश्य से, कलेसर के वनों, मोरनी की पहाड़ियों एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में एक ईको–टूरिज्म परियोजना आरम्भ की गई है। परियोजना के पहले चरण में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6.48 करोड़ रूपये मूलभूत ढांचे के विकास जैसे लॉग हट, टेन्ट की रिहायश, नेचर ट्रेल इत्यादि के लिये स्वीकृत किये गये है।

4.56 वन्य जीव जंतुओं के विकास को ध्यान में रखते हुये बीड़ शिकारगाह पिंजौर में गिद्धों को विलुप्ति से बचाने के लिये एक गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र काफी संख्या में गिद्धों को रखने में सफल रहा है तथा प्रजनन कार्यक्रम के तहत् दो बच्चों का जन्म हुआ है। वन विभाग हरियाणा एवं बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संरक्षण एवं प्रजनन में 2019 तक सहयोग के लिये एक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं ।

4.57 यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुर्नस्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुर्नस्थापित करने का कार्य किया

जायेगा जिससे इन्हे प्राकृतिक आवास दिया जा सके। भारत सरकार ने परियोजना के लिये 90 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। भिवानी के लघु चिड़ियाघर का पुर्नउत्थान किया गया है जो वन्य जीव संरक्षण एवं शिक्षा के लिये समर्पित है। रोहतक चिड़ियाघर का भी वर्तमान 16 एकड़ से 44 एकड़ क्षेत्र तक विस्तार किया जा रहा है। चिड़ियाघर का नवीणीकरण किया जा रहा है तथा जानवरों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिये नये पिंजरे बनाये जा रहे है।

4.58 लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जंतु तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिये मैनेजमैंट इनफार्मेशन सिस्टम तथा जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम जैसे विज्ञानिक योजना एवं प्रबन्धन के महत्वपूर्ण टूल का विकास किया जा रहा है। राज्य में वन क्षेत्रों की सीमाओं, आग से प्रभावित क्षेत्रों एवं पोधारोपण क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिए ग्लोबल पाजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वनों एवं वृक्षों के अधीन क्षेत्रों में परिवर्तन की मानिटरिंग के लिए उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग प्रस्तावित है। सभी आवश्यक डाटाबेस बनाया जाएगा तथा नियमित रूप इसका रखरखाव भी किया जाएगा। विभाग के सभी कर्मचारियों में इन साफटवेयरों एवं तकनीकों के प्रयोग का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।

पशुपालन एवं डेयरी

4.59 कृषि के उपरान्त पशुपालन ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। विभाग ने दुधारू पशुओं की नस्ल व अनुवांशिक सुधार तथा रोग मुक्त रखने के कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए है। इस समय राज्य में 90.50 लाख पशुधन जिसमें 15.52 लाख गाय और 59.53 लाख भैंस है जिनकी देखभाल करने के लिए 2,790 पशु संस्थाएं कार्यरत है। राज्य में औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु संस्था है। इसके अतिरिक्त समान संख्या के गांव में पशुपालन सुविधाऐं प्रदान करने हेतू 145 सघन पशुधन विकास केन्द्र सार्वजनिक निजी साझेदारी के अन्तर्गत स्थापित किये गये है। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग को 19वीं पशुगणना का कार्य सौंपा गया है।

4.60 राज्य में वर्ष 2010–11 के दौरान 62.67 लाख टन दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2010–11 में हरियाणा राज्य 680 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के साथ देश में दूसरे उच्चतम स्थान पर है। राज्य में 2010–11 के दौरान अण्डों का उत्पादन 39,644 लाख तथा ऊन का उत्पादन 12.87 टन था।

4.61 मुर्राह भैसों तथा हरियाणा व साहीवाल गायों की नस्ल में अनुवांशिक सुधार लाने के साथ–2 इनको संरक्षित करके इनकी संख्या में बढोतरी लाई जायेगी। इस कार्यक्रम के अधीन उच्च–कोटि के पशुओं को चुना जायेगा ताकि उन चुनित भैसो से भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम के लिये एक 'जीन पूल' बनाया जा सके। इसके साथ–2 पशुओं की उत्पादन क्षमता को कम से कम समय में अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिये नवीनतम तकनीक लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है। अधिकतम दुग्ध देने वाले पशुओं के मालिको को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिदिन दुध उत्पादन के आधार पर 5,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक की राशि नकद प्रदान की जाती है। नियमित प्रजनन द्वारा प्रति पशु अधिकतम उत्पादकता बढाने के लिये वर्ष 2010–11 से एक अनुठा कार्यक्रम 'बांझ मुक्त पशुधन' चलाया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत ग्रामीण युवक प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरान्त किसानों के घर द्वार पर कृत्रिम गर्भादान सेवायें प्रदान करेगें। इसके अतिरिक्त जनन शक्ति प्रबन्धन शिविर आयोजित करने व सन्तुलित आहार तथा समय पर गर्भादान जैसी आधुनिक तकनीक के प्रयोग बारे जागरूकता लाने में सहायता करने का कार्य करेगे। राज्य के पशुधन को मुँहखुर रोग, पशु प्लेग रोग नियन्त्रण तथा ब्रुशोलेसिस इत्यादि से मुक्त रखने के लिए एक सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

4.62 उच्च–कोटि की पशु स्वास्थय सुविधायें उपलब्ध करवाने के उददेश्य से जिला स्तर के पशु अस्पतालों का स्तर वृ,द्वि करके पशु विशेषज्ञ स्तर के अस्पताल (पोलिक्लीनिक) बनाने का कार्यक्रम चरणबद्व ढ़ंग से किया जाना है। इस वर्ष के दौरान भिवानी, सोनीपत तथा सिरसा में 3 पोलिक्लीनिक तथा पचंकूला में एक पालतू पशु चिकित्सा केन्द्र एवं प्रशिक्षण अस्पताल स्थापित किया जा चुका है तथा रोहतक का पोलिक्लीनिक पूर्ण होने वाला है। इसके अतिरिक्त 80 नई पशु संस्थायें खोलने/स्तर वृद्वि तथा रिवाड़ी व गुडगांव में 2 नये पालीक्लीनिक खोलने का प्रावधान किया गया है।

4.63 बेरोजगार युवको/युवतियों को डेयरी के माध्यम से स्वरोजगार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उददेश्य से वर्ष 2010–11 में 1,437 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक 988 डेयरी इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

4.64 15 जिलों में एक पशु बीमा योजना स्कीम लागू की गई है जिसके अधीन प्रीमियम का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत दिसम्बर, 2011 तक 2.27 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

4.65 राज्य में अनुसूचित जाति विशेष योजना के अन्तर्गत 2 दुधारू पशुओं की डेयरी, सूकर पालन व भेड़ पालन इकाईयां स्थापित करने के लिए यह योजना वर्ष 2011–12 में चालू है। इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के 710 परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएंगे इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा रखे गये सभी पशुओं को निःशुल्क बीमा भी किया जाता है।

मत्स्य पालन

4.66 हरियाणा राज्य में हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद मछली पालन की अच्छी सम्भावनाएं हैं। राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। राज्य में मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य पालन को कृषि के साथ–साथ सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पंचकूला, मेवात व पलवल को छोडकर राज्य के सभी जिलों मे मछली पालने वाले किसानों को मछली पालन हेतू मत्स्य किसान विकास एजैंसियों के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। राज्य में मछली उत्पादन वर्ष 2009–10 में 88,130 टन से बढकर वर्ष 2010–11 में 93,950 टन हो गया है। 31 दिसम्बर, 2011 तक 83,296.51 टन का मछली उत्पादन तथा 4,592.61 लाख मछली बीज संचित किया गया है। मत्स्य उत्पादन के मण्डीकरण की आधारभूत संरचना के सुदृढींकरण हेतू 84 लाख रूपये की लागत से बहादुरगढ तथा गुडगांव में नई मत्स्य मण्डियों की स्थापना प्रस्तावित है। बहादुरगढ मत्स्य मण्डीं का कार्य प्रगति पर है। स्थापित डॉयग्नैस्टिक प्रयोगशाला तथा फार्मो पर स्थापित एक्वाटिक पॉली क्लिनिक का भी सुदृढींकरण किया गया है। हरियाणा वर्ष 2010–11 के दौरान मत्स्य उत्पादकता मे 5,500 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से भारत वर्ष मे द्वितीय स्थान पर रहा, जिसे बढाकर वर्ष 2011–12 मे 5,600 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर किया जायेगा ।

***

5

उद्योग क्षेत्र

औद्योगिकरण एक अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य और अहम भूमिका निभाता है। राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का अंश बढ़ने से यह उत्पादन और रोजगार में बढ़ोतरी के द्वारा आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का संकलन करने के लिए किए गए वर्गीकरण अनुसार उद्योग क्षेत्र मुख्यतः खनन, विनिर्माण, उर्जा, गैस एवं जलापूर्ति तथा निर्माण उपक्षेत्रों से बना है। अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा उद्योग क्षेत्र में वृद्धि को जाचनें के लिए वार्षिक आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान चालू और स्थिर (2004–05) कीमतों पर तैयार करता है। उद्योग क्षेत्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद में दूसरा सबसे बड़ा अंश प्रदाता है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के अंश में वर्ष 2005–06 से पहले तक लगातार वृद्धि हुई है परन्तु इसके पश्चात इस क्षेत्र का अंश वर्ष 2005–06 में 32.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011–12 में 29.1 प्रतिशत हो गया है। इन वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्र का अंश उद्योग क्षेत्र की तुलना में अधिक दर से बढ़ा है जिसके परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ गया है तथा उद्योग क्षेत्र का अंश घट गया है। यह सच है कि राज्य अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र विकास का केन्द्र बन गया है परन्तु उद्योग क्षेत्र की अच्छी वृद्धि दर भी राज्य अर्थव्यवस्था को सन्तुलित और उच्च विकास दर पर सतत आधार पर रखने के लिए अत्यावश्यक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं उद्योग क्षेत्र के अंश को **आकृति 5.1** में दिखाया गया है।

उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

5.2 उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण दीर्धकालिक आधार पर इस क्षेत्र में हुई वृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थ एंव सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा उद्योग क्षेत्र में हुई वृद्धि का विकास को आंकलन करने के लिए सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण का अंश जिसमें विनिर्माण, निर्माण और बिजली गैस व जलपूर्ति आते हैं 2004–05 में 55.4 प्रतिशत था जोकि लगातार बढ़कर 2009–10 में 59.3 प्रतिशत हो गया, जिसमें 2007–08 में थोड़ी सी कमी हुई जैसाकि **आकृति 5.2** में दर्शाया गया है।

औद्योगिक वृद्धि

5.3 एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, विनिर्माण, बिजली तथा खनन व उत्खनन क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष 1999–2000 वार्षिक आधार अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है। सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2009–10 में 223.7 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 241.4 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। **आकृति 5.3** में दिया गया है जोकि राज्य में औद्योगिक उत्पादन की वर्ष 2004–05 से आगे की वृद्धि दर्शाता है।

आकृति 5.1– राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का अंश

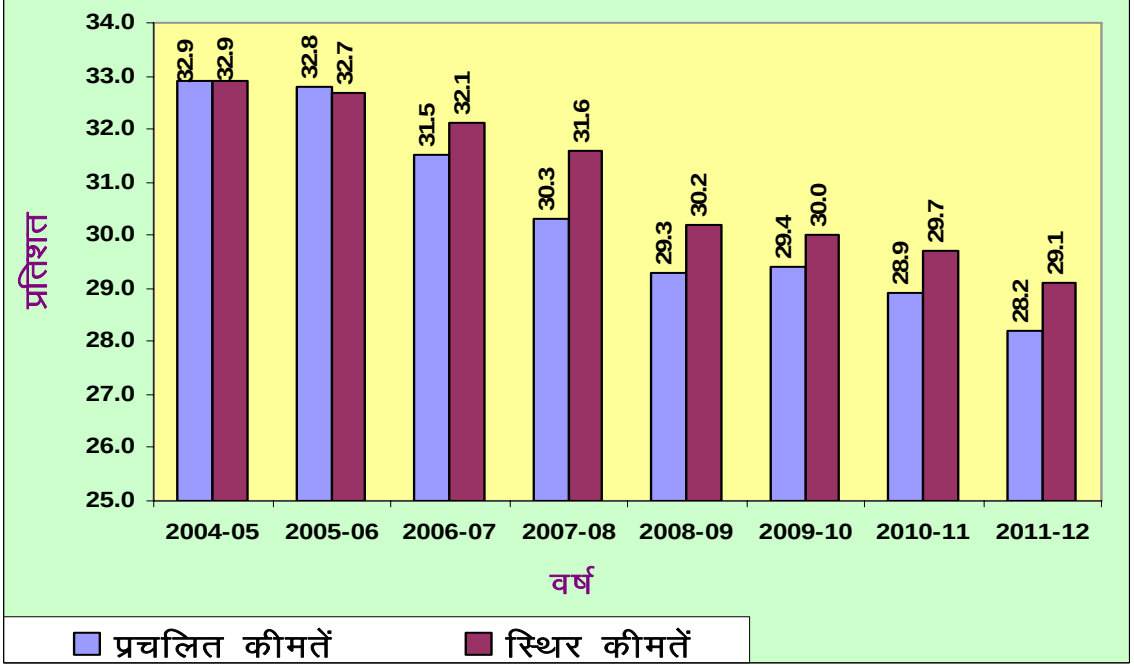

आकृति 5.2– हरियाणा में उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

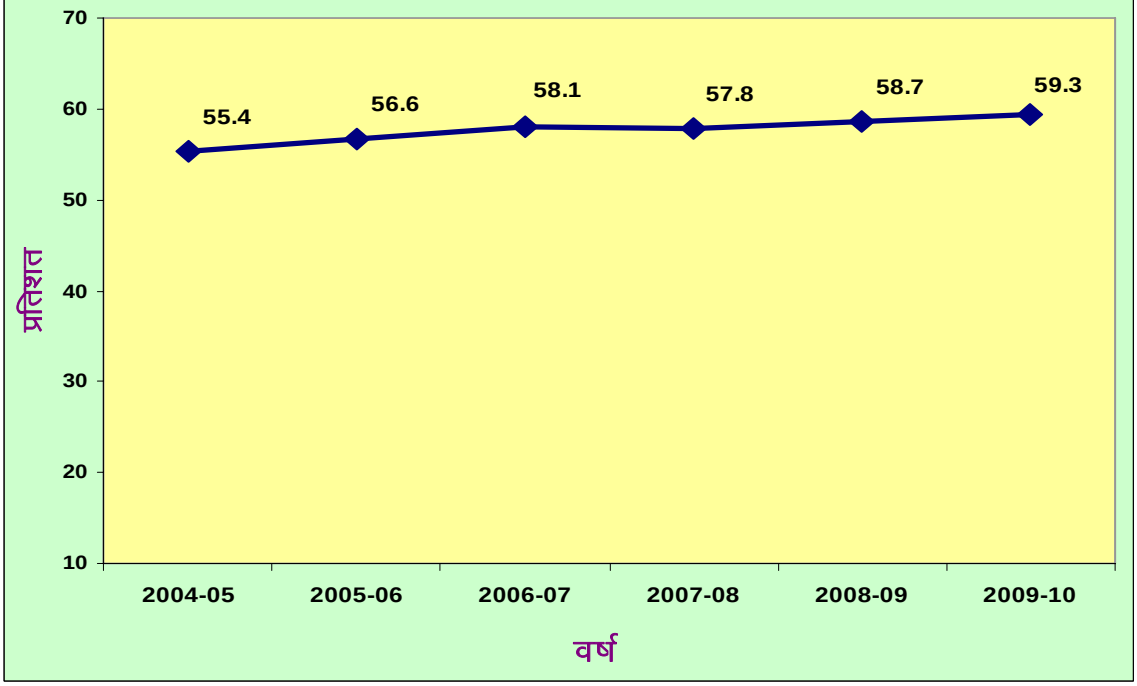

आकृति 5.3 – राज्य का सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्ष 1999–2000=100)

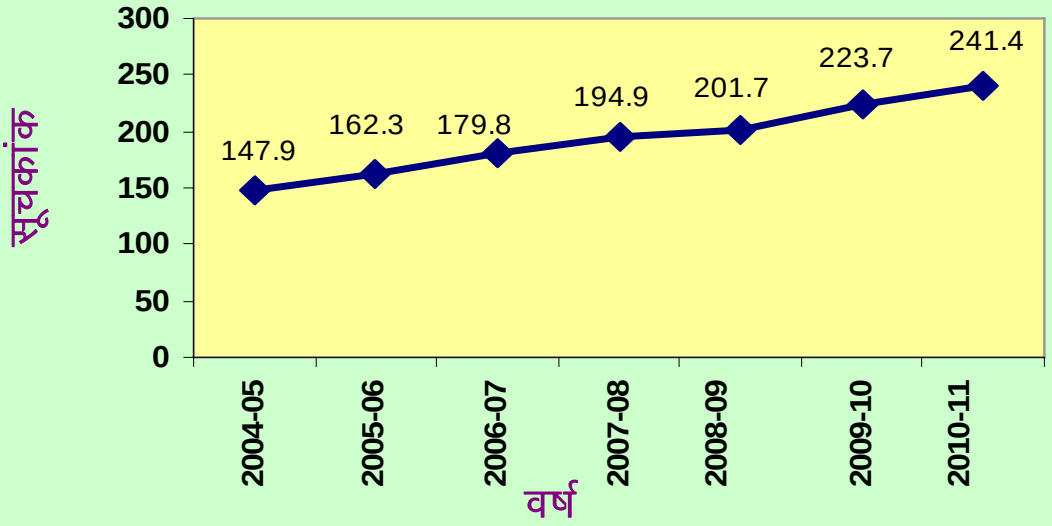

आकृति 5.4 – राज्य का क्षेत्रवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्ष 1999–2000=100)

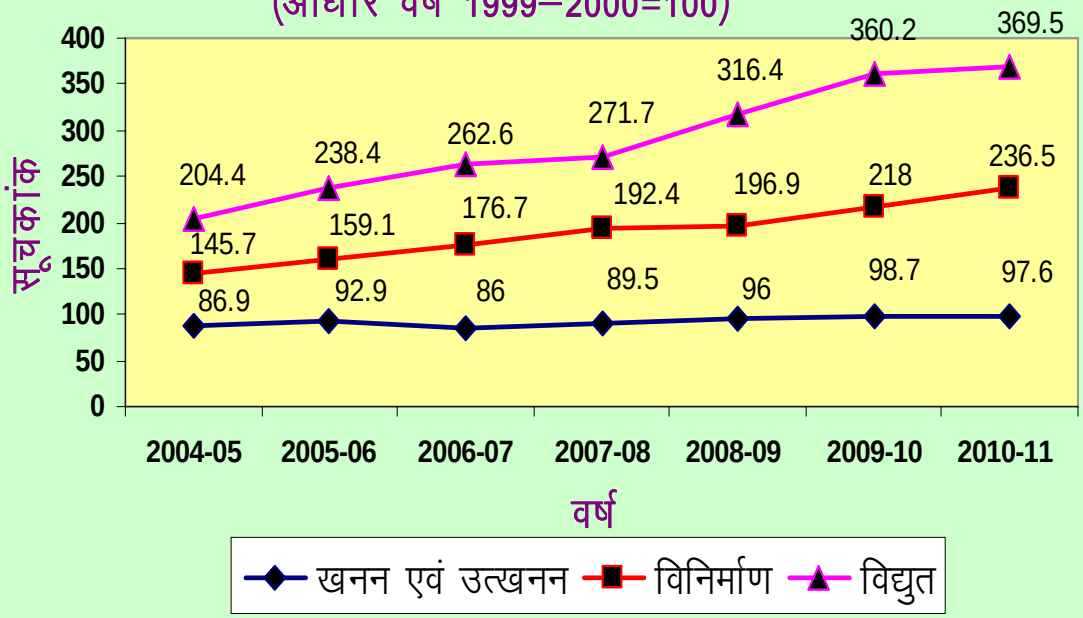

5.4 विनिर्माण क्षेत्र जिसका कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अधिकतम भार है, का सूचकांक वर्ष 2009–10 के 218.0 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 236.5 हो गया जो 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि यह वर्ष 2009–10 के 360.2 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 369.5 हो गया। इसी प्रकार खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2009–10 के 98.7 से घटकर वर्ष 2010–11 में 97.6 हो गया जोकि 1.1 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। सूचकांकों का वर्गवार विवरण **आकृति 5.4** और अनुलग्नक 5.1 तथा 5.2 में दर्शाया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मुख्य क्षेत्रों तथा उपयोग आधारित घटकों की वर्ष 2004–05 से वर्ष 2010–11 तक की वृद्धि तालिका 5.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.1– औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं इसके मुख्य संघटकों में हुई वृद्धि

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

अवधि	खनन एंव उत्खनन	विनिर्माण	विद्युत	आधारभूत पदार्थ	पूंजीगत पदार्थ	मध्यवर्ती पदार्थ	उपभोक्ता पदार्थ	सामान्य
2007-08	4.1	8.9	3.5	6.3	11.7	8.2	7.6	8.4
2008-09	7.3	2.3	16.5	8.1	3.8	6.1	0	3.5
2009-10	2.8	10.7	13.8	8.6	16.1	25.2	0.6	10.9
2010-11	-1.1	8.5	2.6	4.1	15.8	4.5	7.0	7.9

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

5.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उपयोग आधारित श्रेणी **आकृति 5.5** में दी गई है। आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसे खाद, कीटनाशक, पैस्टीसाईड, लौह, इस्पात तथा जंग रोधक इस्पात की विभिन्न आईटमें, खनन एंव उत्खनन तथा विद्युत इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2009–10 में 195.6 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 203.7 हो गया, जिसमें 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.6 पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे ट्रैक्टर, मोटर कारें, क्रेनें, कम्प्रैसर, डम्प लोडर, रैफ्रीजिरेटर, ए.सी. मोटरें तथा इन्सुलेटड केबल आदि का सूचकाक वर्ष 2009–10 में 201.7 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 233.6 हो गया जिसमें 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5.7 मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे धागे, डाई एंव कलर, शीशे की बोतलें, फाईबर गलास की शीटे/बोर्ड, गैस सिलैण्डरों, मोटर गाड़ियों के पूर्जे एंव सहायक यंत्रों तथा मोटर साईकलों, स्कूटरों तथा तिपहिया वाहनों के पूर्जे एंव सहायक यत्रों इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2009–10 में 274.9 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 287.1 हो गया, जोकि 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5.8 उपभोक्ता पदार्थो के उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2009–10 में 224.9 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 240.5 हो गया जिसमें 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ उद्योग जैसे टायर/टयूब, रेडियो टैलीफोन प्रणाली, मोटर साईकिलों, साईकिलों तथा सभी प्रकार के बर्तनों इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2009–10 में 319.2 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 345.9 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता गैर–टिकाऊ पदार्थो जैसे दूध एवं मिल्क पाउडर, देशी घी, चावल, चीनी, खाद्य तेल, चमड़े के जूते, रेडीमेड कपड़े तथा कागज इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2009–10 में 175.7 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 185.6 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.9 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000) में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का भार अधिकतम है जोकि 924.94 (1000 में से) है। इनमें से जिन औद्योगिक वर्गों का भार 284.56 (30.8 प्रतिशत) है जिनमें रबड तथा प्लास्टिक उत्पाद, फैबरिकेटिड धातु उत्पाद, कम्प्यूटिंग मशीनरी, चिकित्सा, सूक्ष्म एवं चश्मों से सम्बन्धित यंत्र तथा मोटर गाडियों का उत्पादन इत्यादि शामिल है, उनमें वर्ष 2009–10 पर वर्ष 2010–11 में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर दर्ज हुई है। जिन औद्योगिक वर्गों को 249.76 (27.0 प्रतिशत) भार दिया गया है जिनमें तम्बाकू उत्पाद, रसायन, मशनीरी तथा उपकरण एवं अन्य परिवहन उपकरणों का उत्पादन सम्मिलित है,उनमें 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 338.99 (36.6 प्रतिशत) भार वाले औद्योगिक वर्गों में जिनमें खाद्यान्न पदार्थ एवं पेय पदार्थ, वस्त्र, पहनने के कपडे, ड्रैसिंग व फर की डाईंग, चमडे की टेनिंग व

ड्रैसिंग व चरम उत्पाद, लकडी व लकडी के उत्पाद तथा कार्क, अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद, आधारभूत धातुएं तथा रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र निर्माण सम्मिलित है, में 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर्ज हुई है। मात्र 51.63 (5.6 प्रतिशत) भार रखने वाले वर्गों में जिनमें कागज एवं कागज उत्पाद, रिकार्डिग मीडिया का पुर्नउत्पाद, प्रकाशन तथा मुद्रण, कोक, शुद्व पैट्रोलियम उत्पाद व न्यूक्लीयर ईंधन, विद्युत मशीनरी व साधित्र एवं फर्नीचर निर्माण सम्मिलित है, में 2009–10 के मुकाबले 2010–11 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन घटकों की वृद्वि को अनुलग्नक 5.3 में दिखाया गया है।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

5.10 हरियाणा राज्य का निवेश करने हेतू एक अग्रणी स्थान बना हुआ है। हरियाणा राज्य में योजनाओं में निवेश करने की दर देश में सबसे उंची है। राष्ट्रीय एंव अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की मार्किट में अनिश्चितता एंव बदलाव का वातावरण होने के बावजूद वर्ष, 2005 से 59,000 करोड़ रूपये का निवेश कार्यान्वित हो गया है एंव 96,000 करोड़ रूपये का निवेश होने की प्रकिया जारी है। राज्य में अब तक 13,128 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हुआ है जिसमें से 9,629 करोड़ रूपये का निवेश वर्ष, 2005 की औद्योगिक नीति लागू करने के बाद हुआ है। राज्य में वर्ष 2011–12 में 200 करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हुआ है।

औद्योगिक निर्यात

5.11 राज्य का कुल निर्यात वर्ष 2009–10 के 43,679 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 48,530 करोड़ रूपये हो गया है। राज्य सरकार ने निर्यातक इकाइयों को 49 करोड़ रूपये की माल भाड़ा अनुदान राशि प्रदान की है। यह एक हर्ष का विषय है कि केवल कुछ अपील केसों को छोड़ कर पुरानी विभिन्न अनुदान की योजनाओं के अर्न्तगत लम्बित केसों की बकाया अनुदान राशि का वितरण कर दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

5.12 औद्योगिक एंव निवेश नीति, 2011 को लागु करने और उत्पादन में लगी हुई सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रमों की उन्नति पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य ने उद्योगों के साथ साझेदारी में उद्योगों के सामूहिक विकास हेतु सुदृढ़ कदम उठाए है और सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्योगों को सेवा प्रदान करने हेतू कामन फैसिल्टी सैंटर स्थापित करने का कार्य किया है। इन औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने एंव प्रतिस्पर्द्वा का सामना करने में एक संस्थागत सहायता देने की व्यवस्था स्थापित होगी और सूक्ष्म लधु एंव मध्यम उपक्रमों की रिसर्च एंव डिवैलपमैंट, तकनीकी विकास, उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारण, गुणवत्ता का परिक्षण और उत्पादों के ब्रांड को प्रोत्साहित करने हेतू मार्किटिंग में सहायता करने की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ऐसे कुल 15 औद्योगिक समूह की पहचान की गई है जिनमें से 8 की डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को जांच हेतू प्रस्तुत कर दी गई है। बहादुरगढ़, पानीपत, कुड़ली एंव करनाल में ऐसे चार समूहों के विकास हेतू उद्योगों को सम्मिलित करने की प्रकिया भी शुरू हो गई है ।

5.13 वर्ष 1997 से विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों की परिभाषा में परिवर्तन आते रहे हैं और सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम विकास एक्ट, 2006 के लागू होने से स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। पहले के विपरीत जबकि प्रत्येक लधु उद्योग इकाई को रजिस्टर होना आवश्यक था, अब औद्योगिक इकाइयों को उद्योग विभाग के साथ रजिस्टर्ड होने की बाध्यता नहीं है। इसके फलस्वरूप उद्योग से सम्बन्धित आकड़े संग्रह करने में कमी आ गई। उद्योगों के विकास हेतू पोलिसी बनाने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता को जान

आकृति 5.5– राज्य के उपयोग आधारित प्रत्येक श्रेणी के उद्योग का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
(आधार वर्ष 1999–2000=100)

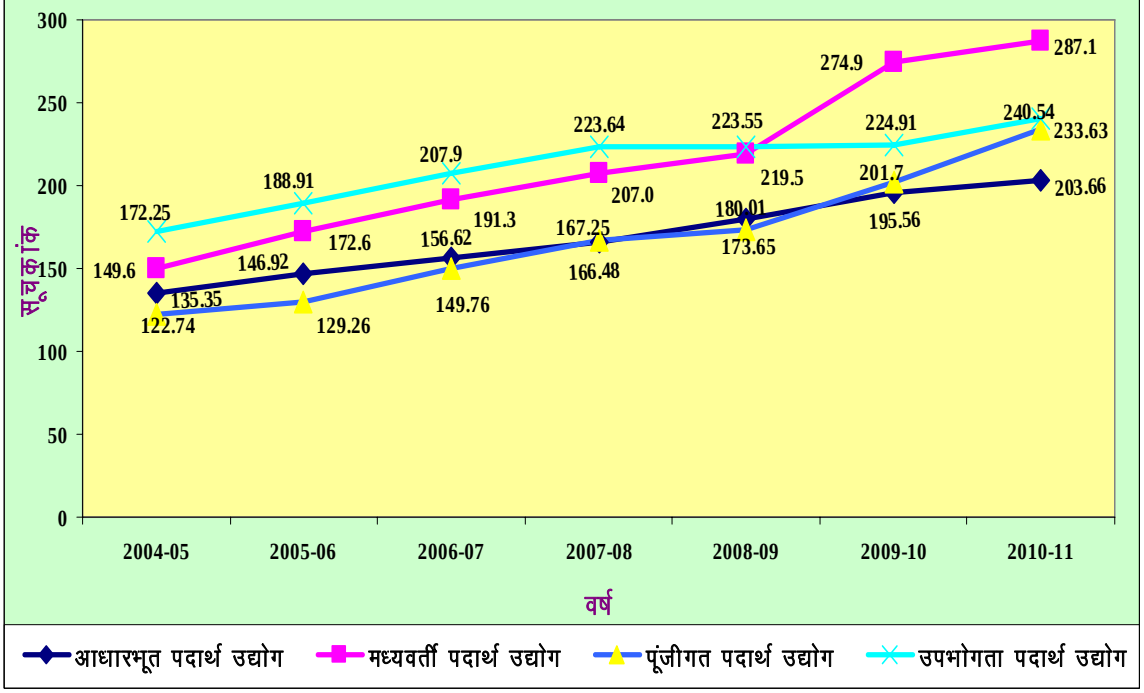

कर विभाग ने राज्य में कार्यरत सभी औद्योगिक इकाइयों का शतप्रतिशत सर्वेक्षण करने हेतू एक स्वाधीन संस्था को नियुक्त किया है। यह कार्य अक्तुबर, 2012 तक पूर्ण करने की योजना है, जिससे विभाग को समस्त इकाइयों के सम्पूर्ण आकड़े प्राप्त हो जाएगें। इससे आज की शीघ्रता से बदलती आर्थिक व्यवस्था में पोलिसी बनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन प्राप्त होगा।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक बस्तियां

5.14 औद्योगिक एंव निवेश नीति, 2011 के लागू होने और प्राइवेट स्तर पर औद्योगिक सम्पदा के विकास एंव निर्माण को प्रोत्साहन देने के फलस्परूप प्राईवेट क्षेत्र में औद्योगिक कालोनी विकसित करने हेतू 3 लाइसैंस प्रदान किए गए हैं। औद्योगिक सम्पदा के विकास हेतू उत्तरदायी राज्य की एक मात्र एजैन्सी राज्य औद्योगिक एंव सम्पदा विकास निगम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी शुरूआत है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एंव सम्पदा विकास निगम ने दूसरे स्थानों पर कार्य जारी रखने के अतिरिक्त आई.एम.टी. रोहतक, बरही, बहादुरगढ़ और पानीपत में औद्योगिक सम्पदा विकास का कार्य प्रदान कर दिया है। निगम ने वर्ष 2011–12 में (जनवरी, 2012 तक) भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य पर 923 करोड़ रूपये खर्च किए है। आगे और भी लैंड बैंक बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त निगम ने श्रमिकों के निवास स्थान, फलैटीड़ फैकट्रीज और स्किल्ड डवलपमैंट की योजनाओं को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू की दी है।

प्रदुषण प्रशोधन

5.15 सरकार द्वारा कुशल जल व्यवस्था लागू करने के प्रयासों के अर्न्तगत एक संशोधित माडल के अनुसार परिष्कृत पानी को डबल पाइप लाईन द्वारा ले जाने और कुशल ट्रीटमैंट के लिए कोमन एफल्यून्ट ट्रीटमैंट पलांट स्थापित करके औद्योगिक सम्पदाओं में प्रदूषित निकास के ट्रीटमैंट ओर परिकृष्त पानी को रिसाइकल करने पर विशेष ध्यान दिया है।

एक्सप्रैस वे/कोरिडोर

5.16 सम्पूर्ण विकास को नई उचाइयों पर ले जाने के लिए समस्त वांछित सम्पदा उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। हरियाणा राज्य लघु उद्योग एंव सम्पदा विकास निगम राज्य में के.एम.पी.एक्सप्रैस वे और दिल्ली मुंबई कारीडोर परियोजनाओं को लागू कर रही है। विश्वास है कि के.एम.पी. एक्सप्रेस वे का मानेसर पलवल क्षेत्र वर्ष के मध्य तक पूर्ण होकर शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली मुबई इन्डस्ट्रीयल कारीडोर परियोजना के अन्तर्गत 3 शुरूआत की परियोजनाओं को लागू करने का बहुत कार्य कर लिया गया है ।

कृषि उद्योग

5.17 हरियाणा कृषि उद्योग निगम सीमित एच.ए.आई.सी. किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर, स्प्रे पैम्प तथा अन्य कृषि मशीनरी आदि उचित मूल्य पर प्रदान करती है। निगम के पास जीन्द में पशु आहार बनाने और शाहाबाद में कीटनाशक दवाएं तैयार करने हेतू दो संयत्र भी लगाए गए है। निगम के पास नीलोखेडी में कृषि यन्त्रों के निर्माण के लिए एक कार्यशाला है। निगम ने गेंहू, धान और बाजरा की खरीद की है।

खादी व ग्रामोद्योग

5.18 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्व सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) की उदघोषणा की। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के अर्न्तगत खादी एवं ग्रामोद्योगों की सक्ष्म परियोजनाओं के लिए एकमुश्त मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) प्रदान की जाती है। बोर्ड का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं का समन्वित रूप है। इस योजना में अधिकतम 25 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य वर्ग हेतू प्रदान किया जाता है। जहां तक कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अपंग/भूतपूर्व सैनिक तथा अल्प संख्यक समुदाय के लाभग्रहियों इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें अधिकतम 25 लाख की परियोजना के लिए 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) देने का प्रावधान है।

5.19 बोर्ड के अधीन इकाईयों द्वारा वर्ष 2011–12 में (30–9–2011) तक 10,846.93 लाख रूपये का उत्पादन तथा 19,789.69 लाख रूपये की बिक्री से 23,463 व्यक्तियों को पूर्ण समय तथा 29,873 व्यक्तियों को आंशिक समय के लिए रोजगार दिया गया है, जिन्होंने 3,264.89 लाख रूपये मजदूरी के रूप में अर्जित किये। वर्ष 2011–12 में बोर्ड द्वारा 270 परियोजनाओं/केसो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन परियोजनाओं/केसों के लिए 378.37 लाख रूपये मार्जिन मनी अनुदान रखी गई है। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व दिनांक 31–12–2011 तक 165 प्रोजैक्ट/केस जिनमें 377.92 लाख रूपये मार्जिन मनी अनुदान निहित है, बैकों के माध्यम से वितरित की जा चुकी है।

औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास

5.20 हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एच.एस.आई.डी.सी.) राज्य सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी संस्था है जोकि एक संस्थागत उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका के साथ ही औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए राज्य में मुख्य रूप से मध्यम और बडे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण स्थानों पर नई औद्योगिक सम्पदाओं का विकास करके उद्यमियों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करती है।

5.21 निगम ने 31.12.2011 तक 1,916.41 करोड रूपये के सावधि ऋण की मंजूरी दी है और 1,029.07 करोड. रूपये वितरित किए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान, एचएसआईडीसी ने 110 करोड. रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 55.65 करोड. रूपये तक की सीमा तक ऋण की मंजूरी दी है और 45 करोड. रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 10.84 करोड. रूपये वितरित किए हैं।

5.22 निगम ने 31.12.2011 तक मूलधन और ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में 51 करोड. रूपये और 18 करोड रूपये के लक्ष्य के मुकाबले क्रमशः 25.23 करोड. रूपये और 11.92 करोड. रूपये की प्राप्तियां वसूल करने में सफल रहा है।

खान एवं भूविज्ञान

5.23 हरियाणा राज्य किसी बडे खनिज के महत्वपूर्ण भण्डारों के लिये नही जाना जाता तथा इसकी ज्यादातर खनन गतिविधियां लघु खनिजों जैसा की पत्थर, रोडी, बजरी, रेत इत्यादि तक ही सीमित है जो कि मुख्य तौर पर निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

खनिज गवेषण

5.24 खनिजों का गवेषण सम्बन्धित कार्य तीन विभिन्न ऐजैन्सियों अर्थात स्वयं विभाग द्वारा, राज्य द्वारा सुझाये गये स्थानों पर केन्द्रीय भूवैज्ञानिक योजना के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा और केन्द्रीय अधिनियम 1957 की शर्तों के अन्तर्गत निजि एजैन्सिओं को प्रोस्पैक्टिंग करने का लाईसैंस प्रदान कर के किया जाता है।

5.25 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा जिला भिवानी और हिसार की सीमा पर स्थित गांवों में जिप्सम जो कि एक बडा खनिज है कि उपलब्धि पाईं गई। यद्यपि खनिज भण्डार बहुत अधिक मात्रा में नही है किन्तु इससे राज्य के दूसरे हिस्सों में खनिज के पाये जाने की सम्भावना बढ गयी है। इसलिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ विस्तृत गवेषण करने के लिये मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही महेन्द्रगढ जिले में तांबा और सम्बन्धित धातु खनिजों के गवेषण का मुद्दा भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ उठाया गया।

लघु खनिज

5.26 राज्य में खनन कार्य मुख्य तौर पर पत्थर, रोडी, बजरी, रेत तथा स्लेट स्टोन इत्यादि लघु खनिजों के खनन तक ही सीमित है जो कि निर्माण सामग्री के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। पंजाब लघु खनिज अनुदान नियम, 1964, जो कि समय–समय संशोधित किये गये है की शर्तों के अनुसार खनन ठेके तथा खनन पट्टे प्रदान करने का नियमन किया जाता है। खनन पट्टे/खनन ठेके/परिमिट खुली नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था द्वारा प्रदान किये जाते हैं ।

5.27 जिला पानीपत व सोनीपत की रेत की खानों तथा जिला महेन्द्रगढ की तीन छोटी पहाडियों के अतिरिक्त राज्य में 1.3.2010 से विभिन्न कानूनी उलझनों तथा आवश्यक पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी मुद्दों के कारण सारा खनन कार्य बन्द है। हरियाणा खनन मामलें माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिये विचाराधीन है तथा इसकी शीघ्र सुनवाई होने की सम्भावना है।

खनन से राजस्व

5.28 खान एवं भूविज्ञान राजस्व प्रदान करने वाला विभाग है। वित्त वर्ष 2009–10 में खनिजों से अब तक का सबसे अधिक 248.66 करोड रूपये का राजस्व खनन ठेके प्रदान करने से प्राप्त हुआ। हांलाकि वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य के बडे भू–भाग मे खनन कार्य बन्द होने के कारण दिसम्बर, 2011 तक 67.40 करोड रूपये का ही राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य में वर्ष 2001–02 से खनिजों से इक्ठ्ठे किये गये राजस्व का विवरण तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2–खनन/खनिजों से राजस्व प्राप्ति (2001–02 से 2011–12)

क्रम संख्या	वर्ष	(करोड रूपये में)
1.	2001–02	139.87
2.	2002–03	120.20
3.	2003–04	77.67
4.	2004–05	92.04
5.	2005–06	153.34
6.	2006–07	136.26
7.	2007–08	215.70
8.	2008–09	195.42
9.	2009–10	248.66
10.	2010–11	56.10
11.	2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक)	67.40

आबकारी एवं कराधान

5.29 विश्व अर्थव्यवस्था मे सामान्यतः मंदी का दौर है तथा लगभग सभी देश इस आर्थिक समस्या से जूझ रहे है जिससे कर संग्रह पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। निर्यातक एवं अधिशेष राज्य होने के कारण हरियाणा पर इस व्यवस्था का कुप्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नए कदम उठाए गए है।

- राज्य सरकार ने मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल जो आम जनता द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है को राहत प्रदान करते हुए वैट से कर मुक्त कर दिया है।
- जिन वस्तुओं पर लागु कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक है जब पुलिस कैन्टीनों को बेचा जाए जो आगे सेवारत केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिकों और उनके भूतपूर्व सैनिक को बेचने पर 5 प्रतिशत वैट की रियायती दर की सुविधा प्रदान की है।
- विद्यार्थियों के बस पासों पर किराये को 20–1–2011 से यात्री कर से मुक्त कर दिया गया है।

5.30 राज्य में चालू वर्ष 2011–12 में, पिछले वर्ष की उसी समय अवधि के मुकाबले, राजस्व प्राप्ति की स्थिति तालिका 5.3 में दिखाई गई है। वर्ष 2011–12 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 17,147.95 करोड रूपये रखा गया है जिसके विरूद्व नवम्बर, 2011 तक 11,676.71 करोड रूपये की प्राप्ति हुई है जो कि पिछले वर्ष के इसी समय अवधि के मुकाबले 14.81 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011–12 के लिए आबकारी शीर्ष के तहत 2,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, जिसे संशोधिक करके 2,600 करोड रूपये कर दिया गया है, जिसके विरूद्व नवम्बर, 2011 तक 1,971.69 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है।

तालिका 5.3–हरियाणा में आबकारी तथा करों की वसूली

(करोड रूपये)

अधिनियम	प्राप्तियां 2010-11	2011–12 में लक्ष्य	प्राप्तियों पर लक्ष्यों में प्रतिशत वृद्वि	नवम्बर, 2010 तक वसूली	दिसम्बर, 2011 तक वसूली	पिछली अवधि पर प्रतिशत बढोतरी
वैट व सीएसटी	13248.92	14100.00	6.42	8199.95	9356.48	14.10
विलासिता	54.03	0.00	0.00	31.47	36.23	15.13
एलएडीटी	22.91	0.00	0.00	17.19	17.96	4.46
मनोरंजन कर	35.09	37.95	8.15	24.87	27.39	10.17
पीजीटी	364.23	410.00	12.56	241.26	266.96	10.65
कुल	**13725.17**	**14547.95**	**6.00**	**8514.74**	**9705.02**	**13.98**
आबकारी	2374.40	2600.00	9.50	1656.00	1971.69	19.06
कुल योग	**16099.57**	**17147.95**	**6.51**	**10170.74**	**11676.71**	**14.81**

***

6

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा स्थिर कीमतों पर वर्ष 1966–67 में 22.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 54.6 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी की कीमत पर हुई है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि ढांचे के करीब ले जाता है (विकसित अर्थव्यवथा में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रमुख व ज्यादा होती है, जबकि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रहती है)। पिछले ग्यारह वर्षो (1995–96 से 2006–07) की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में 11.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की उद्योग और कृषि क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान रहा है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षो 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के दौरान सेवा क्षेत्र में क्रमश 13.6, 11.6 तथा 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों की इसी समयावधि के दौरान दर्ज की गई कम और अस्थिर विकास दर क्रमशः 0.0, 7.3 तथा –1.3 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र की अस्थिर वृद्धि दर क्रमशः 6.6, 3.5 तथा 10.4 प्रतिशत की तुलना में शानदार थी ।

सेवा क्षेत्र का विकास

6.2 अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद अनुमान साधन लागत पर चालू एवं स्थिर कीमतों (2004–05) पर तैयार करता है। वर्ष 2009–10 में 16.1 प्रतिशत की बहुत ही उत्कृष्ट विकास दर हासिल करने के बावजूद सेवा क्षेत्र की विकास दर धीमी हुई जो वर्ष 2010–11 (द्रुत) तथा 2011–12 (अग्रिम) अनुमानों के आधार क्रमशः 11.4 तथा 10.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है परन्तु फिर भी वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि दर, कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर क्रमशः 6.1 तथा 5.1 प्रतिशत एवं उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 8.3 तथा 6.1 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक रहने का अनुमान है। पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद तथा सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर को **आकृति 6.1** द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

6.3 राज्य के सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्षो के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई 10.3, 10.0, 10.5, 9.3 तथा 9.4 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक थी। इस प्रकार राज्य के सेवा क्षेत्र ने भारत की तुलना में मौजुदा पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है **(आकृति 6.2)**।

6.4 वर्ष 2010–11 के दौरान चालू कीमतों पर द्रुत अनुमान के आधार पर सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 1,32,861.43 करोड़ रूपये अनुमानित किया है जिसके वर्ष 2011–12 में अग्रिम अनुमान के आधार पर बढ़कर 1,58,078.48 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। वर्ष 2010–11 के दौरान इस क्षेत्र में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 88,905.91 करोड़ रूपये दर्ज किया गया जो 11.4 प्रतिशत की विकास दर दर्शाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान (11.4 प्रतिशत) की उत्कृष्ट विकास दर वर्ष के दौरान व्यापार (15.1 प्रतिशत) बैकिंग और बीमा (11.7 प्रतिशत) और अन्य सेवाओं (11.8 प्रतिशत) क्षेत्रों में हुई शानदार वृद्धि दर के कारण सम्भव हुई। इस क्षेत्र में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आगे बढ़कर 97,964.53 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जो वर्ष 2011–12 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2010–11 में दर्ज की गई 11.4 प्रतिशत की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम है जो कि व्यापार क्षेत्र

में वर्ष 2010–11 में 15.1 प्रतिशत की तुलना में 2011–12 में 8.3 प्रतिशत तथा विनिर्माण क्षेत्र में 2010–11 में 8.6 प्रतिशत की तुलना में 2011–12 में 4.8 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर रहने के कारण हुई।

उप क्षेत्रों का प्रदर्शन

6.5 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र निम्नलिखित चार उप क्षेत्रों से बना हैः–

1. व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट
2. परिवहन, भंडारण एवं संचार
   - (i) रेलवे
   - (ii) अन्य तरीको से परिवहन
   - (iii) भंडारण
   - (iv) संचार
3. वित्त, बीमा, अचल संपत्ति और व्यापार सेवाएं
   - (i) बैंकिग एवं बीमा
   - (ii) अचल संपत्ति, आवास स्वामित्व, कानूनी और व्यापार सेवाएं
4. सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा
   - (i) सार्वजनिक प्रशासन
   - (ii) अन्य सेवाएं

6.6 सेवा क्षेत्र की इन चार श्रेणियों मे से व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट सबसे बड़ा समूह था जिसका राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान था। वित्त बीमा एवं रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा समूह था इसके बाद सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र एवं परिवहन, भंडारण और संचार सेवा क्षेत्र था। इन चारों क्षेत्रों की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार (2004–05) पर हिस्सेदारी को तालिका 6.1 में दिखाया गया है।

तालिका 6.1–सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी

उप क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10अ.	2010–11 द्रु.अ.	2011–12 अग्र.अ.
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	18.4	19.2	20.8	21.9	21.9
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	9.2	9.0	9.0	9.0	9.2
वित्त, बीमा, अचल सम्पत्ति एवं व्यापार सेवाएं	13.8	13.9	14.1	13.9	14.4
संचार, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.4	8.3	8.7	8.7	9.1

अ.: अनुमानित, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान, अ.: अग्रिम अनुमान

6.7 स्थिर कीमतों (2004–05) पर सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट की हिस्सेदारी वर्ष 2007–08 में 18.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 21.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त, बीमा एवं अचल संपत्ति समूह की हिस्सेदारी वर्ष 2007–08 में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 14.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र का योगदान भी 2007–08 में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 9.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

6.8 वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों के विकास की समीक्षा से पता चलता है कि व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र समूह में वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के दौरान दो अंकों में क्रमशः 16.3, 13.0 तथा 20.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है (तालिका 6.2)। वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान उप क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर कीमतों (2004–05) के आधार पर **आकृति 6.3** में दिखाया गया है। शेष तीन उप क्षेत्रों में भी तीन वर्षों के दौरान कुछ अपवादों को छोड़कर दो अंको की वृद्धि दर्ज की गई। चारों उप क्षेत्रों का प्रदर्शन वर्ष 2010–11 द्रुत अनुमान तथा 2011–12 अग्रिम अनुमान के आधार पर बाद के पैराग्राफ में समीक्षा की गई।

आकृति 6.1– 11वीं पंचवर्षीय योजना के दोरान राज्य में सेवा क्षेत्र तथा पूर्ण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

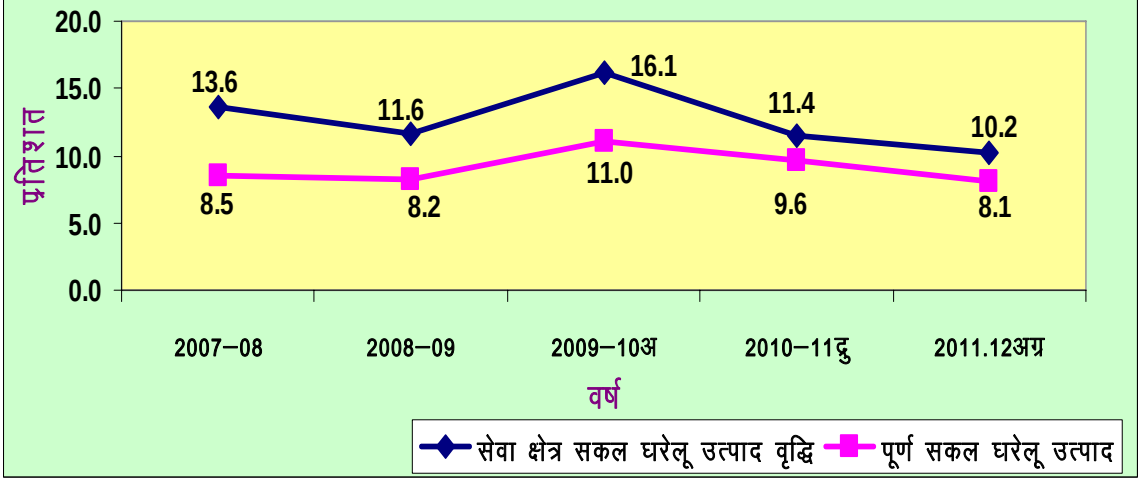

आकृति 6.2 – 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा तथा समस्त भारत की सेवा क्षेत्र की विकास दर

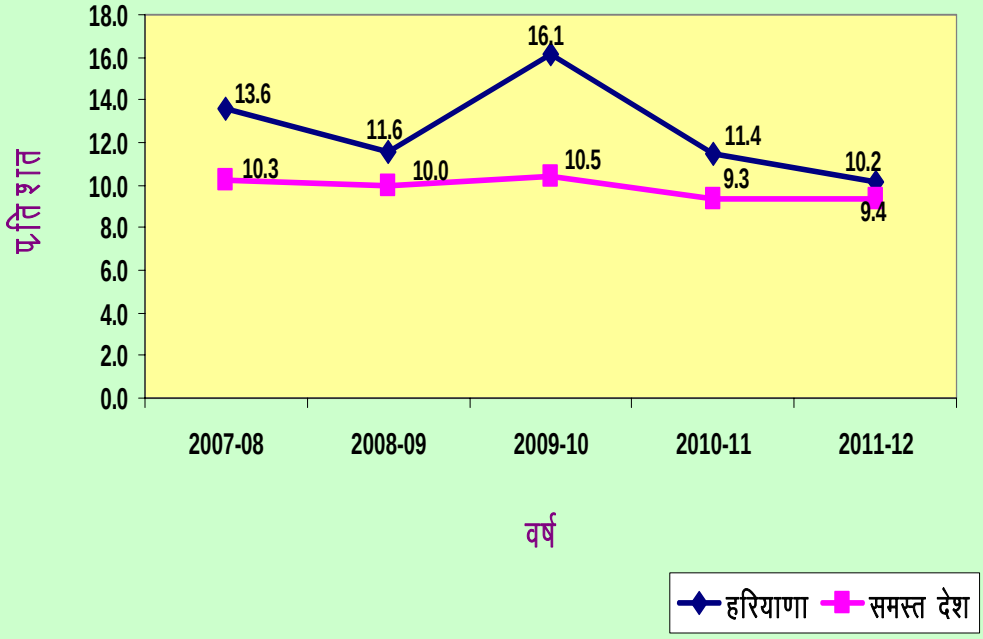

आकृति 6.3– सेवा क्षेत्र में उपक्षेत्रानुसार सकल घरेलू उत्पाद

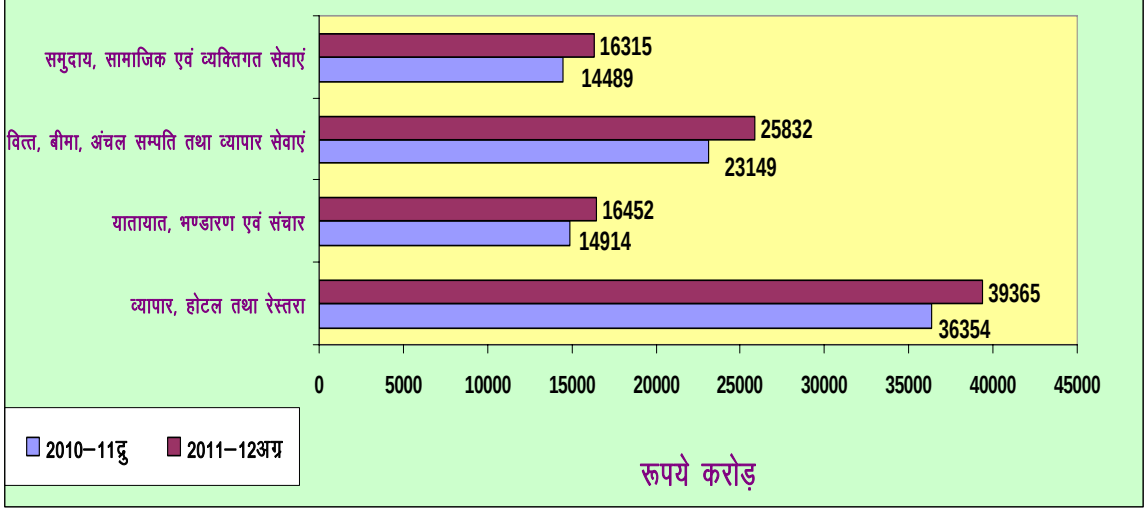

आकृति 6.4– हरियाणा में सेवाएं क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

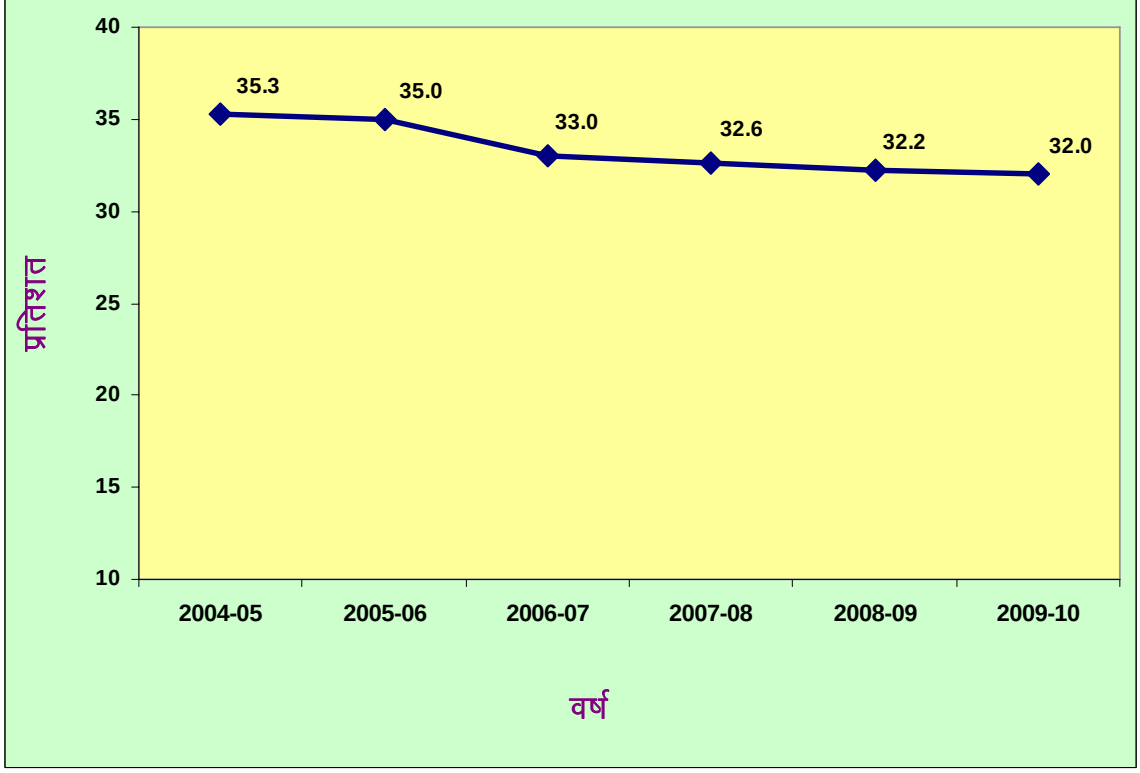

तालिका 6.2–11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों का विकास

उप क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10अ.	2010–11 द्रु.अ.	2011–12 अग्र.अ.
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट	16.3	13.0	20.7	15.1	8.3
परिवहन, भण्डारण एवं संचार	13.9	5.4	11.3	9.1	10.3
वित्त, बीमा, अचल सम्पत्ति एवं व्यापार सेवाएं	13.3	8.8	13.0	8.1	11.6
संचार, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	7.7	20.9	16.1	10.4	12.6
कुल सेवा क्षेत्र	**13.6**	**11.6**	**16.1**	**11.4**	**10.2**

अ.: अनुमानित, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान, अग्र.अ.: अग्रिम अनुमान

व्यापार, होटल और रेस्तरां

6.9 वर्ष 2010–11 के द्रुत अनुमानों के अनुसार व्यापार, होटल और रेस्तरां का (2004–05) स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 36,353.89 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया जो वर्ष के दौरान दो अंको की उत्कृष्ट वृद्धि दर 15.1 प्रतिशत को बनाए रखने में कामयाब रहा। परन्तु वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमान के अनुसार इस उप क्षेत्र में कम वृद्धि 8.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। वर्ष 2011–12 इस क्षेत्र में कम वृद्धि, सेवा क्षेत्र में कम वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहा जो वर्ष 2010–11 में 11.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 10.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

परिवहन, भण्डारण और संचार

6.10 वर्ष 2010–11 के द्रुत अनुमान के आधार पर परिवहन, भण्डारण एवं संचार उप क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों 2004–05 पर 14,914.07 करोड़ रूपये दर्ज किया गया है जो 9.1 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमान के अनुसार इस उप क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 10.3 प्रतिशत वृद्धि रहने की सम्भावना है।

वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवा

6.11 वर्ष 2010–11 के द्रुत अनुमानों के आधार पर वित्त, बीमा, अचल सम्पत्ति तथा व्यापार सेवाओं में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सकल घरेलू उत्पाद 23,149.16 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमानो के तहत इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (2004–05) पर 11.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25,832.41 करोड़ रूपये पहुंचने की उम्मीद है।

सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा

6.12 सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र वर्ष 2010–11 में दो अंको की वृद्धि 10.4 प्रतिशत दर्ज की गई। सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दो अंकों की वृद्धि 10.4 प्रतिशत के साथ 14,488.79 करोड़ रूपये दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 12.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राज्य के सेवा क्षेत्र में सकल स्थिर पूंजी निर्माण

6.13 सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) भौतिक सम्पत्तियों में शुद्व वृद्धि (निवेश–डिस्पोजल) को निश्चित समय अवधि में दिखाता है। यह स्थिर पूंजी उपभोग (डप्रिशियसन) की गणना नहीं करता तथा न ही इसमें भूमि खरीद को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अंश का रूझान नकारात्मक रहा। जो वर्ष 2004–05 में 35.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009–10 में 32.0 प्रतिशत रह गया जैसा कि **आकृति 6.4** में दिखाया गया है।

***

7

विद्युत, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन एवं भण्डारण

7.1 सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व सर्वमान्य है। वास्तव में यह आर्थिक वृद्धि और विकास की एक ड्राईवर कूंजी है तथा अर्थ–व्यवस्था को ईंधन प्रदान करने में सक्षम है। अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे फ्रेट पर प्रगति की परवाह किये बिना अर्थ–व्यवस्था को साकार करने से रोक सकता है। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त है। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढाने में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढाने पर सीधा प्रभाव डालती हैं। बिजली की बढती हुई विफलताएं, बिजली की कमी, भीड–भाड वाली सडकें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढ रही खाई सार्मथ्य में कमी एवं अकुशलता के दिखाई देने वाले संकेत है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक निजी भागेदारी कान्सैप्ट के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पीपीपी की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ रही है क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता है। बुनियादी ढांचे के विकास को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सडकों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसका सिंहावलोकन बाद के वर्गों में दिया गया है।

विद्युत

7.2 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर बढाने और जीवन की गुणवत्ता बढाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वहन की जाने वाली कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाइड्रो उत्पादकता की सम्भावना बहुत कम है। यहां तक की कोयला खाने राज्य से बहुत दूर हैं। वन क्षेत्र बहुत ही कम है। राज्य में प्रचलित पवन वेग भी विद्युत उत्पादन का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बडे पैमाने पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए राज्य सीमित थर्मल उत्पादकता और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से राज्य जल विद्युत भीतर संस्थापित क्षमता पर निर्भर करता है।

7.3 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 6,019.83 मैगावाट है। जिसमें 3,230.50 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 875 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं में हिस्से व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं से उपलब्ध है। इन स्रोतों से 2006–07 के दौरान 25,125.3 मिलियन यूनिट (एम.यू.), विद्युत उपलब्धता 2010–11 के दौरान बढ़कर 29,662.3 मिलियन यूनिट हो गई। वर्ष 2011–12 के दौरान नवम्बर, 2011 तक 22,573.4 मिलियन यूनिट (एम.यू.), बिजली उपलब्ध थी। वर्षवार कुल स्थापित क्षमता, बिजली की उपलब्धता, विक्रय की गई बिजली तथा उपभोक्ताओं की संख्या तालिका 7.1 में दी गई है।

तालिका 7.1—राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता उत्पादन बिजली की उपलब्धता, विक्रय की गई बिजली तथा उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मेगावाट)	विक्रय हेतू उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1967—68	29	343	6,010	5,010	3,11,914 (1966—67)
1970—71	29	486	12,460	9,030	5,43,695
1980—81	1,074	1,174	41,480	33,910	12,19,173
1990—91	1,757	2,229.5	90,250	66,410	25,13,942
2000—01	1,780	3,124.5	1,66,017	1,54,231	35,46,572
2001—02	2,005	3,198.6	1,75,881	1,63,077	35,44,380
2002—03	2,010	3,303.1	1,92,097	1,80,726	36,19,868
2003—04	2,010	3,408.9	2,04,989	1,95,534	37,39,556
2004—05	2,525	4,033.3	2,14,548	2,02,637	38,74,525
2005—06	2,525	4,033.3	2,32,438	2,22,394	40,00,660
2006—07	2,525	4,051.3	2,51,253	2,39,228	41,46,286
2007—08	2,825	4,368.01	2,64,656	1,82,786	42,70,602
2008—09	2,825	4,686.52	2,72,241	1,92,902.91	43,82,044
2009—10	3,560.5	5,201.83	2,88,605	2,26,448.70	45,61,058
2010—11	4,106	5,997.83	2,96,623	2,40,125	47,87,922
2011—12	4,106 (दिसम्बर, 11 तक)	6,043.21 (जनवरी,12 तक)	2,25,734 (नवम्बर,11तक)	1,63,160 (अक्तूबर,11तक)	49,32,131 (नवम्बर,11तक)

प्राप्ति स्थानः हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त उद्यमों के अंश को दर्शाता है, परन्तु एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. इत्यादि तथा आई.पी.पी. केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के अंश सम्मिलित नहीं है।

7.4 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2001—02 में 35,44,380 से बढकर वर्ष 2010—11 में 47,87,922 हो गई केटेगरी वार उपभोक्ताओं की संख्या तालिका 7.2 में दी गई है।

तालिका 7.2—बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घेरलू	गैर—घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001-02	27,59,547	3,47,437	66,247	3,61,932	9,217	35,44,380
2002-03	28,22,384	3,54,144	64,310	3,69,716	9,314	36,19,868
2003-04	29,15,354	3,64,186	65,482	3,84,613	9,921	37,39,556
2004-05	30,22,856	3,75,161	68,021	3,97,534	10,953	38,74,525
2005-06	31,19,788	3,87,520	70,181	4,11,769	11,402	40,00,660
2006-07	32,77,131	4,01,606	73,290	4,27,832	16,437	41,46,286
2007-08	33,05,927	4,15,861	77,341	4,51,037	20,436	42,70,602
2008-09	33,82,292	4,29,849	79,186	4,66,393	24,324	43,82,044
2009-10	35,12,501	4,46,024	81,955	4,91,807	28,771	45,61,058
2010-11	36,84,410	4,62,520	85,705	5,20,391	34,896	47,87,922
2011-12*	37,97,731	4,74,704	87,590	5,34,715	37,391	49,32,131

* नवम्बर, 2011 तक

प्रति व्यक्ति बिजली की उपभोक्ता

7.5 प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2006–07 में 700 यूनिट से बढकर वर्ष 2010–11 में 941 यूनिट हो गई। वर्ष 2009–10 के दौरान 23.7.2009 को 1,194.55 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति के पहले रिकार्ड के विरूद्व वर्ष 2010–11 के 8 अगस्त, 2010 को 1,207.74 लाख यूनिट आपूर्ति करके बिजली आपूर्ति का एक नया रिकार्ड स्थापित किया गया था।

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

7.6 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढाने की आवश्यकता के मध्यनजर कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, बिजली आपूर्ति की कार्य कुशलता में सुधार तथा वितरण नेटवर्क का पुर्नगठन एवं विस्तार किए गए है। राज्य के अपने उत्पादन केन्द्रो से 8.7.2011 को 699.26 लाख यूनिट प्रतिदिन का रिकार्ड उत्पादन किया है। राज्य में बिजली की क्षमता में वृद्धि करने के लिए राज्य तथा निजी क्षेत्र की भाग्यदारी द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है।

अक्षय ऊर्जा

7.7 राज्य में अक्षय ऊर्जा पर आधारित 155.53 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की गई है। इसमें वर्ष 2011–12 में 12.22 मैगावाट क्षमता की वृद्धि की गई। वर्ष 2011–12 में राज्य में 8,00,000 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। अब तक लगभग 86,750 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 2 करोड़ रूपये की लागत से हरियाणा राज्य भवन में 45 किलोवाट की क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट तथा राज्य की जिला के उपायुक्त कार्यालयों में 4.5 किलोवाट क्षमता के 10 सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जा रहें हैं। इनको स्थापित करने का कार्य मार्च, 2012 तक पूरा होने की संभावना है। 50 प्रतिशत या उसके अधिक अनुसूचित जाति व अन्य श्रेणियों की जनसंख्या वाले गांव में सोलर होम लाईटिंग सिस्टम उपलब्ध करवाकर आर्थिक व सामाजिक उत्थान की गति तेज करने के उद्धेश्य से हरेडा ने रिवाडी, महेन्द्रगढ व झज्जर जिलों के 81 गांवों में 410 लाख रूपये की लागत से 3,863 सौर घरेलू प्रकाश प्रणालियों (मॉडल–3) उपलब्ध कराने की एक विशेष परियोजना कियान्वित की है जिसमें से 123.20 लाख रूपये नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार तथा 50 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए। वर्ष 2011–12 में राज्य के 14 जिलों के 110 गांवों में 3.68 करोड रूपये की लागत से 2,301 एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाईटें स्थापित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति लाईट 4,000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा तथा शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को 125 लाख रूपये के राज्य अनुदान से 5,000 सोलर होम लाईटिंग सिस्टम (मॉडल–3) उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस सिस्टम में 37 वाट का एक सोलर पी.वी. पैनल, 12 वोल्ट 40 ए.एच. की एक बैटरी, एक चार्ज कन्ट्रोलर, एक 9 वाट की सी.एफ.एल. तथा एक 20 वाट का डी.सी. पंखा शामिल है। इस सिस्टम की कुल कीमत लगभग 10,630 रूपये है। राज्य सरकार 2,500 रूपये प्रति सिस्टम की दर से अनुदान प्रदान कर रही है तथा शेष 8,130 रूपये उपयोगकर्ता द्वारा वहन किये जाने हैं। यह परियोजना 29 फरवरी, 2012 तक पूरी कर लिए जाने का अनुमान है।

7.8 हरियाणा देश के कुछ पहले ऐसे राज्यों में से एक है जिसने ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम, 2001 के आवश्यकताओं के अनुसार फरवरी, 2010 में राज्य ऊर्जा सरंक्षण कोष को स्थापित एवं अधिसूचित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा कुशलता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। कालका शहर में ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 70.16 लाख रुपये की लागत से एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईटिंग की एक प्रर्दशन परियोजना कियान्वित की जा रही है।

सड़कें

7.9 किसी भी अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार का प्रमुख साधन है। सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना जिन

पर पहले से काम चल रहा है। राज्य लोक निर्माण विभाग भवन एवं सडक शाखा के अर्न्तगत वर्तमान सडक नेटवर्क को तालिका नं. 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3–लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) के अर्न्तगत राज्य की सड़कों का नेटवर्क

क0संख्या	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि0मी0 में
1.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	1,462
2.	राज्य उच्च मार्ग	2,521
3.	मुख्य जिला सड़कें	1,471
4.	अन्य जिला सड़कें	21,453
	कुल	26,907

7.10 वर्ष 2011–12 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेन्ट कंकरीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सडकों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। दिसम्बर, 2011 तक प्राप्त की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका नं0 7.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4–वर्ष 2011–12 के दौरान सडकों के सुधारीकरण का विवरण

(क) वित्तीय प्रगति

(रूपये करोड़ों में)

क0सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2011–12	दिसम्बर,2011 तक खर्च
1.	प्लान 5054 (सड़क और पुल नाबार्ड ऋण सहित)	1,208.41	545.77
2.	नन प्लान– 3054	493.00	196.24
3.	केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	94.45
4.	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण	–	42.07
5.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	81.00	80.20
6.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	15.64	13.71
7.	डिपोजिट कार्य (एच.एस.आर.डी.सी.की सड़कों तथा पुलों के कार्य सहित)	–	11.15
	कुल	1,948.05	983.59

(ख) भौतिक प्रगति

क0संख्या	मद	लम्बाई (कि0मी0 में) (दिसम्बर, 2011 तक)
1.	नया निर्माण	22.66
2.	प्रिमिक्स कारपेट (राज्य सड़कें)	566.19
3.	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	269.30
4.	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	77.09
5.	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	30.58
6.	पुर्ननिर्माण तथा उठाना	82.86
7.	(क) चौड़ा (ख) मजबूत राष्ट्रीय उच्च मार्ग	204.00

7.11 वर्ष 2011–12 के दौरान प्लान 5,054 के अर्न्तगत 129 कार्य व नान–प्लान 3,054 के अर्न्तगत 193 कार्य तथा 5 कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 54 पुलों के लिए 1,066.13 करोड रूपये स्वीकृत किए गए थे। कार्यवार विवरण तालिका 7.5 में दिया गया है।

तालिका 7.5–वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत सड़क कार्य

क0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि (करोड़ों में)
1.	प्लान–5054	129	720.77
2.	नान प्लान–3054	193	166.22
3.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	5	12.14
4.	पुल	54	167.00
	योग	381	1,066.13

7.12 वर्ष 2011–12 के दौरान भवन के निर्माण,मरम्मत तथा रख–रखाव के लिये 544.83 करोड रूपये स्वीकृत किए गए थे। भवन निर्माण मरम्मत तथा रख–रखाव का विवरण तालिका नं. 7.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.6–वर्ष 2011–12 के दौरान भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव

(राशि करोड़ों में)

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2011–12	खर्च दिसम्बर, 2011 तक
1.	राजस्व भवन	126.53	112.58
2.	कैपीटल भवन	418.30	162.23
3.	डिपोजिट भवन	–	18.04
	कुल	**544.83**	**292.85**

मुख्य पहल

7.13 लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) ने यात्रियों की सुरक्षा तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपरगामी पुल बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। 6 रेल ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन है। मास्टर प्लान में जिन रेल ऊपरगामी पुलों की पहचान मास्टर प्लान तथा जारी कार्यों में की गई है, उनका ब्यौरा क्रमशः तालिका 7.7 व 7.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.7–मास्टर प्लान के अर्न्तगत ऊपरगामी पुलों का ब्यौरा

क0सं0	विवरण	संख्या
1.	ऊपरगामी पुल पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिया है।	27
2.	ऊपरगामी पुल निर्माणाधीन	6
3.	ऊपरगामी पुल जो हाथ में लिए गए हैं ।	8

तालिका 7.8–चालू पुलों और उपरगामी पुलों के कार्यों की स्थिति का विवरण

क्र0सं0	विवरण	संख्या	लागत (रूपये करोड़ों में)	2011–12 में पूर्ण	प्रगति में
1.	पुल	28	48.55	–	28
2.	ऊपरगामी	14	477.00	4	6

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

7.14 580.81 करोड़ रूपये की लागत से 16 ऊपरगामी पुल व 695.16 करोड रूपये की लागत की 7 सडक परियोजनाएं जिनकी लम्बाई 166.89 किलोमीटर है, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, और राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में है। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा जिला झज्जर, बहादुरगढ, रोहतक और रिवाडी के लिए 366.25 करोड रूपये की लागत की 24 सडक परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

नाबार्ड स्कीम

7.15 नाबार्ड स्कीम आर.आई.डी.एफ.–14 और 15 में 20.69 करोड रूपये की लागत से 21.40 किलोमीटर ग्रामीण सडकों का विभिन्न जिलों में सुधार किया गया है।

शहरी आधार भूत ढांचा विकास

7.16 हरियाणा की 28 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया हैं एवं इन निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना जारी रखते हुए शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया है। राज्य में 77 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें 9 निगम, 14 परिषदें एवं 54 नगरपालिकायें शामिल हैं। विभाग की विभिन्न स्कीमों का वर्ष 2010–11 में 808 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था जिसे बढ़ा कर वर्ष 2011–12 के लिये 1,390.41 करोड़ रूपये किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बजट में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिये 325 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है जो कि कुल बजट का एक–चौथाई हिस्सा है ।

7.17 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत हरियाणा का केवल फरीदाबाद शहर ही शामिल है। भारत सरकार द्वारा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबन्धन, मकानों के निर्माण एवं शहरी परिवहन आदि के लिये 848.74 करोड़ रूपये की राशि की 7 विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी.पी.आर.) स्वीकृत की गई थीं। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश की 222.72 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा 116.25 करोड़ रूपये की राशि का योगदान राज्य–अंश के लिये जारी किया गया है। कुल स्वीकृत फण्ड में से, 437.24 करोड़ रूपये की राशि नगरनिगम फरीदाबाद द्वारा अपनी परियोजनाओं के हिस्से सहित दिसम्बर, 2011 तक उपयोग कर ली गई है। 3,248 आवास ईकाइयों के लक्ष्य के विरूद्व, फरीदाबाद में 2,896 आवास ईकाइयों का निर्माण किया जा चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट में 17,404 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

7.18 भारत सरकार द्वारा छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के तहत 7 कस्बों नामतः रोहतक, करनाल, यमुनानगर, बहादुरगढ़, अम्बाला सदर, नारनौल तथा चरखीदादरी के लिये एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन, सीवरेज प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट के लिए 164.07 करोड़ रूपये की आठ विस्तृत परियोजना रिपोर्टस स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 67.15 करोड़ रूपये जारी किये गए तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य अंश के रूप में 16.78 करोड़ रूपये का अंशदान किया गया। 83.14 करोड़ रूपये के कुल फण्ड के समक्ष, 89.47 करोड़ रूपये दिसम्बर, 2011 तक उपयोग किये जा चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट में 12,358 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

7.19 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत मकानों के निर्माण हेतु 15 कस्बों की 18 परियोजनाओं के लिए 262.12 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई जिसमें से भारत सरकार का अंश 209.70 करोड़ रूपये है। भारत सरकार द्वारा 124.66 करोड़ रूपये जारी किये गये है जबकि राज्य सरकार द्वारा अपने अंश को मिलाकर 152.96 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। दिसम्बर, 2011 तक 100.84 करोड़ रूपये की राशि उपयोग की जा चुकी है। अब तक 6,650 आवासीय ईकाइयों का निर्माण किया जा चुका है एवं 2,230 आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मलिन बस्ती निवासियों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करने का कार्य भी प्रगति पर है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट में 2,777.94 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

7.20 चालू वित्त वर्ष के दौरान 5,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले वार्डो के विकास के लिए किया गया है। इसके विरूद्व 2,250 लाख रूपये की राशि पालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

7.21 अग्नि रोकथाम सेवाएं योजना को सुदृढ़ करने के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में राज्य अंश के तौर पर 250 लाख रूपये का बजट प्रावधान केन्द्रीय अंश के 1,000 लाख रूपये जोकि भारत सरकार से स्वीकृत हैं, कि पूर्ति हेतू किया गया था।

7.22 भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय संचालित योजना बडे शहरों के पास स्थित सेटेलाईट कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना स्वीकृत की है। यह योजना दिल्ली व हरियाणा के सेटेलाईट कस्बों के लिए भी लागू है। योजना के अर्न्तगत सोनीपत शहर को सैटैलाईट शहर चयनित किया गया है। बजट में 80 करोड रूपये केन्द्रीय अंश तथा 10 करोड रूपये राज्य अंश के तौर पर प्रावधान किया गया है। इसके विरूद्व 1,361.64 लाख रूपये केन्द्रीय अंश तथा 170.20 लाख रूपये बतौर राज्य अंश नगरपरिषद, सोनीपत को जारी किये गये हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अर्न्तगत बजट में 1,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

7.23 राज्य सरकार ने राजीव गांधी शहरी विकास मिशन, हरियाणा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.) की सभी शहरी स्थानीय निकाय में नगर निगम गुडगांव व जो कस्बे जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) में सम्मलित थे, को छोडकर शहरी आधारभूत विकास कार्यक्रम मिशन मोड अप्रोच के तौर पर पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है। मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 733.80 लाख रूपये के संशोधित बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से 323.54 करोड रूपये की राशि नगरपालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

7.24 राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.आई) लागू की है जिसका उददेश्य शहरी क्षेत्रों में, क्षेत्रीय सभा तथा वार्ड कमेटी का गठन करके म्यूनिसिपल कार्य में लोगों की भागीदारी सूनिश्चित करना है। वे सभी परियोजनाएं जिनको राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना द्वारा फण्ड मिला है उनको समाज के लोगों का भी योगदान होगा। इस स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 170 लाख रूपये की राशि नगरनिगम, हिसार व पानीपत को जारी की जा चुकी है।

7.25 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों को स्लम फ्री बनाने के लिए राजीव आवास योजना स्कीम आरम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के तहत राज्य को स्लम फ्री बनाने के लिए 1,686.36 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 151.30 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को फेस–1 के तहत जारी किये गये हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 6,535.06 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 1,000 लाख रूपये राज्य अंश के भी सम्मलित हैं।

7.26 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा हरियाणा राज्य की पालिकाओं को वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान 534.41 करोड़ रूपये अनुदान दिये जाने की सिफारिश की है। चालू वित्त वर्ष में 13वें वित्त आयोग के लिए 8,797 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 2,537 लाख रूपये पहले ही नगरपालिकाओं को जारी किये जा चुके हैं।

सड़क परिवहन

7.27 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। परिवहन विभाग, हरियाणा इस वर्ष में भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा। परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग है, जैसे कि नियामक अंग व वाणिज्यक अंग (हरि.रा.परि.) है।

7.28 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी परिवहन सस्थाओं में से एक है। वर्तमान में इसके बेडे में लगभग 3,500 बसें हैं जो 21 डिपो व 15 उप डिपुओं से संचालित की जाती हैं। दिनांक 1.07.2011 से चरखी दादरी में नया डिपो बनाया गया है तथा नुहॅ तथा पलवल में भी नये डिपो बनाये जाएगें। राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन लगभग 10.33 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा 11 लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन इन बसों में यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व व्हीकल उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि0मी0(कर रहित), दुर्घटना दर व इंधन की खपत इत्यादि।

7.29 हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07 व 2007–08 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये यूनियन परिवहन मन्त्री ट्राफी व 4.50 लाख रूपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। सी.टी.यू. द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है।

7.30 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। सरकार द्वारा योजना बजट वर्ष 2004–05 में 56 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 में 165 करोड़ रूपये कर दिया।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

7.31 हरियाणा राज्य परिवहन का 3,500 का बस बेड़ा निर्धारित किया हुआ है और इसे अगले वित्त वर्ष में 4,000 बसों तक करने का प्रस्ताव है, जिनमें सी.एनजी.ए.सी. एसएलएफ, वोल्वों और ए0सी0 इत्यादि बसें शामिल हैं। वर्ष 2010–11 में 529 बसों को नई डिजाईन की गई बसों से बदला गया। वर्ष 2011–12 में 547 पुरानी बसों को नई बसों से बदलना तथा बस बेड़े में 500 नई बसें शामिल करने के साथ–साथ गत वर्षों के बैकलोग को पूरा करने का कार्यक्रम है। इनमें से 614 कंडम बसों को दिनांक 31.12.2011 तक नई डिज़ाईन की बसों से बदला जा चुका है जिनमें 120 नई बनी बनाई बसे जे.एन.एन.यू.आर. एम. स्कीम की शामिल हैं। विभाग ने बसों को खरीदने के तहत वर्ष 2010–11 में 119.60 करोड़ रूपये खर्च किये हैं। चालू वित्त वर्ष 2011–12 में इस उद्देश्य के लिये 125.35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ है।

7.32 लोगों को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये नई बस सेवायें शुरू की गई हैं जैसे कि सारथी वोल्वो वातानुकूलित बस सेवायें, हरियाणा गौरव बस सेवाऐं, हरियाणा शक्ति, हरियाणा उदय सी.एन.जी बस सेवाऐं, लो–फलोर वातानुकुलित बस सेवाऐं, सैमी लो–फलोर बस सेवाऐं। मोरनी क्षेत्र में लोगों को नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 6 मिनी बसें खरीदकर हाल ही में चलाई गई हैं।

7.33 वोल्वो बस सेवा की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये वर्तमान 10 वोल्वो बसों की संख्या को बढ़कार 35 तक किया जा रहा है। हरियाणा राज्य परिवहन की सभी मुख्य शहरों में शहरी बस सेवा शुरु करने की योजना हैं। शहरी बस सेवा के लिये विभाग बसों के वर्तमान ढाचें में परिवर्तन करके इसमें और सुविधाएं प्रदान करके इसे ओर अधिक शहरी मैत्रीपूर्ण सेवा बनाने का प्रयास कर है।

बस अड्डों/कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

7.34 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 94 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी मुख्य बस स्टैण्डों पर यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ौतरी के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित रक्षा प्रणाली उपलबध करवाना प्रस्तावित है। पिछले सात वर्षों में बबैन, बहल, पटौदी, ढाण्ड, हथीन, नारनौन्द, कैथल, खरखोदा, छछरोली लौहारु, शहजादपुर, निसिंग व कलायत में नये बस स्टैण्डों तथा नरवाना, रोहतक तथा कालका में नई कर्मशालाओं का निर्माण करके चालु किया गया है। रोहतक बस स्टैण्ड को 12 बेज से बढ़ाकर 18 बेज तक किया गया है। बरवाला, सढौरा, पाई, रायपुर रानी, भूना, बाढ़ड़ा, अग्रोहा, झज्जर में नए बस स्टैंड तथा बलबगढ़, सिरसा व कैथल में नई कर्मशालाऐं निर्माणाधीन है। बस स्टैण्ड सांपला, सतनाली तथा तावडू के लिए जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। फारुखनगर, नंगल चौधरी, हसनपुर, बडकली चौक, पुन्हाना, कुण्ड मंडी, सिवान, लौहारु (कर्मशाला) व बहादुरगढ़ में नये बस स्टैण्ड बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।

7.35 भूमि एवं भवन कार्यों पर वर्ष 2010–11 में 26.46 करोड रूपये खर्च किये गये हैं तथा इस कार्य हेतू वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये कर्मशालाओं का भी नवीकरण किया जा रहा है। जिसके लिये वर्ष 2010–11 में 50.27 लाख रूपये खर्च किये गये तथा वर्ष 2011–12 की योजना में 110 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन की गतिविधियों को कम्प्यूट्रीकृत करने के लिये वर्ष 2010–11 में 98.52 लाख रूपये खर्च किये गये तथा वर्ष 2011–12 की योजना में भी 100 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

एच.आर.ई.सी. गुड़गांव का आधुनिकरण

7.36 हरियाणा राज्य परिवहन इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गंड़गांव जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बाडियां बनाती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस उद्देश्य से एच.आर.ई.सी. की

अंश पूंजी को 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2010–11 में 6.60 करोड़ रूपये कर दिया गया। आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम को चालू वित्त वर्ष 2011–12 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

मुफत/रियायती यात्रा सुविधा

7.37 सरकार समाज के कुछ पात्र लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक है। हरियाणा राज्य परिवहन समाज के पात्र वर्ग जैसेकि विद्यार्थी, साक्षात्कार के लिये जाने वाले बेरोज़गार युवक, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, स्वतन्त्रता सेनानी, मान्यता–प्राप्त संवाददाता, पुलिस व जेल कर्मचारी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, रक्षा बंधन के दिन महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा, लडकियों को मासिक पास के लिये 10 एक तरफा किराये के स्थान पर केवल 5 एक तरफा किराये ही देने होंगे, राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिडेटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय 50 प्रतिशत की छूट, साठ वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट, हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा, पैरा लैम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा तथा साधारण जनता को बस पास सुविधा के तहत एक महीने के लिए 40 की दर से, तीन महीने के लिए 110 व 6 महीने हेतू 200 एक तरफा किराया वसूल किया जाता है।

सड़क सुरक्षा

7.38 हरियाणा राज्य परिवहन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये कड़े सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। गहन प्रयासों से हरियाणा राज्य परिवहन, यातायात के घनतव में अत्याधिक बढ़ौतरी के बावजूद दुर्घटनाओं की दर जो वर्ष 1994–95 में 0.21 प्रति एक लाख कि0मी0 थी, को घटाकर वर्ष 2010–11 में 0.07 करने में सक्षम रहा है। प्रशिक्षण एवं नये भारी वाहनों को प्रमाणित करने हेतू हरियाणा रोडवेज 6 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल (डी.टी.आई.) चला रही है। हल्के वाहनों के चालकों हेतू चालक प्रशिक्षण स्कूल मुरथल में प्रशिक्षण शुरू किया गया है तथा शेष 5 चालक प्रशिक्षण स्कूलों में भी प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है।

7.39 सडकों पर दुर्घटनाएं बढती जा रही हैं जिसके कारण बडी संख्या में मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायलों की संख्या भी बढ रही है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण अनाधिकृत चालकों द्वारा लापरवाही एवं तेज गति से गाडी चलाना है। इसलिए दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ड्राईविंग प्रशिक्षण स्कूलों का खेला जाना अति–आवश्यक है। वाणिज्य मोटर वाहनों के चालकों का कौशल बढाने के लिए कैथल, बहादुरगढ और रोहतक में 3 चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान (आई.डी.टी.आर.) संस्थान अग्रिम स्टेज में हैं। मोटर वाहन के लिए सडक अनुकूलता को बनाए रखने के लिए लगभग 14 करोड रूपये की राशि से निरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र रोहतक में बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस केन्द्र की प्रतिवर्ष सडक की अनुकूलता निरीक्षण के लिए 1,25,000–1,50,000 संख्या तक वाहन निरीक्षण करने की सामर्थ्यता होगी।

7.40 परिवहन विभाग की रेगूलेटरी विंग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा नियमों को लागू करती है इसके अर्न्तगत ड्राईविंग लाईसैंस तथा परिचालक लाईसैंस जारी करना, मोटर वाहनों का पंजीकरण करना, मोटर वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र देना, परमिट देना, लोगों में जागरूकता पैदा करके सडक सुरक्षा के कार्य पूरा करना, वाहनों में धुएं के स्तर को चैक करना तथा चालकों को प्रशिक्षित करना है। मोटर वाहन कर एवं फीस इक्टठा करने पर राजस्व प्राप्ति वर्ष 2009–10 में 277.07 करोड रूपये से बढकर वर्ष 2010–11 में 457.36 करोड रूपये हो गई है। इसके वर्तमान चालू वर्ष में लगभग 700 करोड रूपये तक बढ जाने का अनुमान है।

कृषि विपणन

7.41 हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक एकीकृत विपणन की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, कृषि उत्पाद को मण्डियों तक पहुंचाना आसान बनाना और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलवाना है। "समृद किसान हमारी पहचान" की विचारधारा को अपनाते हुये यह संस्था विभिन्न तरीकों से किसानों की फसल में फेरबदल तथा उत्पादन बढाकर उनके उत्पाद के विपणन बढाने हेतू

विभिन्न प्रयत्न करता है। बोर्ड का लक्ष्य किसानों को वैकिल्पक प्रतिर्स्पधी विपणन अवसर प्रदान करना और उसकी सहायता से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना है।

7.42 इस समय राज्य में 106 मार्किट कमेटी, 178 सब यार्ड, 181 खरीद केन्द्र हैं। किसानों की सुविधा एवं उनके हाथों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य में 30 सब्जी मण्डी, 25 चारा मण्डी और 33 कपास मण्डी स्थापित की गई हैं।

7.43 करनाल और रोहतक में अनाज एवं सब्जी मण्डियों के विकास एवं आद्युनिकरण की बड़ी योजनाओं के साथ–साथ बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर नई मण्डी बनाने हेतू योजना शुरू की है। टेक्नोलाजी मिशन आन कोटन (टी.एस.सी.) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से 15 मण्डियों के विकास का कार्य पूरा कर लिया है। इस योजना की कुल लागत 33.91 करोड़ रूपये है। पंचकुला में 3.72 करोड़ रूपये की लागत से सेब बाजार की स्थापना की गई है।

7.44 एक अति आधुनिक वातानुकुलित फूटकर मण्डी (कृषि खरीद माल) जो कि उत्तर भारत में अपनी किस्म की पहली होगी, पंचकूला में 49.80 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्थापित की जा रही है। इस माल का निर्माण कार्य वर्ष 2012 के अंत तक पूरा होने का अनुमान है। इस तरह के अन्य शापिंग मालों का निर्माण कार्य करनाल में 47.20 करोड़ रूपये, पानीपत में 22.27 करोड़ रूपये की लागत से तथा रोहतक में 89.53 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। 15 मण्डियों में 83.23 करोड रूपये की लागत से जिसमें 16.82 करोड रूपये की सहायता राशि है, एक प्रौजेक्ट जो कि ठण्डी चैन सुविधाएं जिसमें ठण्डे चैम्बरों का प्रावधान, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेडिंग, छंटाई एवं पैकिंग सुविधा हो, स्थापित किया जा रहा है। सिरसा जिले में अबूबशहर में किन्नू प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अभी तक इन परियोजनाओं पर 60 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

7.45 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वितीय चरण में विभिन्न मण्डियों में 17 पैक हाउस जिनकी अनुमानित लागत 25 प्रतिशत बैक एनडिड़ सबसिडी सहित 70.26 करोड़ रूपये हैं, स्वीकृत हुए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वितीय चरण में पंचकूला एवं मेवात में आधुनिक थोक स्तर की मण्डी के निर्माण हेतू जिन पर 25 प्रतिशत बैक एनडिड़ सबसिडी के साथ क्रमशः अनुमानित लागत 90.68 करोड़ रूपये और 9.50 करोड़ रूपये खर्च होंगे, स्वीकृति मिली है। इन पैक हाउस एवं आधुनिक थोक मण्डियों के इलावा 4 अन्य स्थानों पेहवा, जीन्द, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी पैक हाउस व पंचकुला में थोक बिक्री बाजार का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इन पर अब तक 18.33 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं ।

7.46 सिरसा, करनाल तथा हिसार में कृषि–व्यापार और सूचना केन्द्र (ए.बी.आई.सी.) खोले गये हैं। ये केन्द्र मण्डी, कृषि विज्ञान अन्यास के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। अगले तीन वर्षो में कृषि–व्यापार और सूचना केन्द्र सभी जिला मुख्यालयों में बनाने की योजना हैं।

7.47 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गन्नौर में एक अति आधुनिक टर्मीनल मण्डी विकसित की जायेगी। इसके लिए लगभग 500 एकड जमीन अधिगृहित की जा चुकी है। इस टर्मीनल मण्डी को विकसित करने की योजना पर प्रथम चरण में लगभग 830 करोड़ रूपये की लागत आयेगी, यद्यपि इस योजना को पूरा करने में 1,500 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। ये टर्मीनल मण्डी फलों, फूलों तथा सब्जियों के विपणन का केन्द्र बनेगी और न केवल बडे उपभोक्ताओं की आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करेगी, अपितु राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुंच रखेगी तथा यह मण्डी अर्न्तराष्ट्रीय माप दण्ड के अनुसार यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की तरह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी।

7.48 बोर्ड द्वारा 5.3.2005 से 31.1.2012 तक की समयावधि में 379.34 करोड रूपये खर्च करके 3,908 किलोमीटर लम्बी सडकों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। बोर्ड द्वारा 424 करोड रूपये खर्च करके 5,560 किलोमीटर लम्बाई की सडकों का विशेष मरम्मत कार्य पूरा किया गया जबकि 621 किलोमीटर लम्बी सडकों का विशेष मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

भण्डारण

7.49 हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अर्न्तगत दोहरे उद्धेश्यों को ध्यान में रखते हुए किसानों, सरकारी संस्थाओं सार्वजनिक संस्थानों एवं व्यापारियों इत्यादि को कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराना तथा भण्डार की गई वस्तुओं के बदले ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस समय दिसम्बर, 2011 तक निगम कुल 16.67 लाख टन क्षमता का संचालन करते हुए राज्य में 107 वेयर हाऊस चला रहा है। जिसमें 14.27 लाख टन क्षमता के ढके हुए गोदाम एवं 2.40 लाख टन क्षमता के ओपन पलींथ शामिल हैं। 2005–06 से अब तक की वर्षवार औसत भण्डारण क्षमता तथा इसकी औसत उपयोगिता तालिका 7.9 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.9–वर्ष 2005–06 औसत भण्डारण क्षमता एवं इसकी उपयोगिता

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता (टन)	औसत उपयोगिता (टन)	उपयोगिता की प्रतिशतता	भण्डार ग्रहों की संख्या
2005–06	14,85,309	8,51,494	57	105
2006–07	13,90,272	8,37,581	60	105
2007–08	13,97,115	9,68,844	69	105
2008–09	14,68,483	12,20,165	83	106
2009–10	16,92,611	15,44,591	91	107
2010–11	16,14,080	14,98,059	93	107
2011–12 (दिस., 11 तक)	16,73,902	16,90,720	101	107

7.50 निगम के पास 1.11.1967 को इसकी स्थापना के समय मात्र 7,000 टन क्षमता के भण्डार गृह उपलब्ध थे। वर्ष 2010–11 तक निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत राज्य में 8 विभिन्न स्थानों पर 58,880 टन क्षमता के भण्डार गृहो का निर्माण कार्य करवाया गया। निगम द्वारा नाबार्ड द्वारा संचालित ग्रामीण भण्डारण योजना के अर्न्तगत 20 स्थानों पर अतिरिक्त 1,65,870 टन क्षमता का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

7.51 गुडगांव में अनुमानित 20 करोड रूपये की परियोजना राशि से 30,000 मीट्रिक टन के बहुमंजिला और बहुउपयोगी गोदाम जिनकी भण्डारण फैलाव 1,80,000 वर्ग फीट है, का निर्माण कराया गया है।

7.52 निगम सार्वजनिक उपक्रमों में पहली भण्डारण संस्था है जिसने परम्परागत एसवैस्टोज शीटों के स्थान पर आधुनिक तकनीक स्टेट आफ दी आर्ट गैलवेल्यूम शीट का प्रयोग किया है। निगम में अब तक 43 स्थानों पर गोदामों में गैलवेल्यूम वाली शीट प्रयोग की जा चुकी है। यह नई छत तकनीक पर्यावरण के अनुरूप है और इसमें पानी के रिसाव के कारण स्टॉक के खराब होने की कम सम्भावना है क्योंकि इस तकनीक में नट व बोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें खुली हवा आने जाने का अधिक समाधान होने से अनाज ताजा एवं स्वास्थ्यवर्धक रहता है क्योंकि ये गोदाम टैर्सिस एवं पूरलीन के बिना निर्माणित है। इस छत तकनीक से पक्षियों द्वारा अनाज खराब करने की बाधा को दूर किया गया है।

7.53 निगम राज्य व इसके साथ लगते राज्यों के आयातकों तथा निर्यातकों को प्रभावी लागत सेवाएं प्रधान करने के लिए रिवाडी में एक इंन्लैंड कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.)–कम–कन्टेनर फरेटस्टेशन (सी.एफ.एस.) संचालित कर रहा है। इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, रिवाडी को 18.12.2009 से संसार के इलैक्ट्रोनिक डाटा–इन्टर चैंज (ई.डी.आई.) व्यवस्था से जोडा गया है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र एक विकासशील और उभरती हुई अर्थ–व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्वि और लोगों की भलाई करना है। लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए विकास के लाभों के एक समान वितरण के साथ रहने के लिए बेहतर वातावरण की आवश्यकता है। राज्य की योजना रणनीति हमेशा सामाजिक न्याय और कल्याण के साथ वृद्धि है। प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है।

शिक्षा

8.2 राज्य सरकार की प्राथमिकता, गुणवत्ता और सभी की जरूरत पर आधारित शिक्षा प्रदान करना है। राज्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र को दुनिया भर में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अपने को जवाब देह बनाना है। एक बाजार आधारित दृष्टिकोण, उभरती प्रौद्योगिकियां, प्रभावी कोष जुटाने और सरकार द्वारा सही नीतिगत ढांचे के द्वारा समर्थित तैनाती, उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढावा देने के लिए कुजी है। राज्य सरकार अच्छी तरह जानती है कि 21वीं सदी को ज्ञान शताब्दी के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है और राज्य सरकार आवश्यक शैक्षिक और ढांचागत सुविधाओं और इसकी आसान पंहुच के साथ सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

विद्यालय शिक्षा

8.3 राज्य सरकार बच्चों को न्यूनतम दूरी (परिधि) में शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवा रही है। वर्ष 2011–12 में शिक्षा–सुविधा उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्रमशः 1.52 कि.मी. तथा 2.28 कि.मी. के दायरे में उपलब्ध है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 बनाया गया है तथा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हरियाणा नियम, 2011 तैयार किया गया है। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियम, 2011 के प्रावधान के अनुसार 6–14 वर्ष के हर बच्चे को अपनी मौलिक शिक्षा पूरी करने तक अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।

8.4 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 36 आरोही विद्यालय खोले गए है। ये 10 जिलों–भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जीन्द, कैथल, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत तथा सिरसा के शिक्षा में पिछड़े खंडों में स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि समुदाय के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान/गणित/वाणिज्य शिक्षा के प्रसार के लिए हर जिले में एक किसान आदर्श विद्यालय खोले जाने की योजना है। इसमें से वर्ष 2011–12 के दौरान 6 विद्यालय खोले जा रहे हैं।

8.5 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता ढ़ांचा का पायलट प्रोजैक्ट भारत–सरकार द्वारा 9 जिलों–गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, झज्जर, रोहतक, फतेहाबाद, अम्बाला और यमुनानगर के 40 विद्यालयों में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6,000 विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की आशा है। यह स्नातक कर रहे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता का उन्नयन करेगी तथा विकास को बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षित कार्य–शक्ति तैयार करेगी। इस योजना पर भारत सरकार की भागीदारी के 2,329.88 लाख रूपये सहित कुल 2,726.68 लाख रूपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

8.6 वर्ष 2009 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'साक्षर भारत' योजना का शुभांरभ किया गया। इसका खर्च केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

8.7 मेधावी छात्रों (पहली से बारहवीं कक्षा) के लिए 'राजीव गांधी छात्रवृति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान 330 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। पहली से आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

8.8 अनुसूचित जाति के कक्षा पहली से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए नकद पुरस्कार योजना (एकमुश्त भत्ता) के अन्तर्गत 125.35 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2011–12 के दौरान पहली से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले 'गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मासिक स्टाईपैंड योजना के अन्तर्गत 44.89 करोड़ रूपये, 'पिछड़े वर्ग 'ए' के विद्यार्थियों के लिए मासिक स्टाईपैंड योजना के अन्तर्गत 119.06 करोड रूपये तथा 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक स्टाईपैंड योजना के अन्तर्गत 223.30 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

8.9 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतू वर्ष 2011–12 के दौरान 17 करोड़ रूपये जारी किए गए है तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालयों के निर्माण/मुरम्मत के लिए प्लान पक्ष के 500 लाख रूपये तथा नॉन प्लान पक्ष के 1700 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर 14.50 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7 लाख विद्यार्थियों के लिए 9,449 प्राथमिक तथा 5,432 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जारी है।

8.10 हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्रियान्वित कर रहा है। प्रदेश में एक मिशन के तौर पर वैश्विक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक एवं समेकित कार्यक्रम है। इस का उदेद्श्य 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 है।

8.11 वर्ष के दौरान 8 नए प्राथमिक स्कूल खोले जाने तथा वर्तमान 49 प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें अपर प्राथमिक स्कूल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्कूलों में कक्षाओं के लिए 3,948 अतिरिक्त कमरों, 2,695 हैडमास्टर कक्ष, लड़कियों के लिए अलग से 632 शौचालयों का निर्माण तथा 597 स्कूलों को विद्युतीकरण, 167 पेयजल सुविधा, 1,55,806 चार दीवारी का निर्माण तथा 2,698 बैरियर फ्री एलीमैंट एवं रैम्प का निर्माण किया गया।

8.12 लड़कियों तथा अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मुफत पाठयपुस्तकें, बाइसाइकिल, परिवहन सुविधाएं, हॉबी या व्यावसायिक तथा जीवनकौशल विकास प्रशिक्षण तथा विभिन्न दौरे, योग एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे विभिन्न प्रोत्साहन समाज के सुविधा से वंचित बच्चों को दिए जा रहे हैं। छठी से आठवीं कक्षाओं की सभी पात्र छात्राओं को बाइसाइकिल वितरित किये गये हैं। मेवात, सिरसा एवं मोरनी के छात्रों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है।

8.13 31 जुलाई, 2011 तक स्कूल न जाने वाले 46,918 बच्चों को 1,688 भट्ठापाठशालाओं में दाखिले दिये गये। इसी प्रकार, प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों एवं स्टोन क्रेशरस पर स्वैच्छिक एजेंसियों की मदद से कार्य स्थल स्कूल स्थापित किये गये हैं। इससे प्रवासी श्रमिकों के लगभग 33,000 बच्चे लाभान्वित होंगे।

8.14 एलीमेंटरी शिक्षा स्तर पर छात्राओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) कार्यक्रम प्रदेश के 10 जिलों के 31 शैक्षणिक रूप से पिछड़े खंडों (ईबीबीएस) में लागू किया जा रहा है, जहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। लड़कियों की शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए इन 31 आर्थिक रूप से पिछड़े खंडों (ईबीबीएस) में 393 मॉडल कलस्टर स्कूल कार्यरत हैं।

8.15 छोटे बच्चे की देखभाल से लड़कियों को मुक्त करने के लिए 786 अर्ली चाइल्ड केयर सैंटर (ईसीसीएस) स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 596 केन्द्रों को शुरू कर दिया गया है जिनमें लगभग तीन से पांच वर्ष आयु समूह के 14 हजार बच्चों की स्वयं सेवकों द्वारा देखभाल की जा रही है। शेष केन्द्रों को चलाने के लिए प्रयास किये जा रहे है। प्रति केन्द्र 1,000 रूपये की राशि प्रदान की गई ताकि खेलते समय कुछ सीखने के लिए किट की खरीद की जा सके। इन केन्द्रों में कार्यरत स्वयं सेवकों का मानदेय 600 रूपये से बढ़ाकर 1,400 रूपये प्रतिमास किया गया हैं।

8.16 बेघर और घुमन्तू बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में चार आवासीय होस्टल स्वीकृत किये गये हैं और इनके आगामी शिक्षा के स्तर 2012–13 से चालू किये जाने की सम्भावना है।

8.17 माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूरक शिक्षा में सुधार लाने ओर इसकी पहुंच सार्वभौमिक बनाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की हैं। यह कार्यक्रम गुणवत्तापूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 14–18 वर्ष आयु समूह के सभी लड़के और लड़कियों को लक्षित करेगा। पांच किलोमीटर के भीतर सैकेण्डरी और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाएंगे तथा 2017 तक शतप्रतिशत दाखिले सुनिश्चित कियें जाएंगे 2020 तक सार्वभौमिक बनाना सुनिश्चित किया जावेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार के बीच फंडिग पैटर्न 75:25 और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50:50 है।

उच्चत्तर शिक्षा

8.18 उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने व छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने सहायक प्रोफेसर के 500 अतिरिक्त पद सरकारी कॉलेजों हेतू व 338 पद सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए मंजूर किये है। वर्ष 2011–12 में दो नये सरकारी कॉलेज खोले गये है। उच्च शिक्षा का बजट 2010–11 में 760 करोड रूपये से बढकर वर्ष 2011–12 में 892.61 करोड रूपये हो गया है। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की है जो उच्च शिक्षा से सम्बन्धित मुददों पर मुख्यतः नवीनतम शिक्षा एवं सुधारों के मुददों पर सरकार को सलाह देंगी। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के तहत 6 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। राज्य के जिला सोनीपत में उत्तर भारत का विशेष रूप से महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। दुरस्त शिक्षा सस्ती कीमत पर आम जनता के दरवाजे तक पहुँचाने में प्रगतिशील साबित हुई है। सत्र 2011–12 से दो नए कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, खरकडा एवं राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय, सफीदो में खोले गये। राज्य में अब 80 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के संकायों में छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 37 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख पाठयक्रम शुरू किये गये है।

8.19 राज्य में, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतू स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में अर्धवार्षिक पाठयक्रम लागू करने, परीक्षा प्रणाली का पुर्नगठन, पाठयक्रमों में संशोधन, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की शुरूआत, 47 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख पाठयक्रम की शुरूआत, 74 राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली लागू करना व 25 राजकीय महाविद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएं एवं स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की गई।

8.20 सरकार ने अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याण को उच्च वरीयता दी है। तदानुसार अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत 43.69 करोड रूपये वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं एवं प्रोत्साहन हेतू बडी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे पढाई के दौरान कमाई, सैर एवं पर्यटन, मानव संसाधन विकास, खेल प्रोत्साहन योजना व सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सैल की स्थापना करना इत्यादि।

8.21 राज्य के 66 राजकीय महाविद्यालयों एवं 43 निजी महाविद्यालयों में एजुसैट परियोजना लागू की गई। आंशिक रूप से एजुसैट परियोजना कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के अन्तिम वर्ष के लिए लागू की गई थी। परन्तु वर्ष 2009–10 से यह परियोजना कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लागू कर दी गई है।

8.22 सरकार द्वारा कुण्डली (सोनीपत) में राजीव गांधी शिक्षा शहर (रा.गा.शि.श.) की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो कि प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट क्षेत्र जैसे कि नैनोटेक्नालाजी, बायोटैक्नोलाजी या जैनेटिक टैकनोलोजी इत्यादि के उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्रों के रूप में कार्य करेगा। राजीव गांधी शिक्षा शहर राज्य में उच्चतर स्तर की शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त शिक्षकों को आकर्षित करेगा। राजीव गांधी शिक्षा शहर सोनीपत की दिल्ली से निकटता से प्रमुख संस्थान आकर्षित होंगे तथा उच्च शिक्षा सीखने के लिए राज्य को उच्चतर शिक्षा सीखने के तौर पर उच्च शिक्षा का हब होगा। इसमें 11 प्रतिष्ठित संस्थाओं को निजी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जगह आंबटित की गई है। इन विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। शिक्षा शहर पांच स्तम्भों की ताकतः लोग, अनुसंधान, कुशल प्रौद्योगिकी, संक्रमण एवं भूमंडलीकरण पर डिजाईन किया जा रहा है। जहां लोग मानव पूंजी का स्रोत रहे हैं। विश्वविद्यालय में विकास कार्य जोरों पर है। विश्वविद्याालय में 11 हजार करोड़ रूपये के कार्य की परिकल्पना की गई है, जिसमें 280 करोड़ रूपये का कार्य किया जा चुका है।

8.23 हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के तहत अधिनियमित किया गया है और इस अधिनियम के अर्न्तगत निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है।

1. ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम जगदीशपुर, जिला सोनीपत
2. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, जिला गुडगांव
3. ए.पी.जे. सत्या विश्वविद्यालय, जिला गुडगांव
4. एमिटी विश्वविद्यालय, जिला गुडगांव
5. एम.एम. विश्वविद्यालय, शादोपुर, अम्बाला
6. एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल

8.24 महिला छात्रों को सशक्त बनाने और लडकियों की अव्यक्त प्रतिभा को बाहर लाने के लिए वर्ष 2005–06 से महिला छात्रा सशक्तिकरण योजना शुरू की गई। इस योजना के अर्न्तगत छात्राओं में लिंग सम्बन्धी मामलों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू करने हेतू राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में महिला सैलों की स्थापना की गई है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अर्न्तगत 50 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

8.25 खेल मानकों में सुधार और राज्य/राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय खेलों में छात्रों की भागेदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2005–06 में खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। यह योजना छात्रों को औलम्पिक खेलों में खेलने के लिए तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। इस उद्धेश्य के लिए वर्ष 2011–12 हेतू 150 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

8.26 राज्य में सभी सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2011–12 से गैर आई.टी. संकाय के प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की गई है। वर्ष 2010–11 में 15 स्मार्ट क्लासरूम, 325 हिन्दी साफटवेयर तथा 25 सरकारी उत्कृश्टता के कॉलेजों में 25 अंग्रेजी भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है।

8.27 भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपनी पोस्ट मैट्रिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सक्षम होगी। जिन विद्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय एक लाख या इससे कम है उन्हें 140 रूपये प्रतिमास से 510 रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें रख–रखाव भत्ता, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य धन शामिल है। अब इस योजना को 1.7.2010 से मिशन प्रकार से संशोधित किया गया है।

1. आय सीमा 2 लाख रूप्ये तक बढ़ाई गई
2. छात्रवृत्ति की दर डे स्कोलर के लिए 300 रूपये से 530 रूपये प्रतिमास तथा होस्टल के लिए 570 रूपये से 820 रूपये प्रतिमास बढ़ाई गई।

8.28 सरकारी कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए वर्ष 2008–09 से समेकित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास की सुविधा प्राप्त कर रहे है, उनको 1,000 रूपये प्रतिमास की दर से 12 मास के लिए छात्रवृत्ति तथा अतिरिक्त 12 मास के लिए 500 रूपये प्रतिमास अतिरिक्त धनराशि इलैक्ट्रोनिक लेन देन के माध्यम से दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत चालू वित्त वर्ष में 30,080 विद्यार्थियों को लाभ हुआ।

8.29 सरकारी कॉलेजों के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदान करने के लिए वर्ष 2008–09 से एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने हेतू 2,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि इलैक्ट्रोनिक लेन–देन के माध्यम से दी गई है। इस योजना के अर्न्तगत चालू वर्ष में 28,077 छात्रों को लाभ हुआ।

8.30 भारत सरकार द्वारा हरियाणा मूल के पिछड़े वर्ग के छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अर्न्तगत पिछडे वर्ग के उन छात्रों को जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति एवं टयूशन फीस एवं परीक्षा शुल्क की राशि की प्रति पूर्ति की जाती है। समाज कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों अनुसार पात्र छात्रों को केवल भरण–पोषण भत्ता दिया जाता है।

8.31 स्नातक छात्राओं के लिए मेरिट स्कोलरशिप योजना वर्ष 2005–06 से शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य राज्य की मेधावी छात्राओं को शिक्षा जारी करने के लिए सक्षम बनाया है। इस योजना के अर्न्तगत उन 10 अव्वल छात्राओं को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने 10+2 स्तर की परीक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है तथा सरकारी संस्थानों में उच्च शिक्षा कर प्राप्त रहे हैं।

छात्रवृत्ति सम्मान की राशि 3,000 रूपये प्रति छात्र प्रति कॉलेज है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अर्न्तगत 780 छात्र लाभान्वित हुए है।

8.32 सभी सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल और सबसे वरिष्ठ लेक्चरर की देखरेख में प्लेसमेंट सैल गठित किए गए है। इन उद्धेश्यों हेतू वर्ष 2011–12 के लिए 50 लाख रूपये की बजट राशि स्वीकृत की गई है। राज्य के इतिहास में पहली बार राज्य में डिवीजन स्तर के 4 सरकारी कॉलेजों में अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए सरकार द्वारा प्रयोजित 4 मेले आयोजित किए गए। इस मेले में प्रतिष्ठित 22 कम्पनियों ने भाग लिया तथा 750 छात्रों को प्लेसमेंट की पेशकश की गई।

तकनीकी शिक्षा

8.33 उपयुक्त रूप में शिक्षित तकनीकी व व्यवसायिक, मानव संसाधनों का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संभाग है जोकि सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को निर्देशित करते है। तकनीकी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के अनुरूप राज्य में तकनीकी शिक्षा की योजना बनाता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

8.34 विभाग डिप्लोमा संस्थानों (बहुतकनीकी) के लिए आवश्यकतानुसार कार्यक्रम तैयार करता है और पर्याप्त मानव संसाधन और पाठ्यक्रम के वितरण के लिए ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करता है। यह छात्रों, पाठ्यक्रमों और संस्थानों के लिए स्टीक मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रणाली सुनिश्चित करता है। विभाग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन मन्त्रालय, अखिल भारतीय प्रबंधन सभा, वास्तुकला परिषद, विश्वविद्यालयों, उद्योग तथा अन्य रोजगार संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है ताकि तकनीकी प्रबंधकों/वैज्ञानिकों/अभियंताओं/पर्यवेक्षकों अन्य पेशेवरों को स्नातकोत्तर, पूर्वस्नातक एवं डिप्लोमा संस्थानों के माध्यम से अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, संगणक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, औषध विज्ञान, वास्तुकला, होटल प्रबंधन तथा अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प के क्षेत्र में गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसूचित जातियों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों, ग्रामीण आबादी और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। तकनीकी शिक्षा विभाग छात्रों को उचित एंव लाभप्रद/अर्जक नौकरी दिलाने के अलावा जीवन वृत्ति सलाह सेवा भी उपलब्ध करवाता है ।

8.35 वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय प्रदेश में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाएं, (जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त थे) एवं एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिसमें 1341 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। शैक्षणिक सत्र 2010–11 में संस्थाओं की संख्या बढकर 596 तथा छात्र प्रवेष क्षमता 1,24,705 थी।

8.36 विभाग तीन विश्वविद्यालयों गुरू जम्भेश्वर साईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, हिसार (1995), दीनबन्धु छोटूराम साईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, मुरथल (2006) तथा यंग मैनज़ करिस्चियन एसोसिएशन (वाई.एम.सी.ए.) साईंस एवं टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (2009) का भी प्रशासन चलाता है ।

तकनीकी शिक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धियां

8.37 तकनीकी शिक्षा विभाग ने फैशन एवं डिजाईन, फिल्म एवं टेलीविज़न तथा ललित कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली प्रदान करने के लिए एक ही परिसर में स्टेट ऑफ आर्टस् संस्थानों को स्थापित किया। शैक्षणिक सत्र 2011–12 में तीन संस्थान 99 दाखिलों के साथ कार्यशील हो गए ।

8.38 भारत सरकार द्वारा ग्राम सुनारिया, जिला रोहतक में आई.आई.एम., रोहतक की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2010–11 से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के परांगण में अतिथि कक्षाऐं 50 दाखिलों के साथ प्रारम्भ की जा चुकी है और वर्ष 2011–12 में 124 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

8.39 राजकीय बहुतकनीकी, मानेसर, जिला गुड़गांवा में 'हरियाणा इग्नू सामुदायिक कॉलेज' एवं 'शिक्षक योग्यता एडवांसमैन्ट संस्थान' ने 'हरियाणा इग्नू सामुदायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति' के प्रबंधन के तहत सितम्बर, 2011 में अपना कार्य शुरू किया।

8.40 वर्ष 2011–12 के अर्न्तगत अम्बाला सिटी, सिरसा, हिसार, मंडी आदमपुर, झज्जर, सोनीपत में सरकारी महिला बहुतकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए गर्ल्ज होस्टल का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। वर्ष 2012–13 के अर्न्तगत सरकारी गर्ल्स बहुतकनीकी संस्थान, लोहारू और उटावा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए गर्ल्ज होस्टल बनाए जाने है।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

8.41 वर्ष 2012–13 में पांच बहुतकनीकियों, चौ0 रणबीर सिंह हुड्डा सिंचाई एवं पॉवर इंजीनियरिंग संस्थान, हथनीकुण्ड (यमुनानगर), राजकीय बहुतकनीकी, उमरी (कुरूक्षेत्र), राजकीय बहुतकनीकी, जाट्टल (पानीपत), राजकीय बहुतकनीकी, ढांगर (फतेहाबाद) और राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुर (पंचकूला) का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

8.42 सैन्ट्रल इन्सटीयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी (सी.आई.पी.ई.टी.) मुरथल (जिला सोनीपत) में अपने नए 10 एकड़ परिसर में जुलाई, 2012 से अपना कार्यान्व्यन आरम्भ करेगा। ग्राम किलोड़, जिला सोनीपत में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना के लिए निजी पब्लिक भागेदारी (पी.पी.पी.) मोड में प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। वर्ष 2012–13 तक निजी भागीदार का चयन होना सम्भावित है।

औद्योगिक प्रशिक्षण

8.43 सुदृढ़ औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए युवा छात्र/छात्राओं को विभिन्न औद्योगिक कौशल में प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 131 संस्थानों (93 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), 7 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, 1 राजकीय आर्ट स्कूल रोहतक व 90 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों 13,840 प्रशिणार्थियों की क्षमता के माध्यम से राज्य में लगभग 48,444 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ये संस्थान उद्योगों को न केवल कुशल शिल्पकार प्रदान करते हैं बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं।

8.44 वित्त वर्ष 2011–12 में विभाग के अन्तर्गत 34,184 सीटों की क्षमता के साथ 123 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जिनमें 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) भी शामिल हैं) चल रहे हैं। राज्य में कला स्कूल, रोहतक जिसमें 120 सीटें उपलब्ध हैं, भी कार्य कर रहा हैं। अम्बाला शहर, रोहतक, जीन्द, भिवानी, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनकी कुल सीटों क्षमता 300 हैं। इन संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

8.45 विद्यार्थियों को बहु–कुशलता व आर्दश प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों् में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रशिक्षार्णिथियों के लिये प्रशिक्षण कार्यो को अधिक उपयोगी बनवाने के लिये 29 औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 64 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतू अंगीकृत किया गया है। संचालय, वित्तीय एवं प्रबन्धन में स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 68 सोसायटियों का गठन किया गया जिस में 75 संस्थान कवर किये गये है।

8.46 डी.जी.ई.एण्ड टी. द्वारा चलाई गई स्किल डिवलैपमैन्ट इनीशियेटिव स्कीम (एस.डी.आई.) के अर्न्तगत 60 वोकेशनल ट्रेंनिग प्रोवाईडर (वी.टी.पी.) द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर रहे है, प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। मार्च, 2010 तक इस स्कीम से 23,316 छात्र लाभान्वित हो चूके है। 65 अन्य संस्थानों को इस स्कीम के अर्न्तगत सम्मलित करने हेतू कार्यवाही चल रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी

8.47 राज्य सरकार निवेश–मैत्री वातावरण सजृित कर निवेश आकर्षित कर रही है, शीघ्र मंजूरी उपलब्ध करवा रही है और अधिकतम सुविधाएं तथा न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वसनीय आधारभूत संरचना विकसित कर रही है। राज्य सरकार ने औद्योगिक एवं निवेश नीति–2011 लागू की है, जिसमें विश्व भर में वैश्विकरण प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व तथा प्रदेश में इस क्षेत्र के विकास के मद्देनजर आईटी/आईटीईस/बीपीओ उद्योगों को शामिल करने के प्रावधान किए गए है। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़वा देने के लिए पंचकूला,औद्योगिक माडॅल टाऊनसशिप मानेसर, कुण्डली तथा राई,

(सोनीपत) में प्रौद्योगिकी पार्कों/इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए इफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया है। राज्य सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/साईवर पार्क स्थापित करने के लिए 35 प्रस्तावों को लाईसेंस प्रदान किए हैं, जो व्यापक स्तर पर आईटी विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगा।

8.48 दिल्ली के निकट होने के कारण गुड़गांव भारतीय आईटीईस/बीपीओ मार्किट की पंसद बन चुका है और यह सभी पड़ोसी राज्यों से भी इस क्षेत्र के कुशल मानव शक्ति को आकर्षित कर रहा है। गुड़गांव में आईटी/आईटीईस/बीपीओ कम्पनियां अपने आवश्यक कार्यबल की मांग के अध्ययन के लिए निरन्तर आधार पर सघन बैठकें कर रही है। हरियाणा में इन कम्पनियों के कार्यबल की मांग को पूरा करने तथा शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के दृष्टिगत हरियाणा के तकनीकी संस्थानों में वर्तमान पाठयक्रमों/विषयों में बदलाव तथा विशेष पाठयक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक–निजी भागिदारिता पद्धति के माध्यम से सोनीपत में सूचना प्रौद्योगिकी का अत्याधुनिक संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक सूचना एवं तकनीक का विस्तृत संस्थान स्थापित किया जा रहा है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। जिसके लिए ग्राम पंचायत, किलोहड ने भूमि उपलब्ध करवाई है।

8.49 विभिन्न विभागों मे ई–प्रशासन गतिविधियां के क्रियान्वयन के लिए राज्य में आईटी कैडर स्थापित किया जा रहा है और यह अप्रैल, 2012 तक संचालित होना अपेक्षित है। विभिन्न सरकारी विभागों में ई–प्रशासन की विभिन्न अवधारणाओं पर विचार करने व क्रियान्वयन में तकनीकी तथा विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य ई–प्रशासन प्रबंधन दल (एसईएनटी) भी संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई–प्रशासन गतिविधियों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए भी कदम उठाए जा रहे है। राज्य में अब तक 33 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही सरकार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के लिए आवश्यक आईसीटी प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवा रही है। अब तक 800 लड़कियों व महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वर्ष के दौरान 4,200 और लड़कियों व महिलाओं को प्रशिक्षण देने की सम्भावना है।

8.50 सरकार ने राज्य में 102.62 करोड़ रुपये की लागत से राज्य बृहत क्षेत्र नेटवर्क, 3.31 करोड़ रुपये की ई–जिला परियोजना तथा 12.38 करोड़ रुपये की लागत से राज्य डाटा सैन्टर परियोजना भी स्थापित की है। इन्हें पंचायत स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। राज्य बृहत क्षेत्र नेटवर्क, सामान्य सेवा केन्द्र तथा राज्य डाटा केन्द्र जैसी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के लिए 10.92 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सेवा वितरण गेटवे नामक नई परियोजना भी स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के लिए अनुरोध का प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया जा चुका है तथा क्रियान्वयन के लिए एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

8.51 राज्य सरकार प्रशासन में आईसीटी के अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। परिवहन, वित्त, आबकारी एवं कराधान, खाद्य एवं आपूर्ति इत्यादि विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र व हारट्रोन की सहायता से ई–प्रशासन गतिविधियों को पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया में है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्मार्ट कार्ड, आबकारी एवं कराधान विभाग के वाणिज्यिक करों का कम्प्यूट्रीकरण तथा परिवाहन विभाग के ड्राईविंग लाईसैंस व पंजीकरण के कम्प्यूटीकरण करने का कार्य शुरू हो चुका है।

8.52 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य में यूआईडी परियोजना के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है। विभाग का महत्वपूर्ण कार्य लोगों की सूचनाओं का पंजीकरण तथा प्रतिलिपिकरण को दूर करना होगा। प्रतिलिपिकरण तथा अनुचित एवं पुरानी सूचनाएं देने से बचने तथा सरकारी सेवाओं के वितरण में धोखाधड़ी को कम करने, नागरिकों के लिए सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाने तथा सरकारी एजेन्सियों की कार्य प्रणाली में तीव्रता एवं कार्य कुशलता लाने के उद्देश्य से आईटी विभाग इस डाटा बेस को अपने ई–प्रशासन अनुप्रयोगों से लिंक करेगा। सभी सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.53 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके अर्न्तगत दो संस्थाएं काम कर रही है, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक), हिसार। विभाग ने दो उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए है। पहला केन्द्र डी.एन.ए. टैस्टिंग एवं डायग्नोस्टिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग बारे पौध जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, हिसार में 233.85 लाख रूपये की लागत से तथा दूसरा केन्द्र

नवीकरणीय ऊर्जा टैस्ट केन्द्र जो दीनबन्धु छोटुराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में 1 करोड़ रूपये की लागत से है। सांपला, जिला रोहतक में साईंस सिटी व ग्योंग, जिला कैथल में साईंस सैंटर की स्थापना का प्रस्ताव है। विभाग ने कई नई योजनाएं शुरू की है जैसे "विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन योजना" जिसके अर्न्तगत जो विद्यार्थी मूल विज्ञान में अपनी स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जारी रखते हैं उन्हें वजीफा प्रदान करना, अनुसंधान अध्यक्षता के लिए च्यनित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सी.एस.आई.आर. अनुसार वजीफा, हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम जिसमें 9वीं व 10वीं कक्षा के दौरान 500 रूपये प्रतिमाह तथा 11वीं व 12वीं कक्षा के दौरान 1,500 रूपये प्रतिमाह की दर से वजीफा दिया जा रहा है। जिसके लिए उम्कृष्ट 1,000 विद्यार्थियों का चयन राष्टीय प्रतिभा खोज चरण 1 तथा राष्ट्रीय मैरिट कम मीन्स के प्राप्त अंकों के आधार पर जाता है, स्कूल विद्यार्थियों के लिए काऊसलिंग एवं जागरूकता कैम्पों का आयोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए विज्ञान कार्यशाला जिसके अनर्तगत राज्य के विभिन्न जिलों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों बारे व्याखानों का आयोजन, नवीन प्रौद्योगिकी की पहचान, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रसार, साईंस कोनक्लेव, त्रैमासिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की न्यूजलेटर तथा विज्ञान मैगजीन, हरियाणा विज्ञान दर्पण का प्रकाशन।

8.54 हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विभिन्न स्कीमें चला रही है जैसे विज्ञान प्रश्नोतरी प्रतियोगिता, विज्ञान निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, बाल विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, का आयोजन, संगोष्ठी/कार्यशालाओं का आयोजन, सहयोगात्मक विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, अनुसंधान एवं शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान, मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न संस्थानों का भ्रमण, राज्य के वैज्ञानिको को विज्ञान एंव प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित करने के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार योजना तथा हरियाणा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने बारे स्कीम। विभाग की यह सभी गतिविधियां इस वर्ष के दौरान जारी रहेगी। खगोलीय पिण्डो एंव खगोलीय गतिविधियो का अवलोकन करने के लिए 11 इंच का टेलिस्कोप कार्यालय भवन में लगाया गया है। हरियाणा राज्य के छात्रों को भारत के विख्यात वैज्ञानिकों को सुनने व उनसे वार्तालाप का अवसर देने बारे विभाग ने महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के सहयोग से 2–3 दिसम्बर, 2011 को दो दिवसीय विज्ञान सम्मेलन, पंचकुला में कांऊसलिंग कम जागरुकता कैम्प एंव हिसार व यमुनानगर में विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया।

8.55 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने ऐसट्रोनॉट कल्पना चावला की याद में कुरूक्षेत्र मे 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है। इस में 120 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। ताारामण्डल में खगोल विज्ञान से सम्बधित फिल्में दिखाकर विद्यार्थियो एंवम सामान्य लोगो को शिक्षित किया जा रहा है।

8.56 पौध जैव प्रौद्योगिकी केन्द, हिसार के द्वारा ब्रहमी, गन्ना, सर्पगन्धा, मेंहदी, गुलदाउदी, ग्वार पटठा, केला, स्टीविया, बॉस इत्यादि के पौधों की उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा व्यवसायिक आधार पर वृद्धि की गई है। इस समय केन्द्र में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान एंवम प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एंवम एन.ए.वी.ओ.डी. बोर्ड द्वारा स्वीकृत 9 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के शैक्षणिक सहयोग के बारे में एक समझौता पत्र जारी किया गया जिसके अर्न्तगत केन्द्र में कार्य कर रहे विद्यार्थियों को पी.एच.डी. के लिए नामांकित किया जा सकेगा। केन्द्र विभिन्न संस्थाओं के विद्यार्थियों को पौध जैव प्रौद्योगिकी एंवम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.57 हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक) अपनी स्थापना के समय से ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, मानीटरण एवं इनके प्रबन्धन में कार्यरत है तथा अभी तक यह केन्द्र 100 से अधिक परियोजनाएं पूरी कर चुका है एंव 35 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। हरियाणा सरकार ने इस केन्द्र को सुदूर संवेदी एवं भौगोलिक सूचना तन्त्र से सम्बन्धित कार्य के लिए राज्य में नोडल एजैन्सी घोषित किया है। हरसक ने 2011–12 के दौरान जी.आई.एस. आधारित संसाधन तथा अवसंरचना नक्शे, हरियाणा राज्य की मुसावियों का डिजिटाइजेशन, हरियाणा में स्वचालित मौसम स्टेशन लगाने बारे, हरियाणा में सैलाब वाले क्षेत्र का प्रबन्धन, हरियाणा के विभिन्न भागों में वाटर शैड मूल्यांकन, जल क्षेत्रों के बदलाव का विश्लेषण, भूमिगत जल सम्भावनाओं की उपलब्धता का मानचित्रण, वृक्ष क्षेत्रों का मानचित्रीकरण, हरियाणा में फसल अवशेष जलाने का मुल्याकंन, कृषि सुखा मानिंटरिग, बंजर भुमि बदलाव का विश्लेषण, हरियाणा के आइसोलेशन का मूल्यांकन स्पेस बेस्ड इन्फोरमेशन सिस्टम फार डीसेंट्रलाइज़ प्लांनिग भू रिकार्ड का नवीकरण इत्यादि परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। जियोस्पेशियल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव

शक्ति की रोजगार एंवम उसके उपयोगिता के मद्देनजर हरसैक ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से जियोइन्फोमेटिक्स में एम.टैक कोर्स प्रांरभ किया है।

स्वास्थ्य

8.58 राज्य सरकार, राज्य के लोगों के स्वास्थ्य निर्धारण संकेतकों में सुधार लाने हेतू निरन्तर प्रयासरत है। निःशुल्क संस्थानागत प्रसवों तथा निःशुल्क परिवहन सेवाओं के परिणाम स्वरूप संस्थानागत प्रसूतियों में 77.2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की मृत्युदर को कम करने हेतू प्रत्येक माता एवं शिशु का (माता एवं बच्चा ट्रैकिंग प्रणाली) साफटवेयर के माध्यम से ध्यान रखा जा रहा है। शिशु मृत्यु दर नवीनतम एस.आर.एस. 2010 के अनुसार 51 से घट कर 48 हो गई है। नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतू आधारभूत ढांचे को अपग्रेड करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य में 9 नवजात बीमार शिशु देखभाल यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं जिसके परिणाम स्वरूप 8,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकी है तथा ऐसी पांच अन्य इकाईयां स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा के मेवात जिले से मास जून, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित लाभों के अतिरिक्त निःशुल्क आहार भी हस्पताल मे उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामान्य रूप से किए जाने वाले टीकाकरण को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त खसरे का प्रतिरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है तथा राज्य के सभी बच्चों को कवर करने वाला ऐसा अभियान देश के कुछ ही राज्यों में चलाया जा रहा है जिनमें से हरियाणा राज्य एक है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के उददेश्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रमए आशाओं तथा ए.एन.एम. के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रत्येक जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिला को श्यशोद्धाश नामक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। घर मे की जाने वाली नवजात शिशु की देखभाल की सेवाओं के विकास तथा प्रशिक्षण हेतू नार्वेगन तथा भारत की प्रतिभागिता तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्यक्रमों (यू.एन.ओ.पी.एस.) के लिए एक ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। स्वास्थ्य वाहन सेवा 102 को 24 जनवरी, 2012 को 17 अग्रिम जीवन सहायता एम्ब्यूलैंस से अपग्रेड किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान स्वास्थ्य वाहन सेवा 102 के माध्यम से कुल 2.97 लाख रोगियों को लाभ पहुंचाया गया जिनमें से 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं है।

8.59 सरकारी अस्पतालों के आधारभूत ढांचें में सुधार तथा निःशुल्क दवाईयों व सरल सर्जरी पैकेज के परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बहिरंग रोगियों की संख्या बढकर 1.67 करोड़ तथा अन्तरंग रोगियों की संख्या बढ़कर 13.94 लाख हो गई है। जोकि वर्ष 2008 की तुलना में लगभग 32 प्रतिश्त अधिक है ।

8.60 पानीपत, रिवाड़ी तथा नारनौल के तीन जिला अस्पतालों को अतिरिक्त ब्लाकों के निर्माण द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है। झज्जर तथा बहादुरगढ़ में अस्पतालों के नए भवनों का निर्माण कार्य 18 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है तथा ये अस्पताल संचालित हो चुके हैं। 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 145 उप–केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है। 13वें वित्तायोग के तहत आधारभूत ढांचे के लिए 50 करोड़ तथा राज्य बजट में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

8.61 सरकार द्वारा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतू सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। सोनीपत तथा मेवात में 2 चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। चिकित्सा महाविद्यालय सोनीपत में स्थित अस्पताल में प्रतिदिन 500–600 बहिरंग रोगियों की उपस्थिति के साथ शुरूआत हुई है। पं. बी. डी. शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में 43.78 करोड़ रूपये की कुल लागत से सुपर स्पेशियलिटी, ओ.पी.डी. तथा दन्तक यूनिट के नवनिर्मित भवन चालू हो चुके है। राज्य के 6 जिला अस्पतालों में नए जी.एन. एम. नर्सिंग स्कूल स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने हेतू चिकित्सकों के 285 नए पद अपग्रेडिड नार्म के अनुसार सृजित किए गए हैं। पहली बार स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर रूप से लागू करने तथा बेहतर पर्यवेक्षण हेतू सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 111 वाहन उपलब्ध करवाए गये है।

8.62 असंक्रमित रोग कार्यक्रम भारत सरकार के नए कार्यक्रमों में से एक है जिसका उददेश्य मधुमेह, कैंसर, रक्तचाप तथा स्ट्रोक जैसे रोगों की रोकथाम तथा नियन्त्रण करना है, इस कार्यक्रम के तहत जिला मेवात में एक लाख से अधिक लोगों की रक्तचाप तथा मुधमेह के लिए जांच की जा चुकी है। इसके पश्चात यमुनानगर, कुरूक्षेत्र तथा अम्बाला सहित तीन जिलों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।

8.63 नशाखोरी की बुराई को समाप्त करने हेतू राज्य में 4 नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2012–13 में 4 नए नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किए जाने की योजना है।

8.64 श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र के परिसर में राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला तथा राजकीय फार्मेसी के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन संस्थानों में राज्य के आयुष अस्पतालों, औषद्यालयों तथा औषद्यालयों में प्रयोग होने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवता नियन्त्रण तथा गुणात्मक आयुर्वेदिक दवाईयां तैयार करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

आयुष

8.65 आयुर्वेदा, योग तथा नेचरोपैथी, यूनानी, सिद्वा तथा होम्योपैथी, (आयुष) इन सभी पैथियों की भारत वर्ष के सभी वर्गो में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षों तक उपयोग करके जांची और परखी हुई पैथियां है जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगो को फैलने से बचाती हैं। औषधियों की आयुष प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे क्रोनिक रोगों के उपचार एवं रोकथाम में, जिनका इलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नही है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बीमारियों के बढने के कारणों के हालातों को देखते हुए लोगो का रूझान आयुष पैथियों की तरफ, देश में तथा दूसरे देशो में भी होने लगा है।

8.66 आयुष विभाग हरियाणा राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें राजकीय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, पंचकूला में उपलब्ध करा रहा है। इस उद्देश्य के लिये विभाग में इस समय 3 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 456 आयुर्वेदिक, 17 युनानी एंव 20 होम्योपैथिक औषधालय के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हैं। श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के माध्यम से राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान नए आयुष औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और सरकार के विचाराधीन है। नारनौल में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

8.67 आयुष प्रणाली व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान देने वाली अपनी औषधीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पद्धति को वृद्धि और प्रचार प्रसार हेतू बहुत से कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्यमिशन के तहत आयुष की मुख्य धारा तथा स्थानीय स्वास्थ्य रीतियां का रिवीटलाईजेशन एक महत्वपूर्ण स्ट्रंटेजी है। वर्ष 2009–10 से आगे 21 आयुष विंग हस्पतालों पर 92 आयुष आई.पी.डी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा 50 आयुष ओ.पी.डी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष की मुख्यधारा के अर्न्तगत स्थापित किए जा चुके हैं। इन संस्थाओं पर आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डाक्टर तथा अन्य स्टाफ के द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है।

8.68 केन्द्र संचालित योजना के अर्न्तगत श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के कैम्पस में ड्रग टैस्टिंग लेबोरैटरी तथा आयुर्वेदिक फार्मेसी का भवन तैयार हो चुका है तथा इनको चालू करने के प्रयत्न जारी है। इन संस्थानों में स्टाफ 2011–12 तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

8.69 राज्य के 10.64 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को 7 ई.एस.आई. हस्पतालों के (5 राज्य ई.एस.आई. हस्पताल तथा 2 ई.एस.आई.सी. हस्पताल) तथा 57 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों द्वारा राज्य में सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान (दिसम्बर, 2011 तक) 20.97 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को बाहय सम्पूर्ण चिकित्सा तथा 17,000 मरीजों को अन्तः रोग्य इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

8.70 500 बिस्तरीय चिकित्सा महाविद्यालय जिसपर लगभग 550 करोड़ रूपये की लागत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन की जाएगी, का निर्माण कार्य ई.एस.आई. हस्पताल, फरीदाबाद में जोर शोर से चल रहा है तथा प्रथम बैच वर्ष 2013 में आरम्भ होने की सम्भावना है। ई.एस.आई. हस्पतालों में औद्योगिक क्षेत्रों में 18 नई डिस्पैन्सरियां तथा 3 ई.एस.आई. हस्पतालों में आयुर्वेदिक युनिट स्वीकृत किए गए।

8.71 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक धनरहित योजना है जोकि राज्य के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में अग्रणीय राज्य है जिसे भारत सरकार द्वारा उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए गत

वर्षों 2009, 2010 तथा 2011 में "प्रशंसा पत्र" भी प्रदान किए गए। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार जनसंख्या के दूसरे प्रारूप, राज्य में भवनों के निर्माण में कार्यरत कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया है। इस स्कीम के तहत 24,761 पंजीकृत भवन निर्माण कामगार परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए है। इस योजना का विस्तार फेरीवालों के लिए करने के लिए हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस स्कीम के अर्न्तगत 4 जिलों में 979 फेरीवाले परिवारों को पहले ही स्कीम के अर्न्तगत ले लिया गया है। इस स्कीम को घरेलू कामगारों तथा एमनरेगा कामगारों (जिन्होंने एक वर्ष पूर्व 15 या इससे अधिक दिनों के लिए कार्य किया है) को इस स्कीम में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत एन्रोलमैंट प्रोसैस के अध्ययन के लिए 4 देशों के प्रतिनिधिमंडल नाईजीरियां, बांग्लादेश, वियतनाम तथा जर्मनी ने राज्य का दौरा किया। भारत सरकार ने राजस्थान राज्य में आर.एस.बी.वाई. स्कीम को लागू करने के लिए हरियाणा राज्य को "मैंटर" का दर्जा दिया है।

जन स्वास्थ्य

8.72 राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात पेयजल वितरण के लिए बनाए गए आधारभूत संरचना की बढ़ौतरी और सुदृढ़ता पर ध्यान केन्द्रीत किया गया। दिसम्बर, 2004 में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि राज्य के 6,759 गांवों में से 1,971 गांव पानी की कमी वाले गांवों की श्रेणी में आ गए थे जिनमें विभिन्न कारणों से पेयजल स्तर 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुमोदित मापदण्ड से कम हो गया था। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और 31.3.2011 तक 1,844 पानी की कमी वाले गांवों की पेयजल वितरण सुविधाओं में सुधार कर दिया गया तथा 1.4.2011 के अनुसार 127 पानी की कमी वाले गांव शेष रह गए थे। भारत सरकार ने फोकस बदल कर अब गांवों की कवरेज जनसंख्या के हिसाब से कर दिया है। राज्य के 7,385 गांवों में से 1,997 गांव ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या अनुसार 100 प्रतिशत से कम कवरेज है। इनमें से वर्ष 2011–12 के दौरान 943 गांवों को 100 प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

8.73 राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के नाम से नवम्बर, 2006 से एक अनूठी योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 10.36 लाख घरों में निजी पीने के पानी के कनैक्शन मुफत देने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के परिवारों को मासिक पानी के शुल्क में भी 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणियों को भी निजी पीने के पानी का कनैक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांवों में 500 रुपये कनैक्शन फीस 31.3.2012 तक माफ कर दी गई है। अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 9.83 लाख अनुसूचित जाति के घरों में पानी के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के शेष 0.53 लाख घरों में पानी के निजी कनैक्शन 31.3.2013 तक प्रदान कर दिए जाएंगे जिसके लिए वर्ष 2011–12 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 52 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

8.74 वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत 223.68 करोड़ रुपये 13वें वित्त आयोग को छोड़ कर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 2011–12 के लिए क्रमशः 110.52 करोड़ रुपये और 104.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से 943 बस्तियों में पेयजल सुविधाओं में बढ़ौतरी करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 31 दिसम्बर, 2011 तक 424 बस्तियों की पेयजल आपूर्ति में सुधार किया जा चुका है। यह लक्ष्य 31.3.2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।

8.75 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य 2000–2001 से विभिन्न किश्तों में नाबार्ड से सहायता ले रहा है। इस समय 484.59 करोड़ रुपये की लागत से 229 परियोजनाएं आर.आई.डी.एफ.–XII, XV, XVI व XVII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं। इसमें जिला महेन्द्रगढ़ के 64 गांवों और 34 ढाणियों में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 127.04 करोड़ रुपये की एक मुख्य परियोजना और जिला रिवाड़ी के 42 गांवों के लिए 100.47 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान नाबार्ड योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 35 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं।

8.76 मेवात क्षेत्र में स्थायी पेयजल आपूर्ति सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 300.49 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के अन्तर्गत राजीव गांधी जल आपूर्ति बढ़ौतरी प्रोजैक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है। टयूबवैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 245 गांव और रैनी वैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 258 गांव आते हैं। इस समय रैनीवैल सैगमैंन्ट के अन्तर्गत 258 गांवों की पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में 55 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुधार का कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान इस प्रोजैक्ट के लिए 28 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं।

8.77 राज्य के सभी 79 बड़े व छोटे शहरों में (फरीदाबाद तथा पंचकूला सहित, जिनकी देखरेख नगर निगम फरीदाबाद व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है), पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिये 107 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

8.78 राज्य में मल निकास सम्बन्धित सुविधा 74 शहरों में आंशिक रुप से प्रदान की जा चुकी है। वित्त वर्ष के दौरान मल निकास सुविधाओं के लिए 123.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान से विभिन्न शहरों में मल शुद्धिकरण संयत्र लगाने के साथ–साथ बिना मल निकासी सुविधा वाले क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने कार्य किए जा रहे हैं।

8.79 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति एवं मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। दिसम्बर, 2007 में 189.60 करोड़ रुपये की लागत से 8 शहरों व एक गांव में जल आपूर्ति के सुधार तथा 6 शहरों व एक गांव में मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रोजैक्ट अनुमोदित किया। फरवरी, 2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा 21.58 करोड़ रुपये की लागत से 2 शहरों की मल निकासी का प्रोजैक्ट अनुमोदित किया गया। इन सभी प्रोजैक्टों के अन्तर्गत कार्य चल रहा है। दिसम्बर, 2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा 107.79 करोड़ रुपये की लागत से 2 शहरों, नामतः गोहाना और सोहना की जल आपूर्ति का प्रोजैक्ट अनुमोदित किया गया था। जून, 2009 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा दो शहरों के लिए, नामतः 8.29 करोड़ रुपये की लागत से मल निकासी योजना सोनीपत और 16 करोड़ रुपये की लागत से मल निकासी योजना गोहाना, का एक नया प्रोजैक्ट अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 2009 में 8.51 करोड़ रुपये की लागत से सोनीपत शहर की जल आपूर्ति योजना का एक नया प्रोजैक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा अगस्त, 2011 में 397.96 करोड़ रुपये की लागत से पानीपत, समालखा और नलहर कालेज व नूंह सहित 17 गांवों की जल आपूर्ति में सुधार तथा पुन्हाना, नूंह, हथीन और पटौदी शहरों में मल निकासी व्यवस्था के लिए सात प्रोजैक्ट अनुमोदित किए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2011 में 115.36 करोड़ रुपये की लागत से पटौदी–हेली मंडी और फारुखनगर की जल आपूर्ति तथा फारुखनगर शहर की मल निकासी व्यवस्था के लिए तीन प्रोजैक्ट अनुमोदित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 77.70 करोड़ रुपये की राशि (ऋण सहित) अंकित की गई है।

8.80 यमुना एक्शन प्लान भाग–2 के अन्तर्गत 2004 से 2010 के दौरान 62.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्य क्रियान्वित किए गए। यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांव में वर्ष 2040 तक की जनसंख्या के लिए मल निकासी सुविधाओं की बढ़ौतरी के साथ साथ मल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने के लिए मास्टर प्लान, फिजीबिलिटी स्टडीज रिपोर्ट और डिटेलड प्रोजैक्ट रिपोर्टस कंसलटैंटस के माध्यम से तैयार की जा चुकी हैं और इसे यमुना एक्शन प्लान चरण–3 के अन्तर्गत अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। वर्ष 2011–2012 के दौरान यमुना एक्शन प्लान फेस–2 के अर्न्तगत कार्यों के लिए राज्य योजना में 1 करोड़ रुपये अंकित किए गए हैं।

8.81 शत्प्रतिशत जल आपूर्ति और मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 14 शहरों, नामतः अम्बाला, असंध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना और उचाना में 959.20 करोड़ रुपये की लागत से कार्य वर्ष 2010 के दौरान शुरु किए जा चुके हैं। इन सभी शहरों में कार्य शुरु हो चुके हैं। अब तक इस प्रोजैक्ट पर 537 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और यह कार्य मार्च, 2013 तक पूरा करना अनुसूचित है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

8.82 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में जल आपूर्ति के सुधार के लिए वर्ष 2011–15 के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि अंकित की गई है। इसी प्रकार मेवात क्षेत्र में जल आपूर्ति के सुधार के लिए वर्ष 2011–15 के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि अंकित की गई है।

13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत जिला पंचकूला और यमुनानगर के शिवालिक क्षेत्र में ग्रामीण जल आपूर्ति की बढ़ौतरी के लिए 13.27 करोड़ रुपये की लागत के दो प्रोजैक्ट अनुमोदित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त तोशाम, सिवानी, लोहारु, बहादुरगढ़ और धारुहेड़ा शहरों की जल आपूर्ति की बढ़ौतरी के लिए 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत 81.23 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट अनुमोदित हो चुके हैं। मेवात क्षेत्र में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 43 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और पुन्हाना व हथीन शहरों की जल आपूर्ति में बढ़ौतरी के दो प्रोजैक्ट 21.30 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित हो चुके हैं।

8.83 वर्ष 2011–12 के दौरान शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 75 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जबकि मेवात क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज

8.84 विकास एंव पंचायत विभाग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रो में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है।

8.85 महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना राज्य सरकार का एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (ए) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्गगज के आवासीय प्लाट मुफत अलाट किए जा रहे है। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां विकसित की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 31 अक्तूबर, 2008 तक चिन्हित किये गए 6 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होगे। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है उनमें से 3.80 लाख परिवारों को प्लाट आंबटित किये जा चुके है तथा वहां शेष परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों जिनमें प्लाट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला कर किया जाएगा। फिलहाल लगभग 600 गावों में बस्तियों की भूमि पर विकास कार्य चल रहा है। इन बस्तियों के विकास के लिए 2009–10 में 4,466 लाख रूपये की राशि मुहैया करवाई गई थी और वर्ष 2010–11 के लिए 396 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2011–12 के लिए 5,000 लाख रूपये रखे गये है जिनमें से 3,681.20 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

8.86 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का मुख्य उद्धेश्य उन गावों में जहां अनुसूचित जाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है में गालियों एंव नालियों पक्का करवाने, पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाना, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र निर्माण एंव शमशान घाट की चारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। पहले चरण में 391 गावों को इस स्कीम के तहत लिया गया तथा 11,785 लाख रूपये की राशि रिलीज की गई। वर्ष 2010–11 के लिए 6,208 लाख रूपये जारी किये गए थे।

8.87 हरियाणा राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई है। वर्ष 2008 से 2011 तक 918 लाख रूपये की राशि राज्य में 582 ग्राम पंचायतों को बतौर अर्वाड के तौर पर दी गई है। वर्ष 2011–12 के लिए (289 तीन स्तरीय+35 सस्टेनेबिल्टी अवार्ड) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जोकि वे जांच प्रक्रिया में है। वर्ष 2011–12 के लिए कुल बजट प्रावधान 423.25 लाख रूपये रखा गया है।

8.88 गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतू ग्राम पंचायतों द्वारा 10,300 से अधिक सफाई कर्मी लगाए है। सफाई कर्मियों को भत्ता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिए आरम्भ में अक्तूबर, 2007 से प्रत्येक सफाई कर्मी को 3,525 रूपये प्रति माह मिलते थे जिसे 1 नवम्बर, 2010 से बढ़ाकर 4,348 रूपये और अब 1 नवम्बर, 2011 से दोबारा बढ़ाकर 4,848 रूपये प्रति माह कर दिया गया है। वर्ष 2011–12 योजना के लिए 5,526.75 लाख रूपये का बजट प्रावधान है जिसमें से 5,188 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

8.89 गलियों को पक्का करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत सरकार का राज्य के सभी 6,764 गावों में 10 लाख रूपये प्रति गांवों प्रदान करके गावों की सभी मुख्य गलियों को पक्का करने का विचार है। गावों की गलियां इन्टरलोकिंग पेवर ब्लाकस से बनाई जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर पाइप लाईनों की मुरम्मत

टाईलों को आसानी से हटाया जा सके और मुरम्मत उपरांत पुनः बिछाया जा सके। इस योजना के अर्न्तगत 31.3.2011 तक लगभग 5,700 गांव लाभान्वित हो चुके है। वर्ष 2011–12 के दौरान 6,300 लाख रूपये का प्रावधान है जिसमें से 6,124 लाख रूपये जारी किये जा चुके है।

8.90 हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्य के लिए 98 चुने गऐ गावों में आधुनिक कस्बों के अनुरूप आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाकर विकसित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 425 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान इन गांवों का आधुनिकीकरण करने, गलियों को पक्का करने, गन्दे पानी की निकासी की समस्या का निवारण करने, पीने के पानी की सुविधा हेतू नालियां डालने आदि हेतू किया गया।

8.91 महिला चौपाल बनाने का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सांझा मंच प्रदान करना जिससे गांवों में सामाजिक वार्तालाप एवं सामाजिक कार्यो में उन्हें सहभागी बनाना तथा महिला सशक्तिकरण की ओर पहला कदम के रूप में दिखा जा सकता है। वर्ष 2008–09 में पहले चरण में 529 महिला चौपालों के निर्माण हेतू 1,587 लाख रूपये की राशि 3 लाख रूपये प्रत्येक महिला चौपाल के हिसाब से स्वीकृति की गई थी। दूसरे चरण में 629 महिला चौपालों के निर्माण हेतू 1,887 लाख रूपये की राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए किया गया था। इस स्कीम के तहत उन ग्राम पंचायतों को 20,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है जो कि धनराशि प्राप्ति के 5 महीने के अन्दर–अन्दर चौपाल निर्माण का कार्य पूरा करेंगी।

8.92 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत मण्डियों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2 प्रतिशत विकास फीस ली जाती है। वसूल की गई राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो, गांवों की सड़कों के विकास, चिकित्सालयों की स्थापना, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रबन्ध करने, खेती मजदूरों के कल्याण, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों को उनमें तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर आदर्श मण्डी क्षेत्रों में परिवर्तित करके, ब्रिकी/खरीद के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए गोदामों तथा भण्डार करने के लिए अन्य स्थानों के निर्माण तथा मंडी क्षेत्र के आने वाले व्यक्तियों (विक्रताओं तथा खरीदारों दोनों) के ठहरने को सुखद बनाने के लिए ओर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो बोर्ड द्वारा फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति के हित में तथा उसके फायदे के लिए समझा जाये। निगम इस राशि को प्रशासनिक कार्यो के लिए भी प्रयोग किया जायेगा। बोर्ड द्वारा 01.04.2005 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान 1,507.66 करोड़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास कार्यो के लिए जारी की जा चुकी है। वर्ष 2011–12 (31.1.2012 तक) 267.78 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी किए जा चुके है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

8.93 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम समस्त राज्य में 1 अप्रैल 2008 से लागू की जा चुकी है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, जो कि अपने क्षेत्र में मजदूरी रोजगार की तलाश में हैं एंव अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाना है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस स्कीम में कार्य कर रहे श्रमिकों को 1.1.2011 से 179 रूपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है जोकि देश में सबसे अधिक है। अकुशल शारीरिक करने के इच्छुक व्यस्क बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार के लिए पंजीकृत किया जाता हैं। परिवारों को ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार कार्ड जारी किए जाते हैं। मजदूरी की अदायगी का भुगतान साप्ताहिक या पन्द्रह दिनों के अन्दर बैंकों व डाकघरों के बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें एवं अन्य विभागों द्वारा विकास कार्य जैसे जल संग्रहण, नहर सिंचाई साधन, सिंचाई सुविधाएं, सूखाग्रस्त पररिफंग कारपोरेशन, पौधारोपण, बागवानी विकास, परम्परागत जल संसाधनों का पुर्न–उत्थान, छोटे तथा सीमान्त किसानों की निजि भूमि, अनुसूचित जातियॉ, बी.पी.एल परिवारों की भूमि, भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार के इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि पर विकास कार्य जैसे संसाधनों का पुर्न–उत्थान भूमि विकास, सूखाग्रस्त एवं रोकथाम कार्य नहर सिंचाई साधन, परम्परागत जल तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ना आदि किये जा रहे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए जिला, खण्ड तथा पंचायत स्तर पर अलग से हैंडिकेटड अमले की नियुक्ति की गई है।

8.94 इस स्कीम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में (जनवरी, 2012 के अन्त तक) 292.39 करोड रूपये की उपलब्ध राशि मे से 170.43 करोड रूपए की राशि व्यय करके 67.68 लाख मानवदिवसों का सृजन किया जा चुका है जिनमें से राज्य के ग्रामीण 34.39 लाख मानवदिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 24.24 लाख महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 12,697 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 4,503 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरम्भ में वर्ष 2011–12 के लिए 86 लाख मानवदिवसों का सृजन करने हेतू 226.80 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की थी। राज्य सरकार की उपलब्धियों के कारण मंत्रालय ने अब 305.09 करोड़ रूपये का श्रम–बजट संशोधित किया है जिससे 115.70 लाख मानवदिवस सृजित किए जायेंगे।

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व–रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)

8.95 गरीबी उन्मूलन तथा स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु एक स्कीम–स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना लागू की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत स्व–रोजगार के सभी पहलुओं जैसे कि गरीबों को स्वंय सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, तकनीकी आधारभूत ढॉचे, विपणन आदि सुविधाएँ सम्मिलित हैं। ग्रामीण महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा साफ सैनेटरी पेडों का निर्माण किया जाता है और उनका विपणन स्वास्थ्य विभाग के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत कुल 29.52 करोड़ रूपये की धन राशि उपलब्ध थी। उपलब्ध धन राशि में से 18.57 करोड़ रूपये 23,427 के लक्ष्य के विरूद्व 13,252 स्व–रोजगारियों को सहायता प्रदान करने पर जनवरी, 2012 तक व्यय की जा चुकी है। इस स्कीम में 50 प्रतिशत अनुसुचित जाति तथा 40 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व–रोजगार योजना अब तक इसके अंतर्गत कुल लाभार्थियों में से 53 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 84 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है ।

8.96 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 से एस.जी.एस.वाई. का आजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) में पुनर्गठन कर दिया है। आजीविका राज्य के सभी जिलों में 5 चरणों में लागू की जाएगी। वर्ष 2012–13 के दौरान पहले चरण में कैथल, मेवात, भिवानी तथा झज्जर के कुल 12 खण्डों का चयन (प्रत्येक जिले के 3 खण्ड) इस स्कीम को लागू करने के लिए किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

8.97 इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का पहला उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जाति के परिवारों को रिहायशी मकान बनवाने में सहायता करना है। गांव में गरीब लोगों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान उपलब्ध करवाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा 45,000 रूपये की राशि दी जा रही है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, 17,293 मकानों के निर्माण हेतू निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व, 9,757 मकानों का निर्माण जनवरी, 2012 तक किया जा चुका है तथा 6,604 मकान निर्माणाधीन हैं जिनमें से 5,796 मकान अनुसूचित जातियों के लिए है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 45.28 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

8.98 वर्ष 2007–08 से जिला महेन्द्रगढ तथा सिरसा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) नामक एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पहचान किए गए निर्णायक आधारभूत ढांचे के अन्तर को पूरा करना है। इस स्कीम के अंर्तगत 30.15 करोड़ रूपये की आबंटित राशि में से जनवरी, 2012 तक 21.07 करोड रूपये व्यय करके 723 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 1,359 कार्य प्रगति पर हैं। बी.आर.जी.एफ. की वार्षिक योजना 2011–12 में आवश्यकतानुसार तय किये गये अंतर को पूरा करने के लिए विकास कार्य जैसे कि स्कूल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पानी के रखाव के लिए टैंक तथा घूमन्तु पानी टैंकरों तथा गांवों के तालाबों में नहरों से पानी ड़ालने के लिए नालियां बनवाना इत्यादि शामिल किए गए हैं।

डी.डी.पी. तथा आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम

8.99 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जैसे कि मरूस्थल विकास कार्यक्रम एवं समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण के द्वारा चयन किए गए जिलों में सूखेपन की गम्भीरता को नियंत्रित करना है। जनवरी, 2012 तक डी.डी.पी. तथा आई.डब्ल्यू.डी.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत 27.15 करोड़ रूपये विभिन्न जल संग्रहण कार्यों पर खर्च किये गये हैं। वित वर्ष 2008–09 से इन दोनों स्कीमों का समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम में समायोजन किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए राज्य के 7 जिलों नामतः अम्बाला, भिवानी, हिसार, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकुला व यमुनानगर के लिए 215.44 करोड़ रूपये की राशि 47 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है जिनका क्षेत्रफल 1,79,531 हैक्टेयर है।

8.100 राज्य शहरी विकास समिति, हरियाणा इस समय दो योजनाएं नामतः स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, क्रियान्वित कर रहा है। ये दोनों योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है।

शहरी विकास समिति

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)

8.101 यह योजना भारत सरकार ने दिनांक 1.12.1997 से लागू की है जिसका 1.4.2009 से नवीकरण किया गया है। इस योजना पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तीय अनुदान दिया जाता है। योजना की मार्ग–निर्देशिका को पुर्नसंशोधित कर एकल लाभार्थी हेतू अनुदान राशि को 7,500 रूपये से बढाकर 50,000 रूपये तथा शहरी स्वयं सहायता समूहों हेतू 1,25,000 रूपये से बढाकर 3,00,000 रूपये कर दिया है। प्रशिक्षण की लागत को 2,000 रूपये से बढाकर 10,000 रूपये प्रति प्रशिक्षु कर दिया है तथा बचत एवं साख समिति के लिए सहायता राशि को 1,000 रूपये से बढाकर 2,000 रूपये प्रति सदस्य कर दिया है। जिलों के पास 225.81 लाख रूपये की राशि गत वर्ष 2010–11 की शेष थी। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केन्द्र एवं राज्य के हिस्से की प्रथम किस्त की 1,065.14 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 80 लाख रूपये की ब्याज की राशि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए हस्तान्तरित की गई है। इस प्रकार योजना में प्रयोग हेतू 1370.95 लाख रूपये की राशि उपलब्ध है। दिसम्बर, 2011 तक, इस योजना के अर्न्तगत 534.24 लाख रूपये की राशि प्रयुक्त करते हुए 417 व्यक्तियों तथा 20 शहरी महिला स्वयं सहायता समुहों को ऋण एवं अनुदान दिया गया, 1,726 व्यक्तियों को प्रशिक्षण, 31 मित्तव्यय एवं साख समितियों को सहायता प्रदान की गई तथा 0.01 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए। एस.जे.एस.आर.वाई. के अर्न्तगत 375 लाख रूपये की राशि का राज्य अंश हेतू प्रावधान किया गया है, जिसमें से 120 लाख रूपये की राशि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए रखी गई है।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

8.102 भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम तथा बाल्मिकी अम्बेदकर आवास योजना को मिलाकर एक नई योजना एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) प्रारम्भ किया है। इस योजना का उद्वेश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके इनके निवासियों के लिए घर बनवाना है। इस योजना के क्रियान्वित हेतू राज्य शहरी विकास समिति, हरियाणा को नोडल एजैंसी घोषित किया है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। आवास के सुधार/निर्माण लाभार्थी से नाम मात्र सामान्य श्रेणी से 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति से 10 प्रतिशत का अंशदान लिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य के 15 शहरों के लिए 18 प्रौजैक्टस, जिनकी कुल राशि 262.12 करोड रूपये स्वीकृत की गई है, जिसमें से केन्द्रीय अंश 209.70 करोड रूपये का है। मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त 16,608 आवासीय इकाईयों का निर्माण कर दिया गया है। इस योजना पर दिसम्बर, 2011 तक जिलों द्वारा 100.84 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है तथा अब तक 6,650 आवासीय इकाईयोंका निर्माण किया जा चुका है। इनमें से 2,165 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं और मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.103 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनाएं लागू की जा रहीं है। इन वर्गों के शैक्षिक उत्थान हेतू सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्रों हेतु वर्ष 2005–06 से 'डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' आरम्भ की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन वर्गो के मेधावी छात्रों को 8वीं, 10वीं, 12वीं, तथा स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर क्रमशः 9वीं, 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृति में 4,000 रूपये से 12,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2010–11 के दौरान 12,730 विद्यार्थियों पर 925.98 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2011–12 के दौरान 1,600 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से दिसम्बर, 2011 तक 962.25 लाख रूपये की राशि 810 विद्यार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.104 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से उच्च प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कोचिंग प्रदान की जाती है ताकि वे सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान 3,576 उम्मीदवारों पर 70 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2011–12 के दौरान 426 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से दिसम्बर, 2011 तक 175.50 लाख रूपये की राशि 8,100 उम्मीदवारों पर खर्च की जा चुकी है।

8.105 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता–पिता व अभिभावकों को क्षतिपूर्ति जो कि स्कूल जाने वाले बच्चों के फलस्वरूप आजीविका के कारण होती है तथा अनुसूचित जाति की छात्राओं की शिक्षा बीच में छोड़ने की प्रवृति को रोकने और महिला लिंग अनुपात को कम करने के दृष्टिगत विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना' नामक एक नई स्कीम वर्ष 2009–10 से आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत साईंस, वाणिज्य और व्यवसायिक कोर्स में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 5,000 रूपये से 14,000 रूपये तक प्रतिवर्ष छात्रवृति दी जाएगी बशर्ते की ये छात्राएं शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रहीं स्टेट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न कर रही हों। वर्ष 2010–11 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 165 अनुसूचित जाति की छात्राओं पर 13.37 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2011–12 के दौरान 20 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से दिसम्बर, 2011 तक 16.69 लाख रूपये की राशि 149 छात्राओं पर खर्च की जा चुकी है ।

8.106 हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों तथा समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' स्कीम के अन्तर्गत 31,000 रूपये तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 से सरकारी/एडिड गैर सरकारी अनाथालयों/संस्थाओं में रह रही बेसहारा लड़कियों को उनकी शादी के समय 31,000 रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। वर्ष 2010–11 के दौरान 17,285 लाभार्थियों पर 3,318.38 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2011–12 के दौरान 3,863.37 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से दिसम्बर, 2011 तक 3,367 लाख रूपये की राशि 12,941 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

8.107 अनुसूचित जाति व विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति व विमुक्त जाति के व्यक्तियों के लिए आवास योजना' लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतू 50,000 रूपये तथा मुरम्मत हेतू 10,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान 4,664 लाभार्थियों पर 1,997.20 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2011–12 के दौरान 2,500 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2011 तक 850.10 लाख रूपये की राशि 1,873 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.108 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उंचा उठाने के लिए निम्न तीन प्रकार की स्कीमों का परिचालन कर रहा है नामतः बैंको के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से। भारत सरकार की हिदायतोंनुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 27,500 रूपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे डेयरी, भेड़ पालन, सुअर पालन, करियाना की दुकान, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रूपये है। एन.एस.एफ.डी.सी. स्कीमों के अन्तर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है। निगम ने वर्ष 2011–2012 (मास दिसम्बर, 2011 तक) में 5,904 लाभभोगियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु 24.94 करोड़ रूपये की अर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 4.63 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है।

बैंको के साथ सहयोग योजना

8.109 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम अनुदान सीमा 10,000 रूपये है) तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.110 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत निगम एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना ईकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी.सी. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अशंदान करते हैं यद्यपि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित ईकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ. डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध करवाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.111 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है यद्यपि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित ईकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.112 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतू कार्य कर रहा है। निगम द्वारा

वर्ष 2011–12 में 2,100 पिछडे वर्ग के लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्व 31 दिसम्बर, 2011 तक 1,015 पिछड़े वर्ग के लोगों को 514.45 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2011–12 में 2100 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं और निगम ने 33 लोगों को 31 दिसम्बर, 2011 तक 20 लाख रुपये वितरित किये हैं। वर्ष 2011–12 में 1,500 विकलांग लोगों को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्व 31 दिसम्बर, 2011 तक 237 विकलांग लोगों को 141.35 लाख रुपये वितरित किए गए। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित लोगों के लिये एक आवास ऋण योजना लागू की हैं। 31 दिसम्बर, 2011 तक निगम ने 323 लोगों को 314.35 लाख रुपये आवास ऋण योजना के अन्तर्गत वितरित किए है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

8.113 राज्य में प्रचलित बुढापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। इस स्कीम के अर्न्तगत हरियाणा के मूल निवासी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को जो 1.3.2009 को 10 वर्ष से पैंशन प्राप्त कर रहे थे को 700 रूपये, 1.4.2010 से 550 रूपये तथा नए पात्रों को 500 रूपये प्रतिमास भत्ता दिया जाता है। इस स्कीम के अर्न्तगत 31 दिसम्बर, 2011 तक 13,38,221 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है।

8.114 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 30 हजार रूपये से अधिक न हो, 750 रूपये की प्रतिमास की दर से पैंशन दी जा रही है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिसम्बर, 2011 तक 5,25,589 ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है।

8.115 राज्य में अन्धे, बहरे, विकलांग तथा मानसिक रूप से विकृत के लोगों के पुर्नवास के लिए कई पग उठाए गए हैं। 31 दिसम्बर, 2011 तक 1,35,807 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपये तथा 750 रूपये प्रतिमास (100 प्रतिशत विकलांगों को 750 रूपये प्रतिमास) की दर से पैंशन दी जा रही है। विकलांग छात्रों को 400 रूपये से 1500 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित विकलांग व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 200 से 300 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपये प्रतिमास, 8वीं व 10वीं पास तथा डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रूपये प्रतिमास स्नातक/दसवीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये प्रतिमास स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है।

8.116 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतू राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1.4.2006 से प्रारम्भ की गई थी। इस पोलिसी के अर्न्तगत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के, सभी व्यक्तियों जोकि हरियाणा अधिवासी हों, को सुरक्षा प्रदान करने हेतू किसी भी अप्रिय घटना होने के फलस्वरूप मृत्यु होने पर अथवा पूर्णतया अपंग होने पर इन व्यक्तियों को एक लाख का मुआवजा क्लेम फार्म भरने के 72 घन्टे के अन्दर ही प्रदान कर दिया जाता है। इसी प्रकार 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक की राशि अपंगता के आधार पर मुआवजे के रूप में दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत 31 दिसम्बर, 2011 तक 3,550 केसों को मुआवजा दिया गया है।

8.117 उन माता–पिताओं जिनकी केवल दो बेटियां ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली समाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत 500 रूपये प्रतिमास भत्ते की दर है और ऐसे परिवारों में माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिवस से उनके 60 जन्मदिवस तक कुल 15 वर्ष तक यह भत्ता दिया जा रहा है। इसके उपरान्त वे बुढापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। पात्रता के लिए सभी साधनों से 2 लाख रूपये की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2011 तक 25,147 लाभपात्रों को इस योजना के अर्न्तगत कवर किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

8.118 राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों एवं उप मण्डलों के मुख्यालयों पर लघु सचिवालयों/उपमण्डल/तहसील/उपतहसील कम्पलैक्स एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सभी जिलों व

उपमण्डल मुख्यालयों पर आवासीय भवनों को बनाने का कार्य आरम्भ किया हुआ है। गैर आवासीय भवनों को बनाने के हेतू वर्ष 2011–12 के लिए 8,380 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। जिसमें 2,700 लाख रूपये की राशि इन कम्पलैक्सों के निर्माण करने के लिए रखी गई है। वर्ष 2011–12 के लिए 2,551 लाख रूपये की राशि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी निवास का निर्माण करने हेतू रखी गई है।

8.119 सरकार द्वारा भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुर्नवास तथा पुर्नस्थान हेतू नीति बनाई गई है। पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना संशोधित नीति के अनुसार भू–स्वामियों को 33 वर्षों तक 21,000 रूपये प्रति एकड प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी के रूप में दिए जाएंगे जो कि भूमि मालिक को उसकी अभिग्रहित की जाने वाली भूमि के साधारण मुआवजे के अतिरिक्त होंगे। इस वार्षिकी की राशि में 750 रूपये प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जाएगी। विशेष आर्थिक जोन, टैक्नोलाजी शहर तथा टैक्नोलाजी पार्क के लिए यह वार्षिकी प्राइवेट डवलपर्ज द्वारा 42,000 रूपये प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष तक दी जाएगी तथा वार्षिकी की राशि में 1,500 रूपये प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी भी की जाएगी।

8.120 क्षतिग्रस्त टयूबवैल के लिए 7,500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राहत राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए 12,000 रूपये प्रति एकड मुआवजा दिए जाने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया गया है। यह मुआवजा छोटे व सीमांत किसानों को देय होगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन किसानों की जमीन में बाढ़ का पानी एकत्रित होने के कारण फसल की बिजाई नहीं हो सकी उन्हें 3,500 रूपये प्रति एकड की दर से मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 21.7.2011 से आसमानी बिजली गिरने से मानवीय मृत्यु होने पर अनुदान के रूप में 2,00,000 रूपये की राहत राशि प्रदान करनें का निर्णय लिया है।

8121 राज्य सरकार ने 12.1.2011 से गन्ने की खडी/कटी हुई फसल खराब होने पर राहत राशि में संशोधन किया है जिसका विवरण तालिका 8.1 में दिया गया है।

तालिका 8.1–गन्ने की खडी/कटी हुई फसल खराब होने पर संशोधित राशि

क्रम संख्या	कितनी खराबी हुई (प्रतिशत में)	पिछले वर्ष के राहत नामर्ज (रूपये प्रति एकड)	संशोधित राहत नार्मज (रूपये प्रति एकड)
1	26 से 50 तक खराबी	2,500	3,500
2	51 से 75 तक खराबी	3,500	4,500
3	76 से 100 तक खराबी	4,500	5,500

8.122 जिन किसानों की मार्च/अप्रैल, 2011 में खडी फसलें ओलावृष्टि से नष्ट हुई थी उन्हें राहत राशि प्रदान करने हेतू 14.93 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

8.123 भारत सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए 2010–15 की अवधि के लिए 5 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की दर से राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में 5 करोड़ रूपये प्रदान किए गए थे।

8.124 राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य के तीन बहुआपदा संभाव्य जिलों फरीदाबाद, पानीपत तथा रोहतक में भारत सरकार–यू.एन.डी.पी. की आपदा जौखिम न्यूनीकरण परियोजना (2009–12) कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्धेश्य राज्य में आपदा प्रबन्धन संस्थाओं की विभिन्न स्तरों पर क्षमता का विकास करना, बहुआपदा तत्परता प्रतिक्रिया और प्रशमन योजनाओं का विकास करना तथा जागरूकता अभियान तथा सामुदायिक सहभागिता द्वारा समुदाय की आपदा निर्माण एवं न्यूनीकरण क्षमताओं का विकास। इस परियोजना की मुख्य उपलब्धियां फरीदाबाद एवं रोहतक जिलों में आदर्श बहुआपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास, संसाधनों की सूची तैयार करने हेतू एक निशिचत सांचे का निर्माण, पानीपत जिले में पंचायती राज संस्थाओं की आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी जागरूकता एवं प्रशिक्षण फरीदाबाद में गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयं सेवक संगठनों की मदद से सामुदायिक आधारित आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण। राज्य में भवनों के डिजाईन भूमि भूकम्पीय क्षमता के अनुसार हो, इसके लिए एक राज्य स्तरीय नगर योजनाकर क्षमता कार्यक्रम करवाया गया। कृषि के क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य कृषि शिक्षा–विस्तारण अधिकारियों की क्षमता का विस्तार करके कार्यान्वित किया जा रहा है तथा नव युवक स्वयं सेवकों का सिविल डिफैंस तथा अग्नि शामक संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण इस परियोजना की कुछ अच्छी प्रैक्टिस है।

8.125 वर्ष 2011–12 में 2 बाढ़ राहत प्रशिक्षण कैम्प कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर में 130 कर्मचारियों को बाढ़ राहत यंत्र चलाने का प्रशिक्षण देने हेतू आयोजित किये गये।

8.126 वित्त वर्ष 2011–12 के लिए विभिन्न कार्यों के लिए मेवात विकास बोर्ड के लिए संशोधित बजट आबंटन 20 करोड़ रूपये है, जिसमें से 5.50 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31.12.2011 तक खर्च की जा चुकी है।

8.127 वित्त वर्ष 2011–12 के लिए विभिन्न कार्यों के लिए शिवालिक विकास बोर्ड के लिए संशोधित बजट आंबटन 10 करोड़ रूपये है, जिसमें से 4.72 करोड़ रूपये की राशि दिनांक 31.12.2011 तक खर्च की जा चुकी है।

8.128 राज्य सरकार ने 23.7.2010 को विशेष आर्थिक जोन में अचल सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित दस्तावेजों के सभी संव्यहारों तथा अन्तरणों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क माफ कर दी है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के बाद, किन्तु विशेष आर्थिक जोन के रूप में क्षेत्र की अधिसूचना से पूर्व भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के बाद वापिस किया जाएगा। निष्पादक के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्वयं–अर्जित अचल सम्पत्ति के अन्तरण के दस्तावेज के सम्बन्ध में 15.11.2010 से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत कम कर दिया गया है। हरियाणा के सेवारत व सेवानिवृत रक्षा कार्मिकों के पक्ष में निष्पादित आवासीय संपत्ति/निवास इकाई/प्लाट के क्रय के सम्बन्ध में 15.11.2010 से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह कम दर रक्षा कर्मियों द्वारा जीवन में एक बार दी जाएगी। भूस्वामि के मामले में, जिनकी भूमि सरकार द्वारा अर्जित की गई हो, प्रतिकर की राशि से अवार्ड की तिथि के दो वर्ष के भीतर, हरियाणा राज्य में कृषि भूमि के क्रय पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस को दिनांक 7.9.2010 से माफ कर दिया गया है। शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के अधीन वर्ष 2011–12 (माह नवम्बर, 2011 तक) की आय 1896.10 करोड़ रूपये है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.129 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं/उनकी अविवाहित बेरोजगार पुत्रियों तथा विकलांग अविवाहित पुत्रों को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन की राशि को 15.8.2011 से 11,000 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दिया गया है। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से हैः–

(i) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन 12.6.2009 से उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत तक विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को स्थानान्तरित की जावेगी ।

(ii) राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार पर खर्च होने वाली वित्तिय सहायता 13.7.2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है ।

(iii) हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कर्मियों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी पर 20.8.2009 से प्रत्येक को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जावेगी।

सैनिक कल्याण

8.130 राज्य सरकार देश के रक्षा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा राज्य के वीर सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके द्वारा दिये गये सर्वोतम बलिदान के लिए सरकार ने एक मुश्त नकद पारितोषिक तथा शौर्य अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली राशि (युद्ध के दौरान) करने के लिए एक पोलिसी बनाई है।

8.131 प्रतिवर्ष दी जाने वाली शौर्य की वर्तमान दर को 15.8.2011 से बढ़ाकर परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 24,000 रूपये से 2.5 लाख रूपये, अशोक चक्र के लिए 19,200 रूपये से 2 लाख रूपये, महावीर चक्र के लिए 9,600 रूपये से 1.9 लाख रूपये, कीर्ति चक्र के लिए 7,200 रूपये से 1.5 लाख

रूपये, वीर चक्र के लिए 7,200 रूपये से 1.1 लाख रूपये, शौर्य चक्र के लिए 4,800 रूपये से 70,000 रूपये, सेना/नौ सेना/वायु सेना मैडल (बहादुरी) के लिए 4,800 रूपये से 40,000 तथा मैन्शन इन डिस्पैच (बहादुरी) 2,400 रूपये से 20,000 रूपये कर दिया गया है। एकमुश्त नकद इनाम की राशि में भी बढ़ौतरी की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरी अवार्ड विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त नकद इनाम तथा भत्ता राशि देश में सबसे अधिक है।

8.132 विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए हरियाणा राज्य परिवहन बस सेवा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करती है। हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर रक्षा सैनिक कालोनियों का विकास भी किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध के वयोवृद्ध योद्धाओं और उनकी विधवाओं को 1,500 रूपये प्रतिमास वित्तीय सहायता देती है। हरियाणा सरकार 60 वर्ष तथा इससे ऊपर आयु के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को 1,000 रूपये प्रतिमास की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी घोषित युद्ध–योद्धाओं की विधवाओं की पैंशन जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, उसके अतिरिक्त 1,000 रूपये मासिक की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।

आवास बोर्ड,

8.133 आवास बोर्ड़ हरियाणा की स्थापना वर्ष 1971 में समाज के सभी वर्गों को रिहायशी सुविधायें प्रदान करवाने विशेषकर आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये की गई थी। बोर्ड़ ने अब तक 66,190 विभिन्न वर्ग के मकानों का निर्माण दिनांक 31.12.2011 तक किया है जिसमें से 46,290 (70 प्रतिशत) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लिये बनाये हैं।

8.134 यमुनानगर, करनाल, नरवाना, कुरूक्षेत्र, पानीपत, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद, हांसी, बहादुरगढ़, सिरसा, सोनीपत, गुडगांव, बावल, धारूहेड़ा, नारनौल, रिवाड़ी, फरीदाबाद तथा बरही में 508 करोड़ रूपये की लागत से निर्माणधीन 11,510 मकानों का कार्य प्रगति पर है। जिनमें से 5,733 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिये, 1,969 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 404 निम्न आय वर्ग के मकान हैं। हरियाणा सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिये मकान बनाने के लिये एक नीति बनाई है जिसके तहत प्राईवेट कालोनाईजरस के लाईसैंस वाले क्षेत्र में कुल काटे गये 50 वर्गमीटर के ई.डब्ल्यू.एस. प्लाटों में से 50 प्रतिशत प्लाट 500 रूपये प्रति वर्ग गज के कम मूल्य के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों/व्यक्तियों के लिए फलेट बनाने हेतू आवास बोर्ड हरियाणा को स्थानातरित करेंगे।

8.135 आवास बोर्ड़, हरियाणा ने महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार हेतू मकानों व फलैटों की कुल निर्मित संख्या का 33 प्रतिशत महिला आवेदकों के लिये आरक्षित किया। इस प्रकार का कार्य करने में हरियाणा आवास बोर्ड समस्त देशभर में प्रथम आवास बोर्ड है। आवास बोर्ड़, हरियाणा ने पहली बार पत्रकारिता जगत से जुडे व्यक्तियों के लिए मकानों के आंबटन के लिये 1.5 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया तथा मकानों की अलाटमैंट में 2 प्रतिशत आरक्षण बुजुर्गों व 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ व्यक्तियों के लिये प्रावधान किया गया है ।

सहकारिता

8.136 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास में सहकारी संस्थाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 35 हजार से अधिक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां अपने 57 लाख से अधिक सदस्यों के साथ राज्य के लोगों के कल्याण हेतू कार्य कर रही है।

8.137 सरकार द्वारा गन्ने की सभी किस्मों जैसे अगेजी, मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए सीजन 2011–12 के लिए गन्ने का मुल्य 11 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।

8.138 सहकारी गन्ना समितियों द्वारा 37.28 करोड रूपये की राशि से एक सघन गन्ना विकास योजना वर्ष 2011–12 से चलाई जा रही है जिसमें से 4.54 करोड रूपये राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा अनुदान के रूप में वहन किए जाएंगे तथा शेष राशि 32.74 करोड रूपये चीनी मिलों द्वारा किसानों को वसूल किए जाने वाले ऋण के रूप में उपलब्ध करवाये जाएंगे।

8.139 नवम्बर, 2011 तक 1,221 पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों द्वारा जिनमें से अधिकतर इन्जीनियरिंग एवं तकनीशियन हैं, 111 नई सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों का पंजीकरण कराया गया। प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों द्वारा इस वर्ष नवम्बर, 2011 तक 394.24 करोड रूपये का कार्य किया गया।

8.140 हरियाणा में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा 1.4.2011 से 31.12.2011 तक लगभग 4.26 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की खरीद की गई। दूध की खरीद का भाव 350 रूपये से बढ़ाकर 410 रूपये प्रतिकिलो फैट कर दिया गया है।

8.141 हरियाणा डेयरी द्वारा उन दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है जो समर्पित हो और पिछले तीन वर्ष से लगातार दूध दे रहे हैं। किसानों का एक लाख रूपये का बीमा किया जावेगा जिसके लिए उन्हें केवल 10 रूपये देने पडेंगे। 26,000 दुग्ध उत्पादकों का इस योजना के अर्न्तगत बीमा किया गया है।

मfgyk ,oa cky fodkl

8-142 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं केन्द्रीय स्तर में, राज्य स्तर में तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से चला रहा है। वर्ष 2011–12 के बजट में 54,638.85 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 26,415.67 लाख रूपये मास दिसम्बर, 2011 तक विभिन्न स्कीमों पर खर्च किए जा चुके हैं।

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

आंगनवाड़ी केन्द्रों का विस्तार

8.143 राज्य सरकार द्वारा मास जनवरी–फरवरी, 2010 में 8,255 नए आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए है, जिनमें 260 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 11 नए समेकित बाल विकास योजनाएं शामिल हैं। इनमें से 1117 आंगनवाड़ी केन्द्र अल्पसंख्यक क्षेत्र में तथा 873 अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित है। यह आंगनवाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित 800 की जनसंख्या के नए नार्मज के आधार पर स्वीकृत किए गए हैं। jkT; सरकार द्वारा सभी आंगनवाडी केन्द्रों मे खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्ष 2011–12 मे 7,729 आंगनवाडी केन्द्रों मे 2.32 करोड रुपये की राशि के गैस के चूल्हे स्वीकृत किए गए हैं।

आंगनवाडी भवनों का निर्माण

8.144 आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतू वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 के दौरान 73.53 करोड रूपये की राशि प्रदान की गई। इस उद्धेश्य के लिए वर्ष 2011–12 के लिए 2,101 लाख रूपये (1600 लाख रूपये नाबार्ड के अर्न्तगत) की व्यवस्था की गई है।

पूरक पोशाहार कार्यक्रम

8.145 राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम मे भारी बदलाव लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार जिसमें निर्धारित नोर्मज के अनुसार ओसत पोषक तत्व महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए 600 कैलोरिज एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों के लिए 500 कैलोरिज एवं 12–15 ग्राम प्रोटीन, तथा अति कुपोषित बच्चों के लिए 800 कैलोरिज एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन, 5 रूपये की दर से प्रति माता एवं किशोरी बालिकाओं को, 4 रूपये की दर से प्रति बच्चा एवं 6 रूपये की दर से प्रति अति कुपोषित बच्चे को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 11.19 लाख बच्चों तथा 3.25 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 के दौरान 36,446.94 टन गेंहू तथा 4,106.77 टन चावल आंबटित किया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं हैल्परों का मानदेय

8.146 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 से बढाकर 2000 रूपये एवं हैल्परों का 750 रूपये से बढाकर 1,000 रूपये किया गया और अब भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय को मिलाकर आंगनवाडी कार्यकर्ता को कुल 5,000 रूपये एवं हैल्परों को 2500 रूपये दिये जा रहे है।

iwoZ Ldwy f'k{kk

8-147 राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षो के दौरान 10,000 आंगनवाड़ियों मे 12.12 करोड़ रुपये की राशि से रंगदार व आकर्षक मेज व कुर्सियां उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार द्वारा 9,500 आंगनवाडी केन्द्रों मे 6.53 करोड़ रुपये की राशि से झूले उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्ष 2009–10 व 2010–11 के दौरान आंगनवाडी केन्द्रों मे विभिन्न आयु के बच्चों मे उनकी सीखने की निपुणता के विकास के लिए 3.66 करोड़ रुपये की राशि की रंगदार व आकर्षक पूर्व स्कूली शिक्षा किट सप्लाई की गई है। आंगनवाडी केंन्द्रों में वर्ष 2011–12 के दौरान 345.80 लाख रूपये की छोटी कुर्सियां (प्लास्टिक) एवं मेज की सप्लाई के लिए कार्यवाही की जा रही है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

8.148 राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) को लागू किया गया है। इस केन्द्रीय प्रयोजित योजना में वर्ष 2011–12 में 144 लाख रुपये के राज्य हिस्से सहित कुल 1,544 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 5.48 करोड़ रुपये की राशि से निरिक्षण होम अम्बाला तथा हिसार के नऐ भवनों का निर्माण किया गया है। 2.23 करोड़ रुपये की राशि से स्टेट आफ्टर केयर होम सोनीपत के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। राज्य द्वारा किशोरों को सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के लिए किशोर न्याय फंड स्थापित किए गए हैं।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना

8.149 राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल मे लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1.26 लाख स्कूल जाने वाली बालिकाओं तथा 40,000 स्कूल न जानी वाली बालिकाओं को पोषाहार तथा स्वयं विकास घटक के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के बजट मे 11.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्ताव है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

8.150 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)–सशर्त मातृत्व लाभ (सी.एम.बी.) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह परियोजना सर्वप्रथम पंचकूला जिले मे पायलट परियोजना के रुप मे लागू की जा रही है। 30.11.2011 तक 6,571 लाभप्राप्तकर्ता (गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं) इस योजना के अंतर्गत लाभ के योग्य है।

लाडली योजना

8.151 लाडली योजना के अर्न्तगत दूसरी बेटी के जन्म पर प्रति परिवार 5,000 रूपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं। इस योजना के तहत योजना के प्रारम्भ होने से लेकर दिसम्बर, 2011 तक 1.45 लाख परिवारों को कवर किया गया तथा 197.85 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2011–12

के बजट में 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रवाधान किया गया हैं। इस योजना को 20 अगस्त, 2010 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया है।

किशोरी शक्ति योजना

8.152 11–18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रयोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य में 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आंगनवाडी केन्द्रों में 1,132 बालिका मण्डलों के माध्यम से 6 मास के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्कीम के तहत 45,219 किशोरियों को पूरक पोषाहार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के बजट में 420 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर, 2011 तक 231.68 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है ।

सर्वोत्तम माता पुरस्कार

8.153 बच्चों, विषेशकर लड़कियों के पोशण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार की योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 3 माताओं को खण्ड स्तर पर क्रमशः 1,000 रूपये, 750 रूपये और 500 रूपये के पुरस्कार तथा सर्कल स्तर पर 500 रूपये, 300 रूपये और 200 रूपये के 3 पुरस्कार दिए जाते है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में 26.77 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2011 तक 7.20 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोहत्साहन पुरस्कार

8.154 घटते लिंग अनुपात की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले उन जिलों को जिला स्तर प्रोत्साहन पुरस्कार जिनमें लिंग अुनपात में सुधार हुआ है, उनको प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोहत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये तथा 2 लाख रूपये दिया जाता है।

दुराचार से पीडितों के लिए वित्तीय सहायता एवं सहायक सेवाएं

8.155 भारत सरकार द्वारा दुराचार से पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं सहायक सेवायें प्रदान करने हेतू एक नई योजना बनाई गई है जिसके तहत दुराचार से पीड़ितों को वित्तीय सहायता एवं सेवाएं जैसे पीडितों को आश्रय, काऊंसलिग, स्वास्थ्य सहायता, कानूनी सहायता, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की सेवायें उनकी आवयकतानुसार प्रदान की जाती है। योजना के तहत राज्य बोर्ड को जिला बोर्ड के परामर्श अनुसार एक लाख रूपये की अतिरिक्त राशि से अधिकतम तीन लाख की राशि उपलब्ध करवाने का अधिकार दिया गया है A

बालिकाओं के लिए शिक्षा ऋण योजना

8.156 राज्य सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से बालिकाओं के लिए शिक्षा ऋण योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत बालिकाओं/महिलाओं के लिए देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट/डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी पर शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा 4,287 बालिकाओं को देश/विदेश के विश्वविद्यालयों में विभिन्न व्यवसायिक कोर्सो के लिए शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए है।

रोजगार

8.157 शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम– 2005 प्रथम नवम्बर, 2005 से अस्त्तिव में आई। इस योजना के अर्न्तगत बेरोजगारी भत्ता 300 रूपये प्रतिमास 10+2 (मैट्रिक के बाद 2 वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स) और 500 रूपये प्रतिमास स्नातक या डिप्लोमा होल्डर (10+2 के बाद कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/युनिवर्सिटी से पास किया हो, की दर से दिया जाता है। प्रथम अप्रैल, 2009 से 10+2 पास महिला प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 300 रूपये से बढ़ाकर 900 रूपये प्रतिमास तथा स्नातक तथा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिला प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान विषय के साथ 10+2 पास सभी पुरूष प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ता 300 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये प्रतिमास तथा विज्ञान स्नातक एवं उससे ऊपर मान्यता प्राप्त पुरूष प्रार्थियों का बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये से बढ़ाकर 1,000 रूपये प्रतिमास कर दिया गया है। जो प्राथी 10+2 से कम योग्यता के आधार पर पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अर्न्तगत, 2005 को भत्ता प्राप्त कर रहे थे उन्हें नई स्कीम में 35 वर्ष की आयु तक 100 रूपये प्रतिमास भत्ता दिया जाएगा। इस कार्य के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 52.50 करोड़ रूपये की राशि का बजट प्रावधान है। इस स्कीम के अर्न्तगत दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 तक 60,387 प्रार्थियों को 34.77 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में वितरित की गई है।

निजी समायोजन परामर्श एवं भर्ती सेवा केन्द्र

8.158 विभाग के प्रयत्नों स्वरूप 616 से अधिक प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाया गया। निजी क्षेत्र में 6,062 प्रार्थियों का पंजीकरण किया गया।

विदेश रोजगार ब्यूरो

8.159 विदेश रोजगार सहायता हेतू 228 प्रार्थियों ने स्वयं को विदेश रोजगार ब्यूरो (योजना) के माध्यम से दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 तक अपना पंजीकरण करवाया।

रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करना

8.160 विभाग की कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और सभी सुविधाएं दिनांक 1.9.2010 से ऑन लाईन करवा दी गई है। नैशनल ई–गर्वनेंस योजना के अर्न्तगत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के पांच चुने हुए राज्यों में हरियाणा को रोजगार के लिए एक प्रारम्भिक मिशन प्रोजैक्ट शुरू करने के लिए चयन किया है।

श्रम कल्याण

8.161 राज्य सरकार द्वारा राज्य में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाने, श्रमिको को उनके कार्यस्थल पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतू आवश्यक प्रयास तथा उचित कदम उठाये गये है। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतू हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड एवं हरियाणा भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही है।

8.162 कार्यप्रणाली को पारदर्शी, उपभोक्तोन्मुखी बनाने एवं स्वेच्छा से स्वीकार्य ई–गवरनैंस लागू करने हेतू विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आन् लाईन पंजीकरण एवं लाईसैन्सिग की सुविधा प्रदान की है। इसी प्रकार उद्योगों में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रावधानों की परिपालना हेतू 'स्वंयतः–प्रमाणीकरण' करने की ऑन–लाईन प्रक्रिया, औद्योगिक वातावरण को अधिक प्रगतिशील तथा उपभोक्तोन्मुखी बनने में सहायक सिद्व हो रही है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार का नियोजन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संस्थापनाओं एवं श्रमिकों के पंजीकरण को ऑन–लाइन करना भी विचाराधीन है।

8.163 राज्य में अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन की दरें जो 01.07.2007 को 3,510 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, उसे हर छः माही के आधार पर पुनःनिर्धारित किया गया है। वर्तमान में एक अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 01.07.2011 से 4,643.89 रुपयें प्रतिमाह तथा 178.61 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। सफाई कर्मचारियों हेतू 500 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।

8.164 श्रमिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए राज्य में 9 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय से लम्बित केसों के निपटारे हेतू 3 श्रम लोक अदालतो का आयोजन किया गया। इन लोक अदालतों में 36 केसों का निपटारा किया गया। गुडगांव एवं फरीदाबाद में औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के नये परिसरों के निर्माण हेतू प्लान बजट से लोक कार्य (भवन एवं सड़के) विभाग को 623 लाख रुपये हस्तांतरित किये गये।

8.165 बेसहारा तथा प्रवासी बाल श्रमिकों के लिए पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में प्रत्येक 50 बच्चों की क्षमता वाले तीन पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष के दौरान इन केन्द्रो को नियमित तौर पर चलाने हेतू 130 लाख की राशि प्रदान गई है, जिसमें मुफ्त रहने, व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

8.166 पानीपत तथा गुडगांव में दो 'मुख्य दुर्घटना नियन्त्रण ईकाईयों' की स्थापना की जा रही है। इन ईकाईयों को स्थापित करने के लिए साजो–सामान खरीदने हेतू 163 लाख रुपये आबंटित किए गये है। दो हाईजीन लेबोरेटरीयों' की स्थापना की जा रही है। चालू वित्त वर्ष में इन लेबोरट्रियों को स्थापित करने के लिए साजो–सामान हेतू 85 लाख रुपये आबंटित किये गये है।

8.167 राज्य में महिलाओं के रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी हेतू सूचना प्रौद्योगिकी एवं इसके संबंधित उद्योगों को पंजाब दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की सशर्त में छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगें तथा सुरक्षा एवं यातायात के उचित साधनों की पूर्ण जिम्मेदारी लेगा। वर्ष के दौरान 108 संस्थाओं को उक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत छूट दी गई जिसमें 20,445 महिलाएं लाभान्वित हुई।

8.168 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 21,000 रुपये की राशि कन्यादान के रुप में विधवाओं/आश्रितों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता तथा 12,000 रुपये बच्चों को छात्रवृति के रूप में प्रदान करने जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत 10,280 औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके आश्रितों पर 583.66 लाख रुपये खर्च किए गए। 5,000 तक का मासिक वेतन पाने वाले औद्योगिक श्रमिक को एक नई 'साईकल' मुफ्त प्रदान की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत चालू वर्ष में 8,399 औद्योगिक श्रमिकों पर 179.34 लाख रुपये खर्च किये जा चुके है।

8.169 सरकार रोजगार की तालाश में आने वाले श्रमिकों के पूर्नवास हेतू भी कदम उठा रही है। इस सम्बन्ध में फरीदाबाद एवं रेवाड़ी में एक 'रैन बसेरा' का निर्माण पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को क्रमशः 18.50 रुपये व 9.06 लाख रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार का पुर्नवास सोनीपत में भी शीघ्र ही निर्मित किया जाएगा।

8.170 इसी प्रकार पंजीकृत भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतू राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर 'स्वास्थ्य बीमा योजना' तथा कैंसर, एडस, टी.बी. जैसी संक्रामक बीमारियों के मुफ्त ईलाज हेतू एक लाख रुपये, मृत्यु लाभ/अंतिम संस्कार हेतू सहायता, कन्यादान, शिक्षा, छात्रवृति और मातृव्य लाभ प्रदान करने जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई भी जा रही है। इन योजनाओं पर 2011–12 में (31.12.2011 तक) 1,038 लाख रुपये 3,000 से अधिक लाभार्थियों पर खर्च किये गए। मानेसर, सिकंदरपुर (गुड़गांव) तथा फरीदाबाद में दो 'सुविधा केन्द्रो' की स्थापना की है जिसमें योग्य भवन निर्माण श्रमिको का पंजीकरण, स्वास्थ्य एवं शिशु गृह की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त राई तथा कुंडली (सोनीपत) में भी एक–2 केन्द्र 300 लाख रुपये की लागत से स्थापित किये जा रहें है। लेबर चौकों पर श्रमिकों को नागरिक सुखलभ्यों युक्त शैडो की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यमुनानगर में चार, फरीदाबाद व हांसी में दो लेबर शैडो का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए क्रमशः 28.05 लाख, 20 लाख तथा 5 लाख रुपये की राशि निर्माण कार्य हेतू जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार शीघ्र ही जुलाना (जीन्द) में ऐसे शैड़ का निर्माण किया जाएगा।

खेल एवं युवा कल्याण

8.171 हरियाणा से खिलाडियों ने हाल ही के दिनों में अंर्तराष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में देश की लहर में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ओलम्पिक, 2008 खेलों में भारतीय दल में हरियाणा के खिलाडियों की संख्या 16 प्रतिशत थी। उनमें से एक ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के खिलाडियों ने 21 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। एशियाई खेलों में भी राज्य के एथलिटों ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखकर 5 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीत। राष्ट्रीय जनसंख्या का मात्र 2 प्रतिशत होते हुए भी राज्य के खिलाडियों ने हाल के समय में देश के लिए लगभग एक तिहाई खिलाडियों ने अर्न्तराष्ट्रीय पदक जीते। रांची राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर के बाद राज्य 42 स्वर्ण, 33 रजत और 40 कांस्य पदक जीतकर राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा। भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण टूर्नामेंट में 16 के तहत पी.वाई.के.के.ए. और महिला खेल उत्सव में हरियाणा धावक के रूप में तमिलनाडु के बाद रहा।

8.172 भारत के लिए खेलने के लिए अभियान पंक्ति के तहत आयोजित खेल व शारीरिक योग्यता टेस्ट में राज्य के युवा खिलाडियों के लिए एक लोकप्रिय रहा है। इसके 2012 के संस्करण ने 8–19 साल आयु वर्ग के लाखों लडके और लडकियों को प्रोत्साहित किया। स्पोर्टस में 5,000 शीर्ष कलाकारों को 10 करोड रूपये की संचयी वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। खेल के मैदान में बच्चों को आकृषित करने के कार्यक्रम की सफलता को केन्द्रीय सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। खेल विभाग को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों के खेल मंत्रियों के सम्मेलन में एक प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था।

8.173 राज्य में 2 राज्य खेल परिसर, 21 जिला खेल परिसर, 13 उप प्रभागीय, 141 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर और 226 मिनी स्टेडियम है। ग्रामीण क्षेत्रों के खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 9 तरण ताल, 5 बहुउद्धेशीय हॉल, 3 सिंथेटिक एथलेटिक पटरियों और 5 हॉकी खगोल टर्फ है। 1,857 गांवों के स्कूलों और 36 ब्लाक स्टेडियम में पी.वाई.के.के.ए. केन्द्रों की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढावा देने के लिए 71 से अधिक राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। राज्य में शायद देश में सबसे ज्यादा खेल के मैदानों का घनत्व है। 4,996 उच्च क्षमता एथलीटों को जिन्होंने स्पाट, 2011 में 75 प्रतिशत से अधिक रन बनाए को केन्द्रों, दिन बोर्डिंग और आवासीय नर्सरी और अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आवासीय नर्सरी में खिलाडियों को 150 रूपये प्रतिदिन की दर से आहार के लिए राशि मिलती है। अकादमियों में 2,000 रूपये की प्रतिमाह की दर से धन राशि मिलती है। 14 या इससे अधिक क्वालीफाई स्पाट के लिए 97 दिन बोर्डिंग नर्सरी है। 8–14 साल के लिए प्रति माह 1,500 रूपये और 15–19 साल के लिए प्रतिमाह की दर से 2,000 रूपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके साथ ही खेल उपकरण, खेल किट निचले स्तर पर टुर्नामेंट में खेलने के लिए दिन बोर्डर को खेल उपकरणों के साथ खेल किट और टुर्नामेंट में खेलने के लिए अवसर प्रदान किए जाते है, 233 प्रशिक्षु खिलाडियों के लिए 13 अकादमियां है। पंख योजना के तहत राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के टुर्नामेंट में प्रतिभागियों में पदक विजेताओं को कोचिंग और ताजगी राशि दी जाती है। इस योजना से वर्ष 2010–11 में 1,589 खिलाडियों को 1.13 करोड रूपये का लाभ हुआ। हर साल कुश्ती, हॉकी और जिमनास्टिक और पारालाइमपिक्स खेलों के लिए इंटर केन्द्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विभाग कबडडी और पी.वाई.के.के.ए. में 16 के नीचे के खिलाडियों के तहत अखिल भारतीय सिविल सेवा टुर्नामेंट की मेजबानी भी करता है।

8.174 2005 के बाद से 398 खिलाडियों को पुलिस में नौकरियां दी गई है। उनमें से 17 डी.एस.पी. रैंक में हैं। इस अवधि में 6,976 खिलाडियों को 32.42 करोड रूपये नकद पुरस्कार के रूप में दिया गया। अर्जुन, द्रोणाचार्य और श्री ध्यानचन्द पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए 69 खिलाडियों को 5,000 रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जा रहा है। खेल में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा खेल विकास कोष स्थापित किया गया है। सरकार ने एशियाई, राष्ट्रमण्डल और विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए गांरटी योजना को मंजूरी दे दी है। एक लीक से हटकर पैरालिम्पिक्स खिलाडियों को सरकार में नकद पुरस्कार और नौकरी में समानता दी जाती है।

8.175 अनुसूचित जाति के खिलाडियों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वजीफा कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि इस वर्ग के खिलाडियों को खेलों में अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत इसके अतिरिक्त खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाडी को राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थानों के लिए क्रमशः 1,500, 2,500, 3,000 और 3,500 रूपये की छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन स्थानों के लिए मात्रा क्रमशः 5,000, 4,000 और 3,000 रूपये है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम तीन स्थानों के लिए मासिक छात्रवृत्ति राशि क्रमशः 7,000, 6,000 और 5,000

रूपये है। महिला एथलीटों के मामले में 1,000 रूपये नकद अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अनुसूचित जाति की श्रेणियों में राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए विभाग प्रशिक्षण यात्रा और उपकरणों का पूरा खर्च वहन करेगा। छात्रवृत्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

8.176 सरकार 'खेलने का अधिकार' अधिनियम तैयार करने के लिए विचार कर रही है, जिनमें खेल के प्रमुख हितकारों को तौर पर अधिकार के स्थान, समय एवं संसाधन देने का प्रस्ताव है। यह देश में अपनी तरह का पहला अधिनियम होगा जोकि नागरिकों के लिए खेल से सम्बन्धित सेवाओं के लिए नई श्रेणी तैयार करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान खेलों में लडकियों की भागीदारी बढाने के लिए सरकार का सकारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त आय रोजगार और राज्य के खिलाडियों के लिए प्रतिस्पर्धी अवसर तैयार करने के लिए सरकार के एजेंडे पर है। खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और सहायता दी जाएगी। लोकप्रिय खेलों में राज्य प्रीमियर लीग को निजी क्षेत्र के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों को लंदन में आयोजित किया जा रहा है, इसमें राज्य से काफी बडी संख्या में खिलाडियों के प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की सम्भावना है। सरकार ने उनके लिए शुभ कामना की है और विजयी के रूप में उभरने के लिए उन्हें खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने का आहवान किया है। सरकार की अपनी नौकरी की गांरटी और नकद पुरस्कार योजना के साथ उनके जीवन को हमेशा लिए बदल जाएगा।

पर्यटन

8.177 हरियाणा ने पर्यटन विकास के कार्य मे अपने अति विशिष्ट योगदान से देश के मानचित्र पर प्रमुख स्थान बना लिया है। सरकार ने पूरे राज्य में 42 पर्यटक केन्द्र स्थापित किये हैं, जोकि पर्यटकों में अत्याधिक लोकप्रिय हैं। इस समय हरियाणा पर्यटन के पास 840 कमरों की सुविधा उपलब्ध हैं ।

8.178 पानीपत–कुरूक्षेत्र–पिंजौर को एकीकृत पर्यटक सर्कट के रूप में विकसित किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा इस परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 2,964.37 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने यमुनानगर–पंचकूला–पोंटासाहिब को मेगा पर्यटन सर्कट के रूप में विकसित करने हेतू 3,253.06 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना में 2,000 लाख रुपये की परिव्यय राशि का प्रावधान किया गया है।

8.179 वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक) डूंडाहेडा और होडल मे कन्वैशन सैंटर तथा कम्पिंग साईट का निर्माण, पंचकूला में रैड बिशप टूरिस्ट कम्पलैक्स में कमरो के नवीनीकरण/सुधार, पेहवा तीर्थ, पेहवा और प्राची घाट के नवीनीकरण/सुधार तथा माता मन्सा देवी मंदिर में पुराने चित्रों का पुर्नउद्वार तथा पटियाला मंदिर तक ढका हुआ रास्ता कार्य किया गया।

8.180 पानीपत–कुरूक्षेत्र–पिंजौर पर्यटक सर्कट(प्रथम चरण) का कार्य शीध्र पूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार रोहतक में होटल प्रबन्धन संस्थान का निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और अब पूर्ण होने वाला है।

8.181 पिंजौर में 22 से 23 जुलाई, 2011 तक 20वां आमों का प्रसिद्व मेला आयोजित किया गया। 6वां पिंजौर हैरिटेज फैस्टीवल 2 दिसम्बर से 4 दिसम्बर, 2011 में विश्व प्रसिद्ध यादविन्द्रा बाग पिंजौर में आयोजित किया गया। यह मेला पर्यटकों का मुख्य आर्कषण रहा। सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी, 2011 में आयोजित किया गया। इस मेले का थीम स्टेट आंध्रप्रदेश राज्य था, इस मेले में सात विदेशी राष्ट्रों ने भाग लिया।

पर्यावरण

8.182 पर्यावरण विभाग पर्यावरण के सरंक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जागरूक करने के लिए अथक प्रयास जारी हैं। पर्यावरण विभाग, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं की रोकथाम के लिये विभिन्न अधिनियमों को तेजी से लागू कर रहा है उदाहरणतः जल (प्रदूषण नियत्रंण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियत्रंण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981, उक्त अधिनियमों को लागू करने के अतिरिक्त प्रदूषण, जो कि बायोमैडीकल वेस्ट, हानिकारक वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक का उपयोग आदि से होता है, कि रोकथाम के लिये विभिन्न कानूनों को पूरे हरियाणा राज्य में लागू करता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन अधिनियमों व कानूनों को लागू करने वाली

ऐजेन्सी है तथा पर्यावरण विभाग हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक रूप से देखता है।

8.183 इस समय 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं जिनमें से एक फरीदाबाद और दूसरी कुरूक्षेत्र मे कार्यरत है। जो जल (प्रदूषण नियत्रंण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण नियत्रंण एवं रोकथाम) 1981 पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीवन अधिनियम और पब्लिक भूमि रोकथाम नियम से सम्बन्धित मामलो का निपटारा कर रही हैं।

8.184 राज्य सरकार ने वर्ष 2005–06 मे 2,850 इको क्लब की स्थापना राष्ट्रीय हरित सेना स्कीम के अर्न्तगत की गई जिनको बढा कर राज्य के 21 जिलों में 5,250 इको क्लब कर दिया था। एक दो दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन इको कलब की गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए राज्य में पर्यावरण रक्षण एंव सरक्षंण के लिए लगाया गया। अब यहां 14 योजनाएं चल रही हैं और एक नई योजना मौसम बदलाव सैल पर्यावरण विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

8.185 वर्ष 2011–12 में राज्य के सभी जिलों में मौसम परिवर्तन विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 3 लाख रूपये की राशि आंबंटित की गई ।

8.186 वर्जिन और पुर्नचक्रित प्लास्टिक की वस्तुओं तथा पुर्नचक्रित प्लास्टि डिब्बों पर हरियाणा सरकार ने अपनी अधिसूचना 31 मई, 2011 द्वारा प्लास्टिक थैलों के बनाने, बेचने, बांटने और उपयोग पर प्रतिबंध/रोक लगाई है। सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में कोई भी व्यक्ति प्रथम बार बनाए गए या दुबारा बनाए गए प्लास्टिक कैरी बैगों तथा सभी प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे तथा स्ट्रा का विनिमार्ण, भण्डारण, वितरण, विक्रय या उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ के भण्डारण, वहन करने या औषध वितररण या पैकिंग करने के लिए दौबारा बनाए गए प्लास्टिक डिब्बों पर प्रयोग नहीं करेगा।

8.187 प्लास्टिक के बनाए गए डिब्बों के विनिमार्ण की शर्ते–उपरोक्त खण्ड के उपबन्धों के अधीन कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के बने डिब्बों का विनिर्माण कर सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्ते पूरी करता है, अर्थातः–

वर्जन प्लास्टिक के डिब्बे प्राकृतिक रंग के या सफेद होंगें।

पुनःनिर्मित प्लास्टिक के डिब्बों तथा खाद्य पदार्थो के भण्डारण तथा पैकिंग से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ, औषधीय तथा पेय जल के स्पर्श में प्लास्टिक के प्रयोग के लिए ''रंगद्रव्य तथा रंजक की अधिकृत सूचि'' आई.एसः 9833:1981 के अनुसार रंगदव्य तथा रंजक का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किए जायेगें।

कैरी बैगों के सिवाय प्लास्टिक डिब्बों के पुनः निमार्ण के लिए भारतीय मानक ब्यूरों विशिष्ट आई.एस. 14534:1998 के अधिकृत ''प्लास्टिक के पुनः निमार्ण के लिए मार्गदर्शन'' के अनुसार पूर्ण रूप से वचन देना होगा।

मुद्रण सुविधाओं वाले पुनः निर्मित प्लास्टिक डिब्बों पर ''प्लास्टिक के पुनः निमार्ण हेतू मार्गदर्शन'' के अनुसार संकेत/चिन्ह लगाएगें तथा पुनः निर्मित प्लास्टिक से बनाए गए अन्तिम उत्पादन को ''रीसाईकल्ड'' के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

प्लास्टिक वस्तुओं को जैसे कि प्लेटों, कपों, गिलासों, चम्मचों, कांटों तथा स्ट्रा को जनसाधारण स्थानों परर जैसे कि पार्को, खेलकूद के मैदानों, मनोरंजल स्थलों, पर्यटक केन्द्रों, धार्मिक स्थानों इत्यादि पर विखेरना अनुमति नहीं होगी।

8.188 गेहूँ की नालियॉ/पुराली को जलाने के उपरान्त उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं हेतू किसानों को जागृत करने के लिए अभियान चलाए गए है तथा हरियाणा रोडवेज की बसों पर पैनल लगवाए गए हैं। इससे सम्बन्धित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई रेडियों जिंगल को आल इण्डिया रेडियों पर प्रसारित किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय फिल्म उत्थान निगम, दिल्ली के साथ मिलकर एक लघु फिल्म 'कुछ कहती है पुराली का' करार किया है जिसमें गेहूँ की नालियॉ/पुराली से होने वाले पर्यावरण पर बुरे प्रभाव को दर्शाया गया है एंव लघु फिल्म बनाने बारे आदेश दिये गये है। यह फिल्म किसानों को दिखाई जायेगी एंव सिनेमा में इसकी सलाईड भी दिखाई जायेगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा गेहूँ की नालियॉ/पुराली को न जलाने सम्बन्धी एक स्कीम चलाई गई है। यह स्कीम बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त सभी जिला उपायुक्त/अतिरिक्त जिला उपायुक्त एंव कृषि विभाग तथा अन्य सभी सम्बन्धित विभागों को लागू करने के लिए भेजी जा चुकी है ।

8.189 वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.4.2008 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समिति और राज्य स्तरीय पर्यावरण असर मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन

बी. कैटेगरी की परियोजनाओं का ई.आई.ए. की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय समासोधन प्रदान करने के लिए किया गया। राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समिति का कार्यकाल दिनांक 20.4.2011 को समाप्त हो गया था। राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समिति के पुर्न गठन का प्रस्ताव वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में अन्तिम चरण पर है ।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

8.190 20 सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं जो कि लोगों की आंकाक्षाओं और जरूरतों को पूरी करने के लिए शुरू किया गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां अनुलग्नक 8.1 में दिये गये हैं।

8.191 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो कि अकुशल काम की तलाश में है अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत को आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2011–12 (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान, राज्य में इस योजना के तहत 54.81 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2011–12 के लिए 17,293 घरों के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ (नवम्बर, 2011 तक) 6,199 घरों का निर्माण किया गया। ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. घरों के तहत शहरी क्षेत्रों में योजना के अर्न्तगत एक व्यक्ति को कवर करने के लिए तय आय सीमा 3,300 से 7,300 रूपये प्रतिमाह तक है। यह योजना मुख्य रूप से अस्वच्छ समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है। इस योजना के अर्न्तगत ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. घरों के लिए रियायती ऋण राशि 1 लाख रूपये और 1.60 लाख रूपये 15–20 साल की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 के दौरान नवम्बर, 2011 तक के दौरान 5,500 घरों के लक्ष्य की तुलना में इस योजना के तहत 11,930 घरों का निर्माण किया गया।

8.192 फिसल वापिस बस्तियों और जल गुणवत्ता समस्याओं योजना बस्तियों को वर्तमान में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार योजना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य के प्रयासों में मदद करती है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान 962 के लक्ष्य के खिलाफ 323 बस्तियों को कवर किया गया है। संस्थागत प्रसव योजना के तहत वर्ष 2011–12 (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान 1.63 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए आर्थिक सहायता के लिए वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक लक्ष्य 8,500 तय किया गया था। उन्हें इस योजना के तहत 48,123 परिवारों को सहायता प्रदान की गई। राज्य में नवम्बर, 2011 तक 148 आई.सी.डी.एस. ब्लाक परिचालन में थे और 24,988 आंगनवाडी चल रही थी।

8.193 वर्ष 2011–12 (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान वृक्षारोपण के तहत 56,581 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया था और 460 लाख सीडलिंग लगाए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत 292 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 120 किलोमीटर लम्बाई की सडकों का निर्माण किया गया। वर्ष 2011–12 (नवम्बर, 2011 तक) के दौरान 19,000 पम्पसैटों के लक्ष्य के विरूद्व 15,025 पम्पसैट लगाए गए।

***

9

योजना नीति एवं समीक्षा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा राज्य की उपलब्धियां प्रशंसनीय रही हैं। पिछले चार वर्षों में हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। यद्यपि, हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं विकास को कायम रखने के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा पुराने आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए निरन्तर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। देश में हरियाणा ही पहला ऐसा राज्य है जिसने शुद्ध पेयजल, बिजली के कनैक्शन एवं सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। यह सब पंद्रह वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। अब इन सभी सुविधाओं के विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। 11वीं योजना के पिछले दो वर्षों में प्रदेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में निवेश की मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और 12वीं योजना में भी यह जारी रहेगी।

कृषि

9.2 कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार रहा है। राज्य ने कृषि के उत्पादन में तीव्र गति से प्रगति की है। वर्ष 2010–11 की रबी की फसलों के दौरान सरसों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता जोकि 1,179 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है कि तुलना में हरियाणा राज्य ने 1,869 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की उच्च उत्पादकता को प्राप्त किया है। वर्ष 2010–11 की रबी की फसलों में, गेहूँ की उत्पादकता एवं उत्पादन के लिए, हरियाणा राज्य ने प्रतिष्ठित "कृषि कर्मण सम्मान" प्राप्त किया है। वर्ष 2004–05 में खाद्यान्न उत्पादकता जोकि 130.57 लाख टन थी, वर्ष 2010–11 में बढ़ कर 166.29 लाख टन हो गई है। सब्जियों एवं बागवानी की फसलों के उत्पादन में भी बहुत उन्नति की गई है। ईण्डो–ईजराईल के सहयोग से करनाल जिले के घरौंडा में पहला ऐसा केन्द्र स्थापित किया गया है जो 'सब्जियों की उच्च प्रमाणकता, सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में सफलतापूर्वक अग्रणी साबित हुआ है। घरौंडा में प्राप्त हुई कामयाबी से प्रेरित होकर आने वाले वर्षों में, राज्य में ऐसे 12 अन्य केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

उद्योग

9.3 प्रभावशाली आर्थिक बढ़ौतरी, गोवा को छोड़कर देश में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय तथा मजबूत औद्योगिक ढांचे एवं राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उद्योग–मैत्री पूर्वक नीतियों के कारण हरियाणा देश के अग्रणीय औद्योगिक राज्यों में उभर कर आया है। हरियाणा का 1,358 बड़ी व माध्यमिक ईकाईयों के साथ धनी औद्योगिक आधार है जिसमें से 11वीं योजना के दौरान 2,819.74 करोड़ रूपये के निवेश के साथ 108 ईकाईयां स्थापित की गई थी। राज्य में लगभग 82,549 छोटे पैमाने/सूक्ष्म/छोटे मध्यम उद्यम हैं। इनमें से 14,336 11वीं योजना की अवधि के दौरान 9,136 करोड़ रूपये के निवेश के साथ स्थापित किए गए। विस्तृत उद्योग तथा निवेश नीति जोकि 2005 में लागू की गई थी, को वर्ष 2011 में संशोधित कर दिया गया है, ने विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले ज्यादा निवेशों को आकर्षित करने में मदद की है। राज्य ने 2005 से अब तक 53,000 करोड़ रूपये का निवेश किया है और 13,130 करोड़ रूपये का सीधे विदेशी निवेश किया जा चुका है जिसमें से 9,630 करोड़ रूपये औद्योगिक नीति, 2005 के क्रियान्वयन के बाद से निवेश किया गया। विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग से राज्य के पास 1000 से ज्यादा परियोजनाएं हैं।

स्वास्थ्य

9.4 लोगों का स्वास्थ्य राज्य की पहली चिन्ता है। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी स्कीमों का अनावरण किया है। राज्य की कई स्कीमें सराहनीय तथा ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। राज्य की जननी सुरक्षा योजना स्कीम जिसको केन्द्र सरकार ने सराहा है तथा वर्ष 2010–11 के दौरान इस स्कीम के इम्प्रूवड वर्ज़न का राष्ट्रीय स्तर पर अनावरण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्थानों में प्रसूति के दौरान मुफ्त आहार तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तथा नवजात शिशुओं को 30 दिनों के अन्दर मुफ्त दवाईयां खून व परीक्षण एवं शून्य खर्च स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। हरियाणा देश का एक पहला राज्य है जिसमें सभी सरकारी अस्पतालों में बाहरी चिकित्सा रोगियों के लिए दवाईयां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए, दुर्घटनाग्रस्त लोगों तथा स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए मुफ्त रैफरल यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिसकी अन्य सभी राज्यों ने भी सराहना की है।

ऊर्जा संरक्षण

9.5 हरियाणा रिन्युएबल एनर्जी डिवेल्पमैंट एजैंसी (एच.ए.आर.ई.डी.ए.) द्वारा ऊर्जा को संरक्षित करने हेतू किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2011 में लगभग 155.53 मेगा वाट ऊर्जा बचाई गई। हरियाणा ने राज्य में वर्ष 2010–11 के लिए ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चार पुरस्कार प्राप्त किए। वर्ष 2011–12 के दौरान, हरियाणा ने ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था ।

पंचायती राज प्रतिष्ठानों का सशक्तिकरण

9.6 पंचायती राज प्रतिष्ठानों के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने कई निर्णय लिए है। ये प्रारम्भिक स्तर के निकाय अब केवल स्थान विशेष के निर्णय ही नहीं लेते परन्तु उन्हें क्रियान्वित भी किया गया है जिनके लिए उन्हें पर्याप्त धन भी उपलब्ध करवाया जाता है। प्रत्येक पंचायत समिति को 50 लाख रूपये वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। सभी स्कीमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले सभी अनुदान या वित्तीय सहायता सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में स्थानान्तरित हो रहे हैं। एच.आर.डी.एफ. के अन्तर्गत होने वाले कार्यों को छोड़कर, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए बिना किसी सीमा के, वे प्रशासनिक स्वीकृति पाने के योग्य होंगे। ग्राम पंचायत का यह खुद का निर्णय होगा कि 10 लाख रूपये की लागत तक के कार्य को वह स्वयं करे या किसी स्थानीय ठेकेदार से करवाए या किसी पंचायती राज इंजीनियरिंग शाखा को सौंपे। 10 लाख रूपये से ऊपर की लागत के कार्य ग्राम पंचायतें पंचायती राज इंजीनियरिंग शाखा से करवाएंगी, जिसके लिए कार्य या तो विभागीय स्तर पर किया जाएगा या फिर निविदाएं आमंत्रित करके अनुबंधित संस्थाओं के माध्यम से करवाएं जाएंगे ।

शिक्षा

9.7 सभी बच्चों को उनके आगे की जिन्दगी में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार रहने के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने की विचारधारा के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ने राज्य के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अनुमोदित किया है। इससे राज्य में 22 लाख बच्चों को लाभ होगा। इन नियमों के तहत 6–14 उम्र समूह के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, जैसे कि 2,620 आंगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात भी निश्चित किया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी प्राईवेट स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिले के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण किया गया है ।

बिजली

9.8 "बिजली में आत्मनिर्भरता" हमारा ध्येय और "सभी के लिए बिजली" हमारा लक्ष्य है। इस ध्येय को दिशा निर्देश सिद्धान्त के रूप में रखते हुए राज्य सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान बिजली के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता जो वर्ष 2004–05 में 1,587.07 मेगा वाट थी, वह वर्ष 2011–12 में तीन गुना बढ़कर 4,390.50 मेगा वाट हो गई है। हरियाणा 2012–13 तक विद्युत क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 1,009 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है। 11वीं योजना अवधि के दौरान 291 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया गया, 521 सब स्टेशनों की क्षमता में बढ़ौतरी की गई और 4,204 किलोमीटर नई विद्युत लाईनें (33 किलो वाट और उससे ऊपर की) बिछाई गईं, जिस पर वर्ष 2011–12 तक 3,523 करोड़ रूपये खर्च किए गए। "सभी के लिए बिजली" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.04 लाख परिवारों में से लगभग 1,93,735 लाख परिवारों को 2011–12 तक बिजली के कनैक्शन दिए जा चुके हैं ।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आबंटन तथा व्यय

9.9 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) योजना आयोग द्वारा तय किए गए राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ ही राज्य की अर्थ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी तथा उपलब्ध स्त्रोतों के आधार पर राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उपलब्ध स्त्रोतों के निर्धारण तथा योजना आयोग के साथ किए गए विचार विमर्श के आधार 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार, चालू कीमतों पर 35,000 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया। इस परिव्यय में से 11वीं योजना (2007–11) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 32,058.58 करोड़ रूपये जोकि 11वीं योजना के कुल परिव्यय का 91.6 प्रतिशत है, खर्च किए जा चुके हैं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 45,458.58 करोड़ रूपये जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 129.9 प्रतिशत है, खर्च होने सम्भावना है।

9.10 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में, 16,697.44 करोड़ रूपये जोकि कुल योजना परिव्ययों का 47.7 प्रतिशत है, आबंटित करके राज्य में सामाजिक सेवाओं की बढ़ौतरी/बेहतरी को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें से 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों (2007–08 से 2010–11) के दौरान 15,964.76 करोड़ रूपये जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 95.6 प्रतिशत है, खर्च किए जा चुके हैं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23,459.11 करोड़ रूपये खर्च होने की सम्भवना हैं।

9.11 दूसरी उच्च प्राथमिकता बिजली, सिंचाई और सड़क व परिवहन को उनकी बढ़ौतरी एवं बेहतरी के लिए 13,213.81 करोड़ रूपये के परिव्यय का निर्धारण करके दी गई है जोकि ग्यारहवीं योजना के कुल परिव्यय का 37.8 प्रतिशत है। कुल योजना परिव्यय में से 4713.46 करोड़ रूपये (13.5 प्रतिशत) बिजली को, 4,335.35 करोड़ रूपये (12.4 प्रतिशत) सड़क व परिवहन क्षेत्र को तथा 4165 करोड़ रूपये (12 प्रतिशत) सिंचाई क्षेत्र को आबंटित किए गए। 2007–08 से 2010–11 के दौरान 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध 11,572.05 करोड़ रूपये विभिन्न संरचनात्मक कार्यों पर खर्च किए गए जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 30.32 प्रतिशत है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 15,385.75 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है **(आकृति 9.1 तथा अनुलग्नक 9.1)**।

अनुसूचित जाति उप–योजना

9.12 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उप–योजना घटक के अन्तर्गत 6053.13 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान, इस घटक के अर्न्तगत 2,593.29 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8,646.42 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

आकृति 9.1 – हरियाणा का पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान व्यय
(रूपये करोड़ों में)

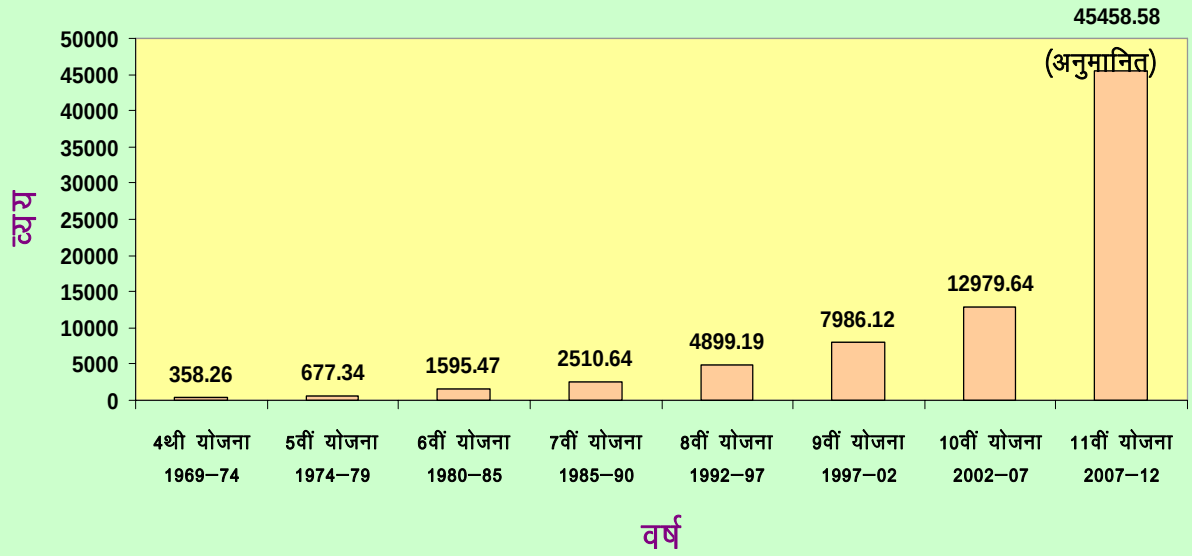

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.13 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 581.47 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अर्न्तगत 228 करोड़ रूपये का आंबटन किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 809.47 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है ।

12वां/13वां वित्त आयोग

9.14 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 12वें/13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 565.27 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान 12वें/13वें वित्त आयोग के अर्न्तगत 531.51 करोड़ रूपये की राशि का आंबटन किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1,096.78 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है ।

महिला घटक

9.15 ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान महिला घटक के अन्तर्गत 5112.03 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान महिला घटक के अर्न्तगत 1,903.85 करोड़ रूपये की राशि का आंबटन किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7,015.88 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

ऋण

नाबार्ड

9.16 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान नाबार्ड परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,271.29 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान नाबार्ड परियोजनाओं के अर्न्तगत 241 करोड़ रूपये की राशि का आंबटन किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1,512.29 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

एन.सी.आर.पी.बी.

9.17 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान एन.सी.आर.पी.बी. के अन्तर्गत 2,329.86 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान एन.सी.आर.पी.बी. के अर्न्तगत 752.46 करोड़ रूपये की राशि का आंबटन किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,082.32 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय पुनर्विचार

कृषि

फसल उत्पादन

9.18 11वीं योजना के लिए फसल उत्पादन की गतिविधियों पर 180 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया था। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 532.34 करोड़ रूपये खर्च किए गए जोकि फसल उत्पादन के अन्तर्गत और अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 295.7 प्रतिशत हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 872.34 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

कृषि अनुसंधान (एच.ए.यू.)

9.19 11वीं योजना के दौरान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों जैसे अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार के लिए 130 करोड़ रूपये का निर्धारण किया गया। 2007–08 से 2010–11 के दौरान इन सभी गतिविधियों पर 184.23 करोड़ रूपये वास्तविक खर्चा किया गया जोकि 11वीं योजना के कुल परिव्यय का 141.7 प्रतिशत है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 329.23 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 253.3 प्रतिशत निकल कर आया है।

भूमि व जल संरक्षण (कृषि)

9.20 राज्य में पानी की लवणता और क्षारता की समस्या से निजात पाने के लिए 11वीं योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपये के परिव्यय का निर्धारण किया गया। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 39.15 करोड़ रूपये खर्च किए गए और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 54 करोड़ रूपये खर्च होने सम्भावना हैं।

बागवानी

9.21 11वीं योजना अवधि में इस क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इसके विरूद्ध, 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों का खर्चा 75.95 करोड़ रूपये है जोकि इस विभाग के अनुमोदित परिव्यय का 506.3 प्रतिशत है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 130.37 करोड़ रूपये खर्च होने सम्भावना है।

पशुपालन एवं डेयरिंग

9.22 11वीं योजना अवधि में पशुपालन एवं डेयरिंग के लिए 134.75 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2010–11 के अन्त तक इस विभाग की गतिविधियों पर 181.53 करोड़ रूपये खर्च किए गए और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 251.53 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 186.7 प्रतिशत है।

मतस्य पालन

9.23 मतस्य पालन के विकास के लिए 89.73 करोड़ रूपये रखे गये थे। इस कार्य हेतू वर्ष 2010–11 के अन्त तक 30.67 करोड़ रूपये खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 37.87 करोड़ रूपये खर्च होने की सम्भावना है ।

वन

9.24 11वीं योजना के दौरान राज्य में वनों के विस्तार हेतू 750 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया। वर्ष 2010–11 तक का खर्चा 426.02 करोड़ रूपये है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 565.52 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

सहकारिता

9.25 11वीं योजना के दौरान सहकारी ऋण व सहबद्ध गतिविधियों के विस्तार जैसे सहकारी चीनी मिलों, सहकारी डेयरी की स्थापना इत्यादि हेतू 73.50 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया। वर्ष 2010–11 तक 233.57 करोड़ रूपये की राशि विभागीय गतिविधियों पर खर्च की गई और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 490.46 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

ग्रामीण विकास

9.26 11वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया। इसके इस कार्यक्रम हेतू 330.72 करोड़ रूपये 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान खर्च किए गए जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 55.1 प्रतिशत है तथा 459.30 करोड़ रूपये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च होने की संभावना हैं। योजनावार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

सामुदायिक विकास एवं पंचायत

9.27 11वीं योजना अवधि के लिए सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के लिए क्रमशः 134.75 करोड़ रूपये व 520.62 करोड़ रूपये के परिव्यय रखे गये। वर्ष 2010–11 तक सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा क्रमशः 968.99 करोड़ रूपये व 816.24 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1138.99 करोड़ रूपये व 1454.04 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम

9.28 हरियाणा सरकार ने विकसित क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्रीय असंतुलन तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतू मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड नामक दो बोर्डों की स्थापना की है।

मेवात विकास बोर्ड

9.29 11वीं पंचवर्षीय योजना में मेवात क्षेत्र जोकि सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय वाला है, के विकास को विशेष राहत देने के लिए 73.50 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है। यह राशि क्षेत्र में सामान्य विकासीय गतिविधियों पर खर्च होने वाली प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त है। यह क्षेत्र साक्षरता का नीचा स्तर तथा बड़े परिवार के आकार के साथ ही कृषि में भी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2010–11 के अन्त तक, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 46.31 करोड़ रूपये (11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 63 प्रतिशत) उपयोग किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 66.31 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

शिवालिक विकास बोर्ड

9.30 हरियाणा सरकार ने उप–पर्वतीय पिछड़ा क्षेत्र जिसको राज्य का शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है, के सम्पूर्ण विकास के लिए भी "शिवालिक विकास बोर्ड" की स्थापना की है। 11वीं योजना के दौरान इस क्षेत्र के विकास के लिए 53.90 करोड़ रूपये आबंटित किए गए। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 46.15 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 56.15 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। यह राशि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए सामान्य विकास राशि के अतिरिक्त आबंटित की गई।

सिंचाई

9.31 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,373 करोड़ रूपये का परिव्यय आबंटित किया गया था। वर्ष 2010–11 के अन्त तक 2,596.96 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई जोकि 11वीं योजना के परिव्यय का 77 प्रतिशत है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,347.71 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। बाढ़ नियन्त्रण तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 792 करोड़ रूपये था। वर्ष 2010–11 तक इस स्कीम के अन्तर्गत 495.04 करोड़ रूपये खर्च किए गए जोकि 11वीं योजना के परिव्यय का 62.5 प्रतिशत है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 729.29 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

बिजली

9.32 बिजली के उत्पादन, विस्तार व वितरण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–1012) का अनुमोदित परिव्यय 4,687 करोड़ रूपये रखा गया था। इस परिव्यय के विरूद्ध, वर्ष 2010–11 तक 3,689.57 करोड़ रूपये खर्च किए गए जोकि 11वीं योजना के परिव्यय का 78.7 प्रतिशत है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4840.17 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

अक्षय ऊर्जा

9.33 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान, राज्य में ऊर्जा के अनौपचारिक स्त्रोतों के विकास व प्रसार के लिए 26.46 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए। जिसमें से वर्ष 2010–11 तक 26.87 करोड़ रूपये (11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध 101.5 प्रतिशत) खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 34.63 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

उद्योग

9.34 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में, राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतू 389.52 करोड़ रूपये (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, खान व खनिज सम्मिलित हैं) उपलब्ध कराए गए थे। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों में जोकि 2007–11 तक है, 365.73 करोड़ रूपये खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 466.35 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। 11वीं योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र के कुल परिव्यय 389.52 करोड़ रूपये में से 8.42 करोड़ रूपये की राशि बड़े व मध्यम उद्योगों के लिए रखे गए और 261 करोड़ रूपये ग्राम व छोटे उद्योगों के लिए उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2007–11 तक बड़े व मध्यम उद्योगों तथा ग्राम व छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए किसी भी तरह क्रमशः 149.39 करोड़ रूपये तथा 165.47 करोड़ रूपये खर्च किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बड़े व मध्यम उद्योगों तथा ग्राम व छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 169.99 करोड़ रूपये तथा 220.47 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं ।

सड़के व पुल

9.35 11वीं पंचवर्षीय योजना में, राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 3,739 करोड़ रूपये रखे गए थे। यातायात के बढ़ रहे बोझ का सामना करने के लिए सड़कों के जाल में वृद्धि की जा रहीं है। प्रथम चार वर्षों के दौरान सड़कों व पुलों पर 3,145.33 करोड़ रूपये खर्च किए गए जोकि 11वीं योजना के कुल अनुमोदित परिव्यय वक 102.7 प्रतिशत है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4,221.31 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं ।

सड़क परिवहन

9.36 11वीं योजना में, सड़क परिवहन के लिए 595 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे जिस कार्य हेतू 2007–11 अवधि के दौरान 610.97 करोड़ रूपये खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 775.97 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं ।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी

9.37 11वीं योजना में, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्कीमों को अपनाने हेतू 13.81 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 42.78 करोड़ रूपये खर्च किए गए और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 61.78 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

शिक्षा

9.38 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य शिक्षा के लिए 3,350 करोड़ रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया। इसमें से 1,885 करोड़ रूपये प्राथमिक शिक्षा, 900 करोड़ रूपये माध्यमिक शिक्षा तथा 565 करोड़ रूपये उच्चतर शिक्षा के लिए रखे गए। 2007–11 तक सामान्य शिक्षा के प्रोत्साहन हेतू 3,834.21 करोड़ रूपये का व्यय किया गया जोकि कुल 11वीं योजना का 114.5 प्रतिशत है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5,580.80 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। शिक्षा क्षेत्र के अर्न्तगत हिस्से अनुसार व्यय को तालिका 9.1 में दिखाया गया है।

तालिका 9.1–शिक्षा क्षेत्र के अर्न्तगत क्षेत्रवार परिव्यय एवं व्यय

(रूपये करोड़ में)

हिस्सा	11वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	2007–11 तक का खर्चा	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संभावित खर्चा	अनुमोदित 11वीं योजना के विरूद्ध हुए खर्चे का संभावित प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षा	1885.00	2103.94	3195.96	169.5
माध्यमिक शिक्षा	900.00	843.37	1283.44	142.6
उच्चतर शिक्षा	565.00	886.90	1101.40	194.9

9.39 भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को पोषित आहार से सहारा देने हेतू मिड–डे–मिल योजना लागू की गई है ताकि इन विद्यालयों में बच्चों की संख्या, उपस्थिति को बढ़ाया जा सके व बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। राज्य सरकार ने भी राज्य में इस स्कीम को क्रियान्वित करना आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त विभाग ने दाखिले में बढ़ौतरी हेतू 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी बी.पी.एल. तथा बी.सी.ए. विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति तथा साक्षर भारत स्कीम आदि जैसी कुछ नई स्कीमों को आरम्भ किया।

तकनीकी शिक्षा

9.40 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए 673 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया। 2009–11 तक 683.05 करोड़ रूपये खर्च किए गए जोकि 11वीं योजना के परिव्यय का 101.5 प्रतिशत है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,034.05 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

स्वास्थ्य

9.41 11वीं पंचवर्षीय योजना में, राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार हेतू 450 करोड़ रूपये रखे गए थे। इस योजना के लिए 2007–11 की अवधि के दौरान 454.94 करोड़ रूपये (11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 101 प्रतिशत) खर्च किए गए। इस अवधि के दौरान बीमारियों के फैलाव की गति को रोकने, अभिरक्षित तथा रोग निवारक दवाओं की खरीद पर जोर दिया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 734.94 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों में राज्य में पल्स पोलियो कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावपूर्ण तथा सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवीं योजना में 285 करोड़ रूपये चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराए गए थे जिसमें से 383.80 करोड़ रूपये, जोकि 11वीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 134.7 प्रतिशत है, मार्च, 2011 तक खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 629.75 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। दवाओं की भारतीय पद्धति तथा होम्योपैथी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पद्धति के प्रोत्साहन हेतू 11वीं योजना में 22.50 करोड़ रूपये रखे गए है। इस परिव्यय के विरूद्ध 2007–11 तक 26.83 करोड़ रूपये (119.2 प्रतिशत) खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 37.11 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

जन स्वास्थ्य

9.42 राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा नालियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतू 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए 4,175 करोड़ रूपये रखे गए। जिसमें से 2007–08 से 2010–11 के दौरान 2,354.29 करोड़ रूपये खर्च किए गए और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,031.42 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं ।

आवासीय सम्मिलित पुलिस आवासीय

9.43 11वीं पंचवर्षीय योजना में 354 करोड़ रूपये आवासीय सम्मिलित पुलिस आवासीय के लिए रखे गए। इसके विरूद्ध 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों में 352 करोड़ रूपये खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 468.10 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मकान बना रही है तथा मकान बनाने के लिए ऋण भी उपलब्ध करा रही है। राज्य में आवासीय समस्याओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाये गए हैं।

शहरी विकास

9.44 11वीं योजना में राज्य के स्थानीय निकाय विभाग को गन्दी बस्ती के विकास कार्यक्रमों, शहरी ठोस कूड़ा–करकट प्रबन्ध तथा छोटी व मध्यम बस्तियों के सम्पूर्ण विकास के लिए 995 करोड़ रूपये दिए गए थे। 2007–08 से 2010–11 की अवधि के दौरान 989.66 करोड़ रूपये खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2,312.93 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है।

अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण

9.45 11वीं योजना में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 660 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया था। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों में 323.22 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 432.22 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

9.46 11वीं योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को 3812 करोड़ रूपये का परिव्यय आबंटित किया गया था जिसमें महिलाओं, अपाहिज व्यक्तियों, बूढ़ों व अनाथों का कल्याण शामिल है। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों 2007–11 में 4193.60 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5891.66 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

महिला व बाल विकास

9.47 11वीं योजना में महिला व बाल विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए कुल परिव्यय 1,020 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया। इसके विरूद्ध 2007–11 तक 618.78 करोड़ रूपये खर्च किए गए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 823.84 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना हैं।

वार्षिक योजना 2007–08

9.48 वार्षिक योजना 2007–08, 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रथम वर्ष है। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों एवं नीतियों की प्राप्ति हेतू राज्य की वार्षिक योजना 2007–08 हेतू 5,300 करोड़ रूपये का अनुमोदित किया गया। राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए यह परिव्यय संशोधित करके 5,500 करोड़ रूपये किया गया। संशोधित क्षेत्रीय परिव्यय के आबंटन में सामाजिक सेवाएं क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, वृद्धों, विधवाओं तथा बेसहारा लोगों

को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्राथमिकता दी गई है। 2,581.14 करोड़ रूपये (46.93 प्रतिशत) का प्रावधान सामाजिक सेवा क्षेत्र हेतू किया गया। द्वितीय, सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत ढांचे के विकास को दी गई। आधारभूत ढांचे के विकास हेतू 2,031.51 करोड़ रूपये (36.94 प्रतिशत) का आबंटन किया गया। सामाजिक–कल्याण जैसे–वृद्ध पैंशन, अपाहिजों, विधवाओं तथा बेसहारा लोगों को समाज का एक मार्मिक भाग होने के कारण तथा राज्य की उनके प्रति उत्तरदायित्व होने के कारण उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सामाजिक कल्याण के लिए 580 करोड़ रूपये (10.55 प्रतिशत) के परिव्यय रखे गए हैं। राज्य में पीने के पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए 566 करोड़ रूपये (10.29 प्रतिशत) की राशि रखी गई है। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को 724.10 करोड़ रूपये (13.17 प्रतिशत) की राशि प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108.74 करोड़ रूपये (1.98 प्रतिशत) के परिव्यय रखे गए हैं। शहरी विकास के लिए 150 करोड़ रूपये (2.73 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया था। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसमें पोषण भी शामिल है, के लिए 155.59 करोड़ रूपये (2.83 प्रतिशत) की राशि का भाग रखा गया है। संरचनात्मक विकास के अन्तर्गत, विद्युत के उत्पादन, विस्तार व वितरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसके लिए 872.52 करोड़ रूपये (15.86 प्रतिशत) की राशि विद्युत के क्षेत्र को प्रदान की गई है। संरचनात्मक विकास के अन्तर्गत, दूसरी उच्च प्राथमिकता, सिंचाई के क्षेत्र को 750.24 करोड़ रूपये (13.64 प्रतिशत) के परिव्यय प्रदान करके दी गई है। सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र के लिए, संशोधित वार्षिक योजना 2007–08 में 408.75 करोड़ रूपये (7.43 प्रतिशत) रखी गई है।

9.49 वार्षिक योजना 2007–08 पर ध्यान दें तो 5500 करोड़ रूपये के संशोधित परिव्यय के विरूद्ध 5751.18 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जोकि संशोधित परिव्यय का 104.6 प्रतिशत है। व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र पर व्यय किया गया है जोकि 2725.60 करोड़ रूपये (49.56 प्रतिशत) है। इसके बाद शक्ति पर 855.72 करोड़ रूपये (15.56 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 759.37 करोड़ रूपये (13.81 प्रतिशत), परिवहन पर 533.59 करोड़ रूपये (9.70 प्रतिशत), शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा पर 731.02 करोड़ रूपये (13.29 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवाओं पर 120.42 करोड़ रूपये (2.19 प्रतिशत) तथा महिला एवं बाल विकास के लिए 154.51 करोड़ रूपये (2.81 प्रतिशत) खर्च किया गया है । बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर 81.92 करोड़ रूपये (99.3 प्रतिशत) व्यय किया गया है जोकि काफी अच्छा है। अनुसूचित जाति उप योजना वर्ष 2007–08 में राज्य द्वारा भारत सरकार की दिशा–निर्देशानुसार चलाई गई है। इस योजना पर संशोधित परिव्यय 1055.30 करोड़ रूपये के विरूद्ध 939.23 करोड़ रूपये (89.0 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम पर संशोधित व्यय 906.62 करोड़ रूपये के विरूद्ध 963.92 करोड़ रूपये (106.03 प्रतिशत) खर्च किए गए।

9.50 यहां पर यह भी वर्णन किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा। राज्य की केन्द्रीय सहायता योजनाओं पर संशोधित परिव्यय 469.42 करोड़ रूपये के विरूद्ध 401.20 करोड़ रूपये (85.5 प्रतिशत) राज्य सरकार का हिस्सा खर्च किए गए। जबकि केन्द्र सरकार के हिस्से का परिव्यय 935.16 करोड़ रूपये के विरूद्ध 725.82 करोड़ रूपये (77.6 प्रतिशत) खर्च किए गए। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के संशोधित परिव्यय 452.18 करोड़ रूपये के विरूद्ध 369.63 करोड़ रूपये (81.7 प्रतिशत) खर्च किए गए। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं पर खर्च न होने का मुख्य कारण भारत सरकार से सहायता न प्राप्त होना या वर्ष के अन्त में सहायता मिलना है। हांलाकि, राज्य का प्रदर्शन वर्ष 2007–08 में अच्छा रहा।

वार्षिक योजना 2008–09

9.51 योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य की 2008–09 की वार्षिक योजना 6,650 करोड़ रूपये अनुमोदित की गई। राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए इस वर्ष की वार्षिक योजना का परिव्यय 7,130 करोड़ रूपये किया गया है। संशोधित क्षेत्रीय परिव्ययों के आबंटन में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, जलापूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास एवं स्वास्थ्य इत्यादि को उच्च प्राथमिकता दी गई। राज्य की वार्षिक योजना 2008–09 के पुनः निर्धारण में 3,174.04 करोड़ रूपये (44.5 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवाओं, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 899.60 करोड़ रूपये (12.6 प्रतिशत), जलापूर्ति के लिए 640.48 करोड़ रूपये (8.98 प्रतिशत), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए 640 करोड़ रूपये (8.97 प्रतिशत), शहरी विकास के लिए 230 करोड़ रूपये (3.32 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवाओं आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 163.95 करोड़ रूपये (2.29 प्रतिशत) तथा शेष 600.01 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, आवास विभागों के लिए रखा गया है।

9.52 आधारभूत ढांचे के सुधार एवं विकास के लिए 2558.45 करोड़ रूपये जोकि राज्य की वार्षिक योजना 2008–09 के कुल संशोधित परिव्यय का 35.89 प्रतिशत है। आधारभूत संरचना के विकास में यातायात क्षेत्र पर जोर देते हुए इसके लिए 882.21 करोड़ रूपये (12.37 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। दूसरी उच्च प्राथमिकता बिजली को देते हुए इसके उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण के लिए 868.74 करोड़ रूपये (12.18 प्रतिशत) रखे गये है। सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए 807.50 करोड़ रूपये (11.32 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है।

9.53 राज्य की संशोधित वार्षिक योजना 2008–09 में ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 611.38 करोड़ रूपये (8.57 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया था जिसमें की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण आधारभूत ढ़ॉचे में सुधार के अन्य कार्य शामिल थे। इस क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। राज्य की संशोधित वार्षिक योजना 2008–09 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों हेतू 404.47 करोड़ रूपये (5.67 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया था जोकि इससे पहले वर्ष की राशि से 175.94 करोड़ रूपये ज्यादा था। जहॉ तक संशोधित वार्षिक योजना 2008–09 में अन्य क्षेत्रों हेतू राशि के प्रावधान का सम्बन्ध है, उद्योगों एवं खनिजों के लिए 135.53 करोड़ रूपये विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत 100.63 करोड़ रूपये, सामान्य सेवाओं के लिए 97.39 करोड़ रूपये, सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए 19.60 करोड़ रूपये तथा विज्ञान एवं तकनीकी तथा पर्यावरण क्षेत्रों के लिए 6.02 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था।

9.54 वार्षिक योजना 2008–09 में 7130 करोड़ रूपये संशोधित परिव्यय के विरूद्ध 7,108.28 करोड़ रूपये जोकि 99.7 प्रतिशत है, खर्च किया गया है। वार्षिक योजना 2008 के दौरान सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र पर संशोधित परिव्यय पर 3,174.04 करोड़ रूपये के विरूद्व 3,279.76 करोड़ रूपये (103.3 प्रतिशत), आधारभूत ढांचे पर संशोधित परिव्यय 2,558.45 करोड़ रूपये के विरूद्व 2,584.52 करोड़ रूपये (101 प्रतिशत) खर्च किया गया है। इसके पश्चात कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर 369.33 करोड़ रूपये (91.3 प्रतिशत), ग्रामीण विकास पर 482.86 करोड़ रूपये (79 प्रतिशत), विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 21.92 करोड़ रूपये (97.4 प्रतिशत), उद्योगों पर 134.28 करोड़ रूपये (99.1 प्रतिशत), विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पर 6.01 करोड़ रूपये (99.9 प्रतिशत), विकेन्द्रीकृत योजना पर 100.62 करोड़ रूपये (100 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 19.22 करोड़ रूपये (98.1 प्रतिशत) तथा सामान्य सेवाओं पर 109.77 करोड़ रूपये (112.7 प्रतिशत) खर्च किए गए।

9.55 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं (राज्य का हिस्सा) पर संशोधित परिव्यय 1292.38 करोड़ रूपये के विरूद्ध 845.33 करोड़ रूपये (65.4 प्रतिशत) तथा केन्द्र सरकार के हिस्से के परिव्यय 467.99 करोड़ रूपये के विरूद्ध 379.19 करोड़ रूपये (81 प्रतिशत) व्यय किए गए। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के संशोधित परिव्यय 563.86 करोड़ रूपये के विरूद्ध 492.54 करोड़ रूपये (87.4 प्रतिशत) खर्च किए गए। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर संशोधित परिव्यय 57.81 करोड़ रूपये के विरूद्ध 59.58 करोड़ रूपये (103.01 प्रतिशत) भारत निर्माण कार्यक्रम के संशोधित परिव्यय 1127.78 करोड रूपये के विरूद्व 1055.44 करोड़ रूपये ((93.6 प्रतिशत), 12वें वित्त आयोग के अर्न्तगत संशोधित परिव्यय 124.95 करोड़ रूपये के विरूद्व 115.29 करोड़ रूपये (92.3 प्रतिशत) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अर्न्तगत संशोधित परिव्यय 381. 34 करोड़ रूपये के विरूद्व 475.67 करोड़ रूपये (124.7 प्रतिशत) ईयरमार्कड क्षेत्र के अर्न्तगत संशोधित परिव्यय 1,601.92 करोड़ रूपये के विरूद्व 1,592.17 करोड रूपये (99.4 प्रतिशत) महिला घटक पर संशोधित परिव्यय 945.81 करोड रूपये के विरूद्व 966.19 करोड़ रूपये 102.2 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति उपयोजना पर संशोधित परिव्यय 1,344.86 करोड़ रूपये के विरूद्व 1,205.81 करोड़ 89.7 प्रतिशत) खर्च किये गये।

वार्षिक योजना 2009–10

9.56 योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 की राज्य वार्षिक योजना 10,000 करोड़ रूपये अनुमोदित गई। बाद में राज्य के स्त्रोतों के पुनर्निधारण के कारण इस राशि को बढ़ाकर 10,400 करोड़ रूपये कर दिया गया। वार्षिक योजना 2009–10 के क्षेत्रीय परिव्यय की आबंटना में सामाजिक सेवा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए राज्य की संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में 4,923.58 करोड़ रूपये (47.34 प्रतिशत) रखे गए। इस आबंटन में से, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 1,431.40 करोड़ रूपये (13.76 प्रतिशत), सामाजिक न्याय पर 1,417.50 करोड़ रूपये (13.63 प्रतिशत), जलापूर्ति पर 615 करोड़ रूपये (5.91 प्रतिशत), शहरी विकास पर 585.47 करोड़ रूपये

(5.63 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवाओं पर 284.57 करोड़ रूपये (2.74 प्रतिशत) तथा शेष 589.64 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं पर तथा आवास क्षेत्र पर आबंटन किया गया है।

9.57 आधारभूत ढ़ांचे के विकास हेतू संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में 3,772.70 करोड़ रूपये जोकि कुल संशोधित परिव्यय का 36.28 प्रतिशत है, आबंटित किए गए ताकि आधारभूत ढ़ांचे जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क एवं सड़क परिवहन तथा हरियाणा ग्रामीण विकास फण्ड (एच.आर.डी.एफ.) तथा शहरी आधारभूत ढ़ांचा विकास फण्ड (यू.आई.डी.एफ.) को गति प्रदान की जा सके। आधारभूत संरचना के विकास में यातायात क्षेत्र पर जोर देते हुए इसके लिए 1451.74 करोड़ रूपये (13.96 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। दूसरी उच्च प्राथमिकता बिजली को देते हुए इसके उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण के लिए 1,055.35 करोड़ रूपये (10.15 प्रतिशत) रखे गये है। सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए 838 करोड़ रूपये (8.06 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। 10 करोड़ रूपये (0.10 प्रतिशत) की राशि एच.आर.डी.एफ. तथा 417.61 करोड़ रूपये (4.01 प्रतिशत) यू.आई.डी.एफ. के लिए रखी गई ।

9.58 संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के लिए 523.24 करोड़ रूपये 5.03 प्रतिशत आबंटित की गई थी। संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में 606.99 करोड़ रूपये (5.84 प्रतिशत) राशि ग्रामीण व विकास क्षेत्र, जिसमें गरीब उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे आधारभूत संरचना सुधार के अन्य कार्यक्रम शामिल है, हेतू आंबटित किए गए थे। इस क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। जिनके लिए संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 के अर्न्तगत 495 करोड़ रूपये (4.76 प्रतिशत) रखा गया था। मेवात तथा अम्बाला, पंचकूला तथा यमुनानगर के पहाडी तथा अर्ध पहाडी पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड गठित किए गए थे, जिनके लिए संशोधित वार्षिक योजना के अर्न्तगत 30 करोड़ रूपये आंबटित किए गए थे। संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में 55.44 करोड़ रूपये का प्रावधान उद्योग के लिए किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संशोधित योजना 2009–10 में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की मांग और हरियाणा रोडवेज की उपलब्ध फलीट के अन्तर को भरने के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 के लिए 147 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था।

9.59 संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में 25.95 करोड़ रूपये की राशि का आंबटन वर्तमान पर्यटन रिर्जोटों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतू आंबटित किया गया था। संशोधित वार्षिक योजना 2009–10 में 275.11 करोड़ रूपये का प्रावधान विकेन्द्रीकृत योजना एवं जिला योजना के लिए किया गया था जो कि स्थानीय प्रकृति की योजनाओं पर व्यय किए जाएंगे। संशोधित राज्य योजना 2009–10 के अर्न्तगत 143.93 करोड़ रूपये की राशि सामान्य सेवाओं के लिए आंबटित की गई थी। इस क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता पब्लिक कार्यों को दी गई थी जिनके लिए 140.51 करोड़ रूपये प्रदान किये गये थे।

9.60 वार्षिक योजना 2009–10 में 10,400 करोड़ रूपये सशोधित परिव्यय के विरूद्ध 9,624.44 करोड़ रूपये जोकि संशोधित परिव्यय का 92.5 प्रतिशत है, खर्च किया गया है। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र पर 5,341.19 करोड़ रूपये संशोधित परिव्यय के विरूद्व 4,880.35 करोड़ रूपये (91.4 प्रतिशत), आधारभूत ढांचे पर 37,72.70 करोड़ रूपये के संशोधित परिव्यय के विरूद्व 3,555.93 करोड़ रूपये (94 प्रतिशत) खर्च किया गया है। इसके पश्चात कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर 460.23 करोड़ रूपये (88 प्रतिशत), ग्रामीण विकास पर 594.12 करोड़ रूपये (98 प्रतिशत), विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 26.70 करोड़ रूपये (89 प्रतिशत), उद्योगों पर 57.49 करोड़ रूपये (76 प्रतिशत), विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पर 31.14 करोड़ रूपये (100 प्रतिशत), विकेन्द्रीकृत योजना पर 275.07 करोड़ रूपये (100 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 26.15 करोड़ रूपये (96 प्रतिशत) तथा सामान्य सेवाओं पर 134.87 करोड़ रूपये (94 प्रतिशत) खर्च किए गए।

9.61 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में केन्द्र के हिस्से पर संशोधित परिव्यय 1,739.40 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,342.42 करोड़ रूपये (77.2 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के हिस्से के परिव्यय 544.39 करोड़ रूपये के विरूद्ध 496.67 करोड़ रूपये (91.2 प्रतिशत) व्यय किए गए। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के संशोधित परिव्यय 582.35 करोड़ रूपये के विरूद्ध 437.07 करोड़ रूपये (75.1 प्रतिशत) खर्च किए गए। बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं पर संशोधित परिव्यय 210.15 करोड़ रूपये के विरूद्व 181.96 करोड़ रूपये (86.6 प्रतिशत), भारत निर्माण के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 781.03 करोड़ रूपये विरूद्व 746.91 करोड़ रूपये (95.6 प्रतिशत), 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 137.80 करोड़ रूपये के विरूद्ध 136.53 (99.1 प्रतिशत), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 730.41 करोड़ रूपये के विरूद्ध 405.83 करोड़ रूपये (55.6 प्रतिशत) ईयरमार्कड क्षेत्र के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 2,935.97 करोड़ रूपये के विरूद्व 2,414.97 करोड़ रूपये (82.3 प्रतिशत), महिला घटक पर संशोधित परिव्यय 1,623.49 के

विरूद्व 1,604.98 करोड़ रूपये (99 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति उप योजना पर संशोधित अनुमान 2,098.07 करोड़ रूपये के विरूद्व 2,004.09 करोड़ रूपये (95.5 प्रतिशत) खर्च किया गया है।

वार्षिक योजना 2010–11

9.62 राज्य की वार्षिक योजना 2010–11 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने 18260 करोड़ रूपये अनुमोदित किए थे। राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए यह परिव्यय संषोधित करके 18260 करोड़ रूपये किया गया। इस परिव्यय में 6800 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 360 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाएगें। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 11100 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया ।

9.63 संशोधित क्षेत्रीय परिव्यय के आबंटन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। राज्य की वार्षिक योजना 2010–11 के संशोधित परिव्यय में से 5673.81 करोड़ रूपये (51.12 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए रखी गई। इस परिव्यय में से 1634.08 करोड़ रूपय (14.72 प्रतिशत) शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, 1532.50 करोड़ रूपये (13.81 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 605 करोड़ रूपये (5.45 प्रतिशत) जलापूर्ति, 807.79 करोड़ रूपये (7.28 प्रतिशत) शहरी विकास, 454.51 करोड़ रूपये (4.09 प्रतिशत) स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद के लिए तथा शेष 639.93 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, आवासीय क्षेत्रों आदि के लिए रखे गये।

9.64 आधारभूत ढ़ांचे के विकास हेतु संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 3561.15 करोड़ रूपये जोकि कुल सशोधित परिव्यय का 32.08 प्रतिशत है, आबंटित किए गए ताकि आधारभूत ढ़ांचे जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क एवं सड़क परिवहन तथा शहरी आधारभूत ढ़ांचा विकास फण्ड (यू.आई.डी.एफ.) को गति प्रदान की जा सके। आधारभूत संरचना के विकास में यातायात क्षेत्र पर जोर देते हुए इसके लिए 1145.04 करोड़ रूपये (10.32 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। दूसरी उच्च प्राथमिकता बिजली को देते हुए इसके उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण के लिए 1039.91 करोड़ रूपये (9.37 प्रतिशत) रखे गये हैं। सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए 762.20 करोड़ रूपये (6.87 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है तथा 558 करोड़ रूपये की राशि (5.03 प्रतिशत) यू.आई.डी.एफ. के लिए रखी गई ।

9.65 संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 के संशोधित परिव्यय में कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों के लिए 724.06 करोड़ रूपये (6.52 प्रतिशत) आंबटित किये गये थे। संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 के संशोधित परिव्यय के ग्रामीण विकास के लिए 730.47 करोड़ रूपये (6.58 प्रतिशत) आबंटित किए गए थे जिसमें गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम तथा आधारभूत ढांचे के विकास के कार्य सम्मिलित है। इस क्षेत्र में, उच्च प्राथमिकता पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को दी गई थी तथा इसके लिए संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में परिव्यय में 607.33 करोड़ रूपये (5.47 प्रतिशत) रखे गये थे। मेवात के पिछड़े क्षेत्र तथा अम्बाला, पंचकूला तथा यमुनानगर जिले के पहाड़ी क्षेत्र तथा अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए मेवात विकास तथा शिवालिक विकास की स्थापना की गई तथा जिनके लिए संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 के परिव्यय में 27 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई थी।

9.66 संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 73.68 करोड़ रूपये का प्रावधान उद्योग के लिए किया गया था। संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 22.45 करोड़ रूपये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रखे गये थे। पब्लिक परिवहन सेवा की मांग एवं राज्य परिवहन वर्तमान फलीट के बीच की दूरी कम करने के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 157.50 करोड़ रूपये अनुमोदित किया गया था। वर्तमान पर्यटन स्थलों पर वर्तमान पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 के अर्न्तगत 18.50 करोड़ रूपये अनुमोदित किया गया था। संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 152.17 करोड़ रूपये विकेन्द्रीकृत योजना एवं जिला योजना के लिए रखा गया था जिसकी स्थानीय प्रकृति के विकास कार्यों पर व्यय किया जाएगा। संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 127.31 करोड़ रूपये सामान्य सेवाओं के लिए अनुमोदित किया गया था। इस क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता लोक कार्यों को दी गई जिसके लिए 120.73 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। वार्षिक योजना 2010–11 में 18,260 करोड़ रूपये संशेधित परिव्यय के विरूद्ध 15,497.17 करोड़ रूपये जोकि संशोधित परिव्यय का 84.9 प्रतिशत है, खर्च किया गया है। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर 685.76 करोड़ रूपये (94.7 प्रतिशत), ग्रामीण विकास पर 696.50 करोड़ रूपये (95.3 प्रतिशत), विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 21.09 करोड़ रूपये (78.1 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण

पर 732.03 करोड़ रूपये (89.5 प्रतिशत), शक्ति पर 966.12 करोड़ रूपये (92.9 प्रतिशत), उद्योगों एवं खनिज पर 65.23 करोड़ रूपये (88.5 प्रतिशत), परिवहन पर 1041.79 करोड़ रूपये (91 प्रतिशत), विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पर 10.62 करोड़ रूपये (98.3 प्रतिशत), विकेन्द्रीकृत योजना पर 152.16 करोड़ रूपये (100 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर 5,079.05 करोड़ रूपये (81.5 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 19.05 करोड़ रूपये (97.4 प्रतिशत) तथा सामान्य सेवाओं पर 105.29 करोड़ रूपये (82.7 प्रतिशत) खर्च किए गए ।

9.67 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में केन्द्र का हिस्सा संशोधित परिव्यय 2,078.92 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,535.54 करोड़ रूपये (73.9 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के हिस्से के परिव्यय 730.65 करोड़ रूपये के विरूद्ध 638.74 करोड़ रूपये (87.4 प्रतिशत) व्यय किए गए। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के संशोधित परिव्यय 802.95 करोड़ रूपये के विरूद्ध 647.60 करोड़ रूपये (80.7 प्रतिशत) खर्च किए गए। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर संशोधित परिव्यय 325.34 करोड़ रूपये के विरूद्ध 258.01 करोड़ रूपये (79.3 प्रतिशत), भारत निर्माण के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 685.19 करोड़ रूपये के विरूद्ध 444.29 करोड़ रूपये (64.8 प्रतिशत), 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 191.62 करोड़ रूपये के विरूद्ध 188.49 करोड़ रूपये (98.2 प्रतिशत), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 930.82 करोड़ रूपये के विरूद्ध 552.26 करोड़ रूपये (59.3 प्रतिशत), ईयरमार्कड क्षेत्र के अन्तर्गत संशोधित परिव्यय 2,645.73 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,849.29 करोड़ रूपये (69.9 प्रतिशत), महिला घटक पर 1,669.37 करोड़ रूपये संशोधित परिव्यय के विरूद्व 1,605.05 करोड़ रूपये (96.1 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति उप योजना पर 2,309.65 करोड़ रूपये के संशोधित परिव्यय के विरूद्व 1,904.61 करोड़ रूपये (82.5 प्रतिशत) खर्च किया गया है।

वार्षिक योजना 2011–12

9.68 राज्य की वार्षिक योजना 2011–12 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने 20,358 करोड़ रूपये अनुमोदित किए थे। राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए यह परिव्यय संशोधित करके 20,330 करोड़ रूपये किया गया। इस परिव्यय में 4,960 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 1,970 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाएगें। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 13,400 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया ।

9.69 संशोधित क्षेत्रीय परिव्यय के आबंटन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। राज्य की वार्षिक योजना 2011–12 के संशोधित परिव्यय में से 7,066.35 करोड़ रूपये (52.73 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए रखी गई। इस परिव्यय में से 2,097.58 करोड़ रूपये (15.65 प्रतिशत) शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, 1,698.06 करोड़ रूपये (12.67 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 677.13 करोड़ रूपये (5.05 प्रतिशत) जलापूर्ति, 1,323.27 करोड़ रूपये (9.88 प्रतिशत) शहरी विकास, 551.23 करोड़ रूपये (4.11 प्रतिशत) स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद के लिए तथा शेष 719.08 करोड़ रूपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, आवासीय क्षेत्रों आदि के लिए रखे गये। आधारभूत सरंचना के विकास को गति देने के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में 3,813.69 करोड़ रूपये (28.46 प्रतिशत) सिंचाई, बिजली, सड़क तथा सड़क परिवहन तथा विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए आबंटित किए गए। आधारभूत सरंचना के विकास में यातायात क्षेत्र पर जोर देते हुए इसके लिए 1,242.33 करोड़ रूपये (9.27 प्रतिशत) आबंटित किए गए। दूसरी उच्च प्राथमिकता बिजली को देते हुए इसके उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण के लिए 1,158.36 करोड़ रूपये (8.64 प्रतिशत) आबंटित किए गए। संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए 985 करोड़ रूपये (7.35 प्रतिशत) दिए गए। विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 428 करोड़ रूपये (3.19 प्रतिशत) के लिए रखे गए।

9.70 कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में 1,034.84 करोड़ रूपये (7.72 प्रतिशत) रखे गए। संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में ग्रामीण विकास के लिये 941.62 करोड़ रूपये (7.03 प्रतिशत) आबंटित किए गए। जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण सुधार के अन्य कार्य सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता पंचायती राज संस्थाओं, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को दी गई जिसके लिये 807.80 करोड़ रूपये (6.03 प्रतिशत) संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में रखे गये। संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में पिछड़े मेवात तथा

अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड स्थापित किए गए जिसके लिये 30 करोड़ रूपये (0.22 प्रतिशत) का आबंटन किया गया। उद्योगों के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में 100.62 करोड़ रूपये रखे गये। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2010–11 में 24.02 करोड़ रूपये रखे गये। राज्य परिवहन की वर्तमान बसों की संख्या व लोक परिवहन सेवाओं के लिये बढ़ती मांग के अन्तर को पूरा करने के लिये 165 करोड़ रूपये का संशोधित परिव्यय अनुमोदित किया गया। वर्तमान पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2011–12 में 20 करोड़ रूपये रखे गये। संशोधित वार्षिक योजना में विकेन्द्रीकृत योजना व जिला योजना के लिये 232.13 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये जो स्थानीय विकास कार्यो पर उपयोग होगे। सामान्य सेवाओं के लिये 137.05 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये व 134.44 करोड़ रूपये प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई ।

9.71 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान वित्तीय उपलब्धियों को **आकृति 9.2 व 9.3** तथा तालिका 9.2 में दिखाया गया है।

तालिका 9.2–11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के वित्तीय उपलब्धियां

(रूपये करोड़)

वित्त वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक खर्चा	खर्चे का प्रतिशत (कॉलम 4 से 2)	खर्चे का प्रतिशत (कॉलम 4 से 3)
1	2	3	4	5	6
2007–08	5300.00	5500.00	5751.19	108.5	104.6
2008–09	6650.00	7130.00	7108.28	106.9	99.7
2009–10	10000.00	10400.00	9624.44	96.2	92.5
2010–11	11100.00	11100.00	9574.67	86.3	86.3
2011–12	13200.00	13400.00	13400.00**	101.5	100
कुल जोड़	**46250.00**	**47530.00**	**45458.58**	**98.3**	**95.6**

नोटः– ** संभावित खर्चा

9.72 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान मेजर हैडवाईज एंव वास्तविक व्यय तथा सम्भावित खर्चे को अनुलग्नक 9.3 में दिखाया गया है।

प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)

9.73 राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए 1,76,760 करोड़ रूपये का परिव्यय योजना आयोग, भारत सरकार को प्रस्तावित किया है। इस परिव्यय में 73,570 करोड़ रूपये राज्य के निजि क्षेत्र की संस्थाओं के तथा 13,190 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय के उनके स्वयं के स्त्रोतों के शामिल किए गए। राज्य शुद्ध योजना परिव्यय 90,000 करोड़ रूपये का आंबटन विभिन्न क्षेत्रों में करते समय सामाजिक सेवा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। यह परिव्यय राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना से 157 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक (दिनांक 22–10–2011) द्वारा अनुमोदित एपरोच पेपर को मध्यनज़र रखकर तैयार किये गये हैं क्षेत्रवार परिव्यय का आबंटन इस तरह से किया गया है कि राज्य की प्रगति तथा विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहे। तदानुसार सामाजिक ढांचा क्षेत्र को अधिकतम प्राथमिकता दी गई है जिसका परिव्यय 49,474.30 करोड़ रूपये (54.97 प्रतिशत) रखा गया है। इस परिव्यय में से 12,176 करोड़ रूपये (13.53 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए रखे गये हैं। महिला एवं बाल विकास जिसमें पोषित आहार भी सम्मिलित है, के लिए 1,420 करोड़ रूपये (1.58 प्रतिशत) का प्रावधान है। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 14,800 करोड़ रूपये (16.44 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 3,737 करोड़ रूपये (4.15 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। पर्याप्त मात्रा में तथा स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए 5,200 करोड़ रूपये (5.77 प्रतिशत) का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 624 करोड़ रूपये (0.69 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 7,900 करोड़ रूपये (8.77 प्रतिशत) का प्रावधान है।

आकृति 9.2 – हरियाणा की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

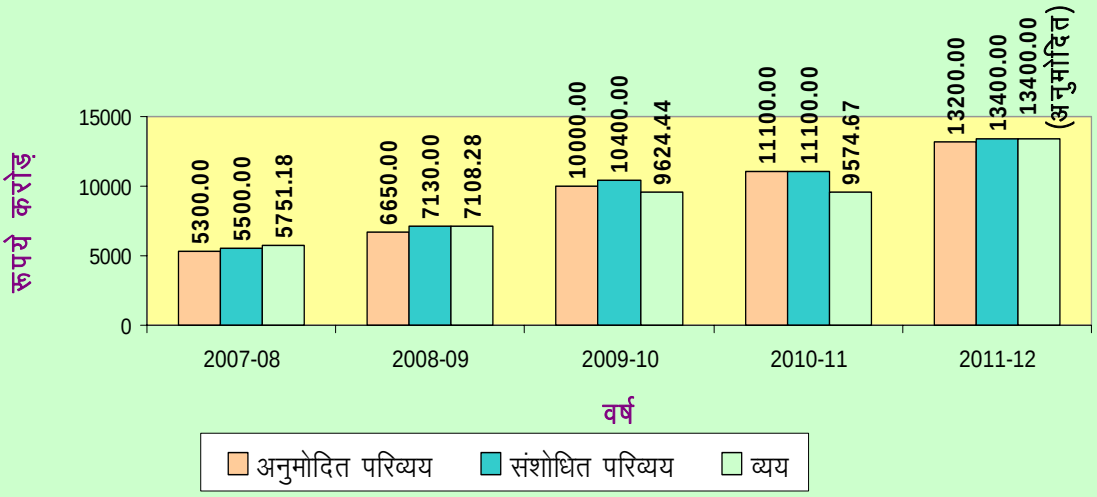

आकृति 9.3 – हरियाणा की 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्षवार व्यय

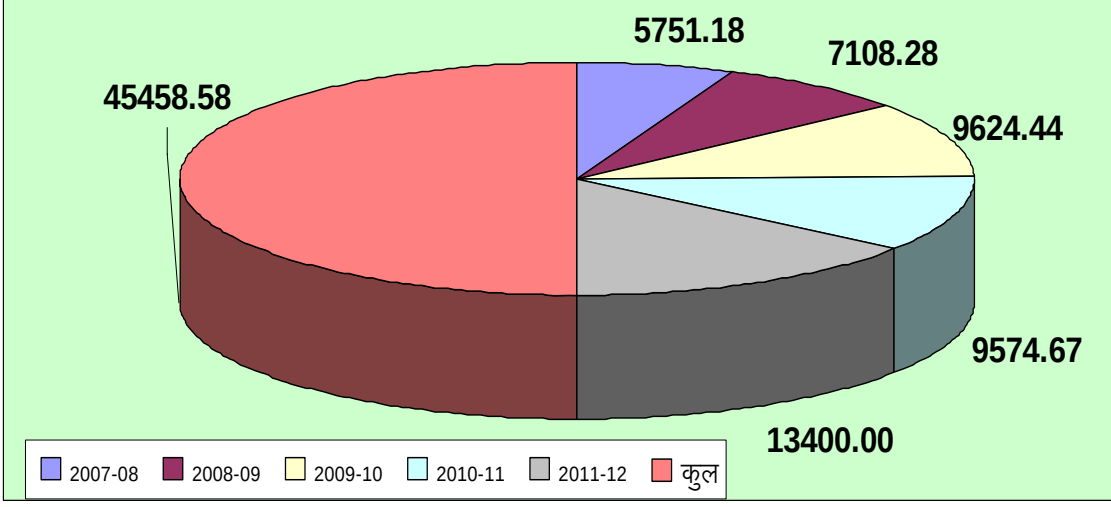

9.74 दूसरी मुख्य प्राथमिकता सिंचाई के आधारभूत ढांचे के विकास एवं सुधार, बिजली, सड़क तथा सड़क परिवहन को दी गई है। जिसके लिए 24,962 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जोकि कुल प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना का 27.74 प्रतिशत है **(आकृति 9.4)**।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2012–13 की रूपरेखा

9.75 राज्य ने योजना आयोग, भारत सरकार को वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना के लिए 26,485 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा है। इस परिव्यय में 9,950 करोड़ रूपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा 2,035 करोड़ रूपये स्थानीय निकाय उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाएगें। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं स्थानीय निकाय के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 14,500 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा है। यह परिव्यय वार्षिक योजना 2011–12 के राज्य के शुद्ध योजना परिव्यय 13,200 करोड़ रूपये से 9.85 प्रतिशत अधिक है। 14,500 करोड रूपये के आबंटन मे सामाजिक सेवाये क्षेत्र को र्स्वाधिक प्राथमिकता के साथ सिंचाई, बिजली आधारभूत ढॉचा, सड.क एवम् सड.क परिवहन तथा विशेष आर्थिक सहायता पैकेज को प्राथमिकता दी गई है **(आकृति 9.5** एवम् अनुलग्नक 9.3**)**।

समाजिक सेवाएं

9.76 सामाजिक सेवाएं क्षेत्र के लिए 7,725.91 करोड़ रूपये (53.28 प्रतिशत) आबंटित किए गए है। सामाजिक सेवाओं में उच्च प्राथमिकता, वृद्ध, विकलांग, विधवा तथा बेसहारा लोगों को पैंशन देने के लिए दी गई है, क्योंकि ये समाज के सुवेध्य वर्ग से सम्बन्धित है तथा राज्य सरकार इनके प्रति मौलिक रूप से जिम्मेदार है। अतः 1,684 करोड़ रूपये (11.61 प्रतिशत) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए रखे गये है। महिलाएं एवं बच्चे भी समाज के सुवेध्य वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जिनकी सरकार द्वारा देखभाल की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसमें पोशाहार सम्मिलित है, के क्रियान्वयन हेतू 209.60 करोड़ रूपये (1.45 प्रतिशत) का प्रावधान है। शिक्षा जिसमें तकनीकी शिक्षा सम्मिलित है, हेतू 2,832.10 करोड़ रूपये (19.53 प्रतिशत) दिये गये है। वार्षिक योजना में स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें औषधि मैडिकल शिक्षा भी सम्मिलित है, को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इन सेवाओं हेतू 566.55 करोड़ रूपये (3.91 प्रतिशत) रखे गये है। राज्य में पहले से ही सभी गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है अतः इस समय भरपूर मात्रा में पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए पेयजल सुविधा में सुधार तथा स्वच्छता हेतू 780 करोड़ रूपये (5.38 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। पुलिस हाउसिंग सहित गृह निर्माण तथा आधुनिकीकरण के लिए 101.71 करोड़ रूपये (0.70 प्रतिशत) प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति तथा पिछडी जातियो के कल्याण हेतू 110 करोड़ रूपये (0.76 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 1,154.20 करोड़ रूपये (7.96 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। बिजली विभाग के बाहरी सहायता प्राप्त प्रौजेक्टों के लिए 474.37 करोड़ रूपये (3.27 प्रतिशत) प्रस्तावित किए गए है।

आधारभूत ढांचे का विकास

9.77 राज्य की कुल योजना राशि 14,500 करोड़ रूपये में से 4,155.62 करोड़ रूपये जोकि योजना राशि का 28.66 प्रतिशत है, सिंचाई, बिजली, सड़क एवं सड़क परिवहन में मुलभूत सुविधाओं के सुधार/विस्तार हेतू आबंटित किये गये है। सिंचाई क्षेत्र हेतू 860 करोड़ रूपये (5.93 प्रतिशत) राशि प्रदान की गई है। ऊर्जा क्षेत्र जैसे विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण हेतू 1,356.68 करोड़ रूपये की राशि आंबटित की गई है जोकि कुल योजना परिव्यय का 9.36 प्रतिशत है। सड़क एवं परिवहन क्षेत्र हेतू 1,465.94 करोड़ रूपये (10.11 प्रतिशत) आंबटित किए गए है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 473 करोड़ रूपये (3.26 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

कृषि तथा कृषि सहबद्ध कार्यक्रम

9.78 कृषि तथा कृषि सहबद्ध गतिविधियों के विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र के लिए 950.08 करोड़ रूपये (6.55 प्रतिशत) की राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए अपनाई गई नीति के अर्न्तगत विभिन्न सहायक कार्यक्रमों जैसे प्रचुर मात्रा में प्रमाणित

बीजों की उपलब्धि, उर्वरकों का सन्तुलित प्रयोग, पौध संरक्षक उपायों, भूमि संरक्षक तथा अन्य भूमि विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। गेंहू, चावल, तिलहन, कपास तथा गन्ना आदि फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतू विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें भी चलाई जा रही है। वर्ष 2012–13 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.) की गतिविधियों के संचालन हेतू 145 करोड़ रूपये (1 प्रतिशत) की राशि का प्रवधान किया गया है।

9.79 भारत के पशु–उत्पादन में हरियाणा राज्य के विशाल पशुधन संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पशुधन के मालिकों को उनके घर–द्वार तक प्रभावी तथा कुशल पशू चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पशु पालन एवं डेयरी विकास विभाग की गतिविधियों के विस्तार/प्रसार के लिए वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में 101 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने व उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक टीकों की पूर्ति के लिए पशु टीकाकरण संस्थान हिसाार की क्षमता बढ़ाई जा रही है। मछली–पालन विकास के लिए 7.20 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। वातावरण में परिस्थिति के सन्तुलन के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए ईमारती एवं ईंधन की लकडी उपलब्ध कराने के लिए राज्य में वनारोपण के क्षेत्र में वृद्धि हेतू 154.44 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में सहकारिता ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 114.40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास

9.80 ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए 1072.59 करोड़ रूपये (7.4 प्रतिशत) की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 13वें वित्त आयोग अवार्ड के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता राशि, सामुदायिक विकास तथा भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकाण योजनाएं सम्मिलित है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष लाभप्रद योजनाएं तथा सूखा प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे है। समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के अर्न्तगत 2.42 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है ताकि लोगों को ऊर्जा बचाने के उपायों के प्रयोग एवं सौर ऊर्जा, कृषि एवं पशु उत्सृष्ट जैसी गैर–पारम्परिक सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। विकास तथा पंचायत कार्यक्रम के अर्न्तगत 926 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए है।

विशेष विकास क्षेत्र

9.81 पिछडे मेवात क्षेत्र जिसमें मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लोग रहते है, विकास के लिए मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए 22 करोड़ रूपये की राशि मेवात बोर्ड को प्रदान की गई हैं इसी प्रकार अम्बाला, पंचकूला तथा यमुनानगर के पहाड़ी तथा अर्ध–पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए 11 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। यह राशि इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकास गतिविधियों पर किए जा रहे खर्च के अतिरिक्त है।

सिंचाई

9.82 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक आवश्यक उपादान है। राज्य में नहरी जल तथा भूमिगत जल के साधन सीमित है। इसलिए इस सीमित संसाधन के अपव्यय को कम करके इसके अत्युत्त्म प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के लिए इस क्षेत्र के लिए 860 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

9.83 प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 680 करोड़ रूपये का आंबटन किया गया है। बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर चलाया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के लिए 100 करोड़ रूपये राज्य का हिस्सा का प्रावधान किया गया है।

आकृति 9.4 – हरियाणा की ड्राफ्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का वितरण

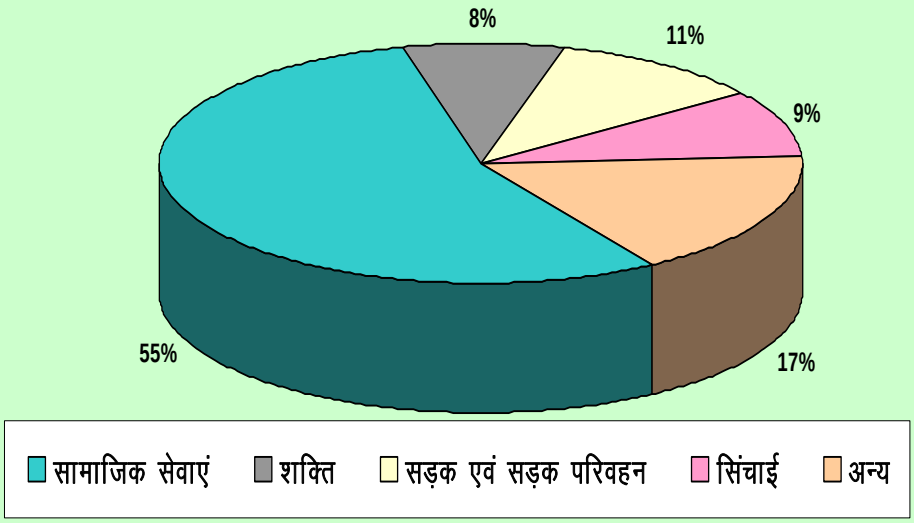

आकृति 9.5 – हरियाणा की ड्राफ्ट वार्षिक योजना (2012–13) का वितरण

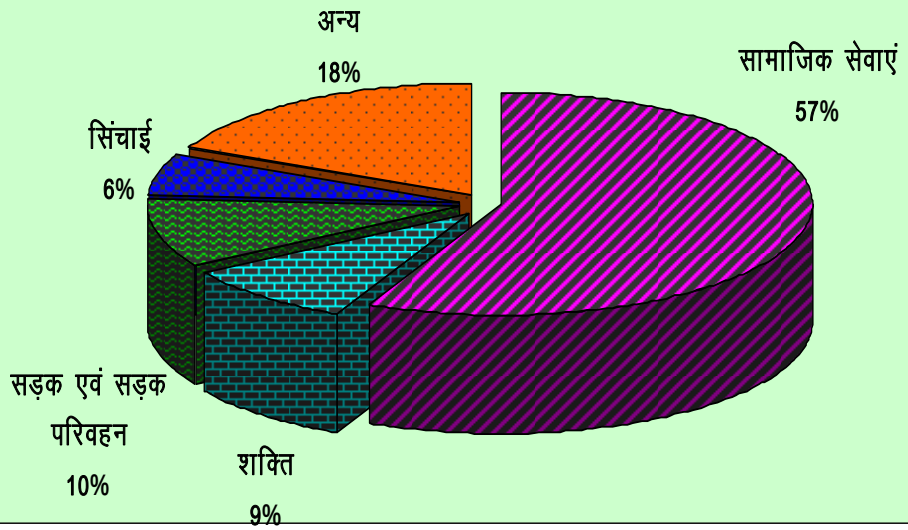

ऊर्जा

9.84 अर्थव्यवस्था के समूचे विकास के लिए ऊर्जा एक अपरिहार्य उपादान है। जन साधारण के जीवन–स्तर में सुधार लाने के लिए भी ऊर्जा अनिवार्य है। राज्य निवासियों को बिजली की आपूर्ति तथा उपलब्धता में सुधार के लिए वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में इस क्षेत्र के लिए 1356.68 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा स्त्रोत के लिए 9.68 करोड़ रूपये की राशि भी सम्मिलित है।

उद्योग

9.85 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए सहायता करता रहेगा। राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सितम्बर, 2001 मे विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड को विदेशी निवेश प्रस्तावों को तकनकीक सहायता प्रदान करने के साथ–साथ भूमि आंबटन तथा दीर्घावधि के ऋण प्रदान करने आदि की शक्तियां भी प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य की बडी कम्पनियों को राज्य में विशेषतः गुडगांव में निवेश करने के लिए आकृष्ट करने में सफल रहा है। आशा है कि यह प्रवृत्ति वार्षिक योजना 2012–13 में जारी रहेगी। वर्ष 2012–13 के लिए उद्योग विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए 62.26 करोड़ रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

9.86 प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में हरियाणा राज्य को अग्रिम पंक्ति में रखने के लिए राज्य सरकार ने पहले की एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी नीति (आई.टी.) तथा कार्य योजना तैयार की है। हारट्रोन को सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में सुदृढ़ संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतू निजी सहभागी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, डोट तथा राज्य सरकार में उपलब्ध सभी सुविधाओं को एकत्रित करके हरियाणा राज्य विस्तृत वाईड एरिया नेटवर्क (एच.ए.आर.एन.ई.टी.) की स्थापना की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी की सभी गतिविधयों के लिए वार्षिक योजना 2012–13 में 24.75 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

सड़कें एवं सड़क परिवहन

9.87 राज्य में सड़कों तथा सड़क परिवहन सुविधाओं के विकास के लिये वार्षिक योजना 2012–13 में 1465.94 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1300 करोड़ रूपये की राशि सड़कों तथा पुल निर्माण के लिए रखी गई हैं। 165 करोड़ रूपये की राशि पुरानी बसों को बदलने, बस स्टैंड/शैल्टर के निर्माण, कार्यशालाओं आदि के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित किए गए है। नगर विमानन के लिये 0.94 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है।

पर्यटन

9.88 वर्तमान पर्यटन स्थलों में पर्यटन सुविधओं के प्रसार के लिये 22 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें जिला/उप–मंडल मुख्यालयों में मुख्य राजमार्गों के साथ लगने वाले पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

विकेन्द्रीकृत/जिला योजना

9.89 294.41 करोड़ रूपये की राशि राज्य में "जिला योजना हेतू" निर्धारित किए गए जिसे स्थानीय प्रकृति के कार्यों पर व्यय किया जाऐगा।

सामान्य सेवाएं

9.90 सामान्य सेवाओं हेतू 126.74 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसे आवश्यक प्रशासनिक भवनों लघु सचिवालय तथा इससे सहबद्ध भवन तथा जेलों के लिए भवन, न्यायिक, उत्पाद शुल्क एवं कर (गैर–निवास भवन), लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) भवनों, विश्राम गृहों, खजाना एंव लेखा भवनों एवं सत्कार भवनों पर व्यय किया जाऐगा।

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9.91 436.37 करोड़ रूपये की राशि बिजली विभाग के विभिन्न बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतू निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति उप–योजना (एस.सी.एस.पी.)

9.92 वर्ष 2012–13 का अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए शुद्ध वार्षिक राज्य योजना 2,807.74 करोड़ रूपये (19.36 प्रतिशत) निर्धारण किया गया जो कि राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.35 प्रतिशत के अनुपात में है।

आर्थिक प्रात्साहन पैकेज

9.93 आधारभूत ढांचे के विकास हेतू एक विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण किया गया जो कि वार्षिक योजना 2012–13 के लिए 473 करोड़ रूपये है। इस परिव्यय को उन प्रौजेक्टस के लिए प्रयोग मे लाया जाएगा जिनका कार्य तुरन्त प्रभाव से किया जाना है जैसे कि जिला अस्पतालों की संख्या में बढ़ौतरी, नएं चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति में वृद्धि, समाज के अलाभकारी भागों के लिए विशेष सुविधा संस्थानों की स्थापना, जल स्त्रोतों के संग्रहण, औद्योगिक श्रमिकों के लिए निवास स्थान की सुविधा एवं नए जिलों मेवात तथा पलवल के लिए आफिस तथा रहने के लिए निवास ग्रहों का निर्माण आदि।

13वें वित्त आयोग

9.94 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अर्न्तगत 638.82 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न प्रकार के प्रौजैक्टस के लिए रखी गयी जिसमें 75 करोड़ रूपये की राशि मेवात क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई। इस अनुदान का विवरण तालिका 9.3 में दिया गया है।

तालिका 9.3– 13वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान का विवरण

(करोड़ रूपये)

क.	1.	वन	2.20
	2.	पंचायत (पी.आर.आई.)	231.26
	3.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी (यू.आई.डी.के लिए)	6.42
	4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10.50
	5.	प्रारम्भिक शिक्षा	46.00
	6.	स्वास्थ्य सेवाएं	50.00
	7.	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	75.00
	8.	पुलिस हाउसिंग	25.00
	9.	शहरी विकास	117.44
		कुल	**563.82**
ख		मेवात का विकास	
	1.	जन स्वास्थ्य	25.00
	2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	25.00
	3.	स्वास्थ्य	25.00
		कुल	**75.00**
		कुल (क+ख)	**638.82**

***

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(रूपये करोड़)

मदें	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12(ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**18452.31**	**20992.66**	**25563.68**	**32018.19**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**14893.73**	**15960.90**	**20211.31**	**24293.97**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	11655.28	13219.50	16790.37	20006.89
i) भू –राजस्व	8.58	9.43	10.02	16.09
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	1418.53	2059.02	2365.81	2400.00
iii) बिक्री कर	8154.73	9032.37	11082.01	14100.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	239.30	277.07	457.36	515.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	1326.39	1293.56	2319.28	2350.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	370.29	391.45	387.14	425.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	106.31	119.58	130.27	155.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	31.15	37.02	38.48	45.80
आ) राज्य का अपना कर– भिन्न राजस्व (i से v)	3238.45	2741.40	3420.94	4287.08
i) ब्याज प्राप्तियां	776.28	667.89	689.34	816.49
ii) लाभांश तथा लाभ	8.27	9.60	2.48	10.70
iii) सामान्य सेवाएं	310.81	271.80	216.34	303.16
iv) सामाजिक सेवाएं	1124.79	502.31	1363.56	1775.83
v) आर्थिक सेवाएं	1018.30	1289.80	1149.22	1380.90
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	3558.58	5031.76	5352.37	7724.22
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	1724.62	1774.47	2301.75	2765.11
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	1833.96	3257.29	3050.62	4959.11
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**2954.83**	**5931.63**	**6112.69**	**7152.26**
i) कर्जे की प्राप्तियां	351.80	212.84	233.05	232.93
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	6.80	9.39	8.00	16.56
iii) लोक ऋण (निवल)	2596.23	5709.40	5871.64	6902.77
कुल प्राप्तियां (1+2)	**21407.14**	**26924.29**	**31676.37**	**29170.45**

ब.अ. : बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो "वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है ।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(रूपये करोड़)

मदें	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**20534.73**	**25257.38**	**28310.19**	**34678.87**
क) विकासात्मक (i+ii)	14294.48	17432.13	18900.81	23892.04
i) सामाजिक सेवाएं	7258.73	9902.22	10904.08	13968.52
ii) आर्थिक सेवाएं	7035.75	7529.91	7996.73	9923.52
ख) गैर– विकासात्मक (i से v)	6024.47	7755.34	9328.14	10684.07
i) राज्य की विधाएं	233.07	296.76	367.63	402.86
ii)वित्तीय सेवाएं	190.30	231.58	249.82	255.47
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	2386.34	2809.01	3424.24	4531.98
iv)प्रशासनिक सेवाएं	1599.62	2026.85	2191.18	2242.47
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	1615.14	2391.14	3095.27	3251.29
ग) अन्य*	215.78	69.91	81.24	102.76
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**4833.98**	**6048.17**	**4752.97**	**5597.41**
घ) विकासात्मक (iसे ii)	4525.88	5745.89	4454.70	5255.48
i) सामाजिक सेवाएं	1185.86	1562.31	1565.80	1929.22
ii) आर्थिक सेवाएं	3340.02	4183.58	2888.90	3326.26
ड़) गैरविकासात्मक (iसे ii)	308.10	302.28	298.27	341.93
i) सामान्य सेवाएं	194.81	187.37	198.94	189.60
ii) सरकारी कर्मचारी को आवास को छोडकर कर्जे	113.29	114.91	99.33	152.33
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**25368.71**	**31305.55**	**33063.16**	**40276.28**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**18820.36**	**23178.02**	**23355.51**	**29147.52**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**6332.57**	**8057.62**	**9626.41**	**11026.00**
6. अन्य* (ग)	**215.78**	**69.91**	**81.24**	**102.76**

ब.अ. : बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़)

मदें	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12(ब.अ.)
1	2	3	4	5
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)725.22	(-) 602.85	(-) 1131.66	(-) 932.86
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-) 670.29	(-) 602.41	(-) 1124.41	(-) 925.61
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	18452.31	20992.66	25563.68	32018.19
ख) खर्च	20534.73	25257.38	28310.19	34678.87
ग) अधिशेष/घाटा	(-) 2082.42	(-) 4264.72	(-) 2746.51	(-) 2660.68
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	6.80	9.39	8.00	16.56
4. पूंजीगत परिव्यय	4501.67	5218.48	4031.10	4640.51
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	3888.06	8455.37	10513.20	13568.89
ख) पुनः अदायगी	1291.83	2745.97	4641.56	6666.12
ग) निवल	(+) 2596.23	(+) 5709.40	(+) 5871.64	(+) 6902.77
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	332.31	829.69	721.87	956.90
ख) वसूलियां	351.80	212.84	233.05	232.93
ग) निवल	(+) 19.49	(-) 616.85	(-) 488.82	(-) 723.97
7. अर्न्तराज्य समायोजन	–	–	–	–
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन (निवल)	–	–	(+) 200.00	–
9. आकस्मिक निधि(निवल)	–	–	(-) 190.00	–
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	(+) 352.38	(+)861.92	(+) 747.80	(+) 1183.36
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(+) 3758.19	(+) 3273.49	(-)310.29	(+) 102.83
12. प्रेषण (निवल)	(-) 26.63	(-) 282.96	(+) 305.08	(-) 3.51
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(+) 122.37	(-) 528.81	(-) 644.19	(+) 176.85
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-) 602.85	(-) 1131.66	(-) 1775.85	(-) 756.01
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-) 602.41	(-) 1124.41	(-) 1771.03	(-) 748.76

ब.अ. : बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,हरियाणा।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(रूपये करोड़)

मदें	2008–09	2009–10	2010–11 (स.अ.)	2011–12 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
I प्रशासकीय विभाग (1से 7)	**22367.35**	**27584.68**	**34440.25**	**37518.71**
1. उपभोग व्यय (i+ii)	8625.44	11703.60	14567.53	14590.26
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	7463.43	10291.79	12439.53	12726.65
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव	1162.01	1411.81	2128.00	1863.61
2. चालू हस्तांतरण*	8840.22	10135.08	13121.49	14845.99
3. सकल पूंजी निर्माण	2395.77	2734.09	3104.14	3634.50
4. पूंजीगत हस्तांतरण	1182.84	1257.63	2050.28	2473.96
5. वित्ति परिसम्पतियों की निवल खरीद	969.68	912.41	721.96	987.78
6. कर्ज (अग्रिम)	332.31	829.69	796.14	956.90
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	21.09	12.18	78.71	29.32
II. विभागीय वाणिज्यक उपकम (1 से 6)	**2671.19**	**2821.28**	**3308.68**	**3403.37**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	624.34	730.51	760.86	806.38
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	715.57	827.41	1493.56	1549.91
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	34.91	32.23	32.94	33.96
4. ब्याज	327.36	362.80	372.51	380.71
5. सकल पूंजी निर्माण	961.48	837.16	638.31	619.91
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	7.53	31.17	10.50	12.50
कुल व्यय (I+II)	**25038.54**	**30405.96**	**37748.93**	**40922.08**

स.अ.: संशोधित अनुमान,
ब.अ.: बजट अनुमान
संशोधित अनुमान. चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है 1
प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

अनुलग्नक 2.5–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की उपलब्धि

(लाख रूपये)

क्रं0स0	क्षेत्र व स्कीम	वर्ष 2010–11 के लक्ष्य	उपलब्धियॉ 1.4.11 से 31.12.11
1	लघु सिंचाई	12600.00	12421.96
2	कृषि मशीनीकरण	5250.00	1274.72
3	भूमि विकास	3150.00	4150.15
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	3675.00	2257.82
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	3675.00	3727.74
6	ग्रामीण आवास योजना	4725.00	1741.96
7	गैर कृषि क्षेत्र	4725.00	2472.90
8	भूमि खरीदने हेतू	3675.00	549.70
9	ग्रामीण भण्डारण	525.00	10.75
10	अन्य	10500.00	1764.20
	कुल	**52500.00**	**30371.90**

अनुलग्नक 2.6–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए नियोजित ऋण वितरण योजना

;लाख रूपयेद्ध

क्रं0स0	योजना का नाम	2012–13 के लिए लैंडिग प्रौजेक्षन
1	लघु सिंचाई	13860.00
2	कृषि मशीनीकरण	3465.00
3	भूमि विकास	5775.00
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	4042.50
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	4042.50
6	ग्रामीण आवास योजना	4042.50
7	गैर कृषि क्षेत्र	5197.50
8	भूमि खरीदने हेतु	5197.50
9	ग्रामीण गोदाम	577.50
10	अन्य	11550.00
	कुल	**57750.00**

अनुलग्नक 2.7–हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड.)

क्र0 स0	विवरण	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (दिस.,11तक)
I	हिस्सा पूंजी	44.54	51.94	60.94	69.33	72.04	72.33	79.18	92.62
II	निजि कोष	368.35	409.60	434.40	447.47	449.00	426.03	456.28	467.83
III	अमानतें	1106.31	1172.70	1206.52	1362.58	1723.72	1935.17	2025.21	2057.12
IV	उधार राशि	1378.87	1497.18	2029.37	2156.60	1751.74	1951.23	2528.91	2845.81
V	ऋण दिये	3311.91	3823.25	2987.14	3026.54	3227.40	3332.86	3764.48	4469.52
VI	बकाया ऋण	2094.23	2393.19	2910.96	3124.16	2800.00	2988.77	3738.89	3816.62
VII	लाभ/हानि	35.01	37.00	25.63	4.91	10.61	–17.94	5.01	.
VII	वसूली प्रतिशत	99.81	99.85	99.76	99.76	97.75	99.93	99.94	.
IX	अतिदेय व ऋण अनुपात	0.25	0.22	0.18	0.23	2.63	0.07	0.06	.
X	एन.पी.ए. प्रतिशत		0.22	0.18	0.07	0.08	0.07	0.06	.
XI	कार्य. पूंजी	2887.40	3709.95	4005.66	3952.79	4360.21	5051.04	5621.87	.

अनुलग्नक 2.8–केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार दिए गए अग्रिम ऋण

खरीफ फसल (रूपये करोड.)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2004–05	1680.00	88.00	1768.00	1635.46	81.26	1716.72
2005–06	2120.00	112.00	2232.00	2020.09	94.91	2115.00
2006–07	2815.00	150.00	2965.00	2198.03	102.83	2300.86
2007–08	2636.00	126.00	2762.00	2274.41	116.58	2390.99
2008–09	2732.00	143.00	2875.00	737.18	49.29	780.47
2009–10	2805.00	145.00	2950.00	1800.15	94.51	1894.66
2010–11	2820.00	150.00	2970.00	2202.64	99.23	2301.87
2011–12	2898.00	157.00	3055.00	2739.13	139.19	2878.32
रबी फसल						
सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2004–05	1800.00	197.00	1997.00	1751.32	154.88	1906.20
2005–06	2330.00	270.00	2600.00	2079.52	195.36	2274.88
2006–07	2725.00	275.00	3000.00	2038.31	168.50	2206.81
2007–08	2550.00	210.00	2760.00	2117.61	226.22	2343.83
2008–09	2330.00	250.00	2580.00	1870.72	159.70	2030.52
2009–10	2560.00	261.00	2830.00	2141.93	167.78	2309.71
2010–11	2700.00	265.00	2965.00	2662.14	174.38	2836.52
2011–12	2927.00	273.00	3200.00	1482.13	134.28	2398.36 (20.01.12)

अनुलग्नक 2.9—हरको बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज की दर

क्र0स0	ऋणों के प्रकार	ब्याज की दर (प्रतिशत में)			
		नाबार्ड से एस.सी.बी.	अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. को	सी.सी.बी. से पी.ए.सी.एस.	पी.ए.सी.एस. सदस्यों को
I	फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड	4.00	4.60	5.30	7.00
II	व्यवसायिक तथा अन्य प्रयोजन	—	9.00	—	—
III	ग्रामीण कारीगरी (स्वाम्तिव कोष)	—	9.00	—	—
IV	रिवोलविंग नकद ऋण योजना	—	9.00	—	—
V	एस.टी.एल. उर्वरक	—	9.00	—	—
VI	**गैर कृषि वित्त योजना**	**नाबार्ड से अपैक्स बैंक**	**अपैक्स बैंक से सी.सी.बी को**		
क)	लघु सिंचाई, एस.जी.एस.वाई.एस. एच.जी.ए एस./एस.टी. एक्शन प्लान, सूखी भूमि खेती	10.00	10.50		
ख)	ग्रामीण गोदाम	10.00	10.50		
ग)	एन.एफ.एफ. (ए.आर.एफ.)	10.00	10.50		

अनुलग्लक 2.10—केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वर्ष 2011—12 के लिए आगामी प्रोजैक्शन

(रूपये करोड़)

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2011—12 के अनुमान
1.	निजि कोष	817.37
क.	हिस्सा पूंजी	362.88
ख.	राज्य सरकार	41.52
2.	आरक्षित	446.84
3.	अमानते	5799.18
4.	दिये गये ऋण	8397.37
5.	बकाया ऋण	7718.50
6.	लाभ	28.77
7.	वसूली प्रतिशत में	70.39
8.	निवेश	2082.02
9.	कार्यशील पूंजी	10500.00

अनुलंग्नक 4.1—कृषि सूचकांक

(आधार वर्ष त्रैवर्षीय अन्तिम 1981—82=100)

वर्ष	क्षेत्र	औसत उपज	पैदावार
1	2	3	4
2001-02	119.16	153.80	220.71
2002-03	112.46	191.16	214.98
2003-04	119.21	200.88	239.47
2004-05	120.57	201.55	243.01
2005-06	122.07	187.94	229.42
2006-07	119.61	216.91	259.45
2007-08	119.16	215.28	256.53
2008-09	120.66	225.23	271.76
2009-10	120.30	217.36	261.48
2010-11(अ)	123.57	225.68	278.87

अः अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

नोटः— सूचकांक 20 चूनीदा फसलों पर आधारित है।

अनुलंग्नक 4.2—फसलवार कृषि उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष त्रैवर्षीय अन्तिम 1981—82=100)

वर्ष	अनाज खाद्यान्न	अनाज दालें	कुल खाद्यान्न	तेल के बीज	रेशेदार फसलें	विविध फसलें	कुल अखाद्यान्न	सभी फसलें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001-02	249.82	34.80	218.73	585.83	130.18	171.19	225.73	220.71
2002-03	233.08	12.99	201.25	512.82	194.66	195.47	249.79	214.98
2003-04	247.41	28.75	215.79	706.51	255.99	174.29	299.54	239.47
2004-05	244.25	27.05	212.84	603.91	370.92	151.25	319.53	243.01
2005-06	243.23	22.49	211.31	580.25	263.35	161.16	275.36	229.42
2006-07	276.39	27.54	240.41	589.30	314.83	184.34	307.74	259.45
2007-08	286.85	17.56	247.91	438.77	322.33	168.68	278.38	256.53
2008-09	303.62	36.22	264.96	657.77	312.00	113.89	289.02	271.76
2009-10	289.98	19.54	251.93	623.38	323.08	118.29	293.03	261.48
2010-11(अ)	317.12	33.09	272.55	691.43	292.85	131.50	293.28	278.87

अः अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

नोटः— सूचकांक 20 चूनीदा फसलों पर आधारित है।

अनुलग्नक 4.3–मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूँ	चावल	कुल खाघान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1966-67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970-71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980-81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990-91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000-01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005-06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2006-07	2376	1042	4348	141	527	622	6407
2007-08	2461	1073	4477	140	482	511	6458
2008-09	2462	1211	4621	91	456	528	6500
2009-10	2488	1206	4542	79	505	523	6351
2010-11*	2515	1245	4714	85	492	504	6357
2011-12*	2505	1235	4602	95	603	549	6500

* अनन्तिम

अनुलग्नक 4.4 मुख्य फसलों का कृषि उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहुँ	चावल	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास (000 गांठे)	गन्ना
1	3	4	2	5	6	7
1966-67	1059	223	2592	92	288	5100
1970-71	2342	460	4771	99	373	7070
1980-81	3490	1259	6036	188	643	4600
1990-91	6436	1834	9559	638	1155	7800
2000-01	9669	2695	13295	563	1383	8170
2005-06	8853	3194	13006	830	1502	8310
2006-07	10059	3371	14759	837	1805	9651
2007-08	10232	3606	15294	617	1882	8850
2008-09	11360	3299	16405	911	1862	5206
2009-10	10488	3628	15345	862	1918	5707
2010-11*	11630	3472	16629	942	1744	6042
2011-12*	11861	3759	17205	1029	2621	6745

* अनन्तिम

अनुलग्नक 4.5—हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूँ तथा चावल की मुख्य फसलो की औसत उपज

(किलोग्रा0 प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेंहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5
1990—91	3479	2775	2281	1740
2000—01	4106	2557	2708	1901
2005—06	3844	3051	2619	2102
2006—07	4232	3238	2708	2131
2007—08	4158	3361	2785	2203
2008—09	4614	2724	2907	2178
2009—10	4215	3008	2830	2130
2010—11*	4624	2789	उ.न.	उ.न.
2011—12*	4735	3044	उ.न.	उ.न.

* अनन्तिम उ.न.: उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक 5.1—वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 1999—2000=100)

समूह	विवरण	भार	सूचकांक 2009-10	2010-11(अ.)
1	2	3	4	5
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	116.38	128.0	132.7
16	तम्बाकू उत्पाद	0.45	247.8	271.3
17	वस्त्र	34.30	130.7	136.1
18	पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	35.64	339.3	355.9
19	चमड़े की टेनिंग व डेसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	20.98	158.2	159.5
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	1.10	152.9	153.3
21	कागज तथा कागज उत्पाद	8.98	158.4	156.8
22	रिकार्डिंड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	5.44	87.3	78.0
23	कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.80	115.8	41.9
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	43.03	159.3	174.7
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	28.52	138.1	160.8
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	22.06	168.7	173.4
27	आधारभूत धातुएं	84.52	150.2	156.3
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	25.11	181.5	206.5
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	123.04	168.9	184.0
30	कार्यालय, लेखा व कम्प्यूटिंग मशीनरी	19.90	201.2	234.5
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व सधित्र	32.14	146.3	145.3
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	24.01	263.4	263.7
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	10.80	387.6	478.1
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध—टेलर	200.23	304.9	341.6
35	अन्य परिवहन उपकरण	83.24	375.5	406.5
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	4.27	114.2	100.0
	खनन एंव उत्खनन	**18.83**	**98.7**	**97.6**
	विनिर्माण	**924.94**	**218.0**	**236.5**
	विद्युत	**56.23**	**360.2**	**369.5**
	सामान्य सूचकांक	**1000.00**	**223.7**	**241.4**

अ : अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.2–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

वर्ष	खनन एंव उत्खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य सूचकांक
1999–00	100.0	100.0	100.0	100.0
2000–01	114.2	105.6	119.2	106.5
2001–02	119.2	112.3	161.9	115.2
2002–03	109.1	121.6	174.6	124.3
2003–04	93.4	133.2	191.8	135.8
2004–05	86.9	145.7	204.4	147.9
2005–06	92.9	159.1	238.4	162.3
2006–07	86.0	176.7	262.6	179.8
2007–08	89.5	192.4	271.7	194.9
2008–09	96.0	196.9	316.4	201.7
2009–10	98.7	218.0	360.2	223.7
2010–11 (अ)	97.6	236.5	369.5	241.4

अ : अनन्तिम प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.3—औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि (2 अंक स्तर पर)

(आधार वर्ष 1999—2000=100)

उद्योग समूह	भार	2008-09	2009-10	2010-11
विनिर्माण	924.94	2.3	10.7	8.5
वर्ष 2010—11 के दौरान 10% से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	28.52	2.4	7.6	16.4
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	25.11	5.2	18.3	13.8
30. कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	19.90	22.1	28.3	16.6
33. चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	10.80	7.7	21.9	23.3
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध—टेलर	200.23	5.4	3.3	12.0
वर्ष 2010—11 के दौरान 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
16. तम्बाकू उत्पाद	0.45	1.7	23.6	9.5
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	43.03	9.0	17.6	9.7
29. अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण.	123.04	2.4	8.0	8.9
35. अन्य परिवहन उपकरण	83.24	2.0	3.3	8.3
वर्ष 2010—11 के दौरान 5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
15. खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	116.38	-10.1	-1.1	3.7
17. वस्त्र	34.30	-0.9	0.5	4.1
18. पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	35.64	11.3	4.6	4.9
19. चमड़े की टेनिंग व डेसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	20.98	-12.9	2.7	0.8
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	1.10	2.7	0.7	0.3
26. अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	22.06	0.4	1.9	2.8
27. आधारभूत धातुएं	84.52	-2.4	5.5	4.1
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व सधित्र	24.01	6.8	-15.1	0.1
वर्ष 2010—11 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
21. कागज तथा कागज उत्पाद	8.98	0.9	0.7	-1.0
22. रिकार्डिंड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	5.44	-3.9	0.7	-10.7
23. कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.80	1.8	31.0	-63.8
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	32.14	-0.2	-17.2	-0.7
36. फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	4.27	0.7	5.6	-12.4

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 8.1–बीस–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत उपलब्धियां

बिन्दू/मद	इकाई	2011–12	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (नवम्बर,11 तक)
1	2	3	4
01ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	ल.न.	54.81
06ए गृह निर्माण (इन्दिरा आवास योजना)	संख्या	17293	6199
06बी शहरी क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास	संख्या	5500	11930
07ए छुटी हुई बसावटें और जल गुणवत्ता समस्या वाली शामिल बसावटें	संख्या	962	323
08ई सांस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	ल.न.	1.63
10ए आर्थिक सहायता प्राप्त एस.सी. परिवार	संख्या	88500	48123
12ए आई.सी.एस. खण्ड क्रियाशील (संचयी)	संचयी संख्या	145	148
12बी क्रियाशील आंगनबाड़ियां (संचयी)	संचयी संख्या	23247	24988
15ए1 वृक्षारोपण के अर्न्तगत शामिल क्षेत्र	हैक्टेयर	24000	56581
15ए2 रोपित पौधों की संख्या	लाख संख्या	156	460
17ए बनाई गई सड़कों की लम्बाई (पी.एम.जी.एस.वाई.)	किलोमीटर	292	120
18डी पम्पसैटों को बिजली	संख्या	19000	15025

ल.न.: लक्ष्य नहीं

अनुलग्नक 9.1—योजनाओं के अधीन परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपये)

योजना अवधि		अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1		2	3
वार्षिक योजनाएं	1966—69	77.11	94.14
चौथी योजना	1969—74	225.00	358.26
पांचवी योजना	1974—79	601.35	677.34
वार्षिक योजना	1979—80	219.76	202.96
छठी योजना	1980—85	1800.00	1595.47
सातवीं योजना	1985—90	2900.00	2510.64
वार्षिक योजना	1990—91	700.00	615.02
वार्षिक योजना	1991—92	765.00	699.39
आठवीं योजना	(1992—97)	5700.00	4899.19
नौवीं योजना	(1997—02)	11600.00	7986.12
दसवीं योजना	(2002—07)	12000.00	12979.64
ग्यारहवीं योजना 2007—12			
अनुमोदित परिव्यय		35000.00	
वार्षिक योजना 2007—08			
अनुमोदित परिव्यय		5300.00	
संशोधित परिव्यय		5500.00	5751.18
वार्षिक योजना 2008—09			
अनुमोदित परिव्यय		6650.00	
संशोधित परिव्यय		7130.00	7108.28
वार्षिक योजना 2009—10			
अनुमोदित परिव्यय		10000.00	
संशोधित परिव्यय		10400.00	9624.44
वार्षिक योजना 2010—11			
अनुमोदित परिव्यय		18260*	
संशोधित परिव्यय		18260*	15497.17
वार्षिक योजना 2011—12			
अनुमोदित परिव्यय		20358*	
संशोधित परिव्यय		20330*	20330.00 (सम्भावित)
बारहवीं योजना 2012—17			
प्रस्तावित परिव्यय		176760*	
वार्षिक योजना 2012—13			
प्रस्तावित परिव्यय		26485*	

* इसमें पी0एस0यू0 तथा स्थानीय निकाय सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 9.2– मुख्य शीर्षवार 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो का आंबटन एवं वास्तविक व्यय तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना का सम्भावित व्यय

(करोड़ रूपये)

क्र0 सं0	विकास का मुख्य शीर्ष	ग्यारहवीं योजना 2007–12				व्यय की प्रतिशतता		
		अनुमोदित परिव्यय	वर्षिक योजनाओं का समस्त परिव्यय	वास्तविक व्यय (2007–11)	11वीं योजना का सम्भावित व्यय	अनुमोदित परिव्यय से (कालम 6 का कालम 3 से)	समस्त योजना परिव्यय से (कालम 6 का कालम 4 से)	वास्तविक व्यय से (कालम 5 का कालम 6 से)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कृषि एवं सहबद्ध कार्य	1638.82	2397.51	1719.68	2754.52	168.1	114.9	105.0
2	ग्रामीण विकास	1268.42	2726.95	2142.02	3083.64	243.1	113.1	168.9
3	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	127.40	130.30	92.46	122.46	96.1	94.0	73.0
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	4165.00	3893.40	3092.00	4077.01	97.9	104.7	74.2
5	ऊर्जा	4713.46	6418.48	3716.44	4874.80	103.4	75.9	78.8
6	उद्योग एवं खनिज	389.52	407.80	365.73	466.35	119.7	114.4	94.0
7	परिवहन	4335.35	5586.05	3803.00	5045.33	116.4	90.3	88.0
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	19.88	60.70	51.69	73.12	367.8	120.5	260.0
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	90.34	86.87	80.95	103.21	114.2	118.8	89.6
10	विकेन्द्रीकृत योजना	1292.93	938.42	562.85	794.98	61.5	84.7	43.5
11	समाजिक सेवाएं	16697.44	23263.75	15964.76	23459.11	140.5	100.8	95.6
12	सामान्य सेवाएं	261.44	339.77	467.00	604.05	231.0	177.8	178.6
	कुल जोड़	**35000.00**	**46250.00**	**32058.58**	**45458.58**	**129.9**	**98.3**	**91.6**

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलंग्नक 9.3– क्षेत्रवार योजना परिव्यय

(करोड़ रूपये)

क्र0 सं0	विकास का मुख्य शीर्ष	11वीं योजना 2007–12	वार्षिक योजना 2007–08	वार्षिक योजना 2008–09	वार्षिक योजना 2009–10	वार्षिक योजना 2010–11	वार्षिक योजना 2011–12	12वीं योजना (2012–17)	वार्षिक योजना 2012–13
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	संशोधित परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	कृषि एवं सहबद्ध कार्य	1638.82 (4.68)	204.36 (3.55)	369.33 (5.20)	460.23 (4.78)	685.76 (7.16)	1034.84 (7.72)	5880.00 (6.53)	950.08 (6.55)
II	ग्रामीण विकास	1268.42 (3.62)	368.54 (6.41)	482.86 (6.79)	594.12 (6.17)	696.49 (7.27)	941.62 (7.03)	6223.00 (6.91)	1072.59 (7.40)
III	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	127.40 (0.36)	22.76 (0.40)	21.92 (0.31)	26.70 (0.28)	21.09 (0.22)	30.00 (0.22)	202.00 (0.22)	33.00 (0.23)
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	4165.00 (11.90)	759.37 (13.20)	802.50 (11.29)	798.11 (8.29)	732.03 (7.65)	985.00 (7.35)	7700.00 (8.55)	860.00 (5.93)
V	ऊर्जा	4713.46 (13.47)	855.72 (14.88)	864.23 (12.16)	1030.37 (10.71)	966.12 (10.09)	1158.36 (8.64)	7402.00 (8.23)	1356.68 (9.36)
VI	उद्योग एवं खनिज	389.52 (1.11)	108.74 (1.89)	134.28 (1.89)	57.49 (0.60)	65.23 (0.68)	100.62 (0.75)	647.00 (0.73)	87.01 (0.60)
VII	परिवहन	4335.35 (12.39)	533.59 (9.28)	917.78 (12.91)	1309.84 (13.61)	1041.78 (10.88)	1242.33 (9.27)	9860.00 (10.96)	1465.94 (10.10)
VIII	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	19.88 (0.06)	3.91 (0.07)	6.01 (0.08)	31.14 (0.32)	10.62 (0.11)	21.44 (0.17)	120.00 (0.13)	23.15 (0.16)
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएं	90.34 (0.26)	16.53 (0.29)	19.22 (0.27)	26.15 (0.27)	19.05 (0.20)	22.26 (0.17)	200.00 (0.22)	31.49 (0.22)
X	विकेन्द्रीकृत योजना	1292.93 (3.69)	35.00 (0.61)	100.62 (1.42)	275.07 (2.86)	152.16 (1.59)	232.13 (1.73)	1555.00 (1.73)	294.41 (2.03)
XI	समाजिक सेवाएं	16697.44 (47.71)	2725.59 (47.39)	3279.76 (46.14)	4880.35 (50.71)	5079.05 (53.05)	7494.35 (55.93)	49474.30 (54.97)	8198.91 (56.55)
XII	सामान्य सेवाएं	261.44 (0.75)	117.07 (2.03)	109.77 (1.54)	134.87 (1.40)	105.29 (1.10)	137.05 (1.02)	736.70 (0.82)	126.74 (0.87)
कुल जोड़ (I-XII)		35000.00 (100.00)	5751.18 (100.00)	7108.28 (100.00)	9624.44 (100.00)	9574.67 (100.00)	13400.00 (100.00)	90000.00 (100.00)	14500.00 (100.00)

कोष्ठक के आंकड़ें प्रतिशत है।

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।